NEXT IAS
THE CRUX

दिसंबर अंक; 2024

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2024

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 4
नक्सलवाद का उन्मूलन 7
सीरिया में सत्ता परिवर्तन 9
भारत में तस्करी रिपोर्ट: 2023-24 12

विशेष लेख

IPC की धारा 498A का बढ़ता दुरुपयोग 15
दक्षिण कोरिया में वर्तमान घटनाक्रम 17
श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 18
भूटान के राजा का भारत दौरा 20
भारत-कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया 21
फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए PLI योजना 22
शहरी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि 25
भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण 28
तटीय संकट: भारत की तटरेखा को अपरदन का खतरा 29
भारत में ई-कचरा परिदृश्य 30
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 32
फेंगल चक्रवात 35
चीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध को मंजूरी 37
भारत 6G विजन दस्तावेज 39
मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 41
सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष 44

1 राजव्यवस्था एवं शासन

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 46
पुलिस महानिदेशकों / महानिरीक्षकों का 59वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन 46
सर्पदंश: अधिसूचित रोग 46
भारत में इंटरनेट शटडाउन 47
LIC की बीमा सखी योजना 47
उच्च जोखिम वाला खाद्य श्रेणी 48
प्रगति प्लेटफॉर्म 48
उपराष्ट्रपति का निष्कासन 48
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) 49
जल जीवन मिशन (JJM) महिलाओं को सशक्त बनाना 49
अनुदान की अनुपूरक माँगें 50
एक उम्मीदवार, कई निर्वाचन क्षेत्र 50
राधाकृष्णन समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पुनर्गठन की सिफारिश की 50
प्रशासन गाँव की ओर अभियान 51
केंद्र सरकार ने नो-डिटेंशन नीति समाप्त की 51
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2024 52
NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति 53
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना 53
प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना 54
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 54
अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 55

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुन: निर्वाचित 56
आपूर्ति शृंखला लोचशीलता समझौता (स्तंभ-II) 56
पनडुब्बी केबल लोचशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय 56
नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND) 57
संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद 57
यूनाइटेड किंगडम ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हुआ (CPTPP) 58
फेवा डायलॉग 58

3 अर्थव्यवस्था

विंडफॉल टैक्स 59
तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 59
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 60
तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 61
गृह मूल्य सूचकांक (HPI) 62
राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (eMaap) 62
भारत में FDI प्रवाह 1 ट्रिलियन डॉलर के पार 63
RBI का MuleHunter-AI टूल 64
RBI के नए गवर्नर की नियुक्ति 64
भारत कौशल रिपोर्ट 2025 65
अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना 66
समर्थ (SAMARTH) उद्योग भारत 4.0 66
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) 68
भारत: प्रेषण राशि का शीर्ष प्राप्तकर्त्ता 69
GST परिषद की 55वीं बैठक 70
ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीन-असिस्टेड कंस्ट्रक्शन (AIMC) सिस्टम 70
FREE-AI समिति 71
चालू खाता घाटा 71
RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 72

4 पर्यावरण

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 73
संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 73
तटीय सुदृढ़ीकरण 74
बिजनेस 4 लैंड पहल 74
भारतीय स्टार कछुआ 75

डुल्सिबेला कैमांचाका 75
मार्बल्ड बत्तख....76
रॉटन के फ्री-टेल्ड चमगादड़....77
बाल्ड ईगल (Bald Eagle)....77
सिंह पुच्छ मकाक....77

5 भूगोल

सांता आना पवनें....78
पेरू में नाजका जियोग्लिफ्स....78
कर्च जलडमरूमध्य....79
मॉल्डोवा....80
गोलन हाइट्स....80
मसाली....81
लेसोथो....81
पैंगोंग त्सो....82
महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थल....82

6 आंतरिक सुरक्षा

निर्देशक का जलावतरण....83
सर्वोच्च न्यायालय ने NIA की शक्तियों का विस्तार किया....83
सिलीगुड़ी कॉरिडोर....83
MH-60R हेलीकॉप्टर....84
दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024....84
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र....85
INS 'तुशील'....85
अभ्यास CINBAX....85
अभ्यास अग्नि वॉरियर (XAW-2024)....86
अभ्यास डेजर्ट नाइट....86
सूर्य किरण अभ्यास....86

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नैनो बबल प्रौद्योगिकी....87
एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डी.एन.ए. (ECDNAS)....87
मारबर्ग वायरस रोग (MVD)....88
गैट पैटर्न विश्लेषण....88
सिलिकोसिस....88
आनुवंशिक रूप से संशोधित मलेरिया परजीवी....89
भारतजेन....89
भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक....90
गूगल की क्वांटम चिप 'विलो'....90
हीमोफीलिया A के इलाज के लिए नवीन जीन थेरेपी....91
EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क....91
जल में मैंगनीज की उपस्थिति कैंसर का कारण....92
विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (SHRI)....92
वर्मम थेरेपी....92
भारत द्वारा अपना पहला मधुमेह बायोबैंक स्थापित किया....92
जनरेटिव AI सुपरकंप्यूटर 'जेटसन ओरिन नैनो सुपर'....93
किसान कवच....93
स्पीड गन....94
जैव-बिटुमेन....94
क्वांटम सैटेलाइट....94
डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी....95
पार्कर सोलर प्रोब....95

8 समाज

शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal)....96
मिशन शक्ति का संबल वर्टिकल....97
बिरहोर जनजाति....98

9 संस्कृति एवं इतिहास

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय....99
साँची का महान स्तूप....99
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद....100
69वाँ महापरिनिर्वाण दिवस....101
अंगामी नागा जनजाति....102
एकलिंगजी मंदिर....103
पोट्टी श्रीरामुलु....103
वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार....104
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी....105
बेलगाम अधिवेशन के 100 वर्ष....106
सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती....107

10 विविध

मर्फी का नियम....108
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार....108
वीर बाल दिवस....108
राजकीय अंतिम संस्कार....108
स्पोर्ट्सवॉशिंग....109
ऑलिव रिडले कछुए....109

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

....111
स्वयं परीक्षण 112

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (ISFR 2023) को प्रस्तुत किया।

परिचय

- **अवलोकन:**
  - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा द्विवार्षिक प्रकाशन।
  - पहली बार 1987 में प्रकाशित, 2023 संस्करण 18वीं रिपोर्ट होगी।
- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI):**
  - **स्थापना:** जून 1981
  - **मुख्यालय:** देहरादून, उत्तराखंड
  - **भूमिका:** समय-समय पर वन और भूमि संसाधनों में परिवर्तन की निगरानी के लिए वन सर्वेक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान आयोजित करता है।
  - **राष्ट्रीय वन नीति 1988:** यह अनिवार्य है कि भारत का 33% भौगोलिक क्षेत्र वृक्षों या वनों से आच्छादित होना चाहिए।

प्रमुख निष्कर्ष:

भारत का वन एवं वृक्ष आवरण (वर्ग किमी. में)		
वर्ग	**क्षेत्रफल**	**भौगोलिक क्षेत्र का %**
वन आवरण	7,15,342.61	21.76
वृक्ष आवरण	1,12,014.34	3.41
कुल वन एवं वृक्ष आवरण	8,27,356.95	25.17
झाड़ियाँ	43,622.64	1.33
गैर वन	24,16,489.29	73.50
देश का भौगोलिक क्षेत्रफल	32,87,468.88	100.00

- **वन आवरण अवलोकन**
  - **राष्ट्रीय आच्छादन:**
    - वन एवं वृक्ष आवरण सामूहिक रूप से 8,27,357 वर्ग किमी. में विस्तृत है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
    - वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किमी. (21.76%) है, जबकि वृक्ष क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किमी. (3.41%) है।
  - **2021 से अब तक शुद्ध परिवर्तन:**
    - वन क्षेत्र में 156.41 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई, जो मामूली सुधार दर्शाता है।
    - संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण में 1,445.81 वर्ग किमी. की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई।
- **राज्यवार लाभ और हानि**
  - **वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि:** सबसे अधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ (+683.62 वर्ग किमी.), उत्तर प्रदेश (+559.19 वर्ग किमी.), ओडिशा (+558.57 वर्ग किमी.) और राजस्थान (+394.46 वर्ग किमी.) में दर्ज की गई।
  - **वन एवं वृक्ष आवरण में कमी:** मध्य प्रदेश (-612.41 वर्ग किमी.), कर्नाटक (-459.36 वर्ग किमी.), लद्दाख (-159.26 वर्ग किमी.) और नागालैंड (-125.22 वर्ग किमी.) में महत्त्वपूर्ण कमी दर्ज की गई।
  - **दर्ज वन क्षेत्र** (RFA)/**सरकारी भूमि** (GW) **के अंतर्गत वन आवरण:**
    - **लाभ:** मिजोरम (+192.92 वर्ग किमी.), ओडिशा (+118.17 वर्ग किमी.), कर्नाटक (+93.14 वर्ग किमी.)
    - **हानि:** त्रिपुरा (-116.90 वर्ग किमी.), तेलंगाना (-105.87 वर्ग किमी.), असम (-86.66 वर्ग किमी.)

NEXT IAS हिन्दी

वन आवरण का वर्गीकरण	
वर्ग	**विवरण**
अति सघन वन (VDF)	वितान घनत्व ≥ 70%
मध्यम सघन वन (MDF)	40% ≤ वितान घनत्व < 70%
खुला वन (OF)	10% ≤ वितान घनत्व < 40%
झाड़ियाँ	वितान घनत्व 10%, सामान्यत: पेड़ों के बीच में झाड़ियाँ होती हैं
गैर वन	ऐसी भूमि जो ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। इसमें कृषि भूमि, बस्तियाँ, जल निकाय, घास के मैदान, बर्फ से ढके क्षेत्र, मरुस्थल आदि शामिल हैं।

अति सघन वन

मध्यम सघन वन

खुला वन

झाड़ियाँ

- RFA के बाहर वन क्षेत्र:
  - **लाभ:** गुजरात (+241.29 वर्ग किमी.), बिहार (+106.85 वर्ग किमी.), और केरल (+95.19 वर्ग किमी.)
  - **हानि:** मध्य प्रदेश (-344.77 वर्ग किमी.), राजस्थान (-110.65 वर्ग किमी.)
- **क्षेत्रीय मुख्य आकर्षण**
  - **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र** (WGESA):
    - WGESA 60,285.61 वर्ग किमी. में विस्तृत है, जिसमें वन क्षेत्र 44,044 वर्ग किमी. (73%) है।
    - एक दशकीय विश्लेषण से पता चला है कि 58.22 वर्ग किमी. वनों की हानि हुई है, जबकि अत्यधिक सघन वनों में वृद्धि हुई है, तथा मध्यम सघन और खुले वनों में कमी आई है।
  - **पहाड़ी जिले:**
    - पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र कुल 2,83,713 वर्ग किमी. है, जो उनके भौगोलिक क्षेत्र का 40% है।
    - वर्तमान मूल्यांकन के दौरान 234.14 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र:**
    - पूर्वोत्तर में वन एवं वृक्ष आवरण 1,74,395 वर्ग किमी. है, जो इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 67% है।
    - हालाँकि, 327.30 वर्ग किमी. की कमी दर्ज की गई, जिसमें नागालैंड, त्रिपुरा और असम में महत्त्वपूर्ण क्षति हुई।
- **मैंग्रोव आवरण**
  - कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी. या भारत के क्षेत्रफल का 0.15% है।
  - गुजरात (-36.39 वर्ग किमी.) में हुई हानि के कारण 7.43 वर्ग किमी. की शुद्ध गिरावट आई, हालाँकि आंध्र प्रदेश (+13.01 वर्ग किमी.) और महाराष्ट्र (+12.39 वर्ग किमी.) में वृद्धि दर्ज की गई।
- **बांस संसाधन एवं कृषि वानिकी**
  - **बांस-आच्छादित क्षेत्र:**
    - 1,54,670 वर्ग किमी. को आच्छादित करता है, 2021 से 5,227 वर्ग किमी. की वृद्धि।
    - सबसे बड़ा आच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश (20,421 वर्ग किमी.) में हैं, इसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान है।
  - **कृषि वानिकी:**
    - कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष हरित आवरण 1,27,590 वर्ग किमी. होने का अनुमान है, जो 2013 से 20.02% की वृद्धि है।
    - उल्लेखनीय योगदानकर्त्ताओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा शामिल हैं।
- **कार्बन स्टॉक और NDC लक्ष्य**
  - 2023 के लिए कार्बन स्टॉक 7,285.5 मीट्रिक टन है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन अधिक है।
  - भारत ने 2005 से अब तक 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त CO2 समतुल्य सिंक हासिल किया है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अंतर्गत 2.5 - 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य की ओर प्रगति की है।
- **काष्ठ का बढ़ता स्टॉक**
  - कुल बढ़ते स्टॉक का अनुमान 6,429.64 मिलियन क्यूबिक मीटर (Mm^3) है, जो 4.25% की वृद्धि दर्शाता है।
  - **वनों के अंदर:** 4,478.89 Mm^3; वनों के बाहर: 1,950.75 Mm^3
  - शोरिया रोबस्टा (साल) वनों के अंदर सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि मैंगीफेरा इंडिका (आम) वनों के बाहर सबसे अधिक उत्पादन करता है।
- **अन्य मुख्य पहलू**
  - **वृक्ष आवरण में अग्रणी:** महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण सबसे अधिक है।
  - **वनाग्नि की घटनाएँ:** 2023-24 के मौसम के दौरान उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक घटनाएँ हुईं।
  - **मृदा स्वास्थ्य और जैविक दबाव:** मृदा स्वास्थ्य में सामान्य सुधार और कम जैविक दबाव बेहतर जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता को प्रदर्शित करते हैं।

चिंताएँ

- **सघन वनों की शुद्ध हानि:**
  - भारत में 2003 से अब तक सघन वनों के 24,651 वर्ग किमी. (6.3%) हिस्से की क्षति हुई है - यह क्षेत्रफल पंजाब के आकार का लगभग आधा है।
  - यह गिरावट चल रही वन अपरोपण की घटना एवं प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को प्रदर्शित करती है।
- **वृक्षारोपण द्वारा क्षतिपूर्ति:**
  - 15,530 वर्ग किलोमीटर गैर-वनीय या अल्प वन क्षेत्रों को मुख्यत: वृक्षारोपण के माध्यम से सघन या अत्यधिक सघन वनों में परिवर्तित कर दिया गया है।
  - 2021 और 2023 के बीच, 1,420 वर्ग किमी. वृक्षारोपण को सघन वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे यह प्रवृत्ति जारी रही कि वृक्षारोपण प्राकृतिक सघन वनों में हुए क्षति की पूर्ति करते हैं।
  - विगत् 20 वर्षों में वृक्षारोपण और निम्नीकृत वनों के बेहतर प्रबंधन के कारण सघन वन क्षेत्र में 1,370 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
  - विशेषज्ञ इस तीव्र परिवर्तन का श्रेय वृक्षारोपण को देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वन इतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करते।
  - बागानों में प्राय: एक ही आयु के वृक्षों की एकल रोपण (मोनोकल्चर) की जाती है, जिससे वे आग, कीटों और बीमारियों के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
  - वे प्राकृतिक वन पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उनमें पुराने वनों की जैव विविधता और पारिस्थितिकीय कार्यों का अभाव होता है।
- **वनाग्नि की घटनाएँ:**
  - विगत् दो वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं की संख्या 2.23 लाख (2021-22) से घटकर 2.03 लाख (2023-24) हो गई है।
  - हालाँकि, हिमाचल प्रदेश (2023-24 में 10,136 वनाग्नि की घटनाएँ) और उत्तराखंड (2023-24 में 21,033 वनाग्नि की घटनाएँ) जैसे राज्यों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई।

- **मैंग्रोव में गिरावट:**
  - मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किमी. की कमी आई, जिसमें सबसे अधिक कमी गुजरात में (-36.39 वर्ग किमी.) हुई।
  - यहाँ तक कि पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी 4.6 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र की क्षति हुई है।
- **बांस आवरण का एकीकरण:** ISFR 2023 ने वृक्ष आवरण अनुमानों में बांस आवरण को एकीकृत किया, जो पिछले आकलनों से एक पद्धतिगत परिवर्तित को प्रदर्शित करता है।
- **विखंडन एवं आवास की क्षति:** बुनियादी ढाँचे का विकास, खनन और शहरी विस्तार, विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, महत्त्वपूर्ण रूप से आवास विखंडन का कारण बनते हैं।
- **प्रबंधन एवं निगरानी में कमियाँ:** वन क्षेत्रों में अपर्याप्त निगरानी और कमजोर प्रवर्तन तंत्र के कारण अवैध कटाई और अतिक्रमण जैसी समस्याएँ और भी बदतर हो जाती हैं।
- **असंवहनीय संसाधन दोहन:** गैर-काष्ठ वन उत्पादों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक चराई और अनियमित काष्ठ संग्रहण वन क्षरण में योगदान करते हैं।

रिपोर्ट की पारिभाषिक शब्दावली	
धरातल के ऊपर बायोमास	मृदा के ऊपर जीवित वनस्पतियों का समस्त जैवभार, चाहे वह काष्ठीय हो या शाकीय, जिसमें तने, स्टंप, शाखाएँ, छाल, बीज और पत्ते शामिल हैं। (स्रोत - राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस सूची के लिए 2006 IPCC दिशा-निर्देश)
धरातल के नीचे बायोमास	जीवित जड़ों का समस्त जैवभार। 2 मिमी व्यास से कम की सूक्ष्म जड़ों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें प्राय: मृदा के कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट से अनुभवजन्य रूप से अलग नहीं किया जा सकता है।
जैव विविधता	जैव विविधता या "जैविक विविधता" का अर्थ सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं वे पारिस्थितिक परिसर शामिल हैं जिनका वे हिस्सा हैं; इसमें प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल है। (स्रोत - जैविक विविधता पर सम्मेलन)
कार्बन पृथक्करण	यह एक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पृथक् कर दिया जाता है और ठोस या तरल रूप में रखा जाता है।
कार्बन स्टॉक	सभी जीवित और निर्जीव बायोमास में कार्बन, जिसमें धरातल के ऊपर बायोमास, धरातल के नीचे बायोमास, मृत काष्ठ, अपशिष्ट और मृदा कार्बन शामिल हैं।
कृषि योग्य गैर वन क्षेत्र	यह शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र है, जो दर्ज वनों के बाहर स्थित है, जो वृक्ष वनस्पति को सहारा प्रदान कर सकता है (इस प्रकार, जलाशयों, नदी के किनारों, बारहमासी बर्फ से ढके पहाड़ों, अल्पाइन चरागाहों, रेत के टीलों आदि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)। CNFA वह क्षेत्र है जिस पर मूल्यांकन के लिए TOF पर नमूना डेटा एकत्र किया जाता है।
विदेशी प्रजातियाँ	विदेशी प्रजातियाँ वे जीव हैं जिन्हें उनके सामान्य वितरण क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र में लाया गया है।
वन क्षेत्र	सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र को "अभिलिखित वन क्षेत्र" भी कहा जाता है।
वन घटनाविज्ञान (फेनोलॉजी)	वह विज्ञान जो प्रकृति में जीवों के जीवन चक्र में विशिष्ट आवधिक घटनाओं, जैसे पत्ती का गिरना, आदि के प्रकट होने के समय से संबंधित है; विशेष रूप से जब वे घटनाएँ पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती हैं।
वन स्टैंड	वन स्टैंड वृक्षों या अन्य वनस्पतियों का एक समूह है, जिसमें संगठन, बनावट, आयु व्यवस्था या संरचना में पर्याप्त एकरूपता होती है और इसे सिल्वीकल्चरल इकाई बनाने वाली आसन्न फसलों से पृथक् किया जा सकता है।
ग्रिडलिंग	किसी काष्ठीय पौधे की शाखा या तने की पूरी परिधि के चारों ओर से छाल की एक पट्टी (कॉर्क कैम्बियम या "फेलोजेन", फ्लोएम, कैम्बियम और कभी-कभी जाइलम में जाने वाली) को पूरी तरह से हटाना।
वृद्धिमान स्टॉक	वन या उसके किसी निर्दिष्ट भाग में उगने/रहने वाले सभी वृक्षों का योग (संख्या या आयतन के अनुसार)।
हर्ब	हर्ब एक ऐसा पौधा है जिसका धरातल से ऊपर कोई स्थायी तना (गैर-काष्ठीय) नहीं होता है और सामान्यत: इसकी ऊँचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होती है।
ह्यूमस	मृदा खनिजों के साथ जुड़ा हुआ विघटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यत: ह्यूमस के रूप में जाना जाता है।
संकेतक प्रजातियाँ	संकेतक प्रजाति एक प्रजाति या प्रजातियों का समूह है जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति या उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर किसी निश्चित प्रक्रिया के संकेतक या प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है।
निकेत (niche)	निकेत किसी निवास स्थान में किसी प्रजाति की भूमिका या कार्य है। निकेत शब्द फ्रेंच शब्द निचर से आया है, जिसका अर्थ है "घोंसला बनाना।" एक पारिस्थितिक निकेत बताता है कि एक प्रजाति अपने निवास स्थान के साथ कैसे अंतर्क्रिया करती है और उसमें कैसे रहती है।
संरक्षित क्षेत्र	संरक्षित क्षेत्र का तात्पर्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18, 35, 36A और 36C के अंतर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व से है।
आरक्षित वन	भारतीय वन अधिनियम या अन्य राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत गठित ऐसा क्षेत्र, जिसे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। आरक्षित वनों में सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं, जब तक कि अनुमति न दी जाए।

नक्सलवाद का उन्मूलन

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

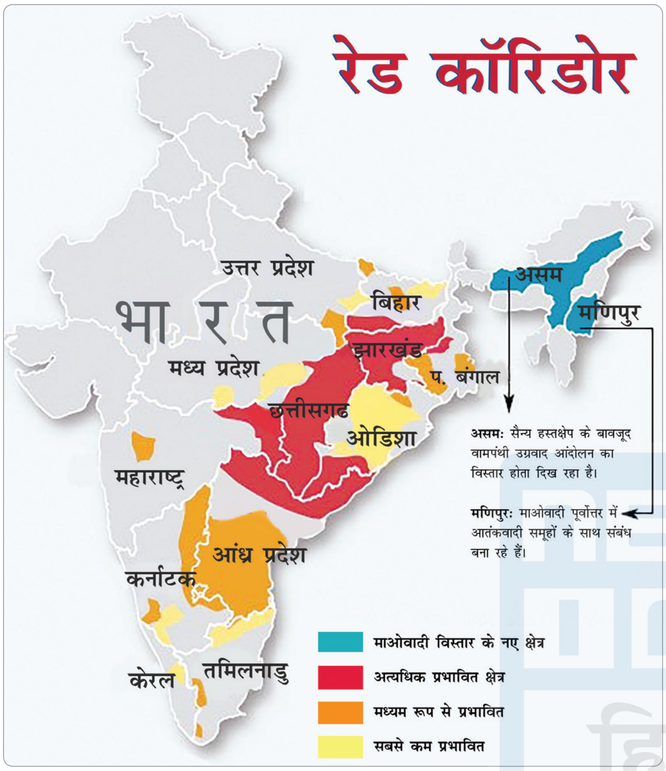

पृष्ठभूमि

- **नक्सलवादी आंदोलन:** नक्सलवादी आंदोलन भारत में एक उग्रवादी अति-वामपंथी विद्रोह/आंदोलन है, जिसका उद्देश्य एक दीर्घकालिक जनयुद्ध के माध्यम से भारत सरकार के अस्तित्व को समाप्त करना है।
  - यह आंदोलन भारत को एक 'अर्द्ध-औपनिवेशिक और अर्द्ध-सामंती राज्य' के रूप में देखता है तथा एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है।
- **नक्सलवादी आंदोलन का इतिहास:** नक्सलवादी आंदोलन की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी विद्रोह से मानी जाती है, जिसका नेतृत्व माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने किया था।
- **आंदोलन का विस्तार:** नक्सली आंदोलन प्रारंभ में पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में फैला और बाद में बिहार/झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैल गया।
  - इस आंदोलन की विशेषता सशस्त्र विद्रोह था और इसका उद्देश्य जमींदारों, अधिकारियों और राज्य द्वारा कथित शोषण को चुनौती देना था।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से संबंधित तथ्य

- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2018 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटना 126 जिलों से घटकर 90 जिलों तक सीमित हो गई, जुलाई 2021 में 70 और पुन: अप्रैल 2024 में 38 जिलों तक कम हो गई।
- परिणामी मृत्यु (नागरिक + सुरक्षा बल) 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से 86% घटकर 2023 में 138 हो गई हैं।
- चालू वर्ष 2024 (15.11.2024 तक) में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 25% की तीव्र कमी आई है।

बंद्योपाध्याय समिति (2006):

- इसने नक्सलवाद के प्रसार के मुख्य कारण के रूप में आदिवासियों के विरुद्ध शासन व्यवस्था की कमी; आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव को प्रकट किया।
- समिति ने इस मुद्दे का मुकाबला करने के साधन के रूप में आदिवासी-अनुकूल भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास की सिफारिश की।

संबंधित चुनौतियाँ

- **सामाजिक-आर्थिक मुद्दे**
  - **गरीबी एवं बेरोजगारी:** प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर गरीबी एवं रोजगार के अवसरों की कमी, वामपंथी उग्रवाद समूहों को सुभेद्य व्यक्तियों की भर्ती करने में सक्षम बनाती है।
  - **भूमि विवाद एवं विस्थापन:** जनजातीय समुदायों को औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण और व्यापक स्तर पर विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है।
  - **प्रवासन और खाद्य असुरक्षा:** संकटपूर्ण प्रवासन और भोजन, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा देती है।
  - **भूमि सुधार और कृषि संकट:** भूमि का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है, जबकि ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा भूमिहीनता एवं असुरक्षित काश्तकारी से जूझ रहा है।
    - यह कृषि संकट असंतोष को बढ़ावा देता है और नक्सल भर्ती हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।
- **सुरक्षा खतरे**
  - **जनहानि:** वर्तमान में हुई कमी के बावजूद वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा के कारण नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान को भारी क्षति पहुँचा है।
  - **उन्नत रणनीति का प्रयोग:** गुरिल्ला युद्ध और IEDs का प्रयोग, नक्सल विरोधी अभियानों को जटिल बना देता है।
- **विकास में बाधा**
  - **परियोजनाओं का विरोध:** वामपंथी उग्रवादी समूह सड़क, स्कूल और मोबाइल टावर जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को निशाना बनाते हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
  - **प्राधिकारियों में अविश्वास:** प्रचार से प्रभावित होकर स्थानीय आबादी प्राय: सरकारी प्रयासों में अविश्वास करती है, जिससे विकास कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होती है।

NEXT IAS हिन्दी

- **विधिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ:**
  - **जटिल कार्यान्वयन:** वामपंथी उग्रवाद विरोधी कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का समन्वय करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
  - **वित्तपोषण नेटवर्क:** समूह बलात् वसूली और अवैध गतिविधियों के माध्यम से धन जुटाते हैं, जिससे वित्तीय कार्रवाई जटिल हो जाती है।
- **वैचारिक चुनौतियाँ:** वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा हिंसा के माध्यम से सरकार का विरोध करने पर केंद्रित है और वंचित समुदायों में सरकार विरोधी बातें फैलाती है।
  - यह विचारधारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास को बढ़ावा देती है और हिंसा के चक्र को बनाये रखती है।

आगे की राह

- **व्यापक विकास योजना:** समाज के वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने और सबसे सुभेद्य लोगों के उत्थान के लिए गांधीजी के सिद्धांत का प्रतिध्वनित करने के लिए रणनीति विकसित की जानी चाहिए।
- **रोजगार-केंद्रित उद्योग:** उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो बेरोजगार युवाओं की विशाल संख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, तथा उन उद्योगों से आगे बढ़ना चाहिए, जो उच्च लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन सीमित श्रमिकों को रोजगार देते हैं।
- **जिम्मेदार औद्योगिक व्यवहार:** सरकार को उद्योगों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, विशेषकर खनन में। विस्थापित समुदायों को विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों को कम करने के लिए पर्याप्त पुनर्वास एवं सहायता मिलनी चाहिए।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों का आधुनिकीकरण:** प्रायः संसाधनों की कमी से जूझ रही राज्य पुलिस की सहायता के लिए, केंद्र सरकार को विधि और व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए आधुनिक हथियारों से सुसज्जित एजेंसियों को तैनात करके अशांत राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए।
- **केंद्र-राज्य सहयोग:** नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी सहयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार को सहायक भूमिका निभानी चाहिए, जबकि राज्य पुलिस बलों को धरातल स्तर पर परिचालन गतिविधियों का नेतृत्व करनी चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
कानूनी ढाँचा	UAPA, 1967 और NIA अधिनियम, 2008 वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए एजेंसियों को सशक्त बनाते हैं।
समाधान सिद्धांत	वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति, जिसमें स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड-आधारित KPIs, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना और उग्रवादी समूहों के लिए वित्तपोषण तक पहुँच न होने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
वित्तपोषण सहायता	सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) के अंतर्गत वित्त पोषण में वृद्धि तथा वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना (ACALWEMS) के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता
विशेष बल	• **ग्रेहाउंड्स (1989):** उत्कृष्ट नक्सल विरोधी बल। • COBRA, IRBs, **बस्तरिया बटालियन:** वामपंथी उग्रवाद अभियानों के लिए विशेष इकाइयाँ।
विकास कार्यक्रम	• **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018):** अविकसित जिलों के विकास पर केंद्रित। • **रोशनी पहल (2013):** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था।
आधारभूत ढाँचे का विकास	• **सड़कें:** 9,000+ किमी. निर्मित। • **दूरसंचार:** 2,343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए और उन्हें 4G में अपग्रेड किया गया। • **वित्तीय समावेशन:** प्रभावित क्षेत्रों में नये बैंक, ATM और डाकघर। • **कौशल विकास:** युवाओं को रोजगार देने के लिए ITIs और SDCs की स्थापना की गई। • **शिक्षा:** 245 एकलव्य विद्यालयों को मंजूरी दी गई; जनजातीय छात्रों के लिए 121 कार्यरत। • **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम:** 22,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को विकसित क्षेत्रों से परिचित कराया गया।

सीरिया में सत्ता परिवर्तन

इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने होम्स पर नियंत्रण कर लिया है, जो राष्ट्रपति बशर अल-असद सरकार के लिए एक बड़ी पराजय है।

सीरियाई युद्ध की टाइमलाइन

2011 (विद्रोह और गृह युद्ध का प्रारंभ)

- 2010 के अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए, सरकार ने हिंसक दमन का जवाब दिया।
- सीरियाई विपक्ष ने असद सरकार से लड़ने के लिए फ्री सीरियन आर्मी (FSA) का गठन किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने असद से पद छोड़ने का आह्वान किया।

2012 (हिंसा में वृद्धि)

- यह संघर्ष एक पूर्ण गृहयुद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसमें कई सशस्त्र समूह सरकार और एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं।
- असद सरकार को रूस और ईरान ने समर्थन प्रदान किया।

2013 (चरमपंथी समूहों का उदय)

- इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) ने क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्षेत्र में चरमपंथी उपस्थिति बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो गई।

2014 (ISIS के विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन)

- इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में खिलाफत की घोषणा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप ISIS से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (अमेरिका के नेतृत्व में) का गठन हुआ।
- कुर्द बल, मुख्यत: YPG (पीपुल्स डिफेंस यूनिट्स), ISIS के विरुद्ध लड़ाई में प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे, विशेष रूप से उत्तरी सीरिया में।

2015 (रूसी हस्तक्षेप)

- रूस असद सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप करता है तथा विपक्षी समूहों के विरुद्ध हवाई हमले करता है।
- ईरान ने अपनी भागीदारी बढ़ा दी तथा असद को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की।

2016 (अलेप्पो के लिए लड़ाई)

- युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक अलेप्पो में हुई, जिसमें रूसी और सीरियाई सेनाओं द्वारा भारी बमबारी की गई।
- इस वर्ष के अंत तक यह शहर असद शासन के अधीन हो गया।

2017 (अमेरिकी सैन्य संलिप्तता और रासायनिक हमले)

- खान शेखुन शहर पर रासायनिक हमले के परिणामस्वरूप सीरियाई एयरबेस पर अमेरिकी मिसाइल हमला हुआ।
- रूसी समर्थन से सीरियाई सरकारी बलों ने पूर्वी सीरिया के अधिकांश भाग पर पुन: कब्जा कर लिया, तथा ISIS को पीछे धकेल दिया।

2018 (इदलिब और कुर्द तनाव)

- इदलिब में विपक्ष के अंतिम प्रमुख गढ़ के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सरकारी कार्रवाई प्रारंभ हुई।
- उत्तरी सीरिया में अमेरिकी और तुर्की सेनाओं की कुर्द YPG लड़ाकों के साथ झड़प से नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया।

2019 (ISIS का पराजय और अमेरिकी वापसी)

- ISIS ने सीरिया में अपना क्षेत्रीय नियंत्रण खो दिया, अमेरिका ने उत्तरी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दिया।

2020-2021 (निरंतर संघर्ष)

- रूस और ईरान के समर्थन से असद सरकार ने सीरिया के अधिकांश भाग पर पुन: नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन देश के कुछ हिस्से अभी भी विद्रोहियों के नियंत्रण में थे।
- अमेरिका ISIS के बचे हुए आतंकवादियों से निपटने और कुर्द बलों को समर्थन देने के लिए उत्तर-पूर्वी सीरिया में सैन्य उपस्थिति बनाए रखा।
- इजरायल पर हमास के हमले से लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई प्रारंभ हो गई, जिससे अंतत: सीरिया में इस समूह की उपस्थिति कम हो गई और असद को भारी क्षति पहुँचा।

2024 (विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद पर हमला कर उन्हें पद से हटा दिया)

- विद्रोहियों ने अलेप्पो पर एक नया हमला प्रारंभ किया। असद के सहयोगियों के कहीं और केंद्रित होने के कारण उसकी सेना शीघ्र ही ढेर हो गई और विद्रोहियों ने अधिकांश प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे असद को भारी क्षति उठाना पड़ा

सीरियाई गृहयुद्ध को आकार देने वाले प्रमुख कारक

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** अलावी अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व वाले असद सरकार को आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन को लेकर सुन्नी बहुसंख्यकों की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है।
  - शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के कारण विद्रोह एक लंबे संघर्ष में परिवर्तित हो गया।
- **असद शासन का पतन:** रूस द्वारा अपना ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित करने, ईरान की भागीदारी कम होने, तथा इजरायली हमलों द्वारा सीरिया के सैन्य बुनियादी ढाँचे को कमजोर करने के कारण असद की बाहरी समर्थन पर निर्भरता अस्थिर हो गई।

विद्रोह के निहितार्थ

- **सीरिया और मध्य पूर्व पर प्रभाव:**
  - **HTS शासन:** HTS की चरमपंथी विचारधारा से यह आशंका उत्पन्न होती है कि सीरिया भी तालिबान शासित अफगानिस्तान के समान मार्ग पर चल सकता है।
  - **जातीय और सांप्रदायिक चुनौतियाँ:** पूर्ववर्ती असद शासन, जिसका नेतृत्व अलावी अल्पसंख्यक (सीरिया में एक मुस्लिम संप्रदाय) द्वारा किया जाता था, पर सुन्नी बहुसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने के आरोप लगे थे।
    - इस प्रकार, वर्तमान समय में भी विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि सीरिया की विविध जनसंख्या एकल शासन मॉडल के अंतर्गत एकीकरण के प्रयासों को जटिल बनाती है।
  - **क्षेत्रीय अस्थिरता:** विद्रोह से तनाव बढ़ गया है, विशेष रूप से तुर्की सीमा के निकट कुर्द समूहों के लिए।
- **वैश्विक परिणाम:**
  - **मानवीय संकट:** लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जिससे विश्व में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया है।
    - संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5.5 मिलियन सीरियाई शरणार्थी मुख्य रूप से तुर्किये, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप में रहते हैं।
  - **उग्रवाद और आतंकवाद:** चल रहे संघर्ष के कारण ISIS जैसे समूहों को पुनः संगठित होने का अवसर मिल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।
  - **आर्थिक व्यवधान:** अस्थिरता क्षेत्रीय व्यापार मार्गों, ऊर्जा बाजारों और वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करती है।
  - **मानवाधिकार उल्लंघन:** रासायनिक हथियारों के प्रयोग और नागरिकों को निशाना बनाने सहित व्यापक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघनों की वैश्विक निंदा हुई है।

भारत-सीरिया संबंध

- **ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध:** भारत और सीरिया ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित मजबूत राजनीतिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देश धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और विकासात्मक लक्ष्यों पर बल प्रदान करते हैं।
- **भू-राजनीतिक:** दोनों देश अनेक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर एकमत हैं एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य हैं। भारत ने सीरिया को प्रमुख मुद्दों पर निरंतर समर्थन दिया है, जिसमें गोलन हाइट्स को सीरिया को वापस करने की वकालत और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन शामिल है।
  - **2011 के पश्चात् द्विपक्षीय संबंध:**
    - भारत ने सीरिया संकट के दौरान अपना दूतावास बनाए रखा तथा सीरिया के नेतृत्व में राजनीतिक समाधान पर बल दिया।
    - भारत ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश किया है और मानवीय सहायता प्रदान की है, जैसा कि "ऑपरेशन दोस्त" के अंतर्गत 2023 के भूकंप के दौरान देखा गया।
    - 2024 के अंत में, भारत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भारत-सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श के छठे दौर की मेजबानी करेगा।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:**
  - **प्रमुख परियोजनाएँ:**
    - **तिशरीन थर्मल पावर प्लांट:** भारत ने इस परियोजना के लिए 240 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है, जिसे संकट के पश्चात् पुनः प्रारंभ किया जाएगा।
    - **हामा आयरन एवं स्टील प्लांट आधुनिकीकरण:** संकट के बावजूद 25 मिलियन डॉलर के ऋण-सीमा के अंतर्गत पूरा किया गया।
    - **फॉस्फेट क्षेत्र:** भारत ने उर्वरक उत्पादन में सहयोग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  - **तेल निवेश:** ONGC और IPR इंटरनेशनल ने डेयर-एज-जोर में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की।
  - **द्विपक्षीय व्यापार:** सीरिया को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में चावल, दवाइयाँ, वस्त्र, रसायन और भैंस का मांस शामिल हैं।
    - सीरिया द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में बादाम, ऊन, चमड़ा, मसाले और काले तिल शामिल हैं।
    - भारत-सीरिया संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) की स्थापना 2010 में की गई थी, जिसे संकट के पश्चात् पुनर्गठित करने की योजना है।
- **शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध:**
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम:** दमिश्क और लताकिया में आयोजित भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह में बॉलीवुड फिल्में और भारतीय नृत्य मंडलियों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।
    - सीरिया के विभिन्न शहरों में प्रतिवर्ष योग समारोह आयोजित किए जाते हैं।
  - **छात्रवृत्ति कार्यक्रम:** "भारत में अध्ययन" कार्यक्रम के अंतर्गत 2018-19 में सीरियाई छात्रों को 393 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं, जो 2019-20 में बढ़कर 600 हो गईं।
- **सीरियाई संकट 2011 के दौरान भारत की भूमिका:**
  - **सिद्धांत आधारित रुख:** संघर्ष के लिए एक गैर-सैन्य, समावेशी, सीरियाई नेतृत्व वाले राजनीतिक समाधान की वकालत की गई।
  - **मानवीय सहायता:** आवश्यक खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति सहित 6 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई।
  - **सीरियाई नेतृत्व के साथ सहभागिता:** उच्च स्तरीय यात्राओं और राजनयिक परामर्श के माध्यम से निरंतर वार्ता।

सीरिया में शामिल प्रमुख पक्ष

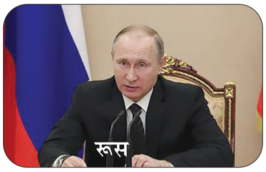

- **ईरान की भूमिका:** ईरान के सैन्य सलाहकारों और लेबनान के हिजबुल्लाह सहित छद्म लड़ाकों ने असद की सेना को मजबूत किया।
  - हिजबुल्लाह इजरायल के साथ अपने हालिया संघर्ष से कमजोर हो गया, और ईरान का ध्यान अन्य क्षेत्रीय संघर्षों में लगा हुआ था। सरकार के जवाबी हमले का समर्थन करने के लिए ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया को सीरिया में तैनात किया गया।
- **रूस की भूमिका:** रूस ने लताकिया प्रांत में स्थित अपने ठिकानों से सैन्य सहायता प्रदान की, जिसमें हेमीमीम एयरबेस और भूमध्य सागर पर स्थित एक नौसैनिक अड्डा शामिल है। हालाँकि, रूस का ध्यान यूक्रेन में अपने युद्ध की ओर चला गया, जिससे उसका समर्थन सीमित हो गया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका:**
  - अमेरिका ने असद शासन का विरोध करने वाले उदारवादी सशस्त्र समूहों को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की।
  - इस सहायता का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) को दिया गया, जो उत्तर-पूर्वी सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सेना है, जिसने असद का विरोध करते हुए ISIS से लड़ने में अमेरिका के साथ सहयोग किया है।
  - ऐसा माना जाता है कि सीरियाई सरकार के हाल ही में हुए तख्तापलट में अमेरिका ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। तुर्की ने असद सरकार को समाप्त करने वाले विद्रोही समूहों का समर्थन किया, मुख्य रूप से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) का मुकाबला करने के लिए, जो एक कुर्द उग्रवादी समूह है जिसे वह अपनी कुर्द आबादी पर तुर्की के नियंत्रण के लिए खतरा मानता है।
- **असद विरोधी मिलिशिया:**
  - **हयात तहरीर अल-शाम** (HTS): यह उत्तर-पश्चिम सीरिया के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखता है तथा एक "मुक्ति सरकार" संचालित करता है। प्रारंभ में अल-कायदा से जुड़ा HTS ने अपने नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नेतृत्व में अपना नाम परिवर्तित कर बहुलवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है।
    - इसका उद्देश्य सुन्नी-इस्लामी शासन स्थापित करना है।
  - **अन्य विद्रोही:** नूरेद्दीन अल-जिन्की जैसे समूह, जो कभी अमेरिका समर्थित थे, अब HTS के साथ जुड़ गए हैं।
  - तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला किया है।
- **कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस** (SDF):
  - अमेरिका समर्थित गठबंधन पूर्वी सीरिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है और उसने ISIS से लड़ाई करते हुए क्षेत्र में उनके अंतिम केंद्र पर भी आधिपत्य कर लिया।
  - ISIS के पुन: उभार को रोकने के लिए लगभग 900 अमेरिकी सैनिक पूर्वी सीरिया में मौजूद हैं।
  - SDF ने अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर आधिपत्य कर रखा है, जो विद्रोहियों से घिरा हुआ है, तथा वहाँ से वापसी के लिए बातचीत चल रही है।
- **तुर्की की भूमिका:** उत्तरी सीरिया में सैन्य उपस्थिति के साथ तुर्की SDF में कुर्द गुटों को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK से जुड़ा मानता है, जो एक प्रतिबंधित समूह है और वह इसे आतंकवादी मानता है।
  - **फ्री सीरियन आर्मी** (FSA) तुर्की द्वारा समर्थित है, जो अलगाववाद की चिंताओं के कारण असद और कुर्द समूहों दोनों का विरोध करती है।
- **विदेशी लड़ाके:** कार्यकर्त्ताओं के अनुसार, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी (चीन) और चेचन गुटों जैसे समूहों के लड़ाके उत्तर-पश्चिमी सीरिया में लड़ाई में शामिल हो गए।

सीरियाई संकट का भारत पर प्रभाव

- **भू-राजनीतिक चुनौतियाँ:**
  - **चीन:** सीरिया में बढ़ता चीनी निवेश भारत के क्षेत्रीय हितों को दरकिनार कर सकता है।
  - **तुर्की:** कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रति उसका विरोध और सीरिया में उसका बढ़ता प्रभाव कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** सीरिया में अस्थिरता से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आयात और व्यापार मार्ग बाधित होने का खतरा है।
- **व्यापार एवं संपर्क:** बेल्ट एंड रोड पहल में सीरिया की संभावित भूमिका के माध्यम से चीनी प्रभाव भारतीय व्यापार हितों को हाशिए पर डाल सकता है।
- **भारत की वैश्विक भूमिका:** यह संकट भारत के लिए एक तटस्थ और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्त्ता के रूप में अपनी छवि को बढ़ाने का अवसर है।
- **प्रवासी सुरक्षा:** सीरिया में बढ़ते तनाव से खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों को खतरा हो सकता है तथा उनके द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- सीरियाई संकट पर भारत का दृष्टिकोण तटस्थ रहा है।

भारत में तस्करी रिपोर्ट: 2023-24

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने वार्षिक 'भारत में तस्करी - रिपोर्ट 2023-24' रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **पर्यावरण और वन्यजीव अपराध:** हाथियों के दाँतों के लिए अवैध शिकार और मोर, पैंगोलिन और तेंदुओं का शिकार जारी है। दक्षिण-पूर्व एशिया में उच्च माँग के कारण स्टार कछुओं की तस्करी बढ़ रही है।

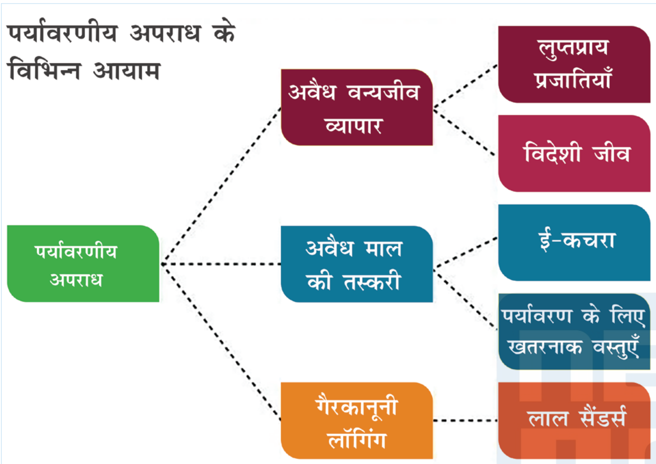

- **कोकीन की तस्करी:** दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों से सीधे मार्गों से कोकीन की तस्करी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **ब्लैक कोकीन:** कोकीन का एक नया रूप, जिसे मानक तरीकों से पता लगाने से बचने के लिए चारकोल या आयरन ऑक्साइड जैसे पदार्थों के साथ रासायनिक रूप से छुपाया जाता है।
- **हाइड्रोपोनिक मारिजुआना:** अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों से तस्करी करके लाया जाता है। यह मिट्टी के बिना जल आधारित पोषक घोल में उगाया जाने वाला कैनबिस (गांजा/भाँग) है, जो इसे अत्यधिक प्रभावकारी और माँग में बनाये रखता है।
- **अवैध सोने का आयात:** भारत तस्करी किए गए सोने के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, जो ज्यादातर पश्चिम एशिया से खच्चरों, विदेशी नागरिकों और अंदरूनी नेटवर्क के माध्यम से आयात किया जाता है।
- **छिद्रपूर्ण सीमाएँ:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पूर्वी सीमाओं के माध्यम से मेथमफेटामाइन की तस्करी बढ़ रही है, विशेष रूप से असम और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में।
- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का दुरुपयोग:** व्यापारियों द्वारा गलत वर्गीकृत आयात और नकली दस्तावेजों के माध्यम से शोषण किया जाता है। इससे सरकार को राजस्व की क्षति होती है और घरेलू व्यवसायों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा होती है।

प्रमुख तस्करी मार्ग

- **गोल्डन डेथ क्रिसेंट:** अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान हेरोइन की तस्करी का केंद्र हैं, जहाँ से भारत-पाकिस्तान सीमा, समुद्री मार्ग और अफ्रीकी एवं खाड़ी क्षेत्रों के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। हथियार और नकली मुद्रा भी इसी रास्ते से भेजी जाती है।
- **गोल्डन डेथ ट्राइंगल:** म्यांमार, लाओस और थाईलैंड सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन और अवैध वन्यजीव उत्पादों के प्रमुख स्रोत हैं।

DRI रिपोर्ट (2023-24) से मुख्य तथ्य

- **विदेशी मुद्रा जब्ती (2023-24):** 25 मामलों में 12.38 करोड़ रुपये।
- **नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (2023-24)**
  - **कुल मादक पदार्थ मामले:** 109
  - **कुल जब्त मादक पदार्थ:** 8223.61 किलोग्राम
  - **कोकीन:** 107.31 किलोग्राम
  - **हेरोइन:** 48.74 किलोग्राम
  - **मेथमफेटामाइन:** 136 किलोग्राम
  - **मेफेड्रोन:** 236 किलोग्राम
  - **गांजा:** 7348.68 किलोग्राम
- **वायु मार्ग से कोकीन तस्करी के मामलों में वृद्धि:** 21 (2022-23) से 47 (2023-24) तक।
- **सोने की तस्करी (2023-24)**
  - **कुल जब्त सोना:** 1319 किलोग्राम।
    - **भूमि मार्ग से:** 55%।
    - **वायु मार्ग से:** 36%।
- **वन्यजीव अपराध (2023-24):**
  - **प्रमुख बरामदगी:**
    - **हाथी के दाँत:** 53.49 किलोग्राम (5 ऑपरेशन)।
    - **अन्य वन्यजीव:** तेंदुए की खाल, जीवित पैंगोलिन, पैंगोलिन के शल्क, तोते, जीवित मोर, मोर के पंख और भारतीय कछुए।
- **वाणिज्यिक धोखाधड़ी (2023-34)**
  - **कुल दर्ज आयात मामले:** 485
  - **अवैध लाभ शामिल:** 5907.79 करोड़ रुपये
  - **गलत घोषणा/गलत वर्गीकरण:** 201 मामले
  - **अंतिम उपयोग और अधिसूचनाओं का दुरुपयोग:** 52 मामले
  - **FTA का दुरुपयोग:** 51 मामले (आसियान-भारत FTA के अंतर्गत 33 मामले)।
  - **नोट:** वाणिज्यिक धोखाधड़ी से तात्पर्य सीमा शुल्क कानूनों या विनियमों के किसी भी उल्लंघन से है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक वस्तुओं पर शुल्कों, करों या शुल्कों के भुगतान से बचना हो।

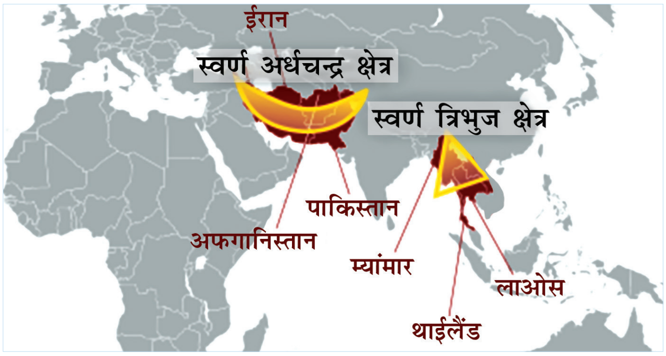

- **तस्करी प्रायः** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते होती है, जहाँ छिद्रपूर्ण सीमाओं और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का लाभ उठाया जाता है।
- **समुद्री मार्गः** भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा विविध प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी का केंद्र है, जिनमें ड्रग्स, सोना, हथियार और यहाँ तक कि मवेशी भी शामिल हैं।
  - शिपिंग कंटेनरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में छिपाकर रखे जाने की खबरें व्यापक रूप से सामने आई हैं।
- **वायु मार्गः** अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं, जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) और सोने की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, जिन्हें प्रायः सामान, कूरियर पार्सल में छिपा दिया जाता है, या "म्युल" द्वारा ले जाया जाता है, जो प्रतिबंधित सामान को अपने साथ ले जाते हैं।
- **पूर्वी सीमाएँ:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाएँ मेथमफेटामाइन, मवेशियों, हथियारों और मानव तस्करी की तस्करी को सुविधाजनक बनाती हैं।
  - जटिल भू-भाग और कमजोर प्रवर्तन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।
- **नेपाल और भूटान से सीमा पार मार्गः** इन सीमाओं का उपयोग न्यूनतम प्रतिबंधों और घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का लाभ उठाकर FICN, हथियारों, वन्यजीवों और मानव तस्करी के लिए किया जाता है।

भारत में तस्करी की प्रवृत्ति बढ़ने के पीछे कारण

- **भौगोलिक स्थितिः** गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल जैसे प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी मार्गों से निकटता, अवैध पदार्थों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। **उदाहरण** के लिए, पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी।
- **विस्तृत सीमाएँ:** छिद्रयुक्त भूमि सीमाएँ, चुनौतीपूर्ण भूभाग तथा लगभग 7,500 किमी. की विशाल तटरेखा प्रभावी निगरानी तथा प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बनाती हैं।
- **उच्च घरेलू माँगः** सोने के प्रति सांस्कृतिक प्राथमिकताएँ, बढ़ती युवा आबादी और मादक पदार्थों की बढ़ती खपत भारत को तस्करों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाती है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** भारत और पड़ोसी देशों के बीच कर संरचनाओं और मूल्य निर्धारण में भिन्नता तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिए, दुबई और बैंकॉक में सोने की कम कीमतें उच्च घरेलू शुल्कों से बचने के लिए अवैध आयात को बढ़ावा देती हैं।
- **नियामक चुनौतियाँ:** जटिल विनियमन और कुछ वस्तुओं, जैसे सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उच्च टैरिफ, कानूनी बाधाओं से बचते हुए बाजार की माँग को पूरा करने के लिए तस्करी के अवसर उत्पन्न करते हैं।
- **तकनीकी उन्नतिः** तस्कर, पता लगने से बचने और अवैध व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, एन्क्रिप्टेड संचार और परिष्कृत गुप्त तरीकों जैसी प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) का परिचय

- यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तत्वावधान में तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
- **स्थापनाः** 1957
- **कार्यः**
  - मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तस्करी के मामलों को रोकना और उनका पता लगाना।
  - सोना, हीरे, कीमती धातुएँ, वन्यजीव उत्पाद, हथियार, नकली मुद्रा नोट, प्राचीन वस्तुएँ आदि।
  - संगठित अपराध समूहों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना।
  - यह वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी के मामलों का पता लगाने में भी लगा हुआ है।

आगे की राह

- **कठोर कानून क्रियान्वयनः** तस्करी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, कठोर दंड और कठोर नियमों के साथ मौजूदा कानूनों को लागू करना।
- **जनशक्ति में वृद्धिः** माल की आवाजाही पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिए, विशेष रूप से सीमा शुल्क और मादक पदार्थों के क्षेत्र में अधिक निरीक्षकों को नियुक्त करना।
- **बेहतर सीमा-पार समन्वयः** खुफिया जानकारी साझा करना, संचार में सुधार करना, और तस्करी की गई वस्तुओं को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाना।
- **व्यापार-डेटा सामंजस्यः** विसंगतियों की पहचान करने और तस्करी का पता लगाने के लिए कई स्रोतों से व्यापार डेटा की तुलना करना।
- **ग्रे मार्केट पर नकेल कसनाः** ग्रे मार्केट के विरुद्ध विनियमन लागू करना और तस्करी किए गए सामान खरीदने के जोखिमों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना।
- **सार्वजनिक जागरूकताः** अवैध सामानों की माँग को कम करने के लिए तस्करी के आर्थिक, सुरक्षा और कानूनी प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडीजः** UAE के ऑपरेशन सी गार्डियन जैसे सफल ऑपरेशनों से सीखना, जिसने तस्करी के नेटवर्क को बाधित किया और एक वैश्विक मानक स्थापित किया।

अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध उठाए गए वैश्विक कदम	
पहल	**विवरण**
नारकोटिक ड्रग्स और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)	नशीली दवाओं की तस्करी को लक्षित करने तथा अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन और वितरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि।
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)	तकनीकी सहायता प्रदान करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर नशीली दवाओं, हथियारों एवं वन्य जीवों सहित अवैध तस्करी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।
AI और प्रौद्योगिकी का उपयोग	बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमाओं पर तस्करी के सामान की ट्रैकिंग, पता लगाने और अवरोधन के लिए AI, ड्रोन और उन्नत स्कैनिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन)	अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो, तथा वन्यजीवों की तस्करी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय तस्करी विरोधी अभियान	व्यापक स्तर पर समन्वित अभियान, जैसे कि इंटरपोल का ऑपरेशन लायनफिश, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया।
पेरिस संधि पहल	उत्पादन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, अवैध दवाओं के प्रमुख स्रोतों में से एक, अफगान अफीम की वैश्विक तस्करी को लक्षित किया जाता है।
इंटरपोल की जालसाजी अपराध इकाई	अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने और संचालन के माध्यम से नकली मुद्रा सहित नकली वस्तुओं से निपटने के लिए वैश्विक समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000)	हथियारों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।
विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) का सीमा शुल्क प्रवर्तन नेटवर्क (CEN)	यह सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचना साझा करने तथा नकली सामान और हथियारों सहित तस्करी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क प्रदान करता है।

अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध भारत की पहल	
पहल	**विवरण**
नारकोटिक ड्रग्स और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम)	भारत के अंदर मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण और तस्करी को विनियमित करने के लिए कानूनी ढाँचा।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)	भारत में एक प्रमुख एजेंसी जिसका कार्य तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी तथा मादक पदार्थों एवं जाली मुद्रा सहित वस्तुओं के अवैध व्यापार से निपटना है।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)	भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तथा ड्रग्स, हथियार और नकली उत्पादों सहित वस्तुओं की सीमा पार तस्करी को रोकता है।
सीमा शुल्क विभाग के एक्स-रे स्कैनर और AI उपकरण	हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा चौकियों पर छिपाकर लाए गए तस्करी के सामान का पता लगाने के लिए AI और स्कैनिंग उपकरणों सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)	यह एजेंसी अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने तथा लुप्तप्राय प्रजातियों को अवैध शिकार और तस्करी से बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002	यह विधेयक प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन की जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिए कानूनी प्राधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से तस्करी गतिविधियों से प्राप्त धन से संबंधित मामलों में।
नशीली दवाओं की माँग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)	एक राष्ट्रीय पहल जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों, पुनर्वास और प्रवर्तन के माध्यम से नशीली दवाओं की माँग और आदत को कम करना है।
आतंकी फंडिंग और जाली मुद्रा सेल (TFFC)	NIA और अन्य एजेंसियों के अंतर्गत एक विशेष इकाई जो नकली मुद्रा के प्रचलन और तस्करी गतिविधियों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित करती है।

IPC की धारा 498A का बढ़ता दुरुपयोग

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 84) के दुरुपयोग के संबंध में चिंता व्यक्त किया, जो विवाहित महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता से संबंधित है।

परिचय:

- **पृष्ठभूमि:** 1980 के दशक में दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए IPC में धारा 498A जोड़ी गई थी।
  - इसका उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, दहेज संबंधी दुर्व्यवहार, बलात् कृत्य एवं विवाह के दौरान हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था।
- **कानूनी संरक्षण:** IPC की धारा 498A विवाहित महिलाओं को उनके पति या संबंधियों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से सुरक्षा प्रदान करती है।
- **क्रूरता के लिए सजा:** पत्नी के साथ क्रूरता करने पर पति या उसके संबंधियों को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- **क्रूरता की परिभाषा:** क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
  - जानबूझकर किया गया कोई भी आचरण जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा उत्पन्न हो।
  - महिला या उसके संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध माँगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के मंशे से उत्पीड़न।
- **क्रूरता के रूप:** क्रूरता में महिला या उसके संबंधियों को संपत्ति या धन की अवैध माँगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के मंशे से उत्पीड़न या यातना देना शामिल है।
- **पति की परिभाषा:** 'पति' में कानूनी या प्रथागत साथी शामिल है, जैसे लिव-इन पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाहित होने का दावा करता है, लेकिन कानूनी रूप से विवाहित नहीं है।
- **कोई समय सीमा नहीं:** शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है; पत्नी किसी भी समय इस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है।
- **अपराध की विशेषताएँ:** धारा 498A के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर-शमनीय और गैर-जमानती हैं।
- **जमानत की शर्तें:** पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के पश्चात् ही मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जा सकती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - **आरोपों की जाँच:** सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग और दबाव डालने की रणनीति को रोकने के लिए अस्पष्ट आरोपों की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - **आवश्यक विवरण:** FIR में ठोस और सटीक आरोप शामिल होने चाहिए, जिसमें कथित उत्पीड़न के समय, तारीख, स्थान और तरीके के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।
  - **संदर्भ मायने रखता है:** शिकायत की वास्तविकता का आकलन करने के लिए अदालत FIR के संदर्भ, जैसे समय और परिस्थितियों पर विचार करती है।
  - **निर्दोष लोगों की सुरक्षा:** न्यायालय का उद्देश्य निर्दोष परिवार के सदस्यों को बिना किसी ठोस सबूत के अनावश्यक रूप से वैवाहिक विवादों में परेशान किए जाने से बचाना है।
  - **न्यायिक उत्तरदायित्व:** न्यायालय कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए शिकायतों की जाँच करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।

धारा 498A के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के कारण

- **ठोस प्रमाणों का अभाव:**
  - कई मामले बिना किसी ठोस प्रमाण के दायर कर दिए जाते हैं, जिससे झूठे आरोप लगाना आसान हो जाता है।
  - "क्रूरता" की व्यापक व्याख्या सामान्य मामलों के आधार पर शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

भारतीय कानून में विवाह संबंधी अपराधों का अवलोकन (IPC की धारा 493-498A)

छद्म या अवैध विवाह (धारा 493 और 496)

किसी को विवाह का झूठा विश्वास दिलाकर धोखा देने या धोखाधड़ीपूर्ण विवाह समारोह आयोजित करने के कानूनी परिणाम।

प्रमुख तत्व:
- विवाह के बारे में धोखा या गलत धारणा
- कपटपूर्ण विवाह समारोह

सजा:
- 10 वर्ष तक (धारा 493)
- 7 वर्ष तक (धारा 496)

द्विविवाह (धारा 494 और 495)

जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दोबारा विवाह करना, या पुनर्विवाह करने से पहले विगत् विवाह संबंधी सूचना छिपाना।

प्रमुख तत्व:
- जीवनसाथी के जीवनकाल में पुनर्विवाह
- पूर्व विवाह को छुपाना

सजा:
- 7 वर्ष तक (धारा 494)
- 10 वर्ष तक (धारा 495)

व्यभिचार (धारा 497)

एक समय दाण्डिक अपराध रहे व्यभिचार को 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन यह अभी भी तलाक का आधार बना हुआ है।

मुख्य तत्व:
- वैध जीवनसाथी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध

सजा (वैधीकरण से पहले):
- 5 वर्ष तक

आपराधिक प्रलोभन या पलायन (धारा 498)

अवैध संबंध बनाने के इरादे से किसी विवाहित महिला को बहलाने या हिरासत में रखने पर दण्ड दिया जाता है।

मुख्य तत्व: अवैध यौन संबंधों के लिए विवाहित महिला को लुभाना या हिरासत में रखना

सजा: 2 वर्ष तक

क्रूरता (धारा 498।)

यह महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता से सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से दहेज की माँग या उत्पीड़न के मामलों में।

प्रमुख तत्व: दहेज या दुर्व्यवहार से संबंधित उत्पीड़न या क्रूरता

सजा: 3 वर्ष तक

- **वैवाहिक विवाद:** तलाक या अलगाव के मामलों में, धारा 498A का प्रायः एक पक्ष द्वारा लाभ उठाने या बदला लेने के साधन के रूप में दुरुपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रूरता के झूठे आरोप लगाए जाते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- **महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, केवल 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो प्रत्येक घंटे लगभग 51 FIR के बराबर है।
- **अपराध दर में वृद्धि:** डेटा 2021 और 2020 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में गंभीर वृद्धि दर्शाता है।
  - **"भारत में अपराध 2022"** रिपोर्ट के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 थी, जिसमें चार्जशीट दर 75.8 थी।
- **अपराधों की श्रेणियाँ:** भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अधिकांश अपराध थे:
  - पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता (31.4%),
  - महिलाओं का व्यपहरण एवं अपहरण (19.2%),
  - शीलभंग करने के मंशे से महिलाओं पर हमला (18.7%),
  - बलात्कार (7.1%)।

- **तत्काल गिरफ्तारी प्रावधान:**
  - कानून में बिना गहन जाँच के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से कारावास हो सकता है और उन पर मामले को निपटाने का दबाव पड़ सकता है।
- **कानूनी सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूकता का अभाव:**
  - कई लोग झूठे दावे करने के कानूनी परिणामों को समझे बिना ही इस प्रावधान का दुरुपयोग करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, अभियुक्त और आरोप लगाने वाले दोनों के लिए संभावित परिणामों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है।
- **झूठी शिकायतों के लिए प्रोत्साहन**
  - कुछ मामलों में, वित्तीय प्रोत्साहन या सामाजिक दबाव (जैसे दहेज की माँग) धारा 498A के अंतर्गत झूठी शिकायतें दर्ज करने को प्रोत्साहित करते हैं।
  - मुआवजे की संभावना या अदालती कार्यवाही में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना इस व्यवहार को प्रेरित कर सकती है।

धारा 498A के पक्ष में तर्क

- **दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण:** घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान करता है तथा संरक्षण के लिए कानूनी उपाय सुनिश्चित करता है।
- **लैंगिक असमानता को कम करना:** घरेलू हिंसा को संबोधित करके और घरों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना।
- **दहेज उत्पीड़न से निपटना:** दहेज से संबंधित क्रूरता को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तथा दहेज की माँग से जुड़े दुर्व्यवहार के लिए अपराधियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है।
- **सुभेद्य महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा:** दुर्व्यवहारपूर्ण संबंधों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई और सहायता प्रदान की जाती है।
- **आश्रित महिलाओं के लिए सुरक्षा:** यह योजना आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर महिलाओं के लिए सुरक्षा जाल उपलब्ध कराती है, तथा दुर्व्यवहार से कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करती है।
- **न्याय तक पहुँच:** महिलाओं को न्याय पाने के लिए कानूनी साधनों से सशक्त बनाना, तथा दुर्व्यवहार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
- **परिवार कल्याण पर ध्यान:** इसका उद्देश्य अपमानजनक व्यवहार को दूर करके तथा घरों के अंदर अहिंसक संघर्ष समाधान को बढ़ावा देकर परिवार कल्याण को संरक्षित करना है।

आगे की राह

- **कठोर जाँच और छानबीन:** सुनिश्चित करें कि पुलिस और जाँचकर्त्ता धारा 498A के अंतर्गत आरोप दायर करने से पहले विस्तृत पूछताछ करें, जिसमें साक्ष्यों का सत्यापन और आरोपों के संदर्भ की जाँच शामिल हो।
- **न्यायिक निगरानी:**
  - **न्यायालय का पर्यवेक्षण:** न्यायालयों को धारा 498A से संबंधित मामलों में प्रारंभिक स्तर पर आरोपों की वास्तविकता का आकलन करने के लिए अधिक जाँच करनी चाहिए।
  - **समय पर हस्तक्षेप:** मामलों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करना ताकि लंबी कानूनी लड़ाई को कम किया जा सके, जो अभियुक्तों के लिए भावनात्मक और वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ा सकती है।
- **कानून में संशोधन**
  - **परिभाषाओं को स्पष्ट करना:** सामान्य मुद्दों या गैर-अपमानजनक स्थितियों के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए "क्रूरता" की स्पष्ट परिभाषाओं को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन करना।
  - **मजबूत सुरक्षा उपाय:** ऐसे सुरक्षा उपाय लागू करना जो झूठे आरोप लगाने के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराएँ, जिनमें संभावित रूप से सामान्य शिकायतों के लिए दंड या कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान** (ADR)
  - **मध्यस्थता और परामर्श:** धारा 498A के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना वैवाहिक विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता या परामर्श जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तरीकों को प्रोत्साहित करना।
- **पारिवारिक न्यायालय:** घरेलू मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की भूमिका को मजबूत करना तथा जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, प्रक्रिया को आपराधिक नहीं बनाया जाना चाहिए।

दक्षिण कोरिया में वर्तमान घटनाक्रम

3 दिसंबर, 2024 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। नेशनल असेंबली ने इस कदम को खारिज कर दिया और 14 दिसंबर को उन पर महाभियोग चलाया गया।

राष्ट्रपति यून की मार्शल लॉ घोषणा के कारण

- **राजनीतिक चुनौतियाँ:** बढ़ती असहमति और अपनी पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते हुए, यून ने अप्रैल 2024 के चुनावों के पश्चात् नेशनल असेंबली में समर्थन खोने के पश्चात् नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास किया।
- **विपक्ष का प्रभुत्व:** नेशनल असेंबली में 300 में से 192 सीटों पर नियंत्रण रखने वाले विपक्षी दलों ने यून पर दबाव बढ़ा दिया, जिसके कारण उन्हें असहमति को दमित करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े।
- **सैन्य कार्रवाई में संकोच:** सैन्य और पुलिस बलों को तैनात करने के प्रयास अप्रभावी रहे क्योंकि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखाई। नेशनल असेंबली ने तुरंत मार्शल लॉ को हटाने के लिए मतदान किया।

दक्षिण कोरिया के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन

- **ध्रुवीकरण में वृद्धि:** 204 मतों से पारित महाभियोग प्रस्ताव ने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया है तथा यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी के अंदर आंतरिक दरार को प्रकट कर दिया है।
- **सशक्त विपक्ष:** महाभियोग ने विपक्षी दलों को मजबूत किया है, जिससे वे यून की नीतियों को चुनौती देने और अधिक जवाबदेही के लिए दबाव बनाने में सक्षम हुए।
- **सार्वजनिक भावना:** नीतिगत गलतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण यून की घटती लोकप्रियता ने सुधार की माँग को बढ़ा दिया है और विपक्ष की स्थिति को मजबूत किया है।

दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए खतरा:** मार्शल लॉ लागू करने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने तथा भविष्य के प्रशासनों के लिए हानिकारक दृष्टांत कायम करने की चिंता उत्पन्न होती है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता:** महाभियोग के मामले में संवैधानिक न्यायालय के व्यवहार की बारीकी से जाँच की जाएगी, जिससे इसकी निष्पक्षता और दक्षिण कोरिया की कानूनी अखंडता की धारणा प्रभावित होगी।
- **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** निरंतर राजनीतिक कलह और पक्षपात से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास समाप्त हो सकता है, शासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत में ऐसी ही स्थिति की मनाही

- **संघीय संरचना:** भारत की संघीय प्रणाली, जिसमें मजबूत राज्य सरकारें हैं, शक्तियों का वितरण करती है और केंद्रीकृत संकटों के जोखिम को न्यूनतम करती है।
- **संस्थागत लोचशीलता:** एक मजबूत न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और सक्रिय नागरिक समाज सरकारी अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **चुनावी सतर्कता:** नियमित चुनाव जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे शासन की दीर्घकालिक विफलताओं की संभावना कम हो जाती है।
- **सांस्कृतिक बहुलवाद:** भारत की विविधता एकसमान राजनीतिक सामान्य सहमति को हतोत्साहित करती है, जिससे व्यापक स्तर पर प्रणालीगत संकट की संभावना कम हो जाती है।

भारत का दृष्टिकोण

- दक्षिण कोरिया का रणनीतिक साझेदार भारत ने घटनाक्रम पर सूक्ष्मता से नजर रखी। तटस्थ रहते हुए, भारत ने लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं के महत्त्व पर बल दिया।
- राजनयिक संबंध स्थिर रहे, जिससे भारत-प्रशांत क्षेत्र में दीर्घकालिक आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता प्रकट हुई।

अनुच्छेद 34: भारत में मार्शल लॉ

- यह संसद को मार्शल लॉ के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह मार्शल लॉ के अंतर्गत क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किए गए कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें सजा, दंड या जब्ती को वैध बनाना शामिल है।
- **हालाँकि, दो शर्तें लागू होती हैं:**
  - कार्य व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने से संबंधित होना चाहिए।
  - कार्य होने पर संबंधित क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होना चाहिए।

आगे की राह

- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना:** प्रभावी नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- **जवाबदेही बढ़ाना:** भ्रष्टाचार को दूर करने और राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करने के लिए द्विदलीय संवाद को बढ़ावा देना और पारदर्शी शासन तंत्र स्थापित करना।
- **सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना:** लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए समावेशी शासन को प्राथमिकता देना।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया।

बैठक के मुख्य परिणाम

- **ऋण पुनर्गठन:** श्रीलंका ने अपने ऋण पुनर्गठन में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका, 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन वित्तपोषण प्रदान किया और आधिकारिक ऋणदाता समिति (OCC) की सह-अध्यक्षता की, को मान्यता दी।
    - OCC: 2023 में श्रीलंका के ऋण उपचार अनुरोध पर विचार करने के लिए 17 देशों ने OCC का गठन किया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस करेंगे।
- **व्यापार और निवेश सहयोग:** दोनों देशों ने 1998 में हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) पर प्रकाश डाला।
    - वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारत का व्यापार अधिशेष रहा। वे ऋण-आधारित मॉडल से निवेश-संचालित साझेदारी की ओर स्थानांतरित होने पर सहमत हुए।
- **सामरिक एवं रक्षा सहयोग:** भारत और श्रीलंका पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने तथा स्वतंत्र एवं सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
    - श्रीलंका ने समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुद्री बचाव एवं समन्वय केंद्र की स्थापना में भारत की भूमिका की भी सराहना की।

भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्त्व

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:** भारत श्रीलंका का सबसे निकट पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच संबंध 2,500 साल से भी अधिक पुराने हैं, जो एक मजबूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव साझा करते हैं। भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (S-A-G-A-R) दृष्टिकोण में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है।
    - 1977 के सांस्कृतिक सहयोग समझौते के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम साझी विरासत को बढ़ावा देते हैं।
    - 1998 में स्थापित भारत-श्रीलंका फाउंडेशन का उद्देश्य नागरिक समाजों के बीच आदान-प्रदान के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति में सहयोग को मजबूत करना है।
- **भू-रणनीतिक:** हिंद महासागर में श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति उसे विश्व के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों जैसे मलक्का जलडमरूमध्य, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और स्वेज नहर पर स्थित करती है।
    - ये मार्ग तेल और गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों के परिवहन सहित वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं।
- **बहुपक्षीय मंच सहयोग:** भारत और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ और बिम्सटेक के सदस्य देश हैं, जो सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- **आर्थिक संबंध और सहायता:**
    - वर्ष 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
    - भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारत का निर्यात 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर जबकि श्रीलंका का निर्यात 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
    - भारत ने श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान ईंधन आयात और आर्थिक सुधार में सहायता के लिए ~3.5 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। (विदेश मंत्रालय के आँकड़े)
    - भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जिसका संचयी आँकड़ा 2023 तक लगभग 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है। (विदेश मंत्रालय के आँकड़े)
- **प्रौद्योगिकी और वित्तीय एकीकरण:** श्रीलंका में भारत के UPI को अपनाने से फिनटेक कनेक्टिविटी और भारतीय रुपये का उपयोग करके व्यापार निपटान में वृद्धि होगी। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) पर विचार कर रहे हैं।
- **पर्यटन और कनेक्टिविटी:** पर्यटन एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसमें भारत 2023 में लगभग 3 लाख आगमन (~1.48 मिलियन कुल आगमन का ~20%) और 2024 में (अक्टूबर 2024 तक) लगभग 3.2 लाख आगमन (~1.65 मिलियन कुल आगमन का ~19.3%) के साथ अग्रणी पर्यटक स्रोत बाजार होगा।
    - क्षेत्रीय रसद और शिपिंग को मजबूत करने के लिए कोलंबो, त्रिंकोमाली और कांकेसंथुराई में बंदरगाहों एवं रसद बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की योजना है।
- **समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसी पहल और 'मित्र शक्ति', 'दोस्ती' और SLINEX जैसे अभ्यास समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)

- **परिचय:** CSC एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य साझा खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।
- **उत्पत्ति:** CSC का प्रारंभ 2011 में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए त्रिपक्षीय के रूप में हुई थी, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका के NSA और उप NSA के बीच बैठकें हुई थीं।
- **समूह पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:**
    - समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा

- आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना
- तस्करी और संगठित अपराध का मुकाबला करना
- साइबर सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा
- मानवीय सहायता और आपदा राहत
- **स्थायी सचिवालय:** कोलंबो।

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियाँ

- **मत्स्य विवाद:** भारतीय मछुआरों को प्राय: समुद्री सीमा पार करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर तनाव उत्पन्न हो जाता है।
- **कच्चातीवु द्वीप मुद्दा:** 1974 के समझौते में द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया, लेकिन भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने और कैथोलिक धर्मस्थल पर जाने का अधिकार दिया गया। मछली पकड़ने के प्रतिबंधों को लेकर विवाद जारी है।

श्रीलंकाई संविधान का 13वाँ संशोधन

- यह भारत-श्रीलंका शांति समझौते (1987) का हिस्सा था, जिस पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे।
- इसका उद्देश्य श्रीलंका सरकार और LTTE के बीच नागरिक संघर्ष को हल करना था।
- इस संशोधन ने सिंहली-बहुल क्षेत्रों सहित सभी नौ प्रांतों में सत्ता-साझाकरण और स्वशासन की अनुमति देने के लिए प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे प्रमुख विषयों को प्रांतीय प्रशासनों को सौंप दिया गया।
- सिंहली के साथ तमिल को आधिकारिक भाषा बनाया गया, जबकि अंग्रेजी को संपर्क भाषा बनाया गया। हालाँकि, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए व्यापक अधिकारों के कारण पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है।

- **सीमा सुरक्षा और तस्करी:** छिद्रपूर्ण समुद्री सीमाओं के कारण मादक पदार्थों और मानव तस्करी सहित अवैध तस्करी की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **चीन का सामरिक प्रभाव:** श्रीलंका में चीनी निवेश, जैसे हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो बंदरगाह परियोजनाएँ, भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देती हैं।
- **तमिल जातीय मुद्दा:** भारत श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके न्यायसंगत अधिकारों की माँग के प्रति संवेदनशील है, जो श्रीलंका में एक घरेलू चुनौती बनी हुई है।
  - भारत के विदेश मंत्री ने 2023 में श्रीलंका के अपने दौरे में कहा है कि तमिल अल्पसंख्यकों के लिए प्रभावी शक्ति हस्तांतरण के लिए 13वें संशोधन का पूर्ण कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **चीन के प्रभाव का प्रबंधन:**
  - **रणनीतिक निवेश:** भारत को कंकेसन्थुराई बंदरगाह और त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए, तथा अनुकूल शर्तों पर चीनी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करना चाहिए।
  - **बुनियादी ढांचे में निवेश:** भारत को पारदर्शिता और पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करते हुए बंदरगाहों, सड़कों और ऊर्जा सहित श्रीलंका की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपना निवेश जारी रखना चाहिए।
  - **समुद्री सुरक्षा:** चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और सामरिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त अभ्यास (जैसे, SLINEX) और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसी क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना।
  - **क्षेत्रीय कूटनीति:** श्रीलंका को क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा ढाँचे में एकीकृत करने के लिए बिम्सटेक और सार्क जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाना, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो सके।
  - **सांस्कृतिक और जन-केंद्रित कूटनीति:** सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण प्रदान करना, भारत के विकासात्मक दृष्टिकोण को चीन के लेन-देन मॉडल के साथ तुलना करना।
  - **लोचशील वित्तीय समर्थन:** श्रीलंका को अपने ऋण का स्थायी प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और अनुदान की पेशकश की जाएगी, ताकि चीनी ऋणों की कठिन शर्तों से बचा जा सके।
- **मत्स्य पालन विवाद का समाधान:**
  - पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक संयुक्त मत्स्य प्रबंधन तंत्र बनाना।
  - सहयोग को बढ़ावा देने और मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त समुद्री गश्ती का संचालन करना।
- **तमिल कल्याण:** तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका में समावेशी नीतियों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी सरकार के साथ बातचीत को समर्थन देना।
- **आर्थिक भागीदारी बढ़ाना:** भारतीय फिनटेक समाधानों का उपयोग करके व्यापार संबंधों को गहरा करने और वित्तीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ETCA वार्ता में तेजी लाना।
  - **समुद्री सुरक्षा सहयोग:** हिंद महासागर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नौसैनिक अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त गश्त में सहयोग बढ़ाने से समुद्री डकैती और अवैध तस्करी जैसे खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।
- **संपर्क को मजबूत करना:** आपसी विकास के लिए पर्यटन और सीमा पार पहल को बढ़ावा देना जारी रखना।

निष्कर्ष

- भारत-श्रीलंका संबंधों का भविष्य आपसी सम्मान, रणनीतिक सहयोग और जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आर्थिक लचीलापन, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों देश एक मजबूत और अधिक स्थिर साझेदारी बना सकते हैं।
- एक संतुलित, समावेशी और दूरदर्शी रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत-श्रीलंका संबंध विकसित वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के लिए मजबूत और लाभकारी बने रहें।

भूटान के राजा का भारत दौरा

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की हाल की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **जलविद्युत सहयोग:** दोनों पक्षों ने पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना (चरण I और II) को समय पर पूरा करने पर बल दिया।
- **गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना:** भारत ने गेलेफू (भारतीय सीमा के निकट दक्षिणी भूटान का एक शहर) को सतत् विकास और शहरी नियोजन के केंद्र में बदलने के लिए अपना समर्थन दोहराया।
  - असम के निकट **गेलेफू** का रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाता है।
- **सीमापार संपर्क:** असम के दर्रांगा में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का उद्घाटन संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

भारत-भूटान संबंधों का महत्त्व

- **राजनयिक संबंध:** भारत और भूटान ने 1968 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो 1949 (संशोधित 2007) मैत्री संधि पर आधारित थे, जिसमें गैर-हस्तक्षेप और पारस्परिक सुरक्षा सहयोग पर बल दिया गया था।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** भूटान भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है, तथा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा प्रदान करता है।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022-23) है, जो जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा संचालित है। भारत भूटान के कुल FDI में 50% का योगदान देता है, जो इसके आर्थिक विकास में सहायता करता है (विदेश मंत्रालय डेटा)।
  - **व्यापार और पारगमन समझौता:** 2016 का समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** भारत और भूटान संयुक्त रूप से उग्रवाद से निपटते हैं, जिसे मैत्री संधि और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT) द्वारा मजबूती प्राप्त हुई है।
- **शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध:** भूटान की बौद्ध विरासत भारतीय स्थलों पर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाती है।
  - **शिक्षा और कौशल:** भारत युवाओं को आधुनिक कौशल और नेतृत्व प्रशिक्षण से लैस करने के लिए भूटान की ग्यालसुंग परियोजना का समर्थन करता है।
  - **भारत-भूटान फाउंडेशन:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2003 में स्थापित।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** भारत की परियोजना दंतक ने महत्त्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
- **रेल संपर्क:** 2024 में, भारत और भूटान कोकराझार (असम) को गेलेफू (भूटान) से जोड़ने वाले रेल संपर्क का सर्वेक्षण करने पर सहमत हुए।
- **आव्रजन जाँच चौकियाँ:** 2024 में, दर्रांगा और समद्रुप जोंगखार को भूमि-आधारित यात्रा के लिए नामित किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **तकनीकी सहयोग:** रुपे कार्ड, भीम ऐप एकीकरण और संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसी पहलें बढ़ते सहयोग को प्रकट करती हैं।

भारत-भूटान संबंधों में चुनौतियाँ

- **चीनी हठधर्मिता:** जकरलुंग, पासमलुंग और डोकलाम पठार पर चीन के क्षेत्रीय दावे भूटान की संप्रभुता और भारत के सामरिक हितों को चुनौती देते हैं। भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर 2020 का दावा तनाव को और बढ़ाता है।
- **BBIN समझौता:** भूटान की पर्यावरणीय चिंताओं के कारण BBIN मोटर वाहन समझौते के अनुसमर्थन में विलंब हो रही है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और एकीकरण के प्रयास मंद हो रहे हैं।
- **व्यापार असंतुलन:** अपने 80% व्यापार के लिए भूटान की भारत पर निर्भरता, सुभेद्यता को कम करने के लिए आर्थिक विविधीकरण की आवश्यकता को प्रकट करती है।
- **विद्युत टैरिफ विवाद:** भारत को जलविद्युत निर्यात के लिए कम टैरिफ से भूटान का असंतोष भविष्य के ऊर्जा सहयोग और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

- **आर्थिक सहयोग:** बुनियादी ढाँचे, पर्यटन और रोजगार सृजन में निवेश के माध्यम से भूटान की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जिसका उदाहरण कोकराझार-गेलेफू रेल संपर्क है।
- **सामरिक साझेदारी:** सीमा विवादों को सुलझाने और चीन के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ाना, हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **हरित ऊर्जा विकास:** पारस्परिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देने के लिए भूटान की जलविद्युत क्षमता में निवेश करना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और साझा विरासत की सराहना के लिए गहन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और वीजा-मुक्त आवागमन का समर्थन करना।
- **मानव पूँजी विकास:** भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में भूटान की घटती रुचि को पुनर्जीवित करने के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और आधुनिक शिक्षा पहल प्रदान करना।

भारत-कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की आधिकारिक यात्रा की, जो भारत-कुवैत संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था। कुवैत की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने 1981 में यह यात्रा की थी।

मुख्य बिंदुः

- **सामरिक साझेदारीः** भारत और कुवैत अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी तक बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
- रक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा और समुद्री सुरक्षा के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना है।
- दोनों देशों ने 2025-2028 के लिए खेल के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इससे खेल के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा।
- दोनों देशों ने वर्ष 2025-29 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।
- प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान **'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर'** से सम्मानित किया गया।

महत्त्व

- **राजनीतिक संबंधः** भारत 1961 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य से स्वतंत्रता के पश्चात् कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। हाल ही में भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना की गई।
- **व्यापार संबंधः** कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन डॉलर का था।
- **ऊर्जा साझेदारीः** कुवैत एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है, जो भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्त्ता और चौथा सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्त्ता है। इसके पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग 6.5% हिस्सा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है।
- **भारतीय समुदायः** कुवैत की कुल आबादी में भारतीय 21% (1 मिलियन) हैं और इसके कार्यबल में 30% (लगभग 9 लाख) हैं। निजी क्षेत्र के साथ-साथ घरेलू क्षेत्र के कार्यबल सूची में भी भारतीय कर्मचारी शीर्ष पर हैं।
- **जलवायु और पर्यावरण सहयोगः** दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में साझेदारी की संभावना तलाश रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की है, जबकि कुवैत ने तेल रिसाव प्रबंधन में प्रगति साझा की है।

चुनौतियाँ

- **श्रम अधिकार और प्रवासी कल्याणः** कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी शोषणकारी परिस्थितियों और खराब सुरक्षा मानकों का सामना करते हैं। 2023 में, 300 से अधिक भारतीय श्रमिकों को कुवैत में शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में कमियों और कठोर निगरानी की आवश्यकता का पता चला।
    - 2024 में, एक श्रमिक शिविर में आग लगने से 45 भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिससे आवास संबंधी समस्याएँ प्रकट हुई।
- **व्यापार असंतुलनः** भारत कुवैत से प्रतिवर्ष 7 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन केवल 1.8 बिलियन डॉलर का माल निर्यात करता है, जिससे महत्त्वपूर्ण व्यापार असंतुलन और विविधीकरण की आवश्यकता प्रकट होती है।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिशीलताः** 2020 के खाड़ी संकट ने भारत को कुवैत और कतर के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए मजबूर किया, साथ ही ऊर्जा आयात की सुरक्षा और प्रवासी चिंताओं को दूर करने के लिए भी।
    - फिलिस्तीन पर भारत के दृष्टिकोण की कुवैत द्वारा की गई आलोचना कूटनीतिक तनाव को बढ़ाती है।
- **ऊर्जा सहयोगः** भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के 10% के लिए कुवैत पर निर्भर है, लेकिन नीतिगत विसंगतियों के कारण संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा उपक्रम रुके हुए हैं, जिससे सौर ऊर्जा और तेल भंडारण में सहयोग सीमित हो रहा है
- **प्रवासी भारतीयों की खराब भागीदारीः** 2023 में, वीजा उल्लंघन के कारण 25,000 से अधिक भारतीयों को कुवैत से निर्वासित किया गया। 2024 में वीजा नियमों में निरंतर बदलाव से 10,000 भारतीय कामगारों की आजीविका बाधित हुई, जिससे व्यवस्थागत कमियाँ प्रकट हुईं।

आगे की राह

- **आर्थिक सहयोग को बढ़ानाः** नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके व्यापार में विविधता लाना, भारत के विकास क्षेत्रों में कुवैती निवेश को प्रोत्साहित करना और कुवैत को गैर-तेल निर्यात को बढ़ावा देना।
- **श्रम और प्रवासी जुड़ाव को मजबूत करनाः** शिकायत तंत्र में सुधार, वीजा को सुव्यवस्थित करने और प्रवासी संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक एकीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर कुवैत में भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- **ऊर्जा साझेदारी को गहन बनानाः** नवीकरणीय ऊर्जा, LNG भंडारण और शोधन पर सहयोग बढ़ाना, तथा टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा साझेदारी सुनिश्चित करना।
- **रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देनाः** क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री पहल के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करना।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को मजबूत करनाः** आतंकवाद से निपटने, स्थिरता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और GCC जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग करना।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए PLI योजना

हाल ही में, केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्युटिकल्स में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र का अवलोकन:

- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - भारत वैश्विक स्तर पर कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है और जेनेरिक दवाओं का अग्रणी प्रदाता है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में मात्रा के हिसाब से 20% हिस्सेदारी है।
  - वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में देश की हिस्सेदारी 60% है, जिससे यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बन गया है।
  - भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग विश्व स्तर पर मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 14वाँ सबसे बड़ा उद्योग है।
  - यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1.72% का योगदान प्रदान करता है।
- **बाजार का आकार एवं निवेश:**
  - भारत जैव प्रौद्योगिकी के लिए विश्व भर में शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा देश है।
  - हाल के वर्षों में भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और अनुमान है कि यह वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार का लगभग 13% तक पहुँच जाएगा।
  - भारत ने ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।
  - ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों से 74% तक FDI की अनुमति है, अतिरिक्त निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **अनुमानित बाजार वृद्धि:** भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की अपेक्षा है।
- **निर्यात:**
  - भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात 200 से अधिक देशों तक विस्तृत है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं।
  - वित्त वर्ष 24 में फार्मास्युटिकल निर्यात का मूल्य 22.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.12% की वृद्धि दर्शाता है।
  - भारत में USFDA-अनुरूप दवा निर्माण सुविधाओं की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ 500 API उत्पादक हैं, जो वैश्विक सक्रिय दवा संघटक (API) बाजार में 8% का योगदान करते हैं।
  - भारतीय दवा उद्योग वैश्विक वैक्सीन माँग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का 40% तथा ब्रिटेन में दवाओं का 25% आपूर्ति करता है।
  - एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 80% से अधिक वैश्विक एंटीरेट्रोवायरल दवाएँ भारतीय दवा कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जाती हैं।
- **वैश्विक मान्यता:** भारत को प्राय: "विश्व की फार्मेसी" के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिसके कारण फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बदलाव आया है और यह जीवंत हो गया है।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक

- **मजबूत जेनेरिक दवा उद्योग:**
  - भारत का विशाल जेनेरिक दवा उद्योग आवश्यक दवाओं तक वैश्विक पहुँच में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - उदाहरण के लिए, पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम (10 गोलियाँ) के जेनेरिक संस्करण की कीमत भारत में 6 रुपये है, जबकि ब्रांडेड संस्करण की कीमत 28-72 रुपये है।
- **अग्रणी वैक्सीन आपूर्तिकर्त्ता:** भारत वैश्विक वैक्सीन कवरेज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पुन: संयोजक हेपेटाइटिस B वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन जैसे टीकों का निर्माण करता है, जिससे पूरे विश्व में टीकों तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **उत्पादन लागत दक्षता:** भारत की उत्पादन लागत अमेरिका की तुलना में लगभग 33% कम है, तथा श्रम लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 50-55% कम है, जो इसे दवा निर्माण के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है।
- **प्रचुर प्रतिभा पूल:** भारत, चीन के पश्चात्, वैश्विक स्तर पर फार्मास्युटिकल और बायोटेक पेशेवरों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है, जो उद्योग की माँगों को पूरा करने के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करता है।
- **नियामक अनुपालन:** केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) जैसे नियामक निकाय अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, जिससे दवा उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है।
- **निर्यात प्रभुत्व:** भारत में USFDA-अनुरूप दवा संयंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है और यह 200 से अधिक देशों को उत्पादों का निर्यात करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण सुविधाएँ:** भारत ने फार्मास्युटिकल हब, क्लस्टर और विशेष SEZ विकसित किए हैं, जो विश्व स्तरीय विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - भारत और वैश्विक दवा कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से ज्ञान के आदान-प्रदान, विशेषज्ञता को साझा करने एवं अनुसंधान में प्रगति को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने COVID-19 के लिए लाइव-एटेन्यूएटेड वैक्सीन (LAV) का उत्पादन करने के लिए कोडाजेनिक्स इंक के साथ साझेदारी की।

चुनौतियाँ

- **जटिल विनियामक वातावरण:**
  - भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग को अनेक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करना होगा।
  - इनमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, निर्यात के लिए FDA मानक, तथा अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP) विनियम शामिल हैं।
  - विनियामक विलंब और जटिल अनुमोदन प्रक्रियाएँ प्राय: नई दवाओं और टीकों को बाजार में लाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं।
- **पेटेंट बाधाएँ:**
  - भारत में दवा उद्योग प्राय: पेटेंट को लेकर विवादों में फँसा रहता है, विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ।
  - बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के प्रति भारत का दृष्टिकोण जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की अनुमति देता है, लेकिन पेटेंट विवाद, विशेष रूप से ब्रांडेड दवाओं के मामले में, कानूनी लड़ाई का कारण बन सकते हैं।
- **नकली दवा व्यापार:**
  - भारत फार्मास्युटिकल्स का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन घरेलू बाजार को नकली दवाओं की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
  - नकली दवाओं की वृद्धि, विशेष रूप से अनियमित बाजारों में, भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात की गुणवत्ता को कमजोर करती है और उद्योग की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करती है।
- **आयात पर निर्भरता:**
  - भारत में दवा निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से सक्रिय दवा सामग्री (API) विशेष रूप से चीन से आयात किया जाता है। भारत अपने API का लगभग 70% चीन से आयात करता है।
  - कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान या भू-राजनीतिक तनाव के कारण उत्पादन लागत बढ़ सकती है।
- **निर्यात निर्भरता:**
  - भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों या विनियमों में कोई भी परिवर्तन क्षेत्र की विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
  - विनियामक परिवर्तन, टैरिफ वृद्धि या भू-राजनीतिक तनाव निर्यात बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे माँग में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

सरकारी पहल

- **अंतरिम बजट 2024-25:**
  - **बल्क ड्रग पार्क:** वित्त वर्ष 2025 में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये (120 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
  - **औषधि विकास:** औषधि उद्योग के लिए कुल परिव्यय बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपये (156.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया।
  - **चिकित्सा उपकरण पार्क:** चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये (18 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया।
- **जन औषधि योजना:** सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन औषधि योजना के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2025 में 284.5 करोड़ रुपये (34 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 110 करोड़ रुपये (13 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था।
- **सिकल सेल एनीमिया मिशन:** 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का मिशन, जिसमें 7 करोड़ व्यक्तियों के लिए जागरूकता, जाँच और परामर्श शामिल है।
- **फार्मा क्षेत्र में नवाचार:** फार्मास्युटिकल अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की शुरूआत।
- **नर्सिंग कॉलेज:** सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज बनाएगी।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023:** चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने, पहुँच, सामर्थ्य, गुणवत्ता और नवाचार सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** (ABDM):
  - ABDM नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बनाने में सक्षम बनाता है, जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अंतर्संबंधित करता है।
  - पायलट परियोजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो गई है, जिसमें सितंबर 2023 तक 450 मिलियन से अधिक ABHA खाते बनाए गए और 224,967 डॉक्टर पंजीकृत किए गए।
- **फार्मा उद्योग के विकास के लिए योजना - अम्ब्रेला योजना:** इसमें कई उप-योजनाएँ शामिल हैं जैसे:
  - सामान्य सुविधा केन्द्रों के लिए थोक दवा उद्योग और चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता।
  - फार्मास्युटिकल प्रमोशन और विकास योजना (PPDS)।
  - फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS)।
- **भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन** (PLI) योजनाएँ प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं: थोक दवाएँ, फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरण।
  - **थोक दवाओं के लिए** PLI **योजना:**
    - **वित्तीय परिव्यय:** 6,940 करोड़ रुपये
    - **कार्यकाल:** वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2028-29
    - **उद्देश्य:** महत्त्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (KSM), औषधि मध्यवर्ती (DI) और सक्रिय औषधि अवयवों (API) के विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  - **फार्मास्युटिकल्स के लिए** PLI **योजना:**
    - **वित्तीय परिव्यय:** 15,000 करोड़ रुपये
    - **कार्यकाल:** वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2027-2028

- ■ **उद्देश्य:** पेटेंट प्राप्त दवाओं, बायोफार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनरिक, कैंसर रोधी दवाओं और अनाथ दवाओं जैसे उच्च मूल्य वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- ◆ **चिकित्सा उपकरणों के लिए** PLI **योजना:**
  - ■ **वित्तीय परिव्यय:** 3,420 करोड़ रुपये
  - ■ **कार्यकाल:** वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2026-2027
  - ■ **उद्देश्य:** उच्च मूल्य वाले चिकित्सा उपकरणों, जैसे MRI मशीन, सीटी स्कैन और लीनियर एक्सीलेटर के घरेलू उत्पादन को समर्थन देना, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि:**
  - ◆ अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, बायोसिमिलर और नई औषधि निर्माण जैसे उच्च मूल्य वाले चिकित्सीय क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सके।
  - ◆ अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।
- **औषधि विकास में नवाचार को बढ़ावा देना:**
  - ◆ नवीन औषधियों के निर्माण तथा औषधि उत्पादन की दक्षता में सुधार पर बल दिया जाना चाहिए।
  - ◆ दुर्लभ बीमारियों और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी कार्य के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना:**
  - ◆ प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नौकरशाही संबंधी विलंब को कम करके नई दवाओं और फॉर्मूलेशन के लिए विनियामक अनुमोदन में तेजी लाना।
  - ◆ इससे फार्मास्युटिकल बाजार में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- **गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना:**
  - ◆ भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना चाहिए कि सभी दवा उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा करना। इससे भारतीय दवा निर्यात की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

बाजार का आकार

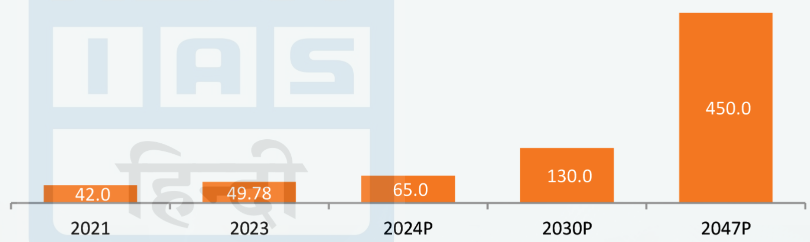

Note: P-Projected

क्षेत्र की संरचना

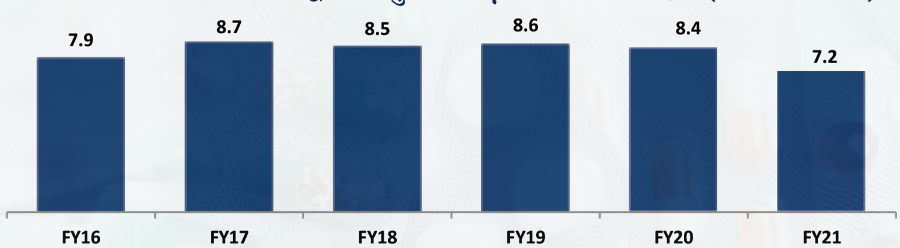

नोट: *HDFC सिक्योरिटीज द्वारा किए गए शोध के अनुसार शीर्ष 10 कंपनियाँ

प्रमुख प्रवृत्ति

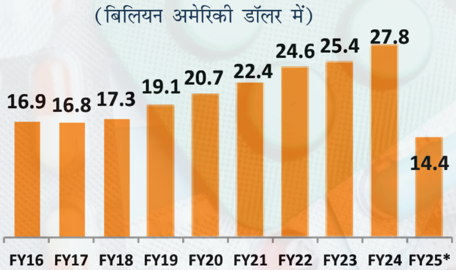

नोट: वित्त वर्ष 25 तक' (अप्रैल-सितंबर)

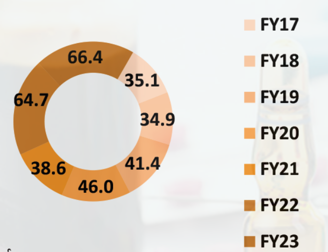

नोट: ई-अनुमान

शहरी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि

हाल ही में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियाँ

- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):**
  - **उद्देश्य:** मिशन का लक्ष्य बुनियादी शहरी सेवाएँ सुनिश्चित करना है जैसे: जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली और शहरी परिवहन।
  - **मुख्य सफलताएँ**
    - **जल उपचार:** 4,649 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) जल उपचार क्षमता का सृजन।
    - **सीवेज उपचार:** 4,429 MLD सीवेज उपचार क्षमता की स्थापना।
  - **अमृत 2.0**
    - **वर्षा जल निकासी परियोजनाएँ:** जलभराव की समस्या को कम करने को प्राथमिकता दी गई।
    - **बुनियादी ढाँचे में सुधार:** पेयजल और सीवरेज प्रणालियों को उन्नत करने की पहल चल रही है, जिसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण बनाना है।
- **स्मार्ट शहर और नए शहर योजना:** 2015 में प्रारंभ की गई इस पहल का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढाँचे, परिवहन और सेवाओं के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है।
- **शहरी गतिशीलता और स्थिरता पहल:**
  - क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का विस्तार। उदाहरण के लिए, दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम।
  - प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए शहरों में ई-मोबिलिटी और पैदल चलने योग्य सड़कों को बढ़ावा देना।
  - इस योजना के अंतर्गत मेट्रो नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा इसका विस्तार नए शहरों तक हुआ है।
- **शहरी आवास और PMAY 2.0:**

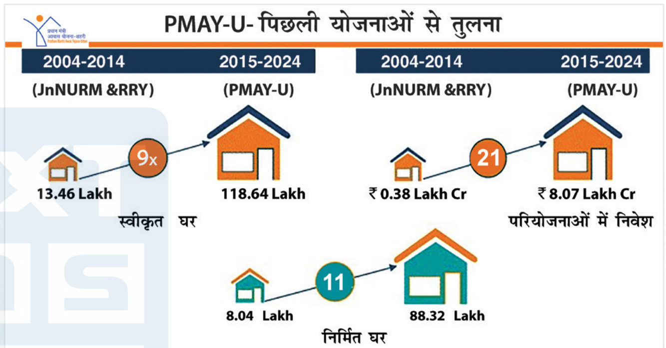

NEXT IAS हिन्दी

स्मार्ट सिटी मिशन

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

100	8,076	₹ 164,706 करोड़
शहरी मिशन	कुल परियोजनाएँ	परियोजनाओं पर कुल खर्च

- विविध परियोजनाएँ, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति
- शहरी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कभी भी प्रारंभ नहीं की गई विकासशील परियोजनाएँ
- कुल परियोजनाओं का 91% पूरा हो गया

मिशन की प्रगति

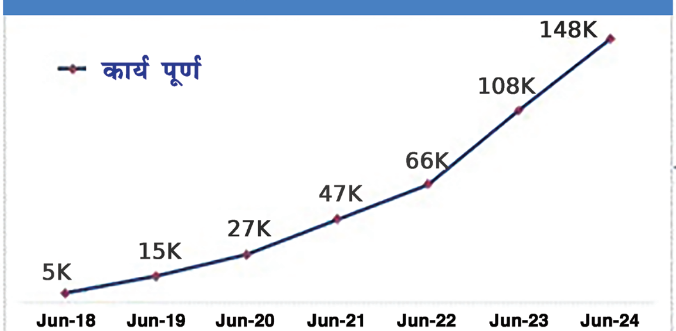

क्षेत्र	कार्य पूर्ण
स्मार्ट गवर्नेंस	636 | 16,035 Cr
जीवंत शहरी स्थल	1,284 I 10,120 Cr
स्मार्ट गतिशीलता	1,556 I 36,449 Cr
सामाजिक अवसंरचना	829 I 11,847 Cr
आर्थिक अवसंरचना	822 I 10,792 Cr
स्मार्ट ऊर्जा	667 I 13,712 Cr
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (वाश)	1,412 I 46,203 Cr
सार्वजनिक निजी भागीदारी	195 I 9,193 Cr

- मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली मकानों को PPP मोड या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से ARH में परिवर्तित करना।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की जनसंख्या के आधार पर नियोजित 1 करोड़ शहरी आवासों में से लगभग 7% के लिए अनंतिम मंजूरी, समय पर आवंटन सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में तेजी लाना।

- **स्वच्छ भारत मिशन:** पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूर्णतः सुधार किया गया है, जिससे लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।
- **PM स्वनिधि योजना** के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कुल 13,422 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

भारत में शहरीकरण

- **शहरीकरण दर:** 2021 में भारत की शहरीकरण दर 1.34% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% की वृद्धि दर्शाती है। 2010 और 2021 के बीच शहरीकरण की दर में 19.6% की प्रभावशाली वृद्धि हुई।
- **शहरी आबादी**
  - 2017 तक भारत की 34% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी।
  - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक 40.76% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जो शहरीकरण की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
- **सर्वाधिक शहरीकृत क्षेत्र**
  - **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:** 97.5% शहरी जनसंख्या।
  - **केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़:** 97.25% शहरी जनसंख्या।
  - **गोवा:** भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, जिसकी 62.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।

भारत में शहरी बस्तियों के प्रकार

- **जनगणना नगर:**
  - कम से कम 5,000 की आबादी।
  - प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 की जनसंख्या घनत्व।
  - कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर-कृषि कार्यों में लगी हुई है।
- **सांविधिक नगर:**
  - राज्य सरकार द्वारा परिभाषित।
  - सामान्यतः स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक निगम या नगरपालिका द्वारा शासित।
- **उपनगरीय नगर:**
  - एक बड़े शहरी केंद्र के पास स्थित।
  - आर्थिक और सामाजिक रूप से पास के शहर पर निर्भर।
- **शहरी समूह:** एक सतत् शहरी क्षेत्र जिसमें शामिल हैं:
  - एक शहर/कस्बा।
  - निकट के शहर की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर उपनगरीय सीमांत या ग्रामीण क्षेत्र।
- **बाह्य विकास (आउटग्रोथ):**
  - किसी बड़े शहर या शहर के निकट एक छोटी बस्ती।
  - मुख्य शहर से बाहर विकसित लेकिन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक पृथक् इकाई माना जाता है।

भारत में शहरीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक

- **शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर:**
  - **औद्योगीकरण:** शहरी क्षेत्र उद्योगों और सेवाओं के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। 2022 तक, औद्योगिक क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25.92% योगदान दिया, जिसका अधिकांश हिस्सा मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।
  - **रोजगार सृजन:** शहरी केंद्र विविध रोजगार अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से विनिर्माण, आईटी और वित्त में।
    - उदाहरण के लिए, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में केंद्रित IT क्षेत्र का 2022-23 में राजस्व 245 बिलियन डॉलर था।
  - **आय वृद्धि:** शहरी आय ग्रामीण आय की तुलना में अत्यधिक है, 2023 में शहरी प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण औसत से लगभग 1.8 गुना होगी।
- **ग्रामीण से शहरी प्रवास**
  - **प्रतिकर्ष कारक** (Push Factor):
    - **कृषि संबंधी चुनौतियाँ:** कृषि की घटती लाभप्रदता और मानसून पर निर्भरता ने ग्रामीण आबादी को शहरों में बेहतर अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की ओर 37% प्रवास रोजगार के अवसरों के कारण हुआ।
  - **अपकर्ष कारक (Pull Factor):** शहरी केंद्र बेहतर नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे के वादे के साथ व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं।
- **शहरी सेवाओं में वृद्धि:**
  - शहर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और मनोरंजन सहित सेवा क्षेत्र के केंद्र बन गए हैं। उदाहरण के लिए:
  - वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 55% का योगदान दिया, जिसमें प्रमुख गतिविधियाँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहीं।
- **शहरी बुनियादी ढाँचा विकास**
  - **सरकारी पहल:** स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) जैसे कार्यक्रमों ने शहरी बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे प्रवास और निवेश आकर्षित हुआ है।
    - 2023 तक 100 स्मार्ट शहरों की पहचान की गई है, जिनमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का परियोजना निवेश होगा।
  - **परिवहन नेटवर्क:** दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार ने शहरी क्षेत्रों को अधिक सुलभ और रहने योग्य बना दिया है।
- **FDI और आर्थिक उदारीकरण:**
  - 1991 के पश्चात् के आर्थिक सुधारों ने महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश लाया, जो मुख्य रूप से शहरी केंद्रों पर लक्षित था।
  - अप्रैल 2000 और सितम्बर 2024 के बीच भारत में 1.03 ट्रिलियन डॉलर का FDI प्रवाह हुआ, जिसमें से अधिकांश महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित था।

भारत में शहरी चुनौतियाँ:

- **आवास एवं मलिन बस्तियाँ**
  - **आवास की कमी:** तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सस्ते आवास की कमी हो गई है। 2023 तक, भारत को शहरी क्षेत्रों में 29 मिलियन यूनिट आवास की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग को प्रभावित करेगा।
  - **मलिन बस्तियों की वृद्धि:** भारत की 17% से अधिक शहरी आबादी मलिन बस्तियों में रहती है, जिसके कारण वहाँ रहने की स्थिति खराब है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम की आशंका बनी रहती है।
- **अत्यधिक बोझ से दबा बुनियादी ढाँचा:**
  - **परिवहन:**
    - शहरी परिवहन प्रणालियाँ भीड़-भाड़, अकुशलता और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जूझ रही हैं।
    - टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार, बेंगलुरु में यात्री 10 किलोमीटर की यात्रा करने में औसतन 28 मिनट और 10 सेकंड खर्च करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष यातायात में लगभग 132 घंटे का अतिरिक्त समय है।
  - **उपयोगिताएँ:** जल आपूर्ति, विद्युत और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं की माँग प्रायः आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **जल की कमी और प्रबंधन:**
  - **शहरी जल संकट:** कई भारतीय शहरों को भूजल के अत्यधिक दोहन और अकुशल जल प्रबंधन के कारण गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
    - सरकारी थिंक टैंक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग की हालिया रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई सहित 21 शहरों में 2030 तक भूजल समाप्त हो जाएगा, जिससे 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
  - **अपशिष्ट जल उपचार:** लगभग 70% शहरी अपशिष्ट जल अनुपचारित रहता है, जिससे पर्यावरण क्षरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न होता है।
- **यातायात संकुलन:**
  - शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, तथा मुम्बई और बेंगलुरु जैसे शहर विश्व स्तर पर सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले शहरों में शामिल हैं।
  - भारत के शहरी क्षेत्रों में देश के पंजीकृत वाहनों का लगभग 40% हिस्सा है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:**
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 45 मिलियन टन एकत्र किया जाता है और केवल 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है।
  - अपशिष्ट पृथक्करण की खराब पद्धतियों के कारण पर्यावरण को क्षति पहुँचती है और लैंडफिल की संख्या बढ़ती है।
- **जलवायु परिवर्तन और शहरी लोचशीलता:**
  - **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता:** जलवायु परिवर्तन के कारण मुंबई और चेन्नई जैसे शहर बाढ़ और समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं।
  - 2005 से 2015 के बीच भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के कारण मुंबई को 14,000 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति हुई।
- **हीट आइलैंड प्रभाव:**
  - शहरी क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान रहता है।
  - इस घटना से रात्रिकालीन शीतलन में कमी आती है, वायु की गुणवत्ता खराब होती है, तथा शीतलन प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे उत्सर्जन बढ़ता है तथा जलवायु परिवर्तन की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

आगे की राह

- **विकेन्द्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया:** स्थानीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नगर निकायों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधनों से सशक्त बनाना।
- **क्षमता निर्माण:** आधुनिक शहरी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए शहरी प्रशासकों और योजनाकारों को प्रशिक्षित करना।
- **एकीकृत शहरी नियोजन:** स्थिरता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक मास्टर प्लान विकसित करना।
- **सस्ता आवास:**
  - सस्ते आवास तक पहुँच बढ़ाने के लिए नीतियों को लागू करना, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लिए।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल में तीव्रता लाना।
- **परिवहन प्रणालियाँ:**
  - मेट्रो, बसों और गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और हरित परिवहन को बढ़ावा देना।
- **जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन:** स्थायी जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, अलवणीकरण संयंत्रों और अपशिष्ट जल उपचार में निवेश करना।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को प्रोत्साहित करना और अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों में निवेश करना।
- **आपदा तैयारी:** बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना।
- **हरित अवसंरचना:** शहरी हरित स्थानों में वृद्धि करना, छतों पर उद्यान बनाना, तथा टिकाऊ भवन डिजाइन को बढ़ावा देना।

भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण

भारत हाल ही में, हरित इस्पात के लिए वर्गीकरण स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, जो इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

परिचय:

- यह एक ऐसा ढाँचा है जो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर 'हरित इस्पात' को परिभाषित करता है, जिससे भारत टिकाऊ इस्पात उत्पादन के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने वाला पहला देश बन जाता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **ग्रीन स्टील की परिभाषा:**
    - इस्पात (स्टील) को हरित (ग्रीन) माना जाता है यदि इसकी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार इस्पात (TFS) में 2.2 टन CO_2 समतुल्य से कम है।
    - हरितता (Greenness) प्रतिशत की गणना इस आधार पर की जाती है कि उत्सर्जन तीव्रता इस सीमा से कितनी कम हो जाती है।
  - **समीक्षा और अद्यतन:** स्टार रेटिंग की सीमा की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में की जाएगी ताकि इसे टिकाऊ प्रथाओं में प्रगति के साथ संरेखित किया जा सके।
  - **उत्सर्जन क्षेत्र कवरेज:**
    - इसमें स्कोप 1, स्कोप 2 और सीमित स्कोप 3 उत्सर्जन (तैयार स्टील उत्पादन तक) शामिल हैं।
    - स्कोप 3 उत्सर्जन में खरीदे गए कच्चे माल में एकत्रीकरण, लाभकारीकरण और सन्निहित उत्सर्जन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, लेकिन अपस्ट्रीम खनन, डाउनस्ट्रीम उत्सर्जन और परिवहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- **नोडल एजेंसी:**
  - राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (NISST) निम्नलिखित कार्य करेगा:
    - मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन।
    - हरित प्रमाणपत्र और स्टार रेटिंग जारी करना।
  - **प्रमाणन:** वित्तीय वर्ष के आधार पर वार्षिक रूप से प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। बार-बार MRV चुनने वाले संयंत्र एक वर्ष के अंदर कई प्रमाणन का अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की पहल

- **स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019:**
  - इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाना है, ताकि स्टील उद्योग के हरित परिवर्तन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल सके।
  - फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए धातु स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  - स्क्रैप आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELV) को स्क्रैप करने के प्रावधान शामिल हैं।
- **वाहन स्क्रैपिंग नीति, 2021:**
  - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत अधिनियमित।
  - इसका उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को विनियमित करके इस्पात क्षेत्र के लिए स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाना है।
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार** (PAT) **योजना:**
  - राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन का एक हिस्सा, यह योजना इस्पात उद्योग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती है।
  - **उपलब्धियाँ (2020 तक, चक्र-**III **):**
    - 167 स्टील इकाइयों ने 5.583 MTOE (मिलियन टन तेल समतुल्य) की बचत की।
    - 20.52 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी।
- **जापान की NEDO मॉडल परियोजनाएँ:**
  - नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (नेडो) ने भारतीय इस्पात संयंत्रों में चार मॉडल परियोजनाएँ क्रियान्वित कीं।
  - ऊर्जा दक्षता में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023**
  - कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन के मूल्य निर्धारण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  - सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को उत्सर्जन में कमी की लागत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना।

भारत में स्टील उद्योग

- **उत्पादन:**
  - वर्ष 2023 में भारत ने 140.2 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया, जिससे वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया।
  - जनवरी-नवंबर 2023 के दौरान कच्चे स्टील का उत्पादन 128.15 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.1% की वृद्धि दर्शाता है।
- **खपत:** प्रति व्यक्ति स्टील की खपत वर्ष 2013-2014 में 59 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 119 किलोग्राम हो गई।
- **क्षमता:** राष्ट्रीय स्टील नीति (NSP) का लक्ष्य वर्ष 2030-2031 तक कच्चे स्टील की क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है।
- **माँग:** भारतीय स्टील एसोसिएशन (ISA) का अनुमान है कि वर्ष 2023-2024 में स्टील की माँग 128.9 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी।

NEXT IAS हिन्दी

तटीय संकट: भारत की तटरेखा को अपरदन का खतरा

हाल ही में, लोकसभा सत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रकटीकरण किया कि भारत की लगभग 33.6% तटरेखा अपरदन के कारण खतरे में है।

तटीय अपरदन का अवलोकन

- तटीय अपरदन से तात्पर्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे तरंगीय गतिविधि, ज्वारीय धाराएँ और तूफानों के साथ-साथ निर्माण, खनन और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण तटरेखा के साथ भूमि की क्रमिक क्षति से है।
- भारत, जिसकी तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है, तटीय अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **भारत का तटीय भूगोल**
  - भारतीय मुख्य भूमि के तट से 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश संबंधित हैं, जो 66 तटीय जिलों को कवर करते हैं।
  - **तटीय आकृति विज्ञान विविध है, जिसमें शामिल हैं:** 43% रेतीले समुद्र तट, 11% चट्टानी तट, 36% पंकयुक्त मैदान, 10% दलदली तट और 97 प्रमुख नदियाँ और 34 लैगून।
- **तटीय अपरदन की संवेदनशीलता:** राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के अनुसार, भारत की लगभग 33.6% तटरेखा अपरदन से प्रभावित है। 26.9% क्षेत्र तट वृद्धि का अनुभव कर रहा है, और 39.6% स्थिर है।
- **तटीय अपरदन से प्रभावित राज्य:**
  - **कर्नाटक:** दक्षिण कन्नड़ जिले में, जहाँ पिछले तीन दशकों में 36.66 किलोमीटर लंबी तटरेखा का 48.4% हिस्सा अपरदन से प्रभावित हो चुका है।
  - **तटीय अपरदन का सामना कर रहे अन्य राज्य:**
    - **पश्चिम बंगाल:** राज्य की 60.5% तटरेखा अपरदन से प्रभावित है, जिसका सुंदरबन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
    - **केरल:** 46.4% तटरेखा अपरदन का सामना कर रही है, जिसका स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
    - **तमिलनाडु:** 42.7% तटरेखा अपरदन से प्रभावित है, जिससे तटीय बुनियादी ढाँचे और आजीविका दोनों को खतरा है।

तटीय अपरदन के कारण

- **प्राकृतिक कारक:**
  - **तरंगीय गतिविधि:** निरंतर तरंगों की क्रिया से तटरेखा का अपरदन होता है, विशेषत: उच्च ज्वार और तूफानों के दौरान।
  - **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित समुद्र-स्तर में वृद्धि से तटीय बाढ़ और अपरदन की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ जाती है।
- **मानवजनित कारक:**
  - **तटीय विकास:** पोर्ट, बंदरगाह और समुद्री दीवारें जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ प्राकृतिक अवसाद प्रवाह को बाधित करती हैं एवं अपरदन करती हैं।
  - **बालू खनन:** समुद्र तटों और नदी के किनारों से अवैध बालू खनन से तट के किनारे बालू की प्राकृतिक पुन:पूर्ति कम हो जाती है।
  - **वनों की कटाई:** मैंग्रोव और तटीय वनस्पतियों को हटाने से अपरदन के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है।
- **तटीय क्षरण के प्रभाव**
  - **भूमि की क्षति:** तटीय अपरदन से मूल्यवान भूमि की क्षति होती है, जिससे कृषि एवं बस्तियाँ प्रभावित होती हैं।
  - **समुदायों का विस्थापन:** अपरदन के कारण तटीय समुदायों को स्थानांतरित होना पड़ता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, तटीय अपरदन के कारण घोरामारा द्वीप के निवासी विस्थापित हो गए।
  - **बुनियादी ढाँचे की क्षति:** तट के पास की सड़कें, पुल और इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के जोखिम में हैं।
  - **जैव विविधता का नुकसान:** मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्रभूमि सहित तटीय आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है।

संबंधित पहल और शमन उपाय

- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना** (ICZMP)**:** गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य स्थायी प्रथाओं के माध्यम से तटीय एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र** (CRZ) **अधिसूचना (2019):** इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना है, मछुआरों और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है जबकि अपरदन नियंत्रण उपायों की अनुमति है।
  - यह भारत के समुद्र तट को अतिक्रमण और अपरदन से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) का प्रावधान करता है।
- **तटीय सुभेद्यता सूचकांक** (CVI)**:** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का आकलन और मानचित्रण करने के लिए CVI विकसित किया है।

नवीनतम इंजीनियरिंग समाधान

- **कृत्रिम चट्टानें:** कृत्रिम चट्टानें बनाने से तरंगों की ऊर्जा नष्ट हो सकती है और तटरेखा की रक्षा हो सकती है।
- **पर्यावरण के अनुकूल ब्रेकवाटर:** प्राकृतिक पर्यावरण के साथ घुलने-मिलने वाली सामग्रियों का उपयोग करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचाए बिना प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
- **जियो-ट्यूब की स्थापना:** ओडिशा के पेंथा गाँव जैसे क्षेत्रों में, कृत्रिम अवरोध बनाने के लिए जियो-ट्यूब लगाए गए हैं, जो तट को अपरदन से सुरक्षित करते हैं।
- **मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण:** तट के किनारे मैंग्रोव और अन्य वनस्पतियों को लगाने से तटरेखा को स्थिर करने तथा तरंगों एवं तूफानी उछाल के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।

भारत में ई-कचरा परिदृश्य

हाल ही में, भारत में ई-कचरे का उत्पादन 5 वर्षों में 73% बढ़ा, जो 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

परिचयः

- **परिभाषाः** ई-कचरा उन परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को कहा जाता है, जैसे घरेलू उपकरण और कार्यालय उपकरण, जो पुराने हो चुके हैं या अपने जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव में हैं।
- **विषैले घटकः** ई-कचरे में लेड, कैडमियम, मरकरी और निकेल जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
- **मात्रा में वृद्धिः** भारत में ई-कचरे का उत्पादन 5 वर्षों में 73% बढ़ा, जो 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2023-24 में 1.751 मिलियन MT हो गया।
- **असंसाधित ई-कचराः** प्रतिवर्ष लगभग 57% ई-कचरा (लगभग 990,000 MT) उपचार किए बिना रह जाता है।
- **भौगोलिक वितरणः** भारत के 65 शहर कुल ई-कचरे का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं, और 10 राज्य कुल ई-कचरे में 70% का योगदान देते हैं।
- **पुनर्चक्रण अंतरालः**
  - 2023-24 में केवल 43% ई-कचरा पुनर्चक्रण किया गया, जो 2019-20 में 22% से बेहतर है।
  - ई-कचरे को मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र संभालता है, जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों की कमी है।
- **वैश्विक संदर्भः** भारत चीन और अमेरिका के पश्चात् विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक देश है।
  - 2019 में, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ई-कचरे का उत्पादन 53.6 मिलियन टन (MT) था।

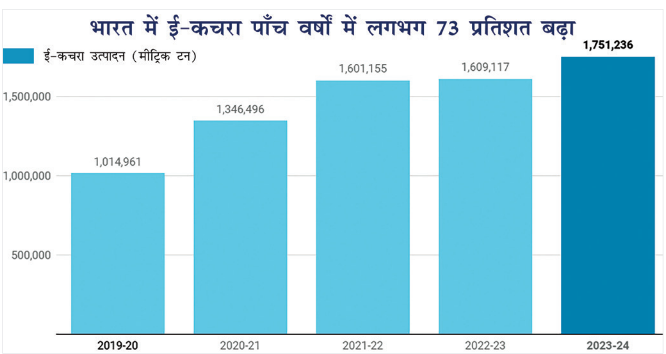

चुनौतियाँः

- **जागरूकता की कमीः** कई उपभोक्ता और व्यवसाय ई-कचरे के खतरों के बारे में जागरूक नहीं हैं, जिससे सुरक्षित पुनर्चक्रण प्रथाओं को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **असंगठित ई-कचरा क्षेत्रः** ई-कचरे का एक बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों द्वारा संभाला जाता है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है।
- **अप्रभावी संग्रह और पुनर्चक्रण ढाँचाः** भारत का औपचारिक ई-कचरा संग्रह और पुनर्चक्रण ढाँचा कम विकसित है एवं बढ़ते ई-कचरे को प्रबंधित करने में असमर्थ है।
- **विनियमों का खराब कार्यान्वयनः** ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 जैसे विनियम होने के बावजूद, उनका कार्यान्वयन कमजोर है और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की अनुपालन दर कम है।
- **ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए अपर्याप्त तकनीकः** उन्नत पुनर्चक्रण तकनीक की कमी के कारण ई-कचरे से सोना और तांबा जैसे कीमती पदार्थों की वसूली सीमित है।
- **विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) अनुपालन की कमीः** कई निर्माता विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिससे ई-कचरे के संग्रह और निपटान में कमी आती है।
- **अपर्याप्त डेटा और आँकड़ेः** विश्वसनीय ई-कचरा डेटा की कमी नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे ई-कचरे को प्रभावी ढंग से ट्रैक और प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है।
- **स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरेः** ई-कचरे का अनुचित निपटान श्रमिकों को जहरीले पदार्थों के संपर्क में लाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

भारत में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम

- **ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022:**
  - **विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी** (EPR): उत्पादकों को पंजीकृत पुनर्चक्रण के माध्यम से वार्षिक पुनर्चक्रण लक्ष्य पूरा करना होगा, जिसमें EPR प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादों को सही तरीके से पुनर्चक्रण किया गया है।
  - **उत्पाद कवरेज का विस्तारः** इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) की सूची में शामिल वस्तुओं की संख्या 2023-24 वित्तीय वर्ष से 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है।
  - **बड़े उपभोक्ताओं का समावेशनः** सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों को अपने ई-कचरे का निपटान पंजीकृत रीसायकलर्स या रीफर्बिशर्स के माध्यम से करना होगा।
  - **पंजीकृत रीफर्बिशर्स की भूमिकाः** ये इकाइयाँ ई-कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- **ई-कचरा (प्रबंधन) दूसरा संशोधन नियम, 2023:**
  - **धारा 4 का जुड़ावः** 2022 के नियम 5 के अंतर्गत, यह संशोधन रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग निर्माण में सुरक्षित, जिम्मेदार और टिकाऊ रेफ्रिजरेंट प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- **ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024:**
  - EPR **प्रमाणपत्र व्यापारः** केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार EPR प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकती है।
  - **अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय जुर्मानाः** CPCB EPR प्रमाणपत्रों के लिए मूल्य सीमा तय करेगा, और अनुपालन न करने पर 30% से 100% तक पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा।

NEXT IAS हिन्दी

ई-कचरा प्रबंधन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

- **बेसल संधि (1989):** खतरनाक कचरे और उनके निपटान के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह संधि बनाई गई। भारत इस संधि का सदस्य है, जिसका उद्देश्य खतरनाक कचरे (जिसमें ई-कचरा भी शामिल है) के सीमा पार आवागमन को कम करना है।
- **बमाको संधि (1991):** यह संधि अफ्रीका में खतरनाक कचरे (जिसमें ई-कचरा भी शामिल है) के आयात पर रोक लगाती है और महाद्वीप के अंदर ऐसे कचरे के आवागमन को नियंत्रित करती है।
- **मिनामाटा संधि (2013):** यह संधि पारे से होने वाले खतरों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। भारत ने इसे 2018 में अनुमोदित किया। यह ई-कचरे से जुड़े पारे के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है।
- **स्टॉकहोम संधि (2001):** यह संधि स्थायी जैविक प्रदूषकों (POPs) को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने इसे अनुमोदित किया है और यह घरेलू कानूनों के माध्यम से लागू की जाती है। POPs ई-कचरे से भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

भारत में ई-कचरे की गंभीर स्थिति: एसोचैम रिपोर्ट

एसोचैम के अध्ययन में वार्षिक ई-कचरा उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित शहरों को देश में ई-कचरा के शीर्ष उत्पादक के रूप में रेखांकित किया गया है:

01
मुंबई
प्रति वर्ष 96,000 मीट्रिक टन ई-कचरा के योगदान के साथ अग्रणी ई-कचरा उत्पादक।

02
दिल्ली (NCR)
प्रति वर्ष 67,000 मीट्रिक टन ई-कचरे के साथ दूसरे स्थान पर।

03
बैंगलोर
प्रति वर्ष 57,000 मीट्रिक टन ई-कचरे के साथ सूची में तीसरे स्थान पर।

*MT — मीट्रिक टन

भारत में ई-कचरा प्रबंधन

शोध में पाया गया कि उत्पादित 12.5 लाख मीट्रिक टन ई-कचरे का केवल 4% ही पुनर्चक्रित किया जाता है।

बाल श्रम-अनौपचारिक ई-कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र का अभिन्न अंग

एसोचैम की रिपोर्ट कहती है: 'भारत में, 10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक, विभिन्न यार्डों और रीसाइक्लिंग कार्यशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा और बचाव उपायों के बिना, विभिन्न ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट) गतिविधियों में लगे हुए पाए जाते हैं।'

इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

घरेलू ई-कचरे में 1,000 से अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करते हैं। इसमें पुराने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं।

- इन विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से मतली, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, उल्टी और आँखों में दर्द हो सकता है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्तर्राज्यीय केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी।

परिचयः

- **अवलोकनः**
  - एक नदी जोड़ो परियोजना जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश (MP) में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश (UP) में बेतवा नदी में स्थानांतरित करती है।
  - इसमें झाँसी, बाँदा, ललितपुर, महोबा (UP) और टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर (MP) जैसे जिले शामिल हैं।
- **आधारभूत संरचनाः**
  - इसमें 77 मीटर ऊँचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बाँध (पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर) एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर शामिल है।
  - **चरणबद्ध कार्यान्वयनः**
    - **चरण I:** दौधन बाँध, केन-बेतवा लिंक नहर और विद्युत घर।
    - **चरण II:** लोअर ओर्र बाँध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज।
- **मुख्य लाभः**
  - प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई (मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर)।
  - 62 लाख लोगों को पेयजल।
  - जलविद्युत (103 मेगावॉट) तथा सौर ऊर्जा (27 मेगावॉट) उत्पादन।

यमुना नदी

- **गंगा की सहायक नदीः** यमुना, गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- **हिमालयी सहायक नदियाँः**
  - हिमालय क्षेत्र की मुख्य सहायक नदियाँः ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोंस और गिरि।
  - टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- **मैदानी सहायक नदियाँः**
  - **मैदानी क्षेत्रों में प्रमुख सहायक नदियाँः** हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
  - छोटी सहायक नदियों में उत्तांगन, सेंगर और रिंद शामिल हैं।
- यमुना नदी हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यह भगवान कृष्ण से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है, माना जाता है कि उन्होंने अपना बचपन मथुरा और वृंदावन में इसके किनारे बिताया था।

- **ऐतिहासिक संदर्भः**
  - नदी जोड़ो के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) के अंतर्गत प्रस्तावित, जिसमें 16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी नदियों को जोड़ना शामिल है।
  - 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई, और बुंदेलखंड विकास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज में शामिल की गई।
  - जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य मार्च 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **क्षेत्रीय महत्त्वः** मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में विस्तृत जल-संकटग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड को बेहतर जल उपलब्धता से बहुत लाभ होगा।
- **पूर्णताः** इसे आठ वर्षों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

दो राज्य, दो नदियाँ और एक लिंक

परियोजना के मुख्य घटक

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (एनआरएलपी) को दो व्यापक घटकों में विभाजित किया गया हैः

- **हिमालयी घटकः** इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों को जोड़ना है।
- **प्रायद्वीपीय घटकः** दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है।

नदी जोड़ो परियोजनाओं का महत्त्व

- **जल के अभाव में कमीः** यह जल-समृद्ध क्षेत्रों से अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में मदद करता है, जिससे जल की कमी की समस्या का समाधान होता है।
- **कृषि के लिए बेहतर जल उपलब्धताः** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुष्क क्षेत्रों में जल उपलब्धता में वृद्धि।
- **बाढ़ का न्यूनीकरणः** नदियों को आपस में जोड़ने से भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल को वितरित करने में मदद मिलती है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है।

- **जलविद्युत क्षमता में वृद्धि:** नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए जलाशयों और नहरों के निर्माण से जलविद्युत उत्पादन के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- **रोजगार सृजन:** नदियों को जोड़ने वाली अवसंरचना के निर्माण और रख-रखाव से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जो आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- **संघर्ष समाधान:** नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाएँ जल के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करके जल संसाधनों पर अंतर्राज्यीय विवादों को संभावित रूप से कम करती हैं।
- **नौवहन एवं मत्स्य पालन:** अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना और जलीय जीवन को समर्थन देना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** कुशल जल प्रबंधन से भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव

- **वनोन्मूलन और जैव विविधता की हानि:**
  - इस परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में व्यापक वनोन्मूलन शामिल होगी, जिसमें अनुमानतः 2-3 मिलियन पेड़ काटे जाएँगे।
  - राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो बाघों का एक महत्त्वपूर्ण निवास स्थान है, जहाँ 2009 में बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, दौधन बाँध के कारण जलमग्न हो जाएगा।
- **जल विज्ञान संबंधी चिंताएँ:**
  - विशेषज्ञों ने पारदर्शी मूल्यांकन के लिए केन नदी के अधिशेष जल के बारे में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण की बार-बार माँग की है।
  - IIT-बॉम्बे द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नदियों को आपस में जोड़ने से भूमि-वायुमंडल के मध्य की अंतर्क्रिया अवरुद्ध हो सकती है, जिससे सितंबर में 12% तक की संभावित औसत वर्षा की कमी हो सकती है।
- **विस्थापन और पुनर्वास:**
  - बाँध के कारण छतरपुर जिले में 5,228 परिवार और पन्ना जिले में 1,400 परिवार जलमग्न होने और भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हो जाएँगे।
  - प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से पन्ना जिले में, अपर्याप्त मुआवजे और कम लाभ की चिंताओं के कारण विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** स्थानीय समुदायों ने अधिग्रहण प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है, तथा विस्थापितों के लिए अपर्याप्त समर्थन तथा क्षेत्र के लिए सीमित लाभ का उदाहरण दिया है।
- **भूकंपीय जोखिम:** भूकंप संभावित क्षेत्रों में बड़े बाँधों और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण के कारण जोखिम बढ़ जाता है।
- **रख-रखाव संबंधी समस्याएँ:** रख-रखाव की उपेक्षा करने से प्रणाली की विफलता और प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना**
  - पारिस्थितिकी क्षति को कम करने के लिए, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व और आस-पास के क्षेत्रों में, व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का संचालन करना।
  - जैव विविधता की हानि को संतुलित करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण रणनीतियों को लागू करना।
- **जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना**
  - सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप सिस्टम जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर जल उपयोग को अनुकूलित करना।
  - जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ताकि दुरुपयोग और अत्यधिक निकासी को रोका जा सके।
- **क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना**
  - समान जल वितरण सुनिश्चित करने और अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - सूखे और बाढ़ की अवधि के दौरान जल-बँटवारे के लिए स्पष्ट परिचालन दिशा-निर्देश स्थापित करना।
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों पर ध्यान देना**
  - विस्थापित समुदायों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करके तथा आजीविका और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके उनके पुनर्वास को प्राथमिकता देना।
  - प्रभावित आबादी के साथ मिलकर उनकी चिंताओं का समाधान करना, और परियोजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय जल नीति के साथ एकीकरण**
  - इस परियोजना को भारत की व्यापक जल प्रबंधन रणनीतियों के साथ संरेखित करना, ताकि अन्य अंतर्संबंधी परियोजनाओं के साथ तालमेल बनाया जा सके।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करना।

निष्कर्ष

- भारत में नदी जोड़ो परियोजना में देश के जल प्रबंधन परिदृश्य को बदलने की अपार संभावनाएं हैं।
- हालांकि, सावधानीपूर्वक योजना बनाना, सतत कार्यान्वयन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करना इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- समन्वित प्रयासों और तकनीकी नवाचारों के साथ, भारत भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा के सपने को साकार कर सकता है।

नदियों को जोड़ने का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (ILR) कार्यक्रम

- **उत्पत्ति:**
  - 1980 में जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किया गया।
  - राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) NPP के अंतर्गत नदियों को जोड़ने की निगरानी करती है।
- **अवयव:**
  - **हिमालयी नदियों का विकास:**
    - भारत, नेपाल और भूटान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण।
    - पूर्वी गंगा की सहायक नदियों से अधिशेष प्रवाह को पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने के लिए नहर प्रणाली।
  - **प्रायद्वीपीय नदियों का विकास:**
    - चार भागों में विभाजित:
    - महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़कर संभावित नदी घाटी स्थलों पर भंडारण करना।
    - मुंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को आपस में जोड़ना।
    - केन और चंबल नदियों को आपस में जोड़ना।
- **परियोजनाएँ:** कुल 30 लिंक परियोजनाएँ चिह्नित की गईं:
  - हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 लिंक परियोजनाएँ।
  - प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 लिंक परियोजनाएँ।

प्रायद्वीपीय घटक

1. महानदी- गोदावरी
2. इंचमपल्ली – नागार्जुन सागर
3. इंचमपल्ली – पुलिचिंतला
4. पोलावरम – विजयवाड़ा
5. अलमाटी- पेन्नार
6. श्रीशैलम – पेन्नार
7. नागार्जुनसागर – सोमशिला
8. सोमासिला – ग्रैंड एनीकट
9. कट्टलाई – वैगई – गुंडर
10. केन – बेतवा
11. पारबती – कालीसिंध – चम्बल
12. पार-तापी – नर्मदा
13. दमनगंगा – पिंजल
14. बेड़ती-वरदा
15. नेत्रावती- हेमावती
16. पम्बा-अचनकोविल-वैपर

हिमालयी घटक

1. कोसी-मेची
2. कोसी-घाघरा
3. गंडक-गंगा
4. घाघरा-यमुना
5. शारदा-यमुना
6. यमुना – राजस्थान
7. राजस्थान – साबरमती
8. चुनार – सोन बैराज
9. सोन बाँध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
10. मानस – संकोश – तिस्ता – गंगा
11. जोगीघोपा – तिस्ता – फरक्का (वैकल्पिक)
12. फरक्का – सुंदरबन
13. गंगा (फरक्का) – दामोदर – स्वर्णरेखा
14. स्वर्णरेखा – महानदी

फेंगल चक्रवात

हाल ही में, फेंगल चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय तूफान, ने पुदुचेरी को प्रभावित किया, जिससे क्षेत्र में गंभीर प्रभाव पड़ा।

परिचय:

- **परिभाषा**
  - चक्रवात व्यापक स्तर पर वायुमंडलीय अस्थिरता हैं, जो निम्न दाब वाले केंद्र के चारों ओर तीव्र वायु के अंदर की ओर गति द्वारा चिह्नित किए जाते हैं।
  - "चक्रवात" शब्द ग्रीक शब्द सायक्लोस (जिसका अर्थ है "साँप की कुंडली") से लिया गया है। इसे हेनरी पेडिंगटन ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफानों की सर्पिल आकृति के संदर्भ में रचा गया था।
- **ये मौसमीय घटनाएँ प्रायः निम्नलिखित से संबंधित होती हैं:**
  - भीषण तूफान
  - भारी वर्षा
  - विध्वंशक तीव्र पवनें
- **वायु परिसंचरण के स्वरूप:**
  - **उत्तरी गोलार्धः** कोरिओलिस प्रभाव के कारण चक्रवात वामावर्त घूर्णन करते हैं।
  - **दक्षिणी गोलार्धः** कोरिओलिस प्रभाव के कारण चक्रवात दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं।

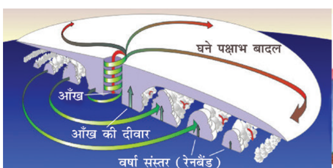

उष्णकटिबंधीय चक्रवात	शीतोष्ण चक्रवात
• उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः अपेक्षाकृत उष्ण जल के बड़े निकायों पर निर्मित होते हैं। • भूमध्य रेखा से 10-30 डिग्री N-S तक सीमित। • ये केवल 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों में निर्मित होते हैं। ये भूमि पर पहुँचते ही विलुप्त हो जाते हैं। • उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पवन का वेग अत्यधिक (100-250 कि.मी. प्रति घंटा) (ऊपरी क्षोभमंडल में 200-1200 कि.मी. प्रति घंटा) होता है। • तीव्र पवनों, तूफानी लहरों और मूसलाधार वर्षा के कारण अधिक विनाश। • **आकारः** उष्णकटिबंधीय चक्रवात अण्डाकार आकार के होते हैं। सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हैं।	• ये उष्ण और शीत वायुराशियों के परस्पर संपर्क के कारण निर्मित होते हैं। • भूमध्य रेखा से 35-65 डिग्री N-S तक सीमित। भूमि के वृहत विस्तार के कारण अत्यधिक तापमान व्युत्क्रम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट। • भूमि और समुद्र दोनों पर, वाताग्रजनन के द्वारा चक्रवात का निर्माण। • **सामान्य वेग सीमाः** 30-150 कि.मी. प्रति घंटा। पवनों के कारण विनाश कम लेकिन बाढ़ के कारण अधिक। • **आकारः** 'उल्टा V' और सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं।

- **चक्रवातों के नामकरण विश्वभर में:**
  - **हरिकेनः** अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में।
  - **टाइफूनः** पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में।
  - **विली-विलीजः** उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
  - **टॉरनेडोः** पश्चिम अफ्रीका के गिनी क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका में।
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवातः** हिंद महासागर में।

अस्थिरता के प्रकार	पवन की गति किमी/घंटा में	पवन की गति नॉट में
निम्न दाब	31 से कम	17 से कम
अवदाब	31-49	17-27
तीव्र अवदाब	49-61	27-33
चक्रवातीय तूफान	61-88	33-47
प्रचंड चक्रवातीय तूफान	88-117	47-63
सुपर चक्रवात	221 से अधिक	120 से अधिक

- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माणः** उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण और जीवन चक्र को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है:
  - **निर्माण और प्रारंभिक विकास चरणः**
    - **उष्ण समुद्री सतहः** तापमान 26°C से अधिक, और ऊष्मा का वितरण 60 मीटर की गहराई तक विस्तृत।
    - **वायुमंडलीय अस्थिरताः** गर्म और आर्द्र वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन को बढ़ावा देती है, जिससे वृहत कपासी बादल का निर्माण होता हैं।
    - **आर्द्रता की आपूर्तिः** महासागर से वाष्पीकरण के कारण प्रचुर मात्रा में जलवाष्प इस प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करता है।
    - **कोरिओलिस बलः** प्रणाली की घूर्णन गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है।
    - **अल्प पवन कर्त्तनः** यह सुनिश्चित करता है कि विकास के दौरान चक्रवात की संरचना बनी रहे।
  - **परिपक्व चरण**
    - वायु तीव्र गति से ऊपर उठती है, जिससे प्रचंड तड़ित झंझे का निर्माण होता हैं।
    - वायुमंडल की क्षोभसीमा स्तर पर वायु बाहर की ओर फैलती है, जिससे उच्च दाब की अस्थिरता उत्पन्न होती है।
    - यह वायु के नीचे की ओर गति को तीव्र करता है, जिससे चक्रवात के केंद्र में एक उष्ण चक्षु (EYE) का निर्माण होता है।
- **संशोधन और क्षय चरण**
  - **स्थलीय क्षेत्र की ओर आगमनः** स्थलीय क्षेत्र की ओर आगमन के पश्चात् आर्द्रता की आपूर्ति समाप्त हो जाती है।
  - **शीतल जलः** उष्ण और आर्द्रता की अनुपस्थिति, जो चक्रवात के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है।
  - चक्रवातों के क्षय होने के बावजूद, वे अवशिष्ट वर्षा और पवनों के माध्यम से क्षति पहुँचा सकते हैं।

नामकरण

- **'फेंगल' नाम की उत्पत्ति**
  - **प्रस्तावित नामः** सऊदी अरब

- ‘फेंगल’ नाम की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, जो क्षेत्र की भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।

- **चक्रवात नामकरण प्रक्रिया**
  - उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के पैनल द्वारा किया जाता है।
  - इस पैनल में 13 देश शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव और पाकिस्तान आदि।
  - प्रत्येक सदस्य देश संभावित चक्रवात नामों की एक सूची प्रस्तुत करता है, जिन्हें क्षेत्र में चक्रवात बनने पर क्रमवार उपयोग किया जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- **स्थापना**
  - 1875 में स्थापित, भारतीय मौसम विभाग (IMD) भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है।
  - यह निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए प्रमुख सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है:
    - मौसम विज्ञान
    - मौसम पूर्वानुमान
    - भूकंप विज्ञान
    - संबंधित वायुमंडलीय विज्ञान।
- **नोडल मंत्रालय:** भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली, भारत
- **वैश्विक मान्यता:** IMD को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अंतर्गत छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMCs) में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - **RSMC के रूप में जिम्मेदारियाँ:** उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों पर परामर्श जारी करना। क्षेत्र के अन्य देशों को मौसम विज्ञान से संबंधित विशेषज्ञता प्रदान करना।

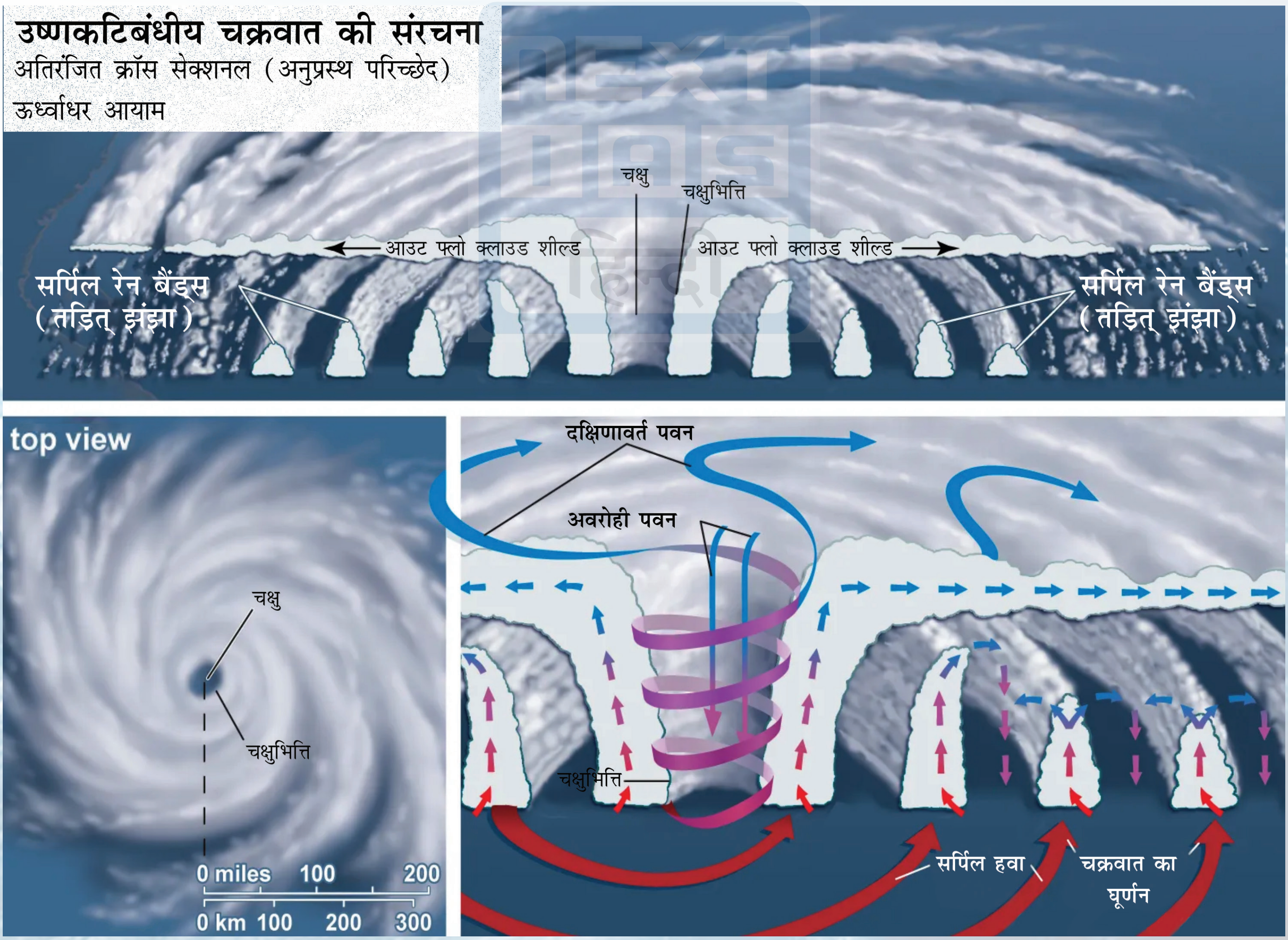

चीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध को मंजूरी

हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा के पास यारलुंग जांग्बो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध के निर्माण को मंजूरी प्रदान की।

परिचय:

- **अवस्थिति:**
  - **नदी:** यह परियोजना यारलुंग जांग्बो नदी के किनारे स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है।
- **भूगोल:**
  - यारलुंग त्सांगपो नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग के नाम से जाना जाता है।
  - असम में, इस नदी में दिबांग और लोहित जैसी सहायक नदियाँ मिलती है, और इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
  - इसके पश्चात् नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने से पहले बांग्लादेश में प्रवाहित होती है।
- **परियोजना का उद्देश्य**
  - **कार्बन तटस्थता लक्ष्य:** यह जलविद्युत परियोजना 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की चीन की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है।
  - **आर्थिक और क्षेत्रीय विकास:** इसका उद्देश्य तिब्बत में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास में योगदान मिलेगा।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान:** यह बाँध चीन की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे इसके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी।
- **लागत और समय-सीमा**
  - **कुल लागत:** जलविद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 137 बिलियन डॉलर है।
  - **रणनीतिक योजना:** इसे चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) में शामिल किया गया है, और यह 2035 तक देश के दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप है।

भारत के लिए चिंताएँ:

- **भारत में जल प्रवाह पर प्रभाव**
  - तिब्बत में बाँध (या बाँधों) के निर्माण से भारत में जल प्रवाह पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो एक निम्न तटवर्ती राष्ट्र है।
  - ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अधिकांश जल तिब्बत से प्रवाहित होता है, और प्रवाह में कोई भी परिवर्तन पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में जल की उपलब्धता एवं कृषि कार्य को अवरुद्ध कर सकता है।
- **अवसाद का अवरोध**
  - बड़े बाँध प्रायः अवसाद के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, जो उपजाऊ कृषि के लिए आवश्यक है।
  - ब्रह्मपुत्र नदी अवसाद से भरी है, और इसके प्रवाह में कोई भी परिवर्तन कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों से भरपूर अवसाद जमाव को कम कर सकता है।
- **जैव विविधता जोखिम:** नदी के प्रवाह में व्यवधान से स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से नदी के प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

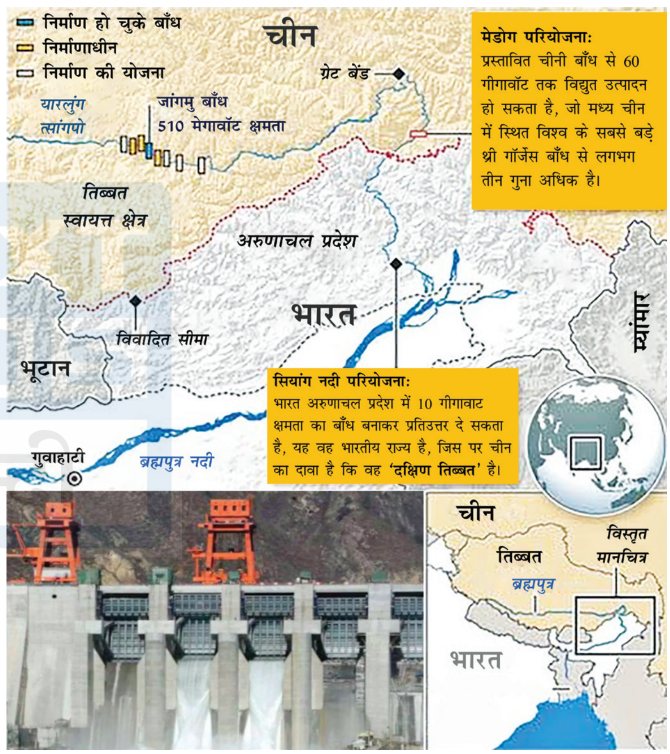

- **पारिस्थितिकीय नाजुकता और भूकंप जोखिम**
  - यह क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में से एक है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है।
  - भूगर्भीय रूप से अस्थिर इस क्षेत्र में एक बड़ा बाँध विनाशकारी घटनाओं के जोखिम को बढ़ाता है।
    - उदाहरण के लिए, तिब्बत में 2004 में पारछू झील में भूस्खलन, जिसके कारण एक झील बन गई, जो 2005 में टूट गई, ऐसे अस्थिर क्षेत्रों में जल संचय के संभावित खतरे को दर्शाता है।
- **सहयोग के प्रति अनिच्छा:**
  - सहयोग की स्पष्ट आवश्यकता के बावजूद, चीन ने भारत जैसे निम्न तटवर्ती देशों के साथ सहयोग करने में अनिच्छा प्रदर्शित की है।

- सहयोग की इस कमी के कारण अन्य नदी घाटियों में भी चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। मेकांग नदी बेसिन में चीन ने 12 बड़े बाँध बनाए हैं, जिससे निम्न क्षेत्रों के देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- **कूटनीतिक बाधाएँ:** यद्यपि दोनों देश विभिन्न तंत्रों के माध्यम से संवाद में शामिल हैं, फिर भी राजनीतिक तनाव प्रायः सहयोग के सुचारू प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से संवेदनशील समय में।

भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों पर सहयोग

- **अम्ब्रेला समझौता (2013)**
  - **उद्देश्य:** यह समझौता भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों पर समग्र सहयोग स्थापित करता है, जिसमें जल प्रबंधन और बँटवारे के विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं।
  - **स्थिति:** इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है, लेकिन इस समझौते के अंतर्गत वर्तमान में कोई सक्रिय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं।
- **ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन**
  - **उद्देश्य:** ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित डेटा साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **नवीनीकरण:** समझौता ज्ञापन प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। यह 2023 में समाप्त हो गया और नवीनीकरण पर चर्चा राजनयिक चैनलों के माध्यम से चल रही है।
- **सतलुज समझौता ज्ञापन**
  - **उद्देश्य:** यह समझौता ज्ञापन 2004 के पारछू झील आपदा के पश्चात् आरंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य सतलुज नदी से संबंधित जल सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - **सीमाएँ:** यह समझौता पूरे वर्ष का डेटा प्रदान नहीं करता है, और नवीनीकरण अभी लंबित है।
- **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (2006)**
  - **उद्देश्य:** यह तंत्र भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए वार्षिक बैठकों की सुविधा प्रदान करता है।
  - **चुनौतियाँ:** हाल के वर्षों में बैठकों में रुकावटें आई हैं, जिससे इस सहकारी व्यवस्था की प्रभावशीलता में बाधा आ रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1997):**
  - **स्थिति:** न तो भारत और न ही चीन ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - **मुख्य सिद्धांत:** हालाँकि, दोनों देश कन्वेंशन के मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - साझा जल संसाधनों का न्यायसंगत और उचित उपयोग।
    - यह सुनिश्चित करना कि एक देश के कार्यों से दूसरे देश की जल प्रणालियों को कोई विशेष क्षति न हो।

भारत और पड़ोसी देशों के बीच समझौते

- **सिंधु जल संधि (1960) – भारत और पाकिस्तान:**
  - **अवलोकन:** विश्व बैंक द्वारा संचालित इस संधि के अंतर्गत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच आवंटित किया गया है।
  - **प्रमुख प्रावधान:**
    - पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) पर विशेष अधिकार है।
    - भारत का तीन पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) पर नियंत्रण है।
    - भारत को सिंचाई, विद्युत उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए जल का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **महाकाली नदी संधि (1996) – भारत और नेपाल**
  - **अवलोकन:** महाकाली नदी के जल के उपयोग, मुख्यतः सिंचाई और जल विद्युत के लिए, के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ।
  - **प्रमुख प्रावधान:**
    - सिंचाई, विद्युत उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए नदी के संसाधनों के संयुक्त विकास की अनुमति प्रदान करता है।
    - नेपाल को 64% जल प्रदान किया गया है, जबकि भारत को 36%।
- **तीस्ता नदी जल बँटवारा समझौता:**
  - **भूगोल:** तीस्ता नदी सिक्किम (भारत) से पश्चिम बंगाल (भारत) होते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जो कृषि और दैनिक जरूरतों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - **वर्तमान स्थिति:** कोई औपचारिक समझौता नहीं; जल बँटवारे पर बातचीत जारी है, विशेषकर शुष्क मौसम के दौरान।
  - **भारत का दृष्टिकोण:** घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए समान वितरण का प्रस्ताव, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए।
  - **बांग्लादेश की चिंताएँ:** उचित आवंटन की माँग, विशेष रूप से शुष्क महीनों के दौरान, जो उत्तरी बांग्लादेश की कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - **विगत् प्रयास:** 1983 के अंतरिम समझौते में जल प्रबंधन के कुछ पहलुओं पर विचार किया गया था। 2011 में प्रस्तावित फार्मूले के अनुसार बांग्लादेश को 42.5% और भारत को 37.5% हिस्सा आवंटित किया गया।

आगे की राह

- **स्थिरता के साथ जलविद्युत विकास:** पर्यावरणीय आकलन के साथ टिकाऊ जलविद्युत परियोजनाओं को सुनिश्चित करना, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की खोज करते हुए व्यवधान को न्यूनतम करना।
- **बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन:** बाँधों, तटबंधों और आपदा न्यूनीकरण के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश के साथ बाढ़ प्रबंधन रणनीति विकसित करना।
- **जैव विविधता संरक्षण:** नदी के किनारे स्थित आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों में संरक्षण प्रयासों के माध्यम से नदी पारिस्थितिकी तंत्र एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना।
- **बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी में वृद्धि:** पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।
- **अनुसंधान और डेटा साझाकरण:** संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, और सूचित निर्णय लेने के लिए जल स्तर और जलवायु जोखिमों की निगरानी के लिए साझा डेटा प्लेटफॉर्म स्थापित करना।

भारत 6G विजन दस्तावेज

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें 2030 तक हाई-स्पीड 6G संचार सेवाएँ प्रारंभ करने की योजना की रूपरेखा दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत 6G परियोजना भी प्रारंभ की गई।

परिचय:

- भारत 6G विजन का उद्देश्य "6G नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित और परिनियोजित करना है, जो निर्बाध, कुशल एवं सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, तथा वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं।"
- **मुख्य तथ्य:**
  - **मुख्य सिद्धांत:** यह दृष्टिकोण सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर आधारित है।
  - **आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखण:** इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है, साथ ही आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देना है।
  - **वैश्विक नेतृत्व:** यह दृष्टिकोण भारत को उन्नत, लागत प्रभावी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के अग्रणी प्रदाता के रूप में स्थापित करना चाहता है जो वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

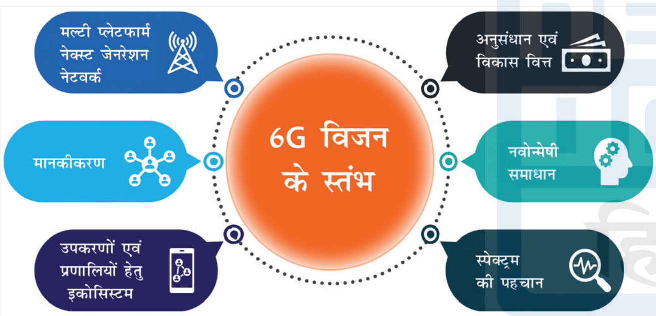

प्रौद्योगिकी नवाचार समूह के अंतर्गत छह कार्य बल गठित

भारत 6G परियोजना

- **कार्यान्वयन चरण:**
  - **चरण 1 (2023-2025):** नए विचारों, जोखिम भरे रास्तों और अवधारणा-प्रमाण परीक्षणों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **चरण 2 (2025-2030):** उन विचारों के लिए समर्थन जो क्षमता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपयोगी उत्पादों में विकसित करना, बौद्धिक संपदा (IP) बनाना और व्यावसायीकरण के लिए तैयार करना।
- **सर्वोच्च परिषद:** सरकार ने इस परियोजना की देखरेख के लिए एक सर्वोच्च परिषद का गठन किया है। केंद्रित क्षेत्रों में मानकीकरण, स्पेक्ट्रम पहचान, उपकरणों और प्रणालियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करना शामिल है।
  - **प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ:** टेराहर्ट्ज संचार, रेडियो इंटरफेस, स्पर्शनीय इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिए AI और 6G उपकरणों के लिए नए चिपसेट जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **उद्देश्य:** भारत को सस्ती 6G दूरसंचार समाधान प्रदान करने में वैश्विक अभिकर्त्ता बनाना। उन क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना जहाँ भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजारों के लिए बौद्धिक संपदा और उत्पाद विकसित करना है।

भारत 6G एलायंस का परिचय

- सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और मानक निकायों को एक साथ लाने वाला एक सहयोगी मंच।
- गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक 6G गठबंधनों के साथ सहयोग करेगा।
- **उद्देश्य:** 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना। 6G क्षेत्र में आम सहमति को बढ़ावा देना और प्रभावशाली अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को आगे बढ़ाना।

6G के लाभ

- **अल्ट्रा-हाई स्पीड और लो लेटेंसी:** 6G 1 Tbps तक की स्पीड और 1 ms जितनी कम लेटेंसी प्रदान करती है, जिससे सहज वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) अनुभव संभव हो सकेगा।
- **बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और क्षमता:** यह विश्वसनीय कनेक्शन के साथ सघन IoT नेटवर्क, स्मार्ट शहरों और स्वायत्त वाहनों का समर्थन करेगा।
- **बेहतर विश्वसनीयता और सुरक्षा:** उन्नत एन्क्रिप्शन दूरस्थ सर्जरी और आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करेगा।
- **AI एकीकरण:** AI नेटवर्क प्रबंधन को अनुकूलित करेगा, उपयोगकर्त्ता अनुभव को बढ़ाएगा, और कुशल नेटवर्क के लिए पूर्वानुमानित रख-रखाव को सक्षम करेगा।
- **बढ़ी हुई स्पेक्ट्रम उपयोगिता:** टेराहर्ट्ज आवृत्तियाँ उच्च बैंडविड्थ एवं उच्च डेटा दर प्रदान करेंगी, जिससे नेटवर्क पर भार कम होगा।
- **टिकाऊ नेटवर्क:** 6G हरित, पर्यावरण-अनुकूल नेटवर्क बनाने के लिए ऊर्जा-कुशल डिजाइन और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगा।

संबंधित चुनौतियाँ

- **वाहक तरंग के लिए विस्तृत डिजाइन:** जल वाष्प THz तरंगों को प्रभावित करता है, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए नए मॉडल की आवश्यकता होती है कि डेटा जटिल वायुमंडलीय पथों से होकर गुजर सके।
- **सेमीकंडक्टर उपलब्धता:** वर्तमान सेमीकंडक्टर सामग्री मल्टी-THz आवृत्तियों का समर्थन नहीं कर सकती है, जिससे उपयोगी रेंज प्राप्त करने के लिए छोटे एंटीना सरणियों की आवश्यकता होती है।
- **सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना:** चुनौतियों में ऊर्जा दक्षता, अवरोधों से संकेत क्षीणन और डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
- **नए मॉडल का कार्यान्वयन:** एंटीना डिजाइन, लघुकरण और एज (edge) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में उन्नति की आवश्यकता है, साथ ही एंड-टू-एंड सुरक्षा एवं गोपनीयता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत 6G मिशन को सक्षम बनाने के लिए छह टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख सिफारिशें

- **अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तपोषण:** स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जोखिमपूर्ण लेकिन प्रभावशाली अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा और प्रयोगशालाओं के लिए समर्थन।
- **मुख्य क्षेत्रों के लिए समाधान:** परिवहन, जल, विद्युत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्मार्ट शहरों और डिजिटल ट्विन्स (Digital Twins) में चुनौतियों का समाधान करने के लिए 6G तकनीकों का उपयोग करना।
- **स्पेक्ट्रम प्रबंधन:** उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम बैंड के साझा उपयोग को सक्षम करना। उद्योग 4.0 और एंटरप्राइज अनुप्रयोगों के लिए उच्चभार वाले स्पेक्ट्रम बैंड का पुनर्मूल्यांकन एवं अनुकूलन करना।
- **उन्नत इंटरफेस और डिवाइस:** यथार्थवादी 3D अनुभव, टेकटाइल इंटरनेट और स्मार्ट वातावरण के लिए एज क्लाउड कंप्यूटिंग और AI का उपयोग करके मल्टी-सेंसर इंटरफेस विकसित करना।
- **हाई-स्पीड वायरलेस संचार:** तेज डेटा दरों के लिए mmWave और टेराहर्ट्ज संचार का विस्तार करना और अल्ट्रा मैसिव MIMO जैसे उन्नत एंटेना का उपयोग करना।
- **वैश्विक मानक भागीदारी:** अनुकूलता सुनिश्चित करने और भारतीय नवाचारों के लिए वैश्विक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों में योगदान देना।
- **उन्नत कनेक्टिविटी:** हर घर में फाइबर ब्रॉडबैंड प्रदान करना और मोबाइल उपयोगकर्त्ताओं के लिए सघन वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क एकीकृत करना।
- **उन्नत अनुप्रयोग:** टेकटाइल इंटरनेट, मशीनों/रोबोटों के दूरस्थ संचालन और लगभग यथार्थवादी 3D वर्चुअल मीटिंग का समर्थन करना।
- **अंतरिक्ष-स्थलीय एकीकरण:** अंतरिक्ष और स्थलीय संचार नेटवर्क को मिलाकर निर्बाध कवरेज प्राप्त करना।
- **संयुक्त संचार और संवेदन:** टेराहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में संयुक्त संचार और संवेदन प्रौद्योगिकियों का अन्वेषण करना।
- **अगली पीढ़ी के हार्डवेयर:** मॉडेम, रेडियो और AI प्रोसेसर के लिए उन्नत सिस्टम-ऑन-चिप (SoCs) विकसित करना।

5G और 6G के बीच तुलना

विशेषता	5G	6G
अधिकतम डेटा स्पीड	10 Gbps तक	100 Gbps या उससे अधिक तक होने की अपेक्षा
विलंब (लेटेंसी)	कम से कम 1-10 ms	1 ms से कम होने की अपेक्षा
आवृत्ति बैंड	450 मेगाहर्ट्ज से 52.6 गीगाहर्ट्ज	100 गीगाहर्ट्ज से ऊपर
नेटवर्क दक्षता	ऊर्जा और स्पेक्ट्रम उपयोग में उच्च दक्षता	अत्यधिक कुशल होने की अपेक्षा
अनुप्रयोग क्षेत्र	ऑप्टिकल फाइबर, IoT, औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट सिटी, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करके उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड।	उन्नत IoT, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढाँचे, 3D होलोग्राफिक संचार, हाई-फिडेलिटी मोबाइल होलोग्राम और ऑगमेंटेड रियलिटी।

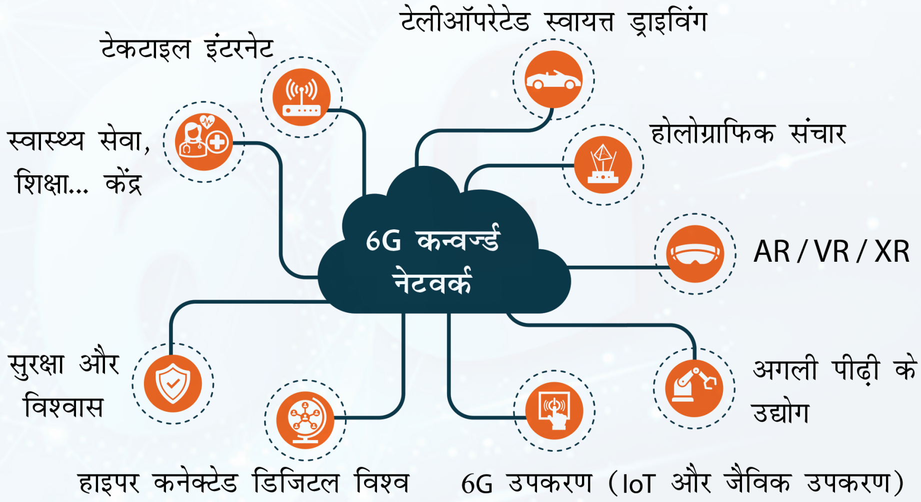

मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) ने वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें विश्वभर में मानव तस्करी की प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों की चर्चा की है।

मुख्य बिंदुः

- 2019 की तुलना में 2022 में वैश्विक स्तर पर पीड़ितों की पहचान में 25% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **बाल पीड़ितः** 2022 में, वैश्विक स्तर पर बाल पीड़ितों की पहचान में 2019 (महामारी से पहले) की तुलना में 31% की वृद्धि हुई, जिसमें लड़कियों के मामले में यह वृद्धि विशेष रूप से 38% रही।

2022 में शोषित बाल तस्करी पीड़ितों का हिस्सा (या वर्तमान स्थिति)*

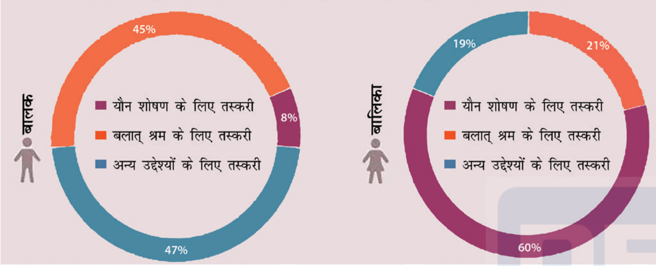

- **अधिकांश पीड़ितः** 2022 में, विश्व भर में पहचान किए गए मानव तस्करी के 61% पीड़ित महिलाएँ थीं।
  - वयस्क अभी भी सबसे अधिक पहचान किए गए आयु वर्ग से संबंध रखते है, और सभी पहचाने गए पीड़ितों में 39% वयस्क महिलाएँ शामिल हैं।
  - साथ ही, कुल पहचाने गए पीड़ितों में लड़कियों का हिस्सा महत्त्वपूर्ण रूप से 22% है।
- **संगठित अपराध समूहः** 74% तस्कर समूह और नेटवर्क के रूप में कार्य करते थे, जो किसी व्यवसाय-प्रकार के आपराधिक संबंध से जुड़े थे या संरचित आपराधिक संगठनों के रूप में कार्य करते थे।
  - लगभग 26% तस्कर गैर-संगठित अपराधियों के रूप में दोषी ठहराए गए हैं।

तस्करी के प्रकार

- **बलात् श्रमः** 2019 से 2022 के बीच बलात् श्रम के मामलों में 47% की वृद्धि हुई, जिसमें अधिक संख्या में पीड़ितों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में विवश किया गया।
- **यौन शोषणः** तस्करी की गई लड़कियों में से 60% को यौन शोषण के लिए उपयोग किया गया, जबकि लड़कों में 47% को बलात् अपराध, भीख माँगने या अन्य शोषण के रूपों के लिए तस्करी किया गया।
- **बलात् अपराधः** ऑनलाइन घोटालों सहित बलात् अपराध के लिए तस्करी के मामले 2016 में कुल तस्करी पीड़ितों के 1% से बढ़कर 2022 में 8% हो गए।
- **अंग तस्करीः** पीड़ितों को अक्सर जीवन-धमकाने वाली परिस्थितियों में अंग बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, भारत के कुछ हिस्सों में अवैध व्यापार केंद्र संचालित होते हैं।

- **यूरोप की स्थिति**
  - पश्चिमी और दक्षिणी यूरोपीय देशों में 2019 की तुलना में तस्करी के मामलों की पहचान में 45% की वृद्धि हुई।
  - पहचान किए गए अधिकांश पीड़ित वयस्क थे, जिनमें पुरुषों का प्रतिशत (39%) महिलाओं (28%) से अधिक था।
  - इस क्षेत्र में पीड़ितों को मुख्य रूप से मजबूरी में श्रम के लिए तस्करी की गई, विशेष रूप से कृषि, रेस्तरां, और सफाई/घरेलू कामकाज के क्षेत्रों में।

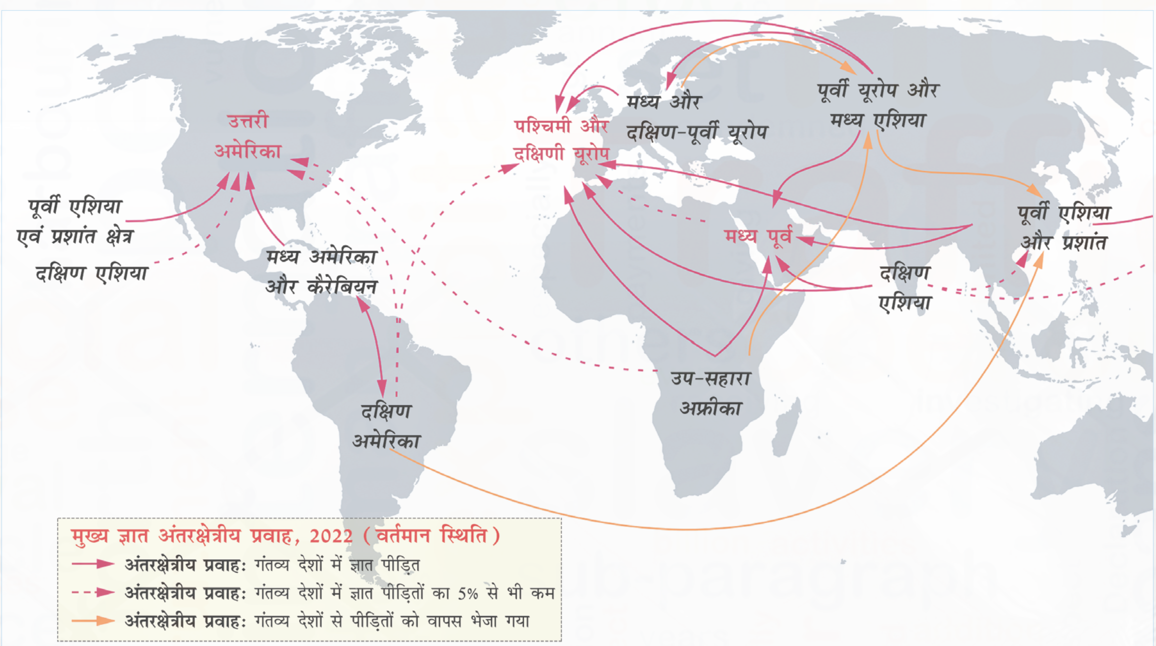

- पीड़ित विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जिनमें दक्षिण-पूर्वी यूरोप, उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया शामिल हैं।

- **तस्करी मार्ग:** पीड़ितों की तस्करी वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के माध्यम से की जा रही है, जिसमें अफ्रीकी पीड़ितों को सबसे अधिक गंतव्यों तक तस्करी किया जा रहा है।

मानव तस्करी से संबंधित भारत का कानूनी ढाँचा

- **संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल की पुष्टि:** भारत ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों सहित व्यक्तियों की तस्करी को रोकने, दमन करने और दंडित करने के लिए है।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और इसी प्रकार के बलात् श्रम पर रोक लगाता है।
- **तस्करी से संबंधित मुख्य कानून**
  - **भारतीय न्याय संहिता** (BNS), **2023:** धारा 143 से 146 तस्करी के विभिन्न रूपों, गुलामों के व्यापार और अवैध अनिवार्य श्रम के लिए दंड का प्रावधान करती है।
  - **अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम** (ITPA), **1956:** यौन शोषण के लिए तस्करी के मामलों पर कार्रवाई करता है।
  - **बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976:** मजबूरी में श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों का समाधान करता है।
  - **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** खतरनाक कार्यों में बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे तस्करी से जुड़े अपराधों पर प्रभाव पड़ता है।
  - **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994:** अवैध अंग तस्करी पर कार्रवाई करता है।
  - **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** बाल विवाह से संबंधित तस्करी को रोकने पर केंद्रित है।
  - **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए देखभाल और संरक्षण के उपाय प्रदान करता है।
  - **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012:** बच्चों को यौन अपराधों के लिए तस्करी से बचाने पर कार्रवाई करता है।
- **भारत में तस्करी के आँकड़े (2018-2022)**
  - **दर्ज मामले:** भारत में 2018 से 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए।
  - **तस्करी के मामलों में शीर्ष राज्य:** महाराष्ट्र ने तस्करी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए, इसके पश्चात् तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा।
  - **स्रोत बनाम गंतव्य राज्य:**
    - **स्रोत राज्य:** पश्चिम बंगाल और असम तस्करी के मुख्य स्रोत राज्यों में शामिल हैं।
    - **गंतव्य राज्य:** महाराष्ट्र और कर्नाटक तस्करी के पीड़ितों के प्रमुख गंतव्य राज्यों में शामिल हैं।

भारत में मानव तस्करी के कारण

- **गरीबी:** गरीबी मानव तस्करी के प्रमुख कारणों में से एक है। गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोग प्रायः बेहतर अवसरों की खोज में मजबूर होते हैं, जिससे वे तस्करों के झूठे वादों जैसे नौकरी और बेहतर जीवन की परिस्थितियों के चंगुल में फँस जाते हैं।
- **कम साक्षरता और जागरूकता:** शिक्षा और जागरूकता की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को तस्करी के प्रति असुरक्षित बना देती है।
  - अनेक पीड़ित, विशेष रूप से महिलाएँ और बच्चे, अपने अधिकारों या संभावित खतरों से अपरिचित होते हैं।
  - यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिससे वे तस्करी के लिए अधिक सुभेद्य हो जाते हैं।
- **लिंग भेदभाव:** भारत में पितृसत्ता के कारण लिंग असमानता काफी अधिक है, जिससे महिलाएँ और लड़कियाँ तस्करी के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हो जाती हैं।
  - महिलाओं को यौन शोषण, बलात् विवाह, और घरेलू दासता के लिए तस्करी का शिकार बनने की अधिक संभावना होती है।
  - महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, भारत में मानव तस्करी की लगभग 70% पीड़ित महिलाएँ एवं लड़कियाँ हैं।
- **संगठित अपराध नेटवर्क:**
  - भारत में मानव तस्करी प्रायः सुसंगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा संचालित होती है, जिससे इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।
  - ये नेटवर्क पीड़ितों की भर्ती, परिवहन और उनका शोषण बलात् श्रम, यौन शोषण और अंग व्यापार के लिए करते हैं।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट के अनुसार, संगठित तस्करी नेटवर्क विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र तस्करी के मुख्य केंद्र हैं।
- **बाल श्रम:**
  - भारत में बड़ी संख्या में बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिन्हें प्रायः खतरनाक उद्योगों, घरेलू कार्य या भिक्षावृत्ति के लिए शोषित किया जाता है।
  - तस्कर माता-पिता को बच्चों के बेहतर भविष्य का वादा करके गलत सूचना प्रदान करते हैं और अंत में उन्हें बलात् श्रम के माध्यम से शोषित करते हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में 1 करोड़ से अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से कई तस्करी का शिकार होते हैं।
- **कमजोर कानून प्रवर्तन:** अपर्याप्त कानूनी ढांचे और कठोर दंड की कमी के कारण तस्करों को दंड से मुक्त होकर काम करने की अनुमति मिलती है।
- **बाल विवाह और जबरन मजदूरी:** भारत में, कम उम्र में विवाह और बंधुआ मजदूरी तस्करी के संकट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

आगे की राह:

- **कठोर कानून लागू करना:**
  - मौजूदा कानूनों जैसे अनैतिक तस्करी (निवारण) अधिनियम (ITPA) और व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक को कठोरता से लागू करना सुनिश्चित करना।

- तस्करों को सजा देने और दोबारा अपराध रोकने के लिए एक अधिक प्रभावी एवं समय पर न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है।
- तस्करी से जुड़े मामलों की अदालती कार्यवाही को तीव्र करना, और पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करना।

- **एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:**
  - राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को बाधित करने के लिए कार्य करना।
  - तस्करी गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए अंतर-राज्यीय टास्क फोर्स बनाना, खुफिया जानकारी साझा करना और तस्करों का पता लगाना।
- **पुनर्वास केंद्र:**
  - तस्करी के पीड़ितों के लिए अधिक आश्रय गृह और पुनर्वास केंद्र स्थापित करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और कानूनी सहायता मिले।
  - पीड़ितों के पुनर्वास के लिए धनराशि बढ़ाना और दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुन: एकीकरण कार्यक्रम शामिल हों।
- **मनो-सामाजिक समर्थन:**
  - पीड़ितों को परामर्श और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना ताकि वे आघात से निकल सकें। पीड़ित प्राय: दीर्घकालिक मानसिक एवं भावनात्मक आघात का सामना करते हैं, इसलिए पुनर्वास में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, परामर्शदाताओं और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को तस्करी पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- **जन जागरूकता अभियान:**
  - तस्करी के खतरों और तस्करों के कार्य करने के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ करना।
  - जागरूकता कार्यक्रमों का लक्ष्य उच्च जोखिम वाले समूहों पर होना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदायों में।
  - टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सहित मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, ताकि सुभेद्य समूहों तक पहुँचा जा सके और उन्हें तस्करी के खतरों और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जा सके।
- **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम:** तस्करी के मूल कारण, अर्थात् गरीबी को समाप्त करना बेहद आवश्यक है। सरकार के ऐसे कार्यक्रम, जो वंचित लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर केंद्रित हैं, व्यक्तियों को तस्करों के चंगुल में फँसने से बचा सकते हैं।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करना। सुभेद्य वर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्मवित्त सुविधाएँ, और स्थायी आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराना।
- **सीमा-पार सहयोग:**
  - भारत और पड़ोसी देशों (जैसे बांग्लादेश, नेपाल आदि) के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, ताकि सीमा-पार तस्करी पर रोक लगाई जा सके।
  - अनेक तस्करी के शिकार लोगों को सीमा-पार ले जाया जाता है, और तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्षेत्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
  - पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते स्थापित करना, ताकि तस्करी के मामलों के लिए विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और पीड़ितों की जल्दी वापसी सुनिश्चित की जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग:**
  - संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC), इंटरपोल और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना।
  - इससे सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का विकास किया जा सकेगा और खुफिया जानकारी साझा की जा सकेगी।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- **स्थापना:** UNODC की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय के माध्यम से की गई थी।
- **UNODC के कार्य**
  - **मादक पदार्थ दुरुपयोग के बारे में शिक्षा:** ये विश्व भर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का कार्य करता है।
  - **अवैध मादक पदार्थ उत्पादन और तस्करी से मुकाबला:** अवैध मादक पदार्थ उत्पादन, तस्करी और संबंधित अपराधों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करता है।
  - **अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:**
    - अपराध रोकने के प्रयासों को मजबूत करता है, और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है ताकि कानून के शासन को सशक्त बनाया जा सके।
    - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से मुकाबले पर विशेष ध्यान देता है।
- **आतंकवाद रोकथाम (2002 से):**
  - UNODC की आतंकवाद रोकथाम शाखा को विस्तार दिया गया, ताकि देशों को आतंकवाद के विरुद्ध अठारह सार्वभौमिक विधिक साधनों को स्वीकारने और लागू करने में मदद की जा सके।
  - **वित्तपोषण:** UNODC मुख्य रूप से स्वैच्छिक योगदान से वित्तपोषित होता है, जो मुख्य रूप से सरकारों से आता है।
  - **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया।

सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ मनाई।

परिचय:

- **प्रारंभ एवं उद्देश्य:**
  - **प्रारंभ की तारीख:** सुगम्य भारत अभियान (AIC) को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को लॉन्च किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के साथ संबद्ध है।
  - **उद्देश्य:** इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए सुलभता को बढ़ाना है, ताकि उन्हें समान अवसर और सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- **क्रियान्वयन एजेंसी:**
  - **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** (DEPwD)**:** इस अभियान का नेतृत्व DEPwD द्वारा किया जाता है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
  - **राष्ट्रीय अभियान:** सुगम्य भारत अभियान (AIC) दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुलभता सुधारने की भारत की प्रमुख पहल है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - **दिव्यांगजन अधिनियम, 1995:** दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 दिव्यांगजनों के लिए परिवहन और निर्मित वातावरण में भेदभाव-रहित व्यवस्था प्रदान करने का एक मूलभूत विधिक ढाँचा था।
  - **2016 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम:** 1995 के अधिनियम को 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे भारत के कानूनों को संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRPD) के साथ संगत बनाया गया।
  - **UNCRPD की प्रतिबद्धताएँ:** भारत, UNCRPD का हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र होने के कारन, दिव्यांगजनों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - UNCRPD के **अनुच्छेद 9** के अनुसार, सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुलभता सुनिश्चित करनी चाहिए:
    - सूचना
    - परिवहन
    - भौतिक वातावरण
    - संचार तकनीक
    - सेवाएँ और आपातकालीन सेवाएँ
- **सुगम्य भारत अभियान (AIC) के घटक:**
  - **निर्मित वातावरण की सुलभता:**
    - दिव्यांगजनों के लिए भौतिक स्थानों (जैसे भवन, सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक सेवाएँ) को सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - सीढ़ियों जैसे बाधाओं को हटाने और शौचालय, रैंप, और लिफ्ट जैसी आवश्यक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
  - **परिवहन प्रणाली की सुलभता:**
    - परिवहन नेटवर्क, जैसे सड़कें, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाता है।
    - इसमें लो-फ्लोर बसें, सुलभ रेलवे स्टेशन और दिव्यांगजनों के लिए डिजाइन किए गए अन्य परिवहन साधनों का कार्यान्वयन शामिल है।
  - **सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुलभता:**
    - दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल, सांकेतिक भाषा और डिजिटल प्रारूपों में जानकारी उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करता है।
    - संचार प्रौद्योगिकियों, वेबसाइटों, और मीडिया को सभी के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे उनकी दिव्यांगता कुछ भी हो।

सुगम्य भारत अभियान (AIC) की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **सुगम्य बुनियादी ढाँचा:**
  - **सरकारी भवन:** 1,671 सरकारी भवनों की सुलभता लेखा परीक्षण की गई, जिसमें 50 शहरों में 25-50 भवनों का ऑडिट करने का लक्ष्य रखा गया।
  - **पुन:निर्माण (रेट्रोफिटिंग):** 1,314 भवनों की सुलभता सुधारने के लिए ₹562 करोड़ आवंटित किए गए।
  - **भवन संशोधन:** 1,748 सरकारी भवनों में सुलभता सुविधाएँ जोड़ी गईं। इनमें 648 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के भवन और 1,100 केंद्रीय सरकारी भवन शामिल हैं, जिन्हें CPWD (सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) द्वारा पुन:निर्मित किया गया।
- **परिवहन की सुलभता**
  - **हवाईअड्डे:**
    - सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों और 69 घरेलू हवाईअड्डों में से 55 में अब रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्पडेस्क, और ब्रेल और श्रव्य प्रणाली के साथ लिफ्ट जैसी आवश्यक सुलभता सुविधाएँ शामिल हैं।
    - सभी अंतर्राष्ट्रीय/सीमा शुल्क से संबंधित हवाईअड्डों पर एयरोब्रिज स्थापित किए गए हैं।
  - **रेलवे:** 709 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है, और 4,068 स्टेशनों को आंशिक रूप से सुलभ बनाया गया है।
  - **बसें:**
    - 1,45,747 बसों में से 8,695 (5.96%) पूरी तरह से सुलभ हैं, और 42,348 (29.05%) आंशिक रूप से सुलभ हैं।
    - 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,533 बस स्टेशनों में से 3,120 को सुलभता सुविधाओं से लैस किया गया है।
- **डिजिटल सुलभता**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत 95 केंद्रीय सरकारी वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है।
  - 676 राज्य सरकारी वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है, जिनमें से 476 वेबसाइटें लाइव हैं।

- **शिक्षा और भाषा सुलभता**
  - भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) की स्थापना सितंबर 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई।
  - ISLRTC द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा और शॉर्ट-टर्म कोर्स के माध्यम से 1,013 से अधिक व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया।
  - 2016-17 से 2023 के बीच, भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया डिप्लोमा (DISLI) पाठ्यक्रम को 183 छात्रों ने पूरा किया।
- **मीडिया सुलभता**
  - सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी देखने के लिए सुलभता मानक जारी किए।
  - टीवी सामग्री में सुलभता को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
  - 19 समाचार चैनलों ने 2,447 सुलभ समाचार बुलेटिन प्रसारित किए।
  - 17 सामान्य मनोरंजन श्रेणी (GEC) के चैनलों ने 3,686 सुलभ कार्यक्रम और फिल्में प्रसारित कीं।

अतिरिक्त जानकारी

- **दिव्यांगजनों की जनसंख्या (जनगणना 2011):** भारत में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है।
- **दिव्यांगता के प्रकार (RPwD अधिनियम, 2016):** दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम **(RPwD)**, 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता प्रदान की गई है।
- **ग्रामीण बनाम शहरी:** 69% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 31% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **लिंग वितरण:**
  - **पुरुष:** 56% दिव्यांगजन पुरुष हैं।
  - **महिला:** 44% दिव्यांगजन महिलाएँ हैं।
- **आयु वितरण:** उम्र के साथ दिव्यांगता की दर बढ़ती है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में सबसे अधिक दर रिकॉर्ड की गई है।
- **शिक्षा:**
  - **साक्षरता दर:** 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 52.2% दिव्यांगजन साक्षर हैं।
  - **माध्यमिक शिक्षा:** 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 19.3% दिव्यांगजन माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
- **देखभाल की आवश्यकता:** 62.1% दिव्यांगजनों को देखभालकर्ता की आवश्यकता होती है, जबकि 37.7% को इसकी आवश्यकता नहीं होती।
- **श्रम शक्ति भागीदारी दर:** 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 23.8% दिव्यांगजन श्रम शक्ति का हिस्सा हैं।

अन्य पहलें

- **क्षेत्र-विशिष्ट सुलभता दिशा-निर्देश:**
  - निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सुलभता मानकों को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं: सड़क परिवहन और राजमार्ग, पर्यटन, सूचना और प्रसारण, वित्तीय सेवाएँ।
  - वर्तमान में, 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में से 13 ने क्षेत्र-विशिष्ट दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं, जबकि तीन अन्य ने विभिन्न विभागों के दिशा-निर्देश अपनाए हैं।
- **वेब सुलभता:** 500 अतिरिक्त भारत सरकार की वेबसाइटों को सुलभ बनाने की योजना प्रगति पर है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से, विभाग केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए वेब सुलभता मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।
- **एक्सेस ऑडिटर्स का प्रशिक्षण**
  - काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA) के साथ साझेदारी में, विभाग ने प्रमाणित एक्सेस ऑडिटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
  - मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण का दूसरा चरण जुलाई 2024 में हुआ, जिससे प्रमाणित एक्सेस ऑडिटर्स की कुल संख्या 59 हो गई।
- **सुगम्य भारत ऐप**
  - यह क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को बुनियादी ढाँचे, परिवहन, और सूचना प्रणालियों में सुलभता से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **ऐप की मुख्य विशेषताएँ:** फॉन्ट समायोजन, कॉन्ट्रास्ट विकल्प, हिन्दी और अंग्रेजी में एकीकृत स्क्रीन रीडर।
  - यह ऐप 23 भाषाओं में उपलब्ध है और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन देता है। उपयोगकर्त्ता सुलभता से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिन्हें संबंधित प्राधिकरण द्वारा हल किया जाता है।
- **पाठ्यक्रम विकास:**
  - IIT खड़गपुर के सहयोग से, विभाग बी.टेक, बी.प्लान और बी.आर्क कार्यक्रमों में सुलभता पर विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर कार्य कर रहा है।
  - हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा मॉडल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** सेवा उद्योग में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का बुनियादी प्रशिक्षण 1,013 से अधिक एयरलाइन स्टाफ और विभिन्न सार्वजनिक-सामना करने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों को प्रदान किया गया है।
- **सुलभ तीर्थ स्थल:** दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए 75 तीर्थ स्थलों को सुलभ बनाने के लिए एक विशेष पहल प्रारंभ की गई है।
  - विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और सुलभता को बढ़ाने के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जैसे सिक्किम के सोलोफेक चारधाम में।
- **वेब सुलभता प्रशिक्षण कार्यक्रम**
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ साझेदारी में वेब सुलभता पर एक प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है।
  - इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में लगभग 10,000 वेब डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना और सरकारी विभागों को वेब सुलभता दिशा-निर्देश अपनाने और लागू करने के लिए संवेदनशील बनाना है।
  - यह प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DePwD) के साथ समीक्षा के अधीन है।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

पंचायती राज मंत्रालय ने मूल्यांकन वर्ष 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्त्ताओं की घोषणा की।

परिचय

- पंचायतों को सतत् विकास के 9 विषयगत क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक और सम्मानित किया गया। ये क्षेत्र हैं: गरीबी मुक्त और आजीविका बढ़ाने वाली पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल-मैत्री पंचायत, जल-संपन्न पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, और महिला-मैत्री पंचायत।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के लिए कुल 45 विजेताओं का चयन किया गया है, जिनमें 36 ग्राम पंचायतें, 3 ब्लॉक पंचायतें, 3 जिला पंचायतें और 3 संस्थान शामिल हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के अंतर्गत श्रेणियाँ:

- **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार** (DDU PSVP): यह पुरस्कार सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के 9 विषयगत क्षेत्रों में से प्रत्येक में शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों (GPs) को मान्यता देता है।
- **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों (GPs), ब्लॉक पंचायतों (BPs), और जिला पंचायतों (DPs) को दिया जाता है, जिन्होंने सभी 9 विषयों में उच्चतम औसत स्कोर प्राप्त किया है।
- **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और उपयोग करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, जिन्होंने शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जीरो) हासिल करने के प्रयास किए हैं।
- **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन शीर्ष 3 संस्थानों को दिया जाता है, जिन्होंने पंचायतों को सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर (LSDGs) पर प्राप्त करने में उत्कृष्ट संस्थागत सहयोग प्रदान किया है।

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 'पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन' में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- **राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा:** सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन और नार्को-तस्करी शामिल थे। इनका उद्देश्य प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करना, और देश की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था।
- **स्मार्ट पुलिसिंग पहल:** प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग के विचार को विस्तार देते हुए पुलिस बल से अधिक रणनीतिक (Strategic), सतर्क (Meticulous), अनुकूलनशील (Adaptable), विश्वसनीय (Reliable) और पारदर्शी (Transparent) बनने का आह्वान किया।
  - उन्होंने पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) के दृष्टिकोण के साथ इसे पुनः संगठित करने पर बल दिया।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** सम्मेलन में डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराधों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे खतरों, जिसमें डीपफेक शामिल है, से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के महत्त्व को रेखांकित किया गया।
  - इसमें पुलिस को भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और **'आकांक्षी भारत'** (Aspirational India) की ताकत का उपयोग करके इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सुझाव दिया गया।
- **शहरी पुलिसिंग पहल:** प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिसिंग में उठाए गए कदमों की सराहना की, और इसे देश के 100 शहरों में व्यापक रूप से लागू करने का सुझाव दिया।
  - उन्होंने तकनीक का उपयोग करके सिपाहियों के कार्यभार को कम करने और पुलिस स्टेशनों को संसाधनों के आवंटन का केंद्र-बिंदु बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **पुलिस हैकाथॉन:** प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार के माध्यम से प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस हैकाथॉन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया।
- **नोट:** भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार, पुलिस राज्य का विषय है।

सर्पदंश: अधिसूचित रोग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया।

परिचय:

- अधिसूचित रोग वे होते हैं, जिनकी जानकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विधिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी अनिवार्य होती है। यह निगरानी, प्रकोप का पता लगाने और समय पर हस्तक्षेप करने में मदद करता है।

- भारत में अन्य सूचनात्मक रोगों में एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, हैजा आदि शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के अंतर्गत, देशों को कुछ रोग प्रकोपों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं की जानकारी WHO को देनी होती है।
- **सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** (NAPSE): इसका उद्देश्य 2030 तक साँप के काटने से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को आधा करना है। साँप के काटने को सूचनात्मक रोग बनाना इस दिशा में एक अच्छी पहल है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी कि उसने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इंटरनेट शटडाउन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का पालन करने का निर्देश दिया।

परिचय

- **इंटरनेट शटडाउन:** इसका आशय है जानबूझकर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित करना, जिससे वे किसी विशेष आबादी या क्षेत्र के लिए अनुपलब्ध या अप्रयुक्त हो जाएँ।
  - यह इंटरनेट शटडाउन प्रायः जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है, और यह मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं, दोनों को प्रभावित कर सकती है।
- भारत में अब तक 500 से अधिक बार इंटरनेट शटडाउन की घटनाएँ हुई हैं।
- 2023 में कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इंटरनेट शटडाउन किया, जिनमें से 7 ने 5 या उससे अधिक बार सेवाएँ बाधित कीं।
- 5 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली इंटरनेट शटडाउन का अनुपात 2022 में 15% से बढ़कर 2023 में 41% से अधिक हो गया।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान

- **आधार:** भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल "सार्वजनिक आपातकाल" या "जन सुरक्षा" के हित में ही इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है।
  - हालाँकि, कानून में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि आपातकाल या सुरक्षा का मुद्दा क्या होगा।
- 2017 तक, अधिकतर इंटरनेट शटडाउन दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 144 के अंतर्गत लगाई जाती थीं।
  - Cr.P.C की धारा 144 पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वे गैरकानूनी भीड़ को रोकने और किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि से दूर रहने का आदेश देने के लिए कदम उठा सकें।
- हालाँकि, 2017 में कानून में संशोधन किया गया और सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या जन सुरक्षा) नियम, 2017 लागू किया।
  - इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना, 48 घंटे के पश्चात् शटडाउन की समीक्षा करना, और नागरिकों को शटडाउन को चुनौती देने का अवसर देना शामिल है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला (2020)

- जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 144 का उपयोग संवैधानिक रूप से मान्य विरोध को रोकने के लिए तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता।
- धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) के अंतर्गत बहुत विशिष्ट मापदंड होते हैं, और केवल उन्हीं मापदंडों को पूरा करने पर ही मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकता है।

आदेशों की मुख्य बिंदु:

- इंटरनेट का उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- इंटरनेट शटडाउन केवल अस्थायी अवधि के लिए हो सकती है, अनिश्चितकालीन नहीं।
- धारा 144 के अंतर्गत लगाए गए सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को सरकार को सार्वजनिक करना होगा।
- इंटरनेट शटडाउन से संबंधित किसी भी आदेश को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है।

LIC की बीमा सखी योजना

प्रधानमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह योजना 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जो 10वीं कक्षा पास हैं।
- उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले तीन वर्षों तक वजीफा भी मिलेगा, ताकि वे वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा दे सकें।
- ये महिलाएँ LIC एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं, और प्रशिक्षित 'बीमा सखियों' को LIC में विकास अधिकारी के पद के लिए पात्रता हासिल करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

- **परिचय:** यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
- **स्थापना:** यह 200 से अधिक निजी जीवन बीमा कंपनियों और भविष्य निधि समितियों के विलय के माध्यम से स्थापित किया गया।
- **उद्देश्य:** पूरे देश में जीवन बीमा का प्रसार करना, और इसे प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए सुलभ बनाना।

उच्च जोखिम वाला खाद्य श्रेणी

FSSAI ने पैकेज्ड पीने के पानी को 'उच्च जोखिम वाला खाद्य' घोषित किया।

परिचय

- उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, जो बिना पकाए खाने हेतु तैयार किए जाते हैं, और जिनमें रोगजनक जीवों (पैथोजन) के बढ़ने की संभावना होती है। इन्हें संभालने और कच्चे खाद्य पदार्थों से पृथक रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है।
- उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ प्रायः खाद्य विषाक्तता (फूड पॉइजनिंग) के प्रकोप से जुड़े होते हैं।
- **इस श्रेणी के अन्य उत्पाद:** डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, अंडे, तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स।
- इस श्रेणी में आने वाले व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों से प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण करवाना अनिवार्य है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- **प्रकृति:** यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
- **स्थापना:** यह 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया, ताकि उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों के उचित विनियमन, भंडारण और वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रगति प्लेटफॉर्म

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल (SBS) के हालिया अध्ययन ने प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) नामक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम की सराहना की।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **बुनियादी ढाँचे के विकास पर प्रभाव:** प्रगति ने +205 बिलियन मूल्य की 340 परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया, जिनमें भूमि अधिग्रहण और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया।
  - इसने सड़कों, रेलमार्गों, जल आपूर्ति और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं को समय पर पूरा करने में मदद की।
- **प्रौद्योगिकी में नवाचार:** इस पहल ने रीयल-टाइम डेटा, ड्रोन फीड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके निर्णयों को तेज एवं परियोजनाओं को सुचारू बनाया।
  - यह पहल हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और पर्यावरणीय स्वीकृतियों को सरल बनाकर स्थिरता को प्राथमिकता देती है।
- **आर्थिक परिवर्तन:** RBI और वित्तीय अध्ययन के अनुसार, प्रगति के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे पर किए गए खर्च से प्रत्येक रुपये पर GDP में ₹2.5 से ₹3.5 तक की वृद्धि होती है।
- **सामाजिक लाभ:** इस कार्यक्रम ने बुनियादी सेवाएँ प्रदान करके और समावेशी विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया।
  - यह जवाबदेही और नौकरशाही में विलंब को दूर करने के लिए "टीम इंडिया" के सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक विकास के लिए सीख:** प्रगति उन देशों के लिए एक प्रशासन मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो विकास में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से वे देश जो मध्य-आय के जाल में फँसे हुए हैं।

प्रगति

- **परिचय:** यह एक बहुउद्देशीय एवं बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसे 25 मार्च, 2015 को आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जन शिकायतों का समाधान करना, और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी करना है।
- **विकास:** यह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया। यह ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही को प्रोत्साहन देता है, जिससे हितधारकों के बीच वास्तविक समय में संवाद सुनिश्चित होता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **तीन-स्तरीय प्रणाली:** इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्र सरकार के सचिव, और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं।
- **मासिक संवाद:** प्रधानमंत्री प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को प्रगति दिवस के रूप में केंद्र और राज्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं।
- **एकीकृत प्रौद्योगिकी:** यह डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भौगोलिक प्रौद्योगिकी को अंतर्संबंधित करता है, जिससे निर्णय लेने में कुशलता आती है।
- **मुख्य क्षेत्र:** जन शिकायतें, चालू कार्यक्रम, और लंबित परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों का चयन किया जाता है। पीएम के संवाद से पहले अधिकारियों द्वारा अपडेट और टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है।
- **एकीकृत प्लेटफॉर्म:** यह CPGRAMS (जन शिकायतों के लिए), प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG), और आँकड़ों और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे डेटाबेस को अंतर्संबंधित करता है।

उपराष्ट्रपति का निष्कासन

INDIA गठबंधन के 60 सांसदों ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए एक नोटिस दिया। लेकिन, उपसभापति ने इसे "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" बताते हुए खारिज कर दिया।

प्रस्ताव खारिज करने के कारण

- **समय से संबंधित मुद्दा:** संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है।
- 10 दिसंबर, 2024 को दिया गया नोटिस केवल 24 दिसंबर के पश्चात् ही इस तरह के प्रस्ताव की अनुमति देता, जबकि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला था।

- **वर्तनी त्रुटी:** श्री धनखड़ के नाम की वर्तनी गलत लिखी गई थी।
- **मानहानि की मंशा:** इसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने और संवैधानिक पद को कमजोर करने का प्रयास माना गया।

अनुच्छेद 67(b)

राज्यसभा के सभापति/उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया:

- हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं, बल्कि राज्यसभा में आरंभ होना चाहिए।
- इसके लिए 14 दिनों का पूर्व नोटिस आवश्यक है।
- यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (परिषद के सभी वर्तमान सदस्यों का बहुमत) और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए।
- चर्चा के दौरान, सभापति बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, हालाँकि, वे मतदान नहीं कर सकते।

राज्यसभा के उपाध्यक्ष

विशेषता	विवरण
संवैधानिक आधार	संविधान का अनुच्छेद 89
निर्वाचन	राज्य सभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित
रिक्ति	जब भी पद रिक्त हो, नए चुनाव प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा
पद खाली करने के कारण	राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य अवधि की समाप्ति इस्तीफा द्वारा (अध्यक्ष को पत्र लिखकर) संकल्प द्वारा हटाया गया (14 दिन का नोटिस)
कार्य	रिक्त या अनुपस्थित होने पर अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन करता है जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है
जवाबदेही	राज्य सभा के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी
स्वतंत्रता	अध्यक्ष के अधीन नहीं
वेतन और भत्ते	संसद द्वारा निर्धारित तथा भारत की संचित निधि पर भारित

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) और इसके संबद्ध संगठनों के विरुद्ध एक आदेश जारी किया।

परिचय

- टेबल टेनिस फ्रेंडली सुपर लीग एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि TTFI और उसके संबद्ध संगठन प्रतिस्पर्धा-विरोधी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।
- आयोग ने पाया कि TTFI और उसके संबद्ध संगठनों ने अधिनियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने टेबल टेनिस टूर्नामेंट पर रोक लगाई और खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकने के लिए व्हाट्सऐप सलाह, सार्वजनिक नोटिस और प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपनियमों का उपयोग किया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

- **प्रकृति:** यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 2009 में स्थापित किया गया।
- **संरचना:** एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य, अधिकतम छह सदस्य।
- **कार्य:** कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के अंतर्गत कार्य करता है।
- **जिम्मेदारियाँ:**
  - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाले कार्यों को समाप्त करना।
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
  - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
  - भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
  - एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण स्थापित करना।

जल जीवन मिशन (JJM) महिलाओं को सशक्त बनाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका को प्रमुखता से बताया।

महिला सशक्तीकरण में जल जीवन मिशन की भूमिका

- **समय की बचत:** परंपरागत रूप से, पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, जिसके लिए उन्हें प्रायः लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
  - जल जीवन मिशन उनके समय को बचाता है, जिससे वे शिक्षा, कौशल विकास या आय अर्जित करने जैसी अन्य गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं।
- **SBI की रिपोर्ट के अनुसार:** महिलाओं की उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी में 7.4% की वृद्धि हुई है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** स्वच्छ जल की उपलब्धता से जल जनित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जिससे महिलाओं और उनके परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह उनकी उत्पादकता और समग्र जीवन गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- **आर्थिक अवसर:** अधिक समय और बेहतर स्वास्थ्य के साथ, महिलाएँ कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं, जिससे परिवार की आय एवं आर्थिक विकास में योगदान बढ़ता है।
- **SBI की रिपोर्ट:** यह बताती है कि कृषि और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो इस बदलाव का प्रमाण है।
- **शिक्षा:** जिन लड़कियों को पहले जल संग्रह के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था, वे अब नियमित रूप से स्कूल जा सकती हैं, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होगा और भविष्य की संभावनाएँ बेहतर होंगी।
- **सामाजिक स्थिति:** जल संग्रह के बोझ को कम करके, जल जीवन मिशन महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बढ़ाता है और उन्हें अपने समुदायों में अधिक आवाज प्रदान करता है।

जल जीवन मिशन (JJM)

- **प्रारंभ:** 2019
- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय
- **उद्देश्य:** 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्रदान करना।
  - "WASH साक्षर गाँवों" का विकास करना, जहाँ स्थानीय समुदायों को सभी निवासियों के लिए दीर्घकालिक सुनिश्चित जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया जाए।
- **प्रगति और उपलब्धियाँ:** नल जल कनेक्शनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि: 2019 में 3.23 करोड़ (17%) परिवारों से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 15.35 करोड़ (79.31%) परिवारों तक पहुँची।
  - अनेक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100% कवरेज।
- **मुख्य घटक:** जल की गुणवत्ता, स्रोत स्थिरता, और ग्रेवॉटर प्रबंधन – जल प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रदर्शन।

अनुदान की अनुपूरक माँगें

लोकसभा ने 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुदान माँगे प्रथम चरण को मंज़ूरी प्रदान की।

परिचय

- **परिभाषा:** अनुपूरक अनुदान माँग का आशय है सरकार द्वारा किया गया अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध, जब वार्षिक बजट में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि अपर्याप्त हो जाती है या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अप्रत्याशित खर्च की आवश्यकता होती है।

भारत में अनुदान के अन्य प्रकार

- **अतिरिक्त अनुदान:** जब किसी नई सेवा के लिए, जो वर्तमान वर्ष के बजट में योजनाबद्ध नहीं थी, अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है।
- **अधिक अनुदान:** जब किसी सेवा पर बजट में आवंटित राशि से अधिक खर्च किया जाता है, तो इसे स्वीकृत किया जाता है।
  - यह वित्तीय वर्ष के पश्चात् लोकसभा में पारित होता है, और पहले लोक लेखा समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होता है।
- **प्रत्ययानुदान:** यह अप्रत्याशित बड़े खर्चों को संभालने के लिए दिया जाता है, जहाँ विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए जा सकते।
  - यह लोकसभा द्वारा सरकार को दिए गए **"ब्लैंक चेक"** की तरह कार्य करता है।
- **अपवादानुदान:** यह किसी विशेष, एक बार के उद्देश्य के लिए दिया जाता है, जो किसी वित्तीय वर्ष की नियमित सेवाओं से संबंधित नहीं होता।
- **सांकेतिक अनुदान:** जब किसी नई सेवा के लिए धन की व्यवस्था अन्य बजट शीर्षों से पुनर्विनियोजन करके की जा सकती है।
  - इस स्थिति में एक टोकन राशि (जैसे ₹1) का अनुरोध और स्वीकृति की जाती है, ताकि स्थानांतरण को सक्षम बनाया जा सके। इस प्रक्रिया हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होती।

अतिरिक्त जानकारी

- **अनुच्छेद 115:** संविधान का यह अनुच्छेद अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिशेष अनुदानों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 116:** यह अनुच्छेद लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, और विशिष्ट अनुदानों से संबंधित है।
- **ध्यान दें:** अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, और विशिष्ट अनुदानों के साथ-साथ वोट ऑफ क्रेडिट की प्रक्रिया, सामान्य बजट की प्रक्रिया के समान होती है।

एक उम्मीदवार, कई निर्वाचन क्षेत्र

चल रही राजनीतिक विमर्शों के बीच, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा जिसे प्राय: नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है एक ही पद के लिए एक ही उम्मीदवार द्वारा अनेक निर्वाचन क्षेत्रों (OCMC) से चुनाव लड़ने की प्रथा।

परिचय

- संविधान संसद को भारत में चुनाव संचालन को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम** (RPA), **1951** चुनावी मुकाबलों को नियंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत:
  - 1996 तक, किसी भी उम्मीदवार के लिए एक ही चुनाव में जितने चाहें उतने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर कोई सीमा नहीं थी।
  - संसद ने इस अधिनियम में संशोधन किया, जिससे उम्मीदवारों को अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।
- इन बदलावों के बावजूद, यह प्रथा अभी भी जारी है, विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं के चुनावों में। उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 में राज्य विधानसभाओं के लिए लगभग 44 उपचुनाव हुए, जो विधायकों द्वारा सीटें खाली करने के कारण हुए।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुधार हेतु सिफारिशें

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 33(7) में संशोधन करना, ताकि उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सके।
  - 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2015) ने भी इसी प्रस्ताव को रखा था।
- **उपचुनावों का खर्च वसूलना:** सीट खाली करने वाले उम्मीदवारों पर उपचुनाव का पूरा खर्च डालना।

राधाकृष्णन समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन की सिफारिश की

इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन की सिफारिश की।

सुधारों की आवश्यकता

- **प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताएँ:** परीक्षा सुरक्षा में कमी के कारण प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, जिससे कुछ छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है।
  - **उदाहरण:** नीट-यूजी पेपर लीक, यूजीसी नेट की अनियमितताएँ आदि।
- **अंकों में संशोधन:** जैसे, मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स देना, जो प्रतियोगिता के लिए असमानता उत्पन्न करता है।
- **परीक्षा रद्दीकरण और तकनीकी समस्याएँ:** इन समस्याओं के कारण बार-बार परीक्षाएँ रद्द होती हैं, जिससे विलंब, उम्मीदवारों पर अतिरिक्त तनाव और वित्तीय बोझ बढ़ता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** भिन्न-भिन्न परीक्षा सत्रों में कठिनाई स्तर में अंतर से निष्पक्षता और तुलना पर सवाल उठते हैं।
- **सामान्यीकरण की समस्याएँ:** अलग-अलग कठिनाई स्तरों के अनुसार अंकों का सामान्यीकरण प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी होती है, और विवादों को उत्पन्न करती है।
- **अन्य चुनौतियाँ:** जैसे, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप, भ्रष्टाचार के मामले (जैसे व्यापम घोटाला) आदि।
- **विश्वास की कमी:** इन समस्याओं से परीक्षा प्रणाली और निष्पक्ष मूल्यांकन करने की इसकी क्षमता पर सार्वजनिक विश्वास कम हो जाता है।

परीक्षा सुधार के लिए पैनल की प्रमुख सिफारिशें

- **परीक्षाओं का आयोजन:** 2025 से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) केवल उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी, भर्ती परीक्षाओं का नहीं।
- **NTA का पुनर्गठन:** छात्रों के लिए त्रुटिरहित परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सुरक्षा को कवर करने वाले 10 नए पद बनाए जा रहे हैं।
- **डिजी-एग्जाम:** डिजी-यात्रा की तर्ज पर, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए आवेदन, परीक्षा और प्रवेश के प्रत्येक चरण में प्रमाणीकरण की योजना बनाई गई है।
- **गवर्निंग बॉडी:** एक सशक्त और जवाबदेह गवर्निंग बॉडी बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें तीन नामित उप-समितियाँ शामिल होंगी, जो परीक्षा का लेखा परीक्षण, नैतिकता और पारदर्शिता, नामांकन एवं स्टाफ की शर्तों की देख-रेख करेंगी।
- **समन्वय समिति:** राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियाँ स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इन समितियों को विशेष भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी।
- **परीक्षा केंद्र:** पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) का उपयोग परीक्षा केंद्रों के रूप में करने की सिफारिश की गई है।
- **प्रश्न पत्र हेतु सुरक्षित परिवहन:** इसमें सुरक्षित कूरियर सेवाओं का उपयोग शामिल है, जिसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा सील किया जाएगा और प्रेषण से पहले NTA द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  - कंटेनरों को लॉक किया जाएगा, परिवहन के दौरान मॉनिटरिंग की जाएगी, और CCTV निगरानी व NTA की देख-रेख में परीक्षा केंद्रों पर सौंपा जाएगा।

प्रशासन गाँव की ओर अभियान

प्रधानमंत्री ने सुशासन सप्ताह के दौरान "प्रशासन गाँव की ओर" अभियान के महत्त्व को प्रकट किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी शासन लाने और धरातल स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में इसकी भूमिका पर बल दिया।

परिचय

- यह जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान है।
- प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग 2024 के इस अभियान का समन्वय कर रहा है।
- **कवर किए गए क्षेत्र:** यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही, इसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, तथा दमन एवं दीव जैसे सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी आयोजित किया जा रहा है।
- **मुख्य गतिविधियाँ:**
  - विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण।
  - CPGRAMS (केंद्रीय जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) में जन शिकायतों का निवारण।
  - राज्य पोर्टल्स पर जन शिकायतों का निवारण।
  - सेवा वितरण आवेदनों का निपटान।
  - सुशासन की अच्छी प्रथाओं का संकलन और प्रसार।
  - जन शिकायतों के समाधान पर सफलता के दृष्टांत।

केंद्र सरकार ने नो-डिटेंशन नीति समाप्त की

केंद्र सरकार ने कक्षा 5 से 8 तक के स्कूलों में नो-डिटेंशन की नीति को समाप्त कर दिया।

परिचय

- यह निर्णय लगभग 3,000 केंद्रीय स्कूलों को प्रभावित करेगा, जो केंद्र सरकार या बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के अधीन हैं।
- इसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नए नियम

- **संशोधन अधिसूचना:** मंत्रालय ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में संशोधन किया है, जिसमें रोक-टोक प्रावधान जोड़े गए हैं।
  - कक्षा 5 और 8 के नियमित परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
  - यदि वे पुनः परीक्षा में असफल रहते हैं, तो उन्हें रोका जा सकता है।
- **शिक्षकों और स्कूलों की जिम्मेदारी:**
  - शिक्षकों को रोके गए छात्रों और उनके माता-पिता का मार्गदर्शन करना होगा, और सीखने की कमी को दूर करने के लिए विशेष सहायता देनी होगी।

- स्कूल प्रमुखों को रोके गए छात्रों की सूची बनाए रखने और उनकी प्रगति पर नजदीकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी होगी।
- **परीक्षा प्रारूप:** परीक्षाएँ और पुन: परीक्षाएँ क्षमता आधारित (Competency-based) होंगी, जो सिर्फ रटने के बजाय समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
- **मुख्य सुरक्षा उपाय:** किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता।

विधायी और नीतिगत पृष्ठभूमि

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** धारा 16 के द्वारा कक्षा 8 तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण करने पर प्रतिबंध लगाया।
- **2019 का संशोधन:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्णय लेने की अनुमति दी गई कि यदि छात्र पुन: परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएँ, तो उन्हें कक्षा 5 और 8 में रोका जा सकता है।
- **वर्तमान स्थिति:** 2019 के संशोधन के पश्चात्, 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2024

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें प्रारंभ कीं।

परिचय

- भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जिसे अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने प्रतिस्थापित कर दिया है) के लागू होने की याद में मनाया जाता है। इस अधिनियम को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।
- **2024 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय है:** "वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच"। यह सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

नई पहल

- **उपभोक्ता संरक्षण ऐप्स का शुभारंभ:** 'जागो ग्राहक जागो ऐप,' 'जागृति ऐप,' और 'जागृति डैशबोर्ड' ई-कॉमर्स में "डार्क पैटर्न्स" (जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं) की पहचान और रिपोर्ट करने में मदद करेंगे।
    - ये टूल्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करते हैं, और उपभोक्ता विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की सहायता करेंगे।
- **ई-मैप पोर्टल:** यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राज्य के विधिक मेट्रोलॉजी पोर्टल्स को जोड़ता है। इससे व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग और सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **AI-सक्षम NCH 2.0:** राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल को AI-समर्थित चैटबॉट्स और बहुभाषीय सहायता के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया बेहतर होगी।
- **स्मार्ट मानक (SMART Standards):** भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) इंटरएक्टिव, इंटेलिजेंट और डायनामिक मशीन-पढ़ने योग्य मानक प्रस्तुत करेगा, जो मानकों के निर्माण और उपयोग में क्रांति लाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- **स्थापना:** BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बनाया गया।
- **उद्देश्य:** वस्तुओं और लेखों के लिए मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना।
- **मंत्रालय:** यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **BIS के कार्य:**
    - **मानक निर्माण:** वस्तुओं, सेवाओं, और प्रणालियों के लिए भारतीय मानक तैयार करना और प्रकाशित करना, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
    - **उत्पाद प्रमाणन:** भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों को ISI मार्क के माध्यम से प्रमाणित करना।
    - **हॉलमार्किंग:** सोना और चाँदी जैसे कीमती धातुओं की शुद्धता को हॉलमार्किंग के माध्यम से प्रमाणित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व:** BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- **वैधानिक संगठन:** CCPA को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने, और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया।
- **नोडल मंत्रालय:** यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **संरचना:**
    - एक मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में।
    - दो सदस्य (एक वस्तुओं के लिए और एक सेवाओं के लिए)।
- **शक्तियाँ:**
    - उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन।
    - अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना।
    - झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित और दंडित करना।
    - समूह कार्यवाही प्रारंभ करना, उत्पादों को वापस मंगाना और धनवापसी का आदेश देना।
- **जाँच करना:** इसकी जाँच शाखा, जो एक महानिदेशक के नेतृत्व में होती है, जाँच करती है।
- **स्वत: संज्ञान कार्रवाई:** CCPA अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए स्वत: कार्यवाही कर सकता है और आदेश जारी कर सकता है।

NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति

भारत के राष्ट्रपति ने सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामासुब्रमणियन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह पद जून 2024 से खाली था।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के अंतर्गत की गई।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** NHRC पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में अपनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई।
- **संरचना:** NHRC में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और सात नामित सदस्य होते हैं।
- **नियुक्तियाँ:**
  - NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
  - इस समिति में शामिल हैं: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति।

NHRC के सदस्यों की योग्यताएँ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पूर्णकालिक सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है

पद	योग्यता
अध्यक्ष	भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
प्रथम सदस्य	सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
दूसरा सदस्य	किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
तीसरे, चौथे और पाँचवें सदस्य	मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति

नोट: तीन सदस्यों (तीसरे, चौथे और पाँचवें) में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत की मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने और संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने और संबंधित पक्षों के बीच मानवाधिकार साक्षरता को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

मानवाधिकारों की परिभाषा

PHRA की धारा 2(1)(d) के अनुसार, मानवाधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित हैं, जिन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत किया गया है या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल किया गया है, और जिन्हें भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना

55 से अधिक राज्यसभा सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विरुद्ध महाभियोग की माँग की। यह माँग उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को लेकर की है।

परिचय

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - किसी न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार या अयोग्यता' के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
  - हालाँकि, संविधान में 'महाभियोग' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे सामान्यत: अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने) और अनुच्छेद 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने) की प्रक्रियाओं पर लागू किया जाता है।
  - न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् जारी किया जाता है।
- **न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:**
  - इस प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 में दिया गया है, जो न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए आवश्यक कदमों का वर्णन करता है।
  - महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों या लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर से प्रारंभ होता है।
  - प्रस्ताव स्वीकार होने पर, एक जाँच समिति गठित की जाती है, जो आरोपों की जाँच करती है।
  - **जाँच समिति में शामिल होते हैं:**
    - एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
    - एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
    - एक प्रख्यात न्यायविद्।
  - यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।
  - **प्रस्ताव को पारित करने के लिए:**
    - सदन के सदस्यों का बहुमत।
    - उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
    - यदि आरोप सत्यापित हो जाते हैं, तो भी संसद न्यायाधीश को हटाने के लिए बाध्य नहीं है।
    - अंतत:, न्यायाधीश को हटाने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है।
  - **न्यायाधीश के अधिकार:** न्यायाधीश को सुने जाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार प्रस्ताव के स्वीकृत होने के समय उपलब्ध नहीं होता। जाँच के दौरान, न्यायाधीश को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार होता है।
- **इन-हाउस प्रक्रिया:** यह प्रक्रिया 1999 में स्थापित की गई थी और 2014 में सार्वजनिक की गई। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- शिकायत को राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करना।
- गंभीर आरोपों की स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक तथ्य-जाँच समिति द्वारा जाँच करना।
- यदि न्यायाधीश स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से इनकार करते हैं, तो प्रक्रिया महाभियोग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सिफारिश तक बढ़ सकती है।

न्यायिक आचार संहिता के कुछ सिद्धांत

- **1985 के UN मूल सिद्धांत न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर:** ये सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता के आदर्श और व्यावहारिक पहलुओं के मध्य की दूरी को कम करने का उद्देश्य रखते हैं। इनका उद्देश्य है:
  - न्याय की रक्षा करना।
  - मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - न्यायालयों का भेदभाव रहित तरीके से संचालन।
- **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:स्थापन (1997):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई 16-बिंदुओं की न्यायिक नैतिकता संहिता। यह निष्पक्षता और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने वाले आचरण पर बल देती है।
- **बैंगलोर न्यायिक आचरण सिद्धांत (2002):** UN आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने 1985 के UN मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।
  - यह प्रस्ताव न्यायाधीशों से गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने की अपेक्षा करता है। साथ ही, यह समाज की विविधता का सम्मान करने पर भी बल देता है।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।

परिचय:

- यह योजना 25 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें 64,180 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया।
- इसे पाँच वर्षों (2021-2026) में लागू किया जाएगा।
- इसमें केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) और केंद्र क्षेत्र (CS) दोनों घटक सम्मिलित हैं।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारना और भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करना है।
- **उद्देश्य:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूत बनाना।
- **PM-ABHIM के अंतर्गत प्रमुख उपाय:** आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM) का निर्माण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समर्थन।
  - ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत करना।
  - क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का विकास।
  - निगरानी, स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया, अनुसंधान और महामारी की तैयारी को प्रोत्साहन देना।
  - "वन हेल्थ" दृष्टिकोण अपनाना, जो मनुष्यों और जानवरों में संक्रामक रोगों के प्रबंधन पर केंद्रित है।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

हाल ही में लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- **रेलवे बोर्ड का गठन:** भारतीय रेलवे का प्रबंधन करने के लिए एक निकाय, जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँगे, और उनकी योग्यताएँ और सेवा की शर्तें निर्धारित होंगी।
- **रेलवे जोनों को स्वायत्तता:** रेलवे जोनों को अधिक शक्ति दी जाएगी, ताकि संचालन में दक्षता बढ़ाई जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत हो।
- **स्वतंत्र नियामक:** एक स्वायत्त नियामक निकाय का गठन किया जाएगा, जो भार, सुरक्षा और भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी की निगरानी करेगा।
- **संगठनात्मक संरचना बनी रहेगी:** भारतीय रेलवे की मौजूदा संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

संभावित प्रभाव:

- रेलवे बोर्ड के कार्यों और स्वायत्तता में सुधार।
- विकेंद्रीकरण और रेलवे जोनों को सशक्त बनाने के कारण तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया।
- स्वतंत्र नियामक के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।
- निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण किराए में संभावित वृद्धि और सरकारी सब्सिडी में कमी।

रेलवे क्षेत्र से संबंधित तथ्य

- यात्री यातायात के संबंध में भारत के पास विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है।
- भारत का रेलवे सिस्टम विश्व में चौथा सबसे बड़ा है, जो केवल अमेरिका, रूस और चीन से पीछे है।
- भारतीय रेलवे का कुल ट्रैक लंबाई 1,26,366 किमी. और कुल 7,335 स्टेशन हैं।
- 2023-24 के दौरान 5,100 किमी. ट्रैक लंबाई का विकास किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को कर और हथियार से संबंधित दोषसिद्धियों के लिए बिना किसी शर्त के माफी प्रदान की।

अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान प्रक्रिया

- अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत संघीय आपराधिक मामलों में माफी देने का अधिकार है, लेकिन महाभियोग के मामलों में यह लागू नहीं होता। हालाँकि, माफी से आपराधिक रिकॉर्ड मिटता नहीं है, लेकिन यह दंड को कम करता है और कुछ अधिकारों को बहाल करता है।
- **विवेकाधीन प्रकृति:**
  - राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।
  - विवेकाधीन शक्तियाँ वह अधिकार हैं, जो किसी व्यक्ति या निकाय को अपने निर्णय और पसंद के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती हैं, बिना पूर्व स्वीकृति या कठोर नियमों का पालन किए।

वैधानिक और संवैधानिक शक्ति के बीच अंतर

वैधानिक शक्ति	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, "उचित सरकार" दंड माफी या दंड परिवर्तन प्रदान कर सकती है। CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जाँच किए गए मामलों में, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श करना अनिवार्य है।
संवैधानिक शक्ति	अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं।

नोट: वैधानिक और संवैधानिक शक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मारू राम (1980) और केहर सिंह (1988) मामलों में स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि यदि मनमानी या अनुचित उद्देश्यों का मामला हो, तो इन शक्तियों को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति की माफी देने की शक्तियों की तुलना

विशेषता	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
शक्ति का स्रोत	संविधान का अनुच्छेद 72	संविधान का अनुच्छेद II, खंड 2
दायरा	संघीय (यूनियन) और राज्य दोनों अपराध	केवल संघीय अपराध
मृत्यु दंड	राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, जिसमें राज्यों द्वारा दी गई सजाएँ भी शामिल हैं	राष्ट्रपति केवल संघीय मृत्युदंड को ही क्षमा प्रदान कर सकते हैं; राज्यपालों के पास राज्य अपराधों के लिए यह शक्ति होती है
कार्यकारी शाखा की भूमिका	राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है	राष्ट्रपति के पास एकतरफा अधिकार है
न्यायिक समीक्षा	सीमित न्यायिक समीक्षा; न्यायालय प्रक्रिया की जाँच कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर निर्णय की नहीं	न्यायालय संदिग्ध भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में क्षमादान की समीक्षा कर सकते हैं
परिसीमा	संसद द्वारा महाभियोग लगाए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता	कांग्रेस द्वारा महाभियोग लगाए गए या दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता
अन्य विचार	इसमें विलंबन, छूट, परिवर्तन और राहत की शक्तियाँ शामिल हैं	माफी के समान रूप (जैसे दंड स्थगन, दंड परिवर्तन, दंड माफी) मौजूद हैं

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित

भारत ने 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (PBC) में अपना पुनः निर्वाचन सुनिश्चित कर लिया है, जिससे वैश्विक शांति पहलों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है।

परिचय

- PBC एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है, जिसका गठन 2005 में संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा एक प्रस्ताव को अपनाने के द्वारा किया गया था।
- यह महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने गए 31 सदस्य देशों से बना है।
- **अधिदेश:**
  - यह संसाधनों को जुटाने तथा संघर्ष के पश्चात् एकीकृत शांति स्थापना और पुनर्प्राप्ति योजनाओं का प्रस्ताव करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाता है।
  - इसमें प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार लाने तथा शीघ्र पुनर्प्राप्ति गतिविधियों के लिए पूर्वानुमानित वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं।
  - यह संघर्ष के पश्चात् की स्थिति से निकलने के लिए आवश्यक पुनर्निर्माण और संस्था निर्माण प्रयासों पर केंद्रित है।
  - यह शांति निर्माण के लिए एक एकीकृत, रणनीतिक और व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, तथा सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की अन्योन्याश्रयता पर बल देता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- भारत के पास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान की समृद्ध विरासत है, और वह सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
- इसने अब तक शांति अभियानों में लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है, जिनमें से लगभग 5,900 सैनिक वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात हैं।

आपूर्ति शृंखला लोचशीलता समझौता (स्तंभ-II)

भारत ने भारत-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) के अंतर्गत आपूर्ति शृंखला परिषद (SCC) की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया।

परिचय

- भारत ने समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) के अंतर्गत नवंबर 2023 में आपूर्ति शृंखला लोचशीलता समझौते (स्तंभ-II) पर हस्ताक्षर किए।
- **आपूर्ति शृंखला लोचशीलता समझौता:**
  - इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाना है।
  - यह आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी, 2024 को लागू हुआ।
  - समझौते के हिस्से के रूप में, आपूर्ति शृंखला परिषद (ACC) की स्थापना की गई, जिसमें भारत उपाध्यक्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढाँचा (IPEF)

- **प्रारंभ:** 2022 में, टोक्यो, जापान में।
- **सदस्य देश (14):** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA।
- **उद्देश्य:** क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सदस्य देशों के मध्य आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को बढ़ाना।
- IPEF **के अंतर्गत पहल:**
  - IPEF **अपस्किलिंग पहल:** कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से IPEF के उभरते और मध्यम आय वाले भागीदार देशों में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - **महत्त्वपूर्ण खनिज संवाद:** महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने और पूरे क्षेत्र में टिकाऊ खनन प्रथाओं को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है।
- **IPEF के अंतर्गत 4 स्तंभ:**
  - व्यापार (स्तंभ I)
  - आपूर्ति शृंखला लोचशीलता (स्तंभ II)
  - स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III)
  - निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)
- वर्तमान में, भारत IPEF के स्तंभ II से IV में सम्मिलित हो गया है, जबकि इसने स्तंभ-I में पर्यवेक्षक का दर्जा बनाए रखा है।

पनडुब्बी केबल लोचशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC) ने संयुक्त रूप से पनडुब्बी केबल लोचशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** पनडुब्बी केबलों के लोचशीलता को सुदृढ़ करना।
- **कार्य:**
  - केबल लोचशीलता बढ़ाने और क्षति जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सरकारों और उद्योगों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहन देना।
  - बढ़ते डेटा ट्रैफिक, पुराने बुनियादी ढाँचे और पर्यावरणीय खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

- **सदस्य:** 40 सदस्य
  - नाइजीरिया और पुर्तगाल की सह-अध्यक्षता में।
  - वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

पनडुब्बी केबल और भारत की भूमिका

- **परिभाषा:** पनडुब्बी केबल समुद्र तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, जो देशों और महाद्वीपों में दो या अधिक लैंडिंग पॉइंट को जोड़ती है।
- **भारत की भूमिका:** भारत वैश्विक पनडुब्बी केबल नेटवर्क में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता है, जिसके पास मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में 17 अंतर्राष्ट्रीय केबल और 14 लैंडिंग स्टेशन हैं।
  - 2022 के अंत तक, इन केबलों की कुल प्रकाशित क्षमता और सक्रिय क्षमता क्रमश: 138.606 Tbps और 111.111 Tbps थी।
- **महत्त्व:** पनडुब्बी केबल वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 99% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज को वहन करती हैं।
  - वे ई-कॉमर्स, वित्तीय लेन-देन और वैश्विक संचार जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं का समर्थन करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विटजरलैंड
- **स्थापना:** 1865 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में।
- **कार्य:** संचार नेटवर्क में वैश्विक संपर्क को सुगम बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं के आवंटन का प्रबंधन करना।
- **सदस्यता:** इसमें भारत सहित 194 सदस्य शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC):

- 1958 में स्थापित ICPC, पनडुब्बी केबल उद्योग में शामिल सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसका प्राथमिक मिशन तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा को बढ़ाना है।

नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND)

भारत को पहली बार नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND) के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया।

परिचय

- **प्रमुख नीति-निर्माण निकाय:** नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND) संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक नीति-निर्माण निकाय है, जो नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है।
- **अधिदेश:** CND को वैश्विक औषधि प्रवृत्तियों की निगरानी करने, संतुलित औषधि नीतियाँ बनाने में सदस्य देशों की सहायता करने तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय औषधि सम्मेलनों के कार्यान्वयन की देख-रेख करने का कार्य सौंपा गया है।
- **स्थापना:** 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के एक प्रस्ताव द्वारा।
- **सदस्य:** इसमें 53 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें ECOSOC द्वारा चुना जाता है। आयोग की अध्यक्षता एक ब्यूरो द्वारा की जाती है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय समूह से एक सदस्य शामिल होता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसकी पाँच सहायक संस्थाएँ हैं: यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया और प्रशांत, अफ्रीका में राष्ट्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख, तथा निकट और मध्य पूर्व में उप-आयोग।
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया।

संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर को 12 नवंबर, 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

परिचय

- **स्थापना:**
  - संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली के हिस्से के रूप में महासभा द्वारा बनाया गया।
  - इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के भीतर न्याय प्रशासन में स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- **संरचना:** पाँच सदस्य शामिल हैं:
  - एक कर्मचारी प्रतिनिधि।
  - एक प्रबंधन प्रतिनिधि।
  - दो प्रतिष्ठित बाहरी न्यायविद (क्रमश: कर्मचारियों और प्रबंधन द्वारा नामित)।
  - एक अध्यक्ष, जिसे अन्य चार सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता है।
  - सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जाती है।
- **जिम्मेदारियाँ:**
  - संयुक्त राष्ट्र विवाद न्यायाधिकरण (UNDT) और संयुक्त राष्ट्र अपील न्यायाधिकरण (UNAT) में न्यायाधीश पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का कार्य करता है।
  - भौगोलिक विविधता सुनिश्चित करते हुए, साक्षात्कार आयोजित करता है, और प्रत्येक रिक्ति के लिए दो या तीन उम्मीदवारों की सिफारिश महासभा को करता है।
  - न्याय प्रशासन की प्रणाली को लागू करने के लिए महासभा को अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है।
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति:**
  - महासभा के प्रस्ताव 62/228 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विवाद न्यायाधिकरण (UNDT) और संयुक्त राष्ट्र अपील न्यायाधिकरण (UNAT) के न्यायाधीशों की नियुक्ति IJC द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश के आधार पर महासभा द्वारा की जाती है।
  - किसी भी न्यायाधिकरण में कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्रीयता के नहीं हो सकते।

यूनाइटेड किंगडम ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हुआ (CPTPP)

ब्रिटेन CPTPP का 12वाँ सदस्य बन गया, जो ब्रेक्सिट के पश्चात् उसका सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता है।

परिचय

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** इसकी शुरुआत ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के रूप में हुई, जो एक अमेरिकी नेतृत्व वाला व्यापार समझौता था।
  - 2017 में अमेरिका के अलग होने के पश्चात् इसका नाम परिवर्तित कर CPTPP कर दिया गया।
  - **वर्तमान सदस्य:** 12 सदस्य (यू.के., ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम)।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य टैरिफ को समाप्त करना या अत्यधिक कम करना तथा सेवाओं और निवेश बाजारों को खोलने के लिए सुदृढ़ प्रतिबद्धताएँ बनाना है।
  - इसमें प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकारों और विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षा को संबोधित करने वाले नियम भी हैं।
  - इस ब्लॉक का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% हिस्सा है, और यह 500 मिलियन से अधिक लोगों के बाजार तक व्यापार पहुँच प्रदान करता है।

फेवा डायलॉग

हाल ही में, नेपाल और चीन ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समृद्धि, शांति और आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से "फेवा वार्ता" शृंखला आरंभ की।

परिचय

- फेवा संवाद का नाम प्रसिद्ध फेवा झील से लिया गया है, जो नेपाल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और पोखरा घाटी (नेपाल की पर्यटन राजधानी) में स्थित है।
  - यह झील हरपन खोला और सेती खोला सहित बारहमासी झरनों से जल प्राप्त करती है, जो इसके प्राकृतिक और पारिस्थितिक महत्त्व को बढ़ाते हैं।

महत्त्व:

- इस संवाद का उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देना है।
- इसमें दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों, जैसे औद्योगिक परिवर्तन और उभरती प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा।
- यह पहल पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है।

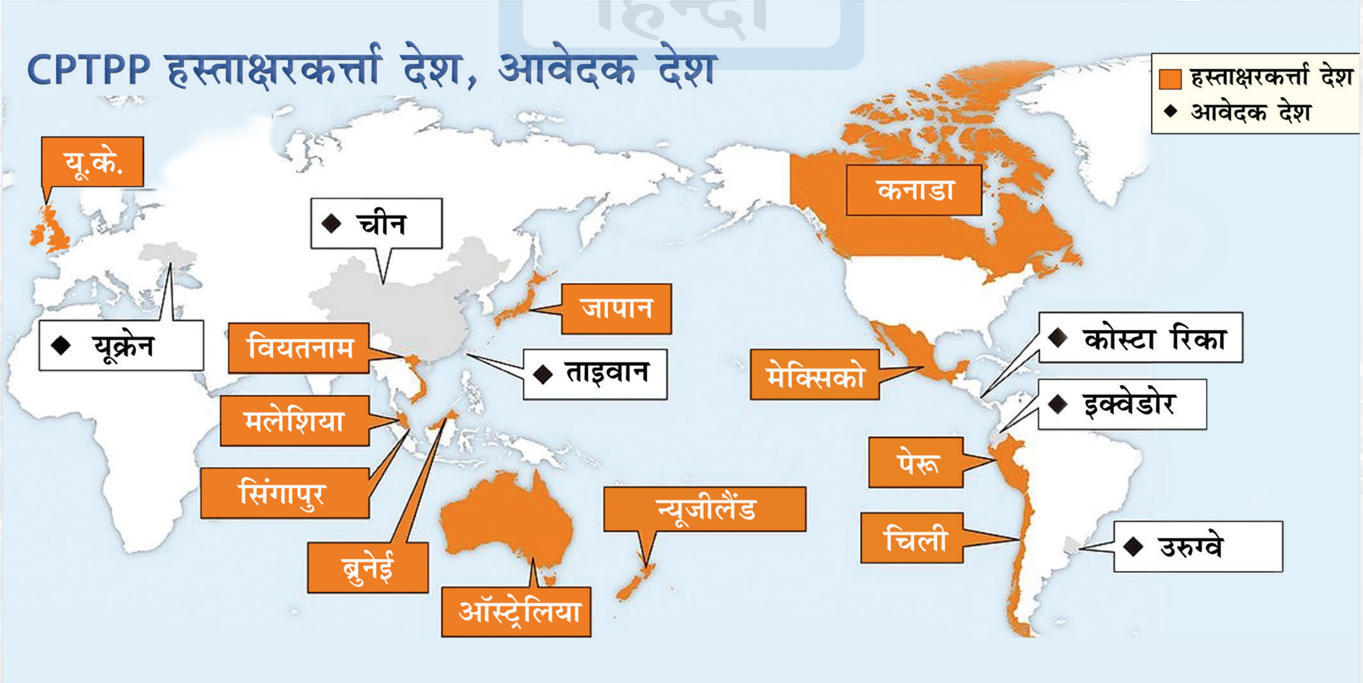

3 अर्थव्यवस्था

विंडफॉल टैक्स

हाल ही में, सरकार ने कच्चे तेल, विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF), पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है।

परिचय

- **परिभाषा:**
  - विंडफॉल टैक्स एक ऐसा उच्च कर है, जो उन विशेष उद्योगों पर लगाया जाता है, जो असामान्य या औसत से अधिक लाभ अर्जित करते हैं।
  - यह लाभ, जिसे विंडफॉल गेन कहा जाता है, बाहरी कारणों से होने वाली अप्रत्याशित आय में वृद्धि है, न कि व्यवसाय के विस्तार या निवेश के कारण।
  - तेल, गैस, और खनन जैसे उद्योग प्रायः विंडफॉल टैक्स से प्रभावित होते हैं।
- **सामान्य परिस्थितियाँ:** विंडफॉल टैक्स उन स्थितियों में लगाया जाता है, जैसे:
  - वस्तुओं की कमी
  - युद्ध
  - महामारी
  - सरकारी नीतियों में बदलाव।
- **उद्देश्य:**
  - विंडफॉल टैक्स का मुख्य उद्देश्य असाधारण मुनाफे के एक हिस्से को प्राप्त करना है, जिसे सामान्य लाभ से अधिक माना जाता है।
  - यह मुनाफा बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है और इसे सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण के रूप में देखा जाता है।
  - विंडफॉल टैक्स सरकारों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- **विंडफॉल टैक्स के उदाहरण:** तेल और खनन जैसे उद्योगों के अलावा, कुछ व्यक्तिगत कर जैसे विरासत कर (Inheritance Tax) या लॉटरी जीतने या गेम शो पुरस्कारों पर लगाए गए कर भी विंडफॉल टैक्स माने जा सकते हैं।
- **विंडफॉल टैक्स को वापस लेने के कारण**
  - **वैश्विक स्थिरीकरण:**
    - तेल और ईंधन की कीमतें अत्यधिक गिर गईं (100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक से 75 डॉलर प्रति बैरल से कम)।
    - प्रारंभिक आघातों के पश्चात् आपूर्ति प्रवाह स्थिर हो गया, जिससे विंडफॉल टैक्स की आवश्यकता कम हो गई।
  - **घरेलू बाजार की स्थिति:**
    - घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इस कर की आवश्यकता कम हो गई।
    - बाजार समायोजन के कारण इस कर से होने वाले राजस्व में गिरावट ने इसके लागू होने पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया।
  - **विंडफॉल टैक्स का विरोध:**
    - **तेल उद्योग का विरोध:** कंपनियों ने तर्क दिया कि यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फर्मों के लिए लाभप्रदता को कम करता है, और तेल उत्पादन को हतोत्साहित करता है।
    - **अस्थिर कर वातावरण:** करों में बार-बार परिवर्तन से अनिश्चितता उत्पन्न हुई, जिससे निवेश हतोत्साहित हुआ, विशेषकर एक ऐसे देश में जो तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर है (85% निर्भरता)।
  - **राजस्व संग्रह में गिरावट:** वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण विंडफॉल टैक्स से प्राप्त राजस्व में भारी गिरावट आई:
    - **वित्तीय वर्ष 2023:** ₹25,000 करोड़
    - **वित्तीय वर्ष 2024:** ₹13,000 करोड़
    - **वित्तीय वर्ष 2025 (अब तक):** ₹6,000 करोड़।
  - **प्रमुख हितधारकों पर प्रभाव:**
    - घरेलू उत्पादकों (जैसे ONGC और ऑयल) या प्रमुख निर्यातकों (जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी) पर कोई महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।
    - विंडफॉल टैक्स को समाप्त करना बाजार की स्थिरता और कीमतों में अचानक वृद्धि या आपूर्ति आघातों के कम जोखिम पर विश्वास का संकेत देता है।

तटीय शिपिंग विधेयक, 2024

हाल ही में, तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 को भारत के समुद्री परिवहन बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि: भारत में तटीय शिपिंग

- **अवलोकन:**
  - तटीय शिपिंग का आशय है भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ माल और यात्रियों का परिवहन, जो लगभग 7,517 किलोमीटर तक के क्षेत्रीय जल में फैला हुआ है।
  - यह क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, और देश की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है।
- **बंदरगाह प्रबंधन:**
  - **प्रमुख बंदरगाह:** ये बंदरगाह सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
  - **छोटे/मध्यम बंदरगाह:** ये संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन होते हैं।
- **नियामक चुनौतियाँ:** तटीय शिपिंग क्षेत्र पुराने कानूनों जैसे कोस्टिंग वेसल अधिनियम, 1838 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संचालित होता रहा है, जिन्हें अब असंगत माना जाता है, और जो उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

प्रमुख प्रावधान:

- **तटीय जल का दायरा:** यह विधेयक भारतीय तटीय जल में संचालित जहाजों को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें क्षेत्रीय जल (12 समुद्री मील, लगभग 22 किमी. तक) और इसके साथ जुड़े समुद्री क्षेत्र (200 समुद्री मील, लगभग 370 किमी. तक) शामिल हैं।
- **पूर्ववर्ती विनियमों को समाप्त करना:**
  - यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है, जो तटीय जल में व्यापार में शामिल अचलायमान जहाजों को नियंत्रित करता था।
  - अब यह सभी प्रकार के जलयान-जहाज, नाव, पालयुक्त जहाज, और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयों को शामिल करने के लिए विनियम का विस्तार करता है, चाहे वे स्वयं-चालित हों या नहीं।
- **तटीय व्यापार की विस्तारित परिभाषा:** यह विधेयक तटीय व्यापार की परिभाषा को विस्तृत करता है, जो पहले भारत के अंदर माल और यात्रियों के परिवहन तक सीमित थी। अब इसमें सेवाएँ प्रदान करना, जैसे अन्वेषण, शोध और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ (मछली पकड़ने को छोड़कर) को भी सम्मिलित किया गया है।
- **लाइसेंस की आवश्यकताएँ:**
  - **भारतीय स्वामित्व वाले जहाज:** ऐसे जहाज जो पूरी तरह भारतीय व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - **गैर-भारतीय स्वामित्व वाले जहाज:** ऐसे जहाज जो पूरी तरह भारतीय स्वामित्व में नहीं हैं, जिनमें भारतीय व्यक्तियों, NRI या OCI द्वारा किराए पर लिए गए जहाज शामिल हैं, को तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, विशेषतौर पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के मध्य या अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के मध्य संचालन के लिए।
- **शिपिंग के महानिदेशक:** शिपिंग के महानिदेशक, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लाइसेंस जारी करेंगे और इनलैंड वेसल अधिनियम, 2021 के अंतर्गत संचालित जहाजों को तटीय व्यापार में भाग लेने की अनुमति दे सकते हैं।
- **लाइसेंस रद्द करना:** महानिदेशक शर्तों के उल्लंघन पर या यदि जहाज मौजूदा कानूनों या आधिकारिक निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो लाइसेंस को संशोधित या रद्द कर सकते हैं।
- **दंड:**
  - यह विधेयक बिना लाइसेंस संचालित करने पर जुर्माने को अत्यधिक बढ़ा देता है। अधिकतम जुर्माना ₹15 लाख या बिना लाइसेंस यात्रा से प्राप्त लाभ का चार गुना हो सकता है, जो पहले अधिनियम के अंतर्गत ₹1,000 था।
  - महानिदेशक के निर्देशों का पालन न करना या सही जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहना अब नागरिक दंड के अंतर्गत दंडनीय होगा, जिसमें ₹5 लाख तक का जुर्माना या उल्लंघन से हुए लाभ का दोगुना शामिल है।
- **जहाजों को रोकने का प्रावधान:** विधेयक उन जहाजों को रोकने का प्रावधान करता है, जो बिना लाइसेंस संचालन या गलत जानकारी देने जैसे उल्लंघनों में शामिल होते हैं।
- **अपराधों का संयोजन:** विधेयक अपराधों के संयोजन की क्षमता को सीमित करता है, इसे केवल ऐसे उल्लंघनों तक सीमित करता है जैसे; बिना लाइसेंस संचालन या जानकारी प्रदान करने में विफलता।
- **रणनीतिक योजना:** केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्षों के अंदर राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीतिक योजना बनाने की आवश्यकता होगी।
- **छूट की शक्ति:** सरकार विधेयक के प्रावधानों से कुछ वर्गों के जहाजों को छूट देने की शक्ति रखती है।

तटीय शिपिंग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ाने के लिए सरकारी पहल

- **सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय बर्थ योजना:** यह पहल समुद्र और राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल और यात्रियों की आवाजाही का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **लाइसेंस में छूट:**
  - मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की धारा 407 के अंतर्गत, कंटेनर जहाजों को ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्यात-आयात (EXIM) कंटेनरों और खाली कंटेनरों को ले जाने की अनुमति है।
  - विदेशी ध्वज वाले जहाज कृषि, मत्स्य, बागवानी, उर्वरक और पशु उत्पाद जैसी वस्तुओं का परिवहन कर सकते हैं, बशर्ते इन वस्तुओं का भार कुल माल का कम से कम 50% हो।
- **तटीय जहाजों के लिए जहाज और माल शुल्क में छूट:** प्रमुख बंदरगाह तटीय मालवाहक जहाजों के लिए जहाज और माल से संबंधित शुल्क पर 40% छूट प्रदान करते हैं, ताकि माल परिवहन को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - तटीय जहाजों के लिए प्राथमिकता बर्थिंग नीति: तटीय जहाजों के लिए प्राथमिकता बर्थिंग नीति लागू की गई है, जिससे उनका टर्नअराउंड समय कम हो सके और उनकी उपयोगिता में सुधार हो।
- **बंकर ईंधनों पर GST में कमी:** भारतीय ध्वज वाले जहाजों में उपयोग किए जाने वाले बंकर ईंधनों पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि परिचालन लागत कम हो और तटीय शिपिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

हाल ही में, लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाना है।

परिचय

- यह निम्नलिखित विधियों में संशोधन करता है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 (ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (iii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (iv) बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (v) बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1980।

मुख्य प्रावधान

- **नकद आरक्षित राशि के लिए पखवाड़े की परिभाषा:**
  - RBI अधिनियम के अंतर्गत, अनुसूचित बैंकों को एक पखवाड़े की अवधि (शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक) के आधार पर नकद आरक्षित राशि के रूप में औसत दैनिक बैलेंस बनाए रखना होता है।
  - विधेयक पखवाड़े की परिभाषा को परिवर्तित कर निम्नलिखित रूप में समायोजित करता है:
    - प्रत्येक महीने की पहली तारीख से पंद्रहवीं तारीख तक, या
    - सोलहवीं तारीख से महीने के अंतिम दिन तक।
  - यह परिवर्तन बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुसूचित बैंकों पर भी लागू होता है।
- **सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल:**
  - वर्तमान में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत, एक निदेशक (अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को लगातार आठ साल से अधिक समय तक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं है।
  - विधेयक सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है।
- **सहकारी बैंकों के लिए सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध:**
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत, कोई निदेशक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में सेवा नहीं दे सकता, सिवाय उन निदेशकों के जिन्हें RBI द्वारा नियुक्त किया गया हो।
  - विधेयक इस छूट को केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों तक विस्तारित करता है, जिससे उन्हें राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति मिलती है, यदि वे उसके सदस्य हैं।
- **किसी कंपनी में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी:**
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत, महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी को किसी कंपनी में ₹5 लाख या 10% प्रदत्त पूँजी (जो भी कम हो) रखने के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - विधेयक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी की सीमा को बढ़ाकर ₹2 करोड़ करता है, और केंद्र सरकार को इस राशि को संशोधित करने की अनुमति देता है।
- **नामांकन:**
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम जमा, वस्तुओं या लॉकर के लिए जमा धारकों को मृत्यु की स्थिति में एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने की अनुमति देता है।
  - विधेयक चार तक नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वे क्रमिक रूप से हों या एक साथ:
    - **एक साथ नामांकन के लिए:** नामांकन घोषित अनुपात में प्रभावी होगा।
    - **क्रमिक नामांकन के लिए:** पहले नामांकित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **दावा रहित धनराशि का निपटान:**
  - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत, सात वर्षों तक अवैतनिक या दावा रहित लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - विधेयक इसके दायरे को विस्तृत करते हुए शामिल करता है:
    - ऐसी शेयरें जिन पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं हुआ है।
    - बांडों पर दावा रहित ब्याज या पुनर्खरीद राशि।
    - व्यक्तिगत व्यक्ति अपनी अदावास धनराशि के स्थानांतरण या वापसी का दावा कर सकते हैं।
- **लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक:**
  - वर्तमान में, बैंकों के लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक RBI द्वारा केंद्र सरकार से परामर्श करके तय किया जाता है।
  - विधेयक बैंकों को स्वतंत्र रूप से अपने लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देता है।

तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

हाल ही में, राज्यसभा ने तेलक्षेत्रों को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित करने के लिए तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- **खनिज तेलों की विस्तारित परिभाषा:**
  - अधिनियम में खनिज तेलों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - विधेयक इस परिभाषा को विस्तारित करते हुए शामिल करता है:
    - प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोकार्बन।
    - कोल बेड मीथेन।
    - शेल गैस/तेल।
  - यह स्पष्ट करता है कि कोयला, लिग्नाइट और हीलियम खनिज तेलों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- **पेट्रोलियम लीज का प्रारंभ:**
  - अधिनियम खनिज तेलों की खोज, सर्वेक्षण, उत्पादन और निपटान जैसी गतिविधियों के लिए एक खनन पट्टा प्रदान करता है।
  - विधेयक खनन पट्टे को परिवर्तित कर पेट्रोलियम पट्टा कर देता है, जिसमें वही गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा खनन पट्टे वैध बने रहेंगे।
- **केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार:**
  - अधिनियम केंद्र सरकार को विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है, जिनमें शामिल हैं:
    - पट्टों का अनुदान।
    - पट्टों की शर्तें और नियम (जैसे न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र, पट्टे की अवधि)।
    - खनिज तेलों का संरक्षण और विकास।
    - तेल उत्पादन की विधियाँ और रॉयल्टी, शुल्क और करों का संग्रह।
  - विधेयक इन प्रावधानों को बरकरार रखता है और नए नियम जोड़ता है, जैसे:
    - पेट्रोलियम पट्टों का विलय और संयोजन।

- ■ उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं का साझा उपयोग।
- ■ पट्टेदारों की पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन कटौती की जिम्मेदारियाँ।
- ■ पेट्रोलियम पट्टों से संबंधित विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।

- **अपराधों का गैर-अपराधीकरण:**
  - अधिनियम के अंतर्गत, नियमों के उल्लंघन पर निम्नलिखित दंड दिया जाता था:
    - छह महीने तक की कैद।
    - ₹1,000 तक का जुर्माना।
  - विधेयक कैद की सजा को हटा देता है, और इसके बजाय नियमों के उल्लंघन के लिए ₹25 लाख का जुर्माना लगाता है।
  - विधेयक के अंतर्गत अतिरिक्त अपराधों में शामिल हैं:
    - बिना वैध पट्टे के पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियाँ (जैसे खोज, सर्वेक्षण, उत्पादन) करना।
    - रॉयल्टी का भुगतान न करना।
    - निरंतर उल्लंघन पर ₹10 लाख प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **दंडों का निर्णय:**
  - केंद्र सरकार दंडों का निर्णय करने के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त करेगी।
  - निर्णायक प्राधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनी जाएगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)

- **स्वरूप:** यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित किया गया है।
- **कार्य:** यह पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिशोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति और बिक्री को विनियमित करता है। इसका एक मुख्य कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है।
- **अपील:** PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नामित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनी जाती है।

गृह मूल्य सूचकांक (HPI)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक (HPI) सितंबर 2023 में 308.6 से बढ़कर सितंबर 2024 में 4.34% की वृद्धि के साथ 322 पर पहुँच गया।

परिचय

- **जारीकर्त्ता:** भारतीय रिजर्व बैंक
- **आवृत्ति:** तिमाही आधार पर प्रकाशित
- **आधार वर्ष:** 2010-11
- **कवरेज:** यह भारत के दस प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्ति की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करता है: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई।
- **डेटा स्रोत:** संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरणों से एकत्र किए गए संपत्ति मूल्य लेन-देन का आधिकारिक डेटा।

मुख्य निष्कर्ष:

- **HPI वृद्धि:**
  - अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक (HPI) सितंबर 2023 में 308.6 से बढ़कर सितंबर 2024 में 4.34% की वृद्धि के साथ 322 पर पहुँच गया। यह उच्च ब्याज दरों और महँगाई के बावजूद घर की कीमतों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
  - विगत् दस वर्षों में, महामारी, उच्च महँगाई और ब्याज दरों जैसी चुनौतियों के बावजूद, HPI लगभग 67% बढ़ा है, जो 2014-15 में 193.05 से बढ़कर अब हुआ है।
- **शहर-विशिष्ट वृद्धि:**
  - बेंगलुरु में घर की कीमतों में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 8.76% रही।
  - इसके विपरीत, कानपुर में घर की कीमतों में -2.0% की गिरावट दर्ज की गई।
  - तिमाही आधार पर, सितंबर 2024 में अखिल भारतीय HPI में 0.1% की गिरावट हुई, जबकि अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, और चेन्नई में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई।
- **क्षेत्रीय प्रवृत्ति से संबंधित मुख्य बिंदु:**
  - **मुंबई:** सितंबर 2024 में घर की कीमतें 2.95% बढ़कर 303.62 हो गईं, जो विगत् वर्ष 294.92 थीं।
  - **दिल्ली:** घर की कीमतें 3.31% बढ़कर 350.40 हो गईं, जो पहले 339.16 थीं।
  - **बेंगलुरु:** घर की कीमतें 8.76% बढ़कर 360.11 हो गईं, जो पहले 331.08 थीं।
- **औसत आवासीय मूल्य वृद्धि:**
  - भारत के आठ प्रमुख बाजारों में औसत आवासीय मूल्य वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 11% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹11,000 प्रति वर्ग फुट तक पहुँच गया। यह स्थिर माँग और सकारात्मक बाजार भावना के कारण हुआ।
  - दिल्ली-NCR में आवासीय कीमतों में सबसे अधिक 32% की वृद्धि हुई। इसके पश्चात् बेंगलुरु में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - 2021 से अब तक आवासीय कीमतें लगातार 15 तिमाहियों तक बढ़ी हैं।

राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (eMaap)

हाल ही में, उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (eMaap) विकसित कर रहा है।

परिचय

- **उद्देश्य:** लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने, और प्रवर्तन एवं अनुपालन प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना।
- **लाभ:**
  - **व्यवसाय में सुगमता:** प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे अनुपालन बोझ कम होकर व्यवसाय संचालन बेहतर होता है।

- ◆ **व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता:** कागजी कार्यवाही को कम करके विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत एक अधिक पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- ◆ **डेटा आधारित निर्णय:** डेटा प्रदान करके बेहतर नीतियाँ बनाने में मदद करता है, जो विनियमन और प्रवर्तन गतिविधियों का समर्थन करता है।
- ◆ **प्रभावी नियामक ढाँचा:** प्रवर्तन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करता है, जिससे एक सशक्त नियामक ढाँचा सुनिश्चित होता है।

- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्यों के लिए अपने स्वयं के पोर्टल का उपयोग करती हैं:
  - ◆ पैक की गई वस्तुओं का पंजीकरण।
  - ◆ लाइसेंस जारी करना।
  - ◆ तौल एवं माप उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन।

भारत में FDI प्रवाह 1 ट्रिलियन डॉलर के पार

हाल ही में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

परिचय

- **FDI की परिभाषा:**
  - ◆ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अर्थ है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत की किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में या किसी सूचीबद्ध कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के 10% या उससे अधिक हिस्से में, पूरी तरह से पतला आधार पर, किया गया निवेश। यह सामान्यत: एक गैर-ऋण-निर्माण पूँजी प्रवाह होता है।
  - ◆ वर्तमान में, FDI निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रतिबंधित है: लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय, तंबाकू का उपयोग करके सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण।
- **भारत में FDI के मार्ग:**
  - ◆ **स्वचालित मार्ग** (Automatic Route):
    - ■ पहले से कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
    - ■ निवेश करने के पश्चात् निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सूचित करना होता है।
    - ■ अधिकांश क्षेत्र, जैसे निर्माण और सॉफ्टवेयर, इस मार्ग के अंतर्गत आते हैं।
  - ◆ **सरकारी अनुमोदन मार्ग** (Government Approval Route):
    - ■ संबंधित मंत्रालय या विभाग से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
    - ■ दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्युटिकल्स, और बीमा जैसे क्षेत्र इस मार्ग के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

FDI प्रवाह में प्रवृत्ति

- **मुख्य स्रोत देश:**
  - ◆ **मॉरीशस:** कुल FDI प्रवाह का 25%
  - ◆ **सिंगापुर:** 24%
  - ◆ **अमेरिका:** 10%
  - ◆ अन्य प्रमुख स्रोतों में नीदरलैंड, जापान, यूके, यूएई, जर्मनी, साइप्रस और केमैन द्वीप शामिल हैं।
- FDI **आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र:**
  - ◆ **सेवा क्षेत्र:** कुल FDI प्रवाह का 16%
  - ◆ **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर:** 15%
  - ◆ **व्यापार (ट्रेडिंग):** 7%
  - ◆ **दूरसंचार:** 6%

भारत के FDI प्रवाह में वृद्धि

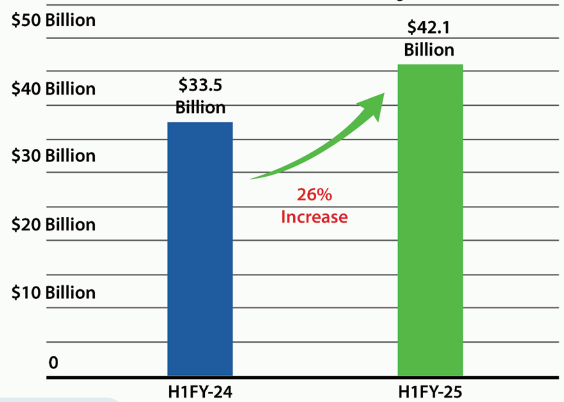

Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

FDI को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीतियाँ:

- अधिकांश क्षेत्र, कुछ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI के लिए खुले हैं।
- कुल FDI प्रवाह का लगभग 90% इस मार्ग के माध्यम से प्राप्त होता है।
- जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया और 3,800 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराध बनाया गया है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल विकसित किया है, जो नियामक अनुमोदनों और सेवाओं के लिए एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है।

FDI प्रवाह को बढ़ावा देने वाले कारक:

- **प्रतिस्पर्धा और नवाचार:**
  - ◆ भारत ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 40वाँ स्थान प्राप्त किया (2021 में 43वें स्थान से ऊपर)।
  - ◆ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत ने 40वाँ स्थान हासिल किया, जो 2015 में 81वें स्थान से एक महत्त्वपूर्ण उछाल है।
- **वैश्विक निवेश स्थिति:**
  - ◆ विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत ने 1,008 घोषणाओं के साथ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की संख्या में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
  - ◆ अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्तपोषण सौदों में 64% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक निवेश में भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाती है।
- **सुधरे हुए व्यावसायिक माहौल:** भारत ने विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (DBR) 2020 में 2014 में 142वें स्थान से 63वें स्थान तक की पहुँच गई। यह नियमों को सरल बनाने, प्रशासनिक व्यवधानों को कम करने और व्यावसायिक वातावरण में सुधार के प्रयासों को दर्शाता है।

- **नीतिगत सुधार:** सरकार की निवेशक-हितैषी नीतियाँ, जैसे अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI के लिए खोलना और आयकर अधिनियम, 1961 में 2024 में संशोधन (एंजल टैक्स को समाप्त करना और विदेशी कंपनियों के लिए कर दरों को कम करना), FDI आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

RBI का MuleHunter-AI टूल

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "म्यूल" बैंक खातों से जुड़े डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए एक AI-संचालित मॉडल MuleHunter.AI प्रस्तुत किया।

परिचय

- **म्यूल खाते:** बैंक खाते जिन्हें अपराधी अवैध गतिविधियों जैसे काले धन को सफेद करने के लिए उपयोग करते हैं। ये खाते सामान्यत: उन व्यक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, जो सामान्यत: कम आय वर्ग या कम तकनीकी साक्षरता वाले होते हैं।
- **मनी म्यूल्स:** वे निर्दोष व्यक्ति जिनके खातों का उपयोग चोरी या अवैध अर्जित धन को शोधन करने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय: पुलिस जाँच का सामना करते हैं, जबकि वास्तविक अपराधी पकड़े नहीं जाते।
- **भारत में म्यूल खाते और वित्तीय धोखाधड़ी:**
  - म्यूल खाते देश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के केंद्र में हैं।
  - हाल ही में, सरकार ने साइबर अपराध से जुड़े लगभग 4.5 लाख म्यूल खातों को फ्रीज किया, जिसमें विभिन्न SBI शाखाओं में 40,000 खातों की पहचान की गई।

डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी पर सरकार की प्रतिक्रिया

- **बैठकें और सहयोग:**
  - डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और म्यूल खातों पर एक उच्चस्तरीय बैठक वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित की भागीदारी थी:
    - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
    - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
    - नाबार्ड (NABARD)
    - सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक।
- **मुख्य निर्देश और रणनीतियाँ**
  - **सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना:** बैंकों को उन्नत उपकरणों और संस्थागत सहयोग का उपयोग करने की सलाह दी गई।
  - **तकनीकी एकीकरण:** म्यूल खातों का रियल-टाइम पता लगाने के लिए AI/ML समाधानों के उपयोग पर बल दिया गया।
  - **कर्मचारियों का प्रशिक्षण:** धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान तकनीकों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **म्यूलहंटर समाधान:** बैंकों को RBI के म्यूलहंटर समाधान को उन्नत निगरानी के लिए लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **अतिरिक्त प्रस्ताव**
  - **निकासी पर प्रतिबंध:** ऐसे निष्क्रिय खातों पर निकासी की सीमा प्रस्तावित की गई है, जिनमें अचानक बड़ी धनराशि जमा होती है।
  - **RBI हैकाथॉन:** "जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स" हैकाथॉन म्यूल खातों का पता लगाने के लिए नवीन समाधानों के विकास पर केंद्रित है।
- **MuleHunter.AI पहल**
  - **वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन:** रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) और बैंकों के मध्य सहयोग से पता चला कि नियम-आधारित डिटेक्शन सिस्टम में अनेक कमियाँ हैं, जैसे कि उच्च फॉल्स-पॉजिटिव दर और धीमी प्रक्रिया।
  - MuleHunter.AI **का विकास:** यह एक AI-संचालित टूल है, जो म्यूल खातों के 19 व्यावहारिक पैटर्न का विश्लेषण करता है। दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रारंभिक पायलट परीक्षणों ने उत्साहजनक परिणाम प्रदर्शित किया।
  - AI/ML-**संचालित समाधान:** यह मशीन लर्निंग का उपयोग करके लेन-देन डेटा और खाता विवरणों का विश्लेषण करता है, जिससे म्यूल खातों का पता लगाने में सटीकता और गति में सुधार होता है।
  - **अवैध धन प्रवाह को निशाना बनाना:** यह अवैध धन को म्यूल खातों में पहचानने और रोकने पर केंद्रित है।
- **महत्त्व और प्रभाव**
  - **धोखाधड़ी पहचान को मजबूत बनाना:** वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
  - **परिवर्तनकारी पहल:** MuleHunter.AI को भारत की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल माना जाता है।

RBI के नए गवर्नर की नियुक्ति

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पै अधिकारी संजय मल्होत्रा की भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

परिचय

- **नियुक्ति प्राधिकरण:**
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर की नियुक्ति RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत की जाती है।
  - यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज और उसके नेतृत्व के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - RBI गवर्नर की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है।
- **चयन प्रक्रिया:** RBI गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति से प्रारंभ होती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - कैबिनेट सचिव
  - वर्तमान RBI गवर्नर
  - वित्तीय सेवाओं के सचिव
  - दो स्वतंत्र सदस्य।

- यह समिति RBI गवर्नर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है।
- चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है, ताकि उनकी योग्यता, अनुभव और भारत के केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने की उपयुक्तता का आकलन किया जा सके।
- साक्षात्कार प्रक्रिया के पश्चात्, समिति अंतिम सूची कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- कैबिनेट समिति नए RBI गवर्नर के चयन की पुष्टि करती है।
- RBI **गवर्नर का कार्यकाल:**
    - RBI गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्षों तक होता है, जिसकी विशिष्ट अवधि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के समय तय की जाती है।
    - **प्रारंभिक कार्यकाल:** प्रारंभिक कार्यकाल सामान्यत: तीन वर्षों का होता है, लेकिन इसे दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिससे संस्थान की आवश्यकताओं और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुसार लोचशीलता प्राप्त होता है।
- **कार्यकाल की समाप्ति:** RBI गवर्नर का कार्यकाल दो तरीकों से समाप्त हो सकता है:
    - **राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त करना:** यदि आवश्यक हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पास गवर्नर को हटाने का अधिकार है।
    - **गवर्नर का इस्तीफा:** गवर्नर अपनी मर्जी से किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं।
- **पुनर्नियुक्ति और कार्यकाल विस्तार:** यदि सरकार उचित समझे, तो RBI गवर्नर को पुनर्नियुक्ति या उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए पात्र माना जाता है।
- **योग्यता:**
    - RBI अधिनियम, 1934 गवर्नर के लिए कोई विशेष योग्यता निर्दिष्ट नहीं करता है।
    - यह चयन में लोचशीलता प्रदान करता है, जिससे अर्थशास्त्र, वित्त या लोक प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है।

उल्लेखनीय RBI गवर्नर

- **सर ऑस्बॉर्न स्मिथ (पहले RBI गवर्नर):**
    - सर ऑस्बॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे।
    - स्मिथ 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक गवर्नर के रूप में भारत आए और 1935 में पहले RBI गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए।
- **चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख (पहले भारतीय गवर्नर):**
    - वह RBI गवर्नर का पद संभालने वाले पहले भारतीय थे।
    - वह भारतीय सिविल सेवा (ICS) के सदस्य थे और सरकार में विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके थे।
    - उन्होंने 1943 से 1949 तक RBI गवर्नर के रूप में सेवा की।
- **सर बेनेगल रामा राव (सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले RBI गवर्नर):**
    - चिंतामन देशमुख की तरह, सर बेनेगल रामा राव भी भारतीय सिविल सेवा (ICS) के सदस्य थे।
    - उन्होंने 1949 से 1957 तक, लगभग एक दशक तक, RBI गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की।

भारत कौशल रिपोर्ट 2025

हाल ही में, 'भारत कौशल रिपोर्ट 2025' ने भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2025 तक 54.81% तक पहुँचने की संभावना है।

परिचय

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने व्हीबॉक्स (एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है।
- यह रिपोर्ट उन 6.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों के व्यापक डेटा पर आधारित है, जिन्होंने पूरे भारत में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (GET) में भाग लिया।
- इसके अतिरिक्त, 15 विविध उद्योगों में 1,000 से अधिक कंपनियों से प्राप्त जानकारी ने रोजगार योग्यता के प्रवृत्तियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है।

मुख्य निष्कर्ष

- **वैश्विक रोजगार योग्यता प्रवृत्ति (2025):**
    - भारतीय स्नातकों की वैश्विक रोजगार योग्यता दर 2024 में 51.2% से बढ़कर 2025 में 55% होने का अनुमान है, जो 7% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि है।
    - यह वृद्धि भारतीय स्नातकों की अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की माँगों को पूरा करने की बढ़ती तत्परता को दर्शाती है, जिससे भारत वैश्विक प्रतिभा पूल में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
- **अध्ययन क्षेत्र के अनुसार रोजगार योग्यता**
    - **प्रबंधन स्नातक:** इन छात्रों की रोजगार योग्यता दर सबसे अधिक 78% रहने का अनुमान है।
    - **इंजीनियरिंग स्नातक:** 71.5% रोजगार योग्यता दर के साथ, इंजीनियर सबसे अधिक माँग वाले पेशेवर बने हुए हैं, विशेषकर सॉफ्टवेयर विकास, AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में विशेषज्ञता रखने वाले।
    - **मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस** (MCA) **छात्र:** MCA स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 71% है, जो IT पेशेवरों, विशेषरूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निरंतर माँग को दर्शाती है।
    - **विज्ञान स्नातक:** 58% रोजगार योग्यता दर के साथ, विज्ञान स्नातक स्थिर माँग प्रदर्शित कर रहे हैं, विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे उभरते क्षेत्रों में।
- **रोजगार योग्य प्रतिभा के उभरते केंद्र**
    - महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली को भारत में प्रमुख प्रतिभा केंद्रों के रूप में पहचाना गया है।
    - पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यबल प्रदान करने में अग्रणी हैं।
- **लैंगिक आधारित रोजगार योग्यता प्रवृत्ति**
    - पुरुषों की रोजगार योग्यता 2024 में 51.8% से बढ़कर 2025 में 53.5% होने की अपेक्षा है।
    - हालाँकि, महिलाओं की रोजगार योग्यता में थोड़ी गिरावट आने का अनुमान है, जो 2024 में 50.9% से घटकर 2025 में 47.5% हो सकती है।

- **माध्यमिक और तृतीयक छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण**
  - रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में 50% माध्यमिक और तृतीयक छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा।
  - यह बदलाव महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा एवं उद्योग की माँगों के बीच अंतर को दूर करने में मदद करता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- **संगठन का प्रकार:** गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-प्रेरित और उद्योग-प्रबंधित
- **स्थापना:** 1895
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **मिशन:** भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और बनाए रखना

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'जलवाहक' योजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। यह योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 (बराक नदी) को आच्छादित करती है।

परिचय

- **लागत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन:** जो माल मालिक द्वारा जलमार्गों के माध्यम से 300 किमी. से अधिक की दूरी पर सामान परिवहन करेंगे, उन्हें संचालन लागत पर 35% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- **मान्यता अवधि:** यह योजना तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, जिससे इसे लागू करने और मूल्यांकन करने का एक निर्धारित समय मिलेगा।
- **आपूर्ति शृंखला अनुकूलन:** यह प्रमुख शिपिंग कंपनियों, माल अग्रेषणकर्त्ताओं और व्यापार संगठनों को लक्षित करती है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से प्रभावी आपूर्ति शृंखला समाधान संभव हो सके।
- **सतत् परिवहन को बढ़ावा:** लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है, जिसमें शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग 1** (NW 1): गंगा नदी
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग 2** (NW 2): ब्रह्मपुत्र नदी
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग 16** (NW 16): बराक नदी
- **लंबी दूरी के परिवहन के लिए प्रोत्साहन:** नियमित माल सेवाओं के माध्यम से बेहतर विश्वसनीयता के साथ लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करती है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति

- **व्यापक कवरेज:** भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग कुल 20,236 किमी. में फैले हुए हैं, जिसमें शामिल हैं:
  - 17,980 किमी. नदियाँ
  - 2,256 किमी. नहरें, जो यंत्रीकृत जहाजों के लिए उपयुक्त हैं।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग** (NWs): भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिससे इनका व्यावसायिक उपयोग के लिए विकास संभव हुआ।
- **माल परिवहन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि:** राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल परिवहन 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जो 700% की वृद्धि दर्शाता है।
- **भविष्य के लक्ष्य:** भारत ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई है:
  - 2030 तक जलमार्गों के माध्यम से 200 मिलियन मीट्रिक टन माल परिवहन।
  - 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन माल परिवहन, जो भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और लॉजिस्टिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

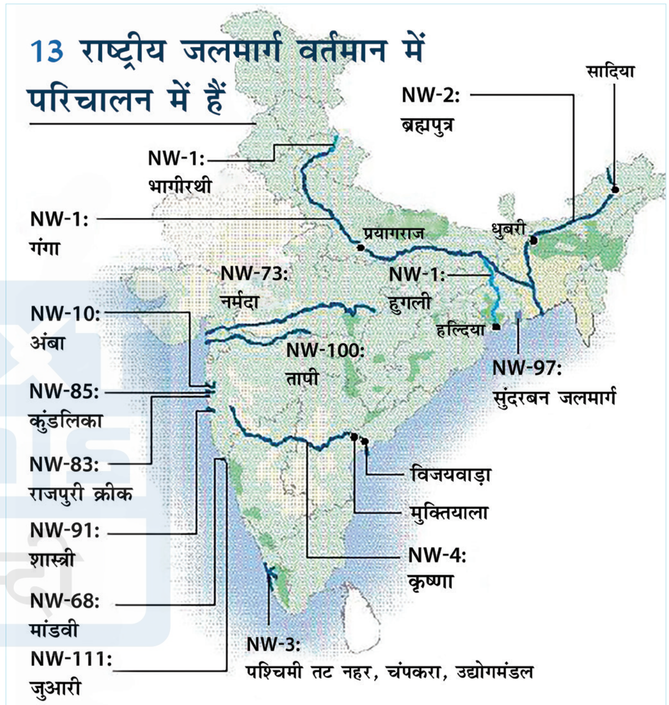

समर्थ (SAMARTH) उद्योग भारत 4.0

हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने चार स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (SAMARTH) केंद्र स्थापित किए।

परिचय

- यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की इंडस्ट्री 4.0 पहल है, जो "भारतीय पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" की योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है।
  - इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति को संदर्भित करता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को उत्पादन प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की विशेषता है।
- इसका उद्देश्य स्मार्ट और उन्नत निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और भारत के उत्पादन क्षेत्र को सशक्त बनाना है।

SAMARTH केंद्र:

- **स्थापित केंद्र निम्नलिखित हैं:**
  - सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4) लैब, पुणे
  - IITD-AIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, IIT दिल्ली
  - I-4.0 इंडिया / IISc, बेंगलुरु
  - स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, CMTI, बेंगलुरु
- इसके अतिरिक्त, हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत, पूरे भारत में 10 क्लस्टर इंडस्ट्री 4.0 अनुभव केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4) लैब, पुणे द्वारा संचालित किए जाएँगे।

SAMARTH उद्योग भारत 4.0 के उद्देश्य:

- इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों पर जागरूकता सेमिनार, कार्यशालाएँ और ज्ञान-साझा करने वाले कार्यक्रम आयोजित करना।
- उद्योगों, विशेष रूप से MSMEs, के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
- IoT हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास और डेटा एनालिटिक्स में परामर्श सेवाएँ देना।

SAMARTH केंद्रों की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- C4i4 लैब, पुणे ने इंडस्ट्री 4.0 समाधान-सक्षम मॉडल फैक्ट्री विकसित की।
- CMTI, बेंगलुरु ने एक उत्पादन आधारित स्मार्ट फैक्ट्री बनाई।
- उद्योगों की तत्परता और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 मैच्योरिटी मॉडल (I4MM) का विकास।
- C4i4 लैब ने MSMEs को उनकी इंडस्ट्री 4.0 तत्परता का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया।

MSP पर संसदीय समिति की सिफारिशें

हाल ही में, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति ने संसद में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य सिफारिशें

- **MSP की कानूनी गारंटी:**
  - किसानों की आय की सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव।
  - कानूनी MSP लागू करने के लिए एक रोडमैप विकसित करना, जिससे केंद्र सरकार पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित कर सके, ताकि इस प्रक्रिया का सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित हो।
  - **संसद में फसल सीजन के पश्चात् एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें शामिल हो:**
    - MSP पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों की संख्या।
    - MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर।
- **धान के अवशेष प्रबंधन:**
  - पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और निपटान के लिए मुआवजा प्रदान करना।
  - पंजाब के ₹2,000 प्रति एकड़ बोनस प्रस्ताव पर विचार करना, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच लागत साझा की जाए।
- PM-**किसान योजना को सशक्त बनाना:**
  - PM-किसान योजना के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय सहायता को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रति लाभार्थी करना।
  - योजना को किरायेदार किसानों और खेत मजदूरों तक विस्तारित करना, ताकि अधिक समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
- **किसानों के लिए ऋण राहत:**
  - किसानों की परेशानी को कम करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक ऋण माफी योजना प्रारंभ करना।
  - ग्रामीण परिवारों में कृषि ऋण पर बढ़ती निर्भरता और बढ़ते बकाया ऋण की निगरानी करना।
- **कृषि के लिए बजटीय आवंटन:**
  - केंद्रीय योजना में कृषि के बजटीय हिस्से में गिरावट को प्रकट करना।
  - 2020-21 में यह हिस्सा 3.53% था, जो 2024-25 में घटकर 2.54% हो गया, हालाँकि 2021-22 से 2024-25 के बीच उच्च आवंटन किया गया।
- **सार्वभौमिक फसल बीमा:**
  - 2 एकड़ तक जमीन वाले छोटे किसानों के लिए अनिवार्य फसल बीमा लागू करना।
  - योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के स्वास्थ्य बीमा मॉडल पर आधारित करना।
- **राष्ट्रीय कृषि मजदूर आयोग:** कृषि मजदूरों के अधिकारों और कल्याण को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन-यापन वेतन तय करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना।
- **कृषि विभाग का नामकरण:**
  - कृषि और किसान कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर कृषि, किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग करना।
  - इस परिवर्तन का उद्देश्य किसानों के साथ कृषि मजदूरों के कल्याण पर बल देना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

- यह सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों की कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट से बचाने के लिए की जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रक्रिया है।
- MSP सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित किया जाता है, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय होता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संकट में अपनी फसल बेचने से बचाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद सुनिश्चित करना है।

केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक खरीफ-रबी फसल चक्र के लिए MSPs तय करती है।

जब कोई किसान फसल उगाता है, तो उसे कुछ लागतें उठानी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ अप्रत्यक्ष या अवैतनिक होती हैं। CACP निम्नलिखित लागतों पर विचार करता है:

1. **A2**: किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायन, किराए पर लिए गए श्रम, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी नकद और वस्तुगत व्यय को कवर करता है।
2. **A2 + FL**: वास्तविक लागत और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य
3. **C2**: इसमें स्वामित्व वाली भूमि (किराया) और अचल पूँजीगत परिसंपत्तियों (ब्याज) पर छोड़े गए राजस्व के साथ 'A2+FL' शामिल है

MSP के अंतर्गत शामिल फसलें

- **खरीफ फसलें (कुल 14):** धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर/अरहर, मूँग, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर बीज, कपास।
- **रबी फसलें (कुल 06):** गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम।
- **व्यावसायिक फसलें (कुल 02):** जूट और कोपरा।
  - तोरिया और छिलका उतरे नारियल (de-husked coconut) का MSP क्रमशः सरसों और कोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है।

MSP को कानूनी बनाने के पक्ष में तर्क

- **किसानों की सुरक्षा:** MSP को कानूनी बनाने से किसानों को एक गारंटीकृत मूल्य मिलता है, जो उन्हें अस्थिर बाजार स्थितियों से बचाता है और बिचौलियों के शोषण को रोकता है।
- **आय में स्थिरता:** यह किसानों को स्थिर आय प्रदान करता है, जिससे वे उत्पादन लागत को पूरा कर सकते हैं और अपनी वित्तीय सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं।
- **कृषि निवेश को प्रोत्साहन:** यह जानकर कि उनके पास एक सुरक्षा जाल है, किसान बेहतर कृषि प्रथाओं में निवेश करने की संभावना रखते हैं, जिससे उत्पादकता और दक्षता बढ़ती है।
- **खाद्य सुरक्षा:** कानूनी रूप से निर्धारित MSP सरकार को आवश्यक फसलों की खरीद सुनिश्चित करता है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को समर्थन मिलता है और खाद्यान्न की कमी को रोका जा सकता है।
- **गरीबी में कमी:** फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके MSP ग्रामीण गरीबी को कम करने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है।
- **संतुलित बाजार नियमन:** कानूनी MSP बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है, जिससे कृषि उत्पादों का उचित व्यापार और समान वितरण सुनिश्चित होता है।

MSP को कानूनी बनाने के विरोध में तर्क

- **बाजार में विकृति:** कानूनी MSP से कुछ फसलों के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे आपूर्ति और माँग का संतुलन बिगड़ सकता है।
- **वित्तीय बोझ:** यह सरकार के वित्त पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि सरकार को अधिशेष फसलें खरीदनी और संगृहीत करनी पड़ सकती हैं, जिससे खरीद लागत बढ़ जाएगी।
- **संसाधनों का अनुचित आवंटन:** कानूनी MSP से संसाधनों का गलत उपयोग हो सकता है, क्योंकि किसान MSP-समर्थित फसलों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बजाय विविध फसल उत्पादन या टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के।
- **भ्रष्टाचार और बिचौलियों का शोषण:** MSP को कानूनी बनाने से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि बिचौलिए खरीद प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वास्तविक किसानों को कम लाभ मिलेगा।
- **कृषि सुधारों में बाधा:** यह कृषि बाजार को अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर बना सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धी और कुशल बाजार प्रणाली के विकास में रुकावट आ सकती है।
- **निर्भरता को बढ़ावा:** किसान MSP पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे नवाचार, बाजार विविधीकरण और बदलती बाजार जरूरतों के अनुकूलन की संभावना कम हो सकती है।

आगे की राह

- **गैर-अनाज फसलों को प्रोत्साहन:**
  - MSP का दायरा बढ़ाकर दालें, तिलहन और बाजरा जैसी अधिक फसलों को शामिल करना, ताकि गेहूँ और चावल पर अधिक निर्भरता को कम किया जा सके।
  - जल संकट और पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करें।
- **खरीद प्रणाली में सुधार:** भंडारण सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स और खरीद केंद्रों को बेहतर बनाएँ, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ MSP का उपयोग कम है।
- **भौगोलिक समानता:** गैर-पारंपरिक राज्यों में खरीद का विस्तार करने पर ध्यान देना, ताकि MSP लाभों में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित हो सके।
- **पारदर्शी मूल्य निर्धारण:** MSP तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना, जिसमें इनपुट लागत, मुद्रास्फीति और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखा जाए।
- **डायनामिक MSP कैलकुलेशन:** एक लचीला MSP ढाँचा प्रस्तुत करना, जो बदलते बाजार और उत्पादन परिस्थितियों के अनुकूल हो।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना:** FPOs को सशक्त बनाना, ताकि वे किसानों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद कर सकें और MSP पर निर्भरता कम कर सकें।
- **ई-नाम एकीकरण:** MSP को राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना, ताकि बाजार तक पहुँच और मूल्य पारदर्शिता में सुधार हो।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि नवंबर में रुपए का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) सूचकांक रिकॉर्ड 108.14 पर पहुँच गया, जो इस कैलेंडर वर्ष में 4.5% की वृद्धि दर्शाता है।

परिचय

- **रुपए के विविध प्रवृत्ति:** रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है, लेकिन "वास्तविक प्रभावी" शर्तों के अनुसार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) सूचकांक नवंबर 2024 में 108.14 पर है, जो इस वर्ष में 4.5% की वृद्धि है।
- **अतिमूल्यांकन के निहितार्थ:**
  - 100 से ऊपर का REER मान दर्शाता है कि आधार वर्ष (2015-16) के सापेक्ष रुपया अधिक मूल्यांकित है।
  - यह अधिक मूल्यांकित मूल्य भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है जबकि आयात को सस्ता बनाता है, जो संभावित रूप से व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है।
  - उच्च घरेलू मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए विनिमय दर पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं हो रही है, जो व्यापार संतुलन को प्रभावित करती है।
- **डॉलर की भूमिका:**
  - चुनाव के पश्चात् टैरिफ बढ़ोतरी, कर कटौती और अन्य आर्थिक उपायों जैसी नीतियों से प्रेरित डॉलर की मजबूती ने इस विचलन को उत्पन्न किया है।
  - रुपया बहुत कमजोर नहीं हो रहा है; बल्कि, डॉलर वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ हो रहा है।

REER	NEER
इसका तात्पर्य वास्तविक प्रभावी विनिमय दर से है।	इसे अधिक दार्शनिक अनुमान माना जाता है।
यह अन्य महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा का समायोजित मूल्य प्रदर्शित करता है।	यह मुद्रास्फीति के संबंध में असमायोजित है।
यह मुद्रा-विशिष्ट मुद्रास्फीति अंतर के प्रभावों को समाप्त कर देता है तथा केवल विनिमय दर अंतर पर ही ध्यान केंद्रित करता है।	देश और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति दर में अंतर का प्रभाव पड़ता है।
इसका निर्धारण NEER का उपयोग करके किया जाता है।	इसका निर्धारण मुद्रा बास्केट का उपयोग करके किया जाता है।
मुद्रास्फीति के लिए सुधार किए जाने के परिणामस्वरूप, इसे अधिक सटीक अनुमान माना जाता है।	मुद्रास्फीति में अंतर के कारण, यह ऐसे माप प्रदान कर सकता है जो बिल्कुल सटीक नहीं हैं।

- **सूचकांक हेतु भारत का मुद्रा समूह:**
  - प्रारंभ में यह छह प्रमुख मुद्राओं (USD, EUR, JPY, GBP, CNY, SGD) पर आधारित था।
  - अब भारत के विविध व्यापार संबंधों को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए इसमें 36 मुद्राओं के समूह को शामिल कर दी गई है।

भारत: प्रेषण राशि का शीर्ष प्राप्तकर्त्ता

हाल ही में, भारत 2024 में +129 बिलियन की अनुमानित प्रेषण राशि के साथ सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्त्ता बनकर उभरा, जिससे उसने मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया।

परिचय

- **प्रेषण:** विदेशों में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में परिवारों का समर्थन करने के लिए भेजी गई धनराशि।
  - यह विकासशील देशों में परिवारों के लिए आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, और प्राप्तकर्त्ता देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **2024 में भारत के प्रेषण की मुख्य विशेषताएँ**
  - **अत्यधिक प्रवाह:** भारत ने +129.1 बिलियन प्राप्त किए, जो किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक प्रेषण है।
  - **वैश्विक हिस्सेदारी:** 2024 में वैश्विक प्रेषण का 14.3% हिस्सा भारत का था, जो 2000 के पश्चात् से किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है।
  - **आर्थिक योगदान:** 2024 में भारत की GDP का 3.3% हिस्सा प्रेषण से आया।
- **तुलनात्मक विश्लेषण**
  - **भारत बनाम चीन:**
    - चीन का प्रेषण हिस्सा 2000 के दशक के अंत में 10% से अधिक हो गया था, लेकिन 2024 में घटकर 5.3% रह गया, जो दो दशकों में सबसे कम है।
    - इस गिरावट का कारण चीन की आर्थिक वृद्धि, कम कुशल श्रमिकों का कम प्रवासन और बुजुर्ग आबादी है।
    - भारत का हिस्सा 2000 से 10% से अधिक बना रहा और महामारी के पश्चात् तेजी से बढ़ा।
  - **भारत बनाम मैक्सिको:** 2024 में, भारत का वैश्विक प्रेषण हिस्सा मैक्सिको (7.5%) का दोगुना था, जिससे मैक्सिको दूसरे स्थान पर बहुत पीछे रहा।
- **अन्य अर्थव्यवस्थाओं में योगदान**
  - **नेपाल:** 2024 में नेपाल की GDP का 25% से अधिक हिस्सा प्रेषण से आया।
  - अन्य देश जहाँ प्रेषण GDP का 25% से अधिक था:
    - ताजिकिस्तान, निकारगुआ, लेबनान, समोआ, होंडुरास, टोंगा
    - प्रेषण बनाम अन्य वित्तीय प्रवाह
    - कम और मध्यम आय वाले देशों में, हाल के वर्षों में प्रेषण ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को पीछे छोड़ दिया है।
- **FDI:** विदेशी संस्थाओं द्वारा किसी अन्य देश में व्यवसायों को नियंत्रित या प्रबंधित करने के लिए किए गए निवेश।
  - प्रेषण ने आधिकारिक विकास सहायता (ODA) को भी अत्यधिक सीमा तक पार कर लिया है।
- **ODA:** विकसित देशों से विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता, सामान्यत: अनुदान या कम ब्याज वाले ऋणों के रूप में।

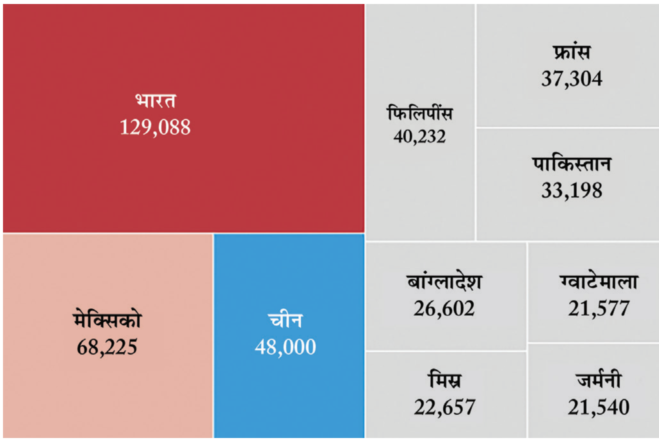

GST परिषद की 55वीं बैठक

हाल ही में, 55वीं GST परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

- **पुराने इलेक्ट्रिक वाहन (EVs):**
  - **GST दर में वृद्धि:** इस्तेमाल किए गए EVs की बिक्री पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो अब नॉन-इलेक्ट्रिक वाहनों के समान दर है।
  - **GST का अनुप्रयोग:**
    - व्यापारिक बिक्री के लिए GST केवल मार्जिन वैल्यू (खरीद और बिक्री मूल्य के मध्य का अंतर, यदि मूल्यह्रास क्लेम किया गया हो तो उसे समायोजित करके) पर ही लगेगा।
    - व्यक्ति-से-व्यक्ति बिक्री पर कोई GST नहीं लगेगा।
- **बैंकों के दंडात्मक शुल्क:** बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा ऋण की शर्तों के उल्लंघन पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होता है।
- **पेमेंट एग्रीगेटर्स:**
  - **छूट के मानदंड:** ₹2,000 से कम राशि के भुगतान संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को GST छूट का लाभ मिलेगा।
  - **अपवाद:** यह छूट पेमेंट गेटवे या फंड सेटलमेंट से असंबंधित अन्य फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होगी।
- **एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF):**
  - **ATF पर GST नहीं:** GST परिषद ने ATF को GST के दायरे में लाने पर सहमति नहीं दी, क्योंकि राज्यों ने इसका विरोध किया।
  - **राज्यों की चिंता:** राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम और डीजल श्रेणी का हिस्सा मानते हैं, और उन्होंने इसे अलग से न मानने पर बल दिया।
- **GST के अंतर्गत नहीं शामिल होने वाले उत्पाद:**
  - कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस GST के दायरे से बाहर हैं।
  - इन उत्पादों पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है और राज्य वैट (VAT) लगाते हैं।
- **GST छूट**
  - **कृषि उत्पाद:** किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति किए जाने वाले काली मिर्च और किशमिश GST से मुक्त रहेंगे।
  - **जीन थेरेपी:** जीन थेरेपी पूरी तरह से GST से मुक्त होगी।
  - **इंटीग्रेटेड GST छूट:** सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर छूट प्रदान की गई है।
- **मुआवजा उपकर (Compensation Cess)**
  - **घटाई गई उपकर दर:** व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर दर घटाकर 0.1% कर दी गई है।
  - **उद्देश्य:** GST लागू होने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए यह उपकर एकत्र किया जाता है।
- **पॉपकॉर्न पर कराधान (Popcorn Taxation)**
  - **कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न:** इसे शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिस पर 18% GST लगाया जाता है।
  - **नमकीन पॉपकॉर्न:**
    - यदि यह पहले से पैक है और लेबल नहीं है, तो 5% GST
    - यदि यह पहले से पैक है और लेबल है, तो 12% GST

GST परिषद

- **संवैधानिक स्थिति:** GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार है।
- **संरचना:** अनुच्छेद 279A [जो संविधान (101वाँ) संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जोड़ा गया] के अनुसार, GST परिषद में शामिल हैं:
  - केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
  - राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री (सदस्य)
  - प्रत्येक राज्य सरकार से वित्त या कराधान मंत्री (या नामित अन्य मंत्री) (सदस्य)।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** GST परिषद के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल भारित मतों के तीन-चौथाई (75%) बहुमत से लिए जाते हैं।
- **मतदान का भार:**
  - **केंद्र:** कुल मतदान भार का 1/3
  - **राज्य:** कुल मतदान भार का 2/3

ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीन-असिस्टेड कंस्ट्रक्शन (AIMC) सिस्टम

हाल ही में, सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को तीव्र और अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीन-असिस्टेड कंस्ट्रक्शन (AIMC) सिस्टम को अपनाने की प्रक्रिया में तीव्रता ला रही है।

AIMC प्रणाली

- **अवलोकन**
  - AIMC एक उन्नत प्रणाली है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के कुशल निर्माण के लिए लागू किया जा रहा है।

- यह प्रणाली इंटेलिजेंट मशीनों को वास्तविक समय डेटा साझा करने की क्षमता के साथ जोड़ती है, जिससे निर्माण कार्य तीव्र होता है और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होता है।

- **AIMC के उद्देश्य**
  - सड़क निर्माण की उत्पादकता बढ़ाना और निर्माण में लगने वाला समय कम करना।
  - सटीकता और निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली सड़कों को सुनिश्चित करना।
  - निर्माण के पश्चात् पारंपरिक सर्वेक्षणों पर निर्भरता कम करना।
  - पुरानी तकनीकों, असमंजसपूर्ण डेटा, और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन जैसी चुनौतियों का समाधान करना, जो परियोजना में विलंब का कारण बनती हैं।
- **AIMC मशीनों के प्रकार**
  - GPS-सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडर (3D मशीन नियंत्रण तकनीक)
  - ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) डेटा और एंगल सेंसर का उपयोग करके ग्रेडर के ब्लेड की सटीक स्थिति सुनिश्चित करता है।
  - डिजिटल डिजाइन योजनाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए डेटा को वास्तविक समय में संसाधित करता है।
- **इंटेलिजेंट कॉम्पैक्शन रोलर (IC रोलर)**
  - निर्माण के पश्चात् की समेकन प्रक्रिया को न्यूनतम करता है।
  - सामग्रियों में वायु के कणों या जल के छिद्रों को कम करता है, तथा सड़कों को होने वाली क्षति को रोकता है।
- **सिंगल ड्रम/टैंडम वाइब्रेटरी रोलर:** मिट्टी और आधार परत के सही संपीड़न को सुनिश्चित करता है, जिससे सड़क की स्थिरता बनी रहती है।

FREE-AI समिति

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक AI उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु FREE-AI नामक एक समिति की स्थापना की।

परिचय

- **गठन और उद्देश्य:**
  - RBI ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
  - इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI प्रौद्योगिकियों को इस तरह से अपनाया जाए कि नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन बना रहे।
- **नेतृत्व:**
  - पैनल का नेतृत्व IIT बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य कर रहे हैं।
  - AI और कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान में उनकी विशेषज्ञता सूचित और संतुलित मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है।
- **संघटन:** समिति में विविध हितधारक शामिल हैं; जैसे–
  - **नीति आयोग:** नीतिगत अंतर्दृष्टि और राष्ट्रीय रणनीतियों के लिए।
  - **HDFC बैंक:** वित्तीय उद्योग के परिचालन परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करना।
  - **IIT मद्रास:** AI में अकादमिक विशेषज्ञता प्रदान करना।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:** विनियामक और डिजिटल शासन इनपुट प्रदान करना।
  - **ट्राईलीगल:** कानूनी और अनुपालन पहलुओं को संबोधित करना।
  - **माइक्रोसॉफ्ट इंडिया:** AI विकास और तैनाती पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा करना।
- **सहायक संरचना:** RBI का फिनटेक विभाग पैनल की सहायता करेगा, तथा व्यापक अनुसंधान और सिफारिशें सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- **अधिदेश:**
  - **वर्तमान में AI अपनाने का आकलन करना:** विश्लेषण करना कि वित्तीय सेवाओं में वर्तमान में AI का उपयोग कैसे किया जाता है।
  - **वैश्विक बेंचमार्किंग:** भारत के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का अध्ययन करना।
  - **रूपरेखा विकसित करना:** निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदार AI अपनाने के लिए एक शासन संरचना का प्रस्ताव।
  - **जोखिम प्रबंधन:** पूर्वाग्रहों या डेटा दुरुपयोग जैसे जोखिमों की पहचान करना, तथा विनियमित संस्थाओं के लिए उनका मूल्यांकन, शमन और निगरानी करने के उपायों की सिफारिश करना।
  - **समय-सीमा:** पैनल को अपनी पहली बैठक के छह महीने के अंदर अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी, ताकि जिम्मेदार AI एकीकरण की दिशा में समय पर प्रगति सुनिश्चित हो सके।

चालू खाता घाटा

हाल ही में, जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) थोड़ा कम होकर 11.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% है।

परिचय

- **परिभाषा:** चालू खाता घाटा (CAD) तब होता है, जब किसी देश का वस्तु और सेवाओं का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है।
- **दोहरा घाटा (Twin Deficits):**
  - चालू खाता घाटा (CAD) और राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और प्राप्तियों के बीच का अंतर) मिलकर दोहरे घाटे का निर्माण करते हैं, जो शेयर बाजारों और निवेशकों के विश्वास को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
  - राजकोषीय घाटा सरकार की वार्षिक व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

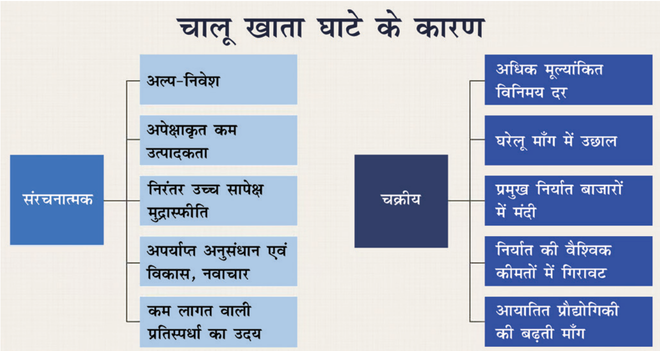

चालू खाता घाटा (CAD) के निहितार्थ

- **आर्थिक प्रभाव:** CAD का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, तथा यह शेयर बाजारों और निवेशों को प्रभावित करता है।
- **निवेशक भावना:** कम CAD से प्रायः निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, और देश की मुद्रा का आकर्षण बढ़ता है।
- **चालू खाता अधिशेष:** अधिशेष देश में धन के प्रवाह का संकेत देता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, और स्थानीय मुद्रा का मूल्य मजबूत होता है।
- **कमजोर मुद्रा:**
  - अत्यधिक आयात से घरेलू मुद्रा की माँग कम हो जाती है, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिससे आयात महँगा हो जाता है।
  - इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, और नागरिकों की क्रय शक्ति घट सकती है।
- **ऋण संचय:** चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए अपर्याप्त विदेशी निवेश के कारण उधार लेना आवश्यक हो सकता है, जिससे देश का ऋण स्तर बढ़ सकता है, तथा अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति पहुँच सकता है।
- **CAD को नियंत्रित करने के लिए कदम**
  - **निर्यात बाजारों में विविधता लाना:** कुछ देशों पर निर्भरता कम करने के लिए उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करना।
  - **आयात प्रतिस्थापन:** आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए घरेलू उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में।
  - **घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना:** विदेशी वस्तुओं, विशेषकर गैर-आवश्यक वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए "मेक इन इंडिया" पहल को सुदृढ़ करना।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** विनिर्माण, सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में FDI को आकर्षित करने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देना, यह सुनिश्चित करना कि विदेशी पूँजी का अंतर्वाह बहिर्वाह की भरपाई कर दे।
  - **धन प्रेषण में वृद्धि:** प्रवासी भारतीयों से अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा देना, जिससे चालू खाता घाटे की भरपाई हो सके।
  - **स्थिर पूँजी प्रवाह:** घाटे के वित्तपोषण के लिए स्थिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को प्रोत्साहित करना, जिसमें सट्टा प्रवाह के बजाय दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) प्रकाशित की, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता और वित्तीय लोचशीलता में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य तथ्य

- GDP **वृद्धि:** भारत की GDP 2024-25 में 6.6% बढ़ने का अनुमान है, जो निम्नलिखित द्वारा संचालित है:
  - ग्रामीण उपभोग में सुधार।
  - सरकारी खर्च और निवेश में वृद्धि।
  - सेवा निर्यात में मजबूती।
- **सरकारी ऋण:**
  - केंद्र सरकार का ऋण-GDP अनुपात 2020-21 में 62.7% से घटकर 2024-25 तक 56.8% होने की अपेक्षा है।
  - राज्य देयताएँ
  - राज्य सरकारों की बकाया देनदारियाँ 2024-25 तक 31% से घटकर 28.8% हो जाने का अनुमान है।
- **वित्तीय प्रणाली स्थिरता:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने लाभप्रदता में सुधार किया है, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को कम किया है, तथा पर्याप्त पूँजी और तरलता बफर बनाए रखा है, जिससे उनकी समग्र स्थिरता में वृद्धि हुई है।
- **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति** (GNPA) **अनुपात:** सितंबर 2024 तक SCBs ने 2.6% का 12-वर्ष का निम्नतम GNPA अनुपात प्राप्त किया, जो सुदृढ़ परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।
- **घरेलू ऋण प्रवृत्ति:**
  - जून 2024 में घरेलू ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 42.9% था।
  - अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद, यह बढ़ते हुए पथ पर है।

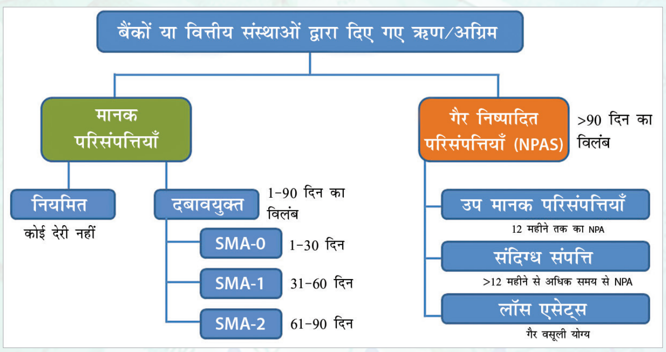

4 पर्यावरण

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस

हाल ही में, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस (4 दिसंबर) के अवसर पर, भारत ने अपनी विविध जैव विविधता का उत्सव मनाया और अपनी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों पर चिंतन किया।

परिचयः

- **उत्पत्तिः** इस दिवस का प्रारंभ 2012 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई प्रतिज्ञा से हुई थी, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और स्थिरता के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना था।
- **थीमः** "लोगों और ग्रह को अंतर्संबंधित करनाः वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज"
- **भारत की जैव विविधताः**
  - भारत को एक मेगाडाइवर्स देश माना जाता है, जो विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा है, लेकिन यह सभी दर्ज प्रजातियों का 7-8% हिस्सा, जिसमें 91,000 से अधिक पशु प्रजातियाँ शामिल हैं, का घर है।
  - भारत में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 4 विद्यमान हैं:
    - हिमालय
    - इंडो-बर्मा
    - पश्चिमी घाट-श्रीलंका
    - सुंडालैंड
- **वन्यजीवों के लिए खतरे**
  - **तेजी से आर्थिक विकासः** आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती माँग प्रायः वन्यजीव आवासों के साथ टकराव करती है, जिससे आवास नष्ट हो जाते हैं।
  - **शिकार और तस्करीः** वन्यजीव शिकार और तस्करी के दोहरे खतरे का सामना करते हैं, जो जैव विविधता के व्यापक क्षति का कारण बनता है।
  - **कृषि भूमि का विस्तारः** कृषि गतिविधियों के विस्तार से मानव-पशु संघर्ष बढ़ता है, और वन्यजीव क्षेत्रों पर अतिक्रमण होता है।
  - **वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्वः** अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनमें से कई में उचित बाड़बंदी और सुरक्षा का अभाव है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
  - **उपेक्षित प्रजातियाँः** बाघ और शेर जैसी प्रमुख प्रजातियाँ ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी कम प्रसिद्ध प्रजातियों को प्रायः नजरअंदाज किया जाता है, जबकि वे भी समान खतरों का सामना कर रही हैं।
- **संकटग्रस्त प्रजातियाँ**
  - 2022 तक, भारत में 73 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो 2011 में 47 थीं।
  - इस सूची में 9 स्थानिक स्तनधारी प्रजातियाँ शामिल हैं, जो सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024

हाल ही में, भारत के वरिष्ठ पर्यावरणविद् माधव गाडगिल को 2024 के 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार के छह विजेताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया।

परिचय

- **अवलोकन**
  - **स्थापनाः** 2005
  - **प्रस्तुतकर्त्ताः** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
  - **महत्त्वः** इसे संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान माना जाता है, जो उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो लोगों और पृथ्वी की सुरक्षा के प्रयासों में सबसे आगे हैं।
- **उद्देश्यः**
  - नवीन और टिकाऊ समाधान को मान्यता देना, जो तीन प्रमुख ग्रह संकटों से निपटने में मदद करें:
    - जलवायु परिवर्तन
    - प्रकृति और जैव विविधता की हानि
    - प्रदूषण और अपशिष्ट
  - **प्रभावः** चैंपियंस आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व करते हैं, पर्यावरणीय अन्याय से लड़ते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हैं।
- **भारतीय प्राप्तकर्त्ताः**
  - **नरेंद्र मोदी (2018):** सौर ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में नेतृत्व के लिए।
  - **कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (2018):** पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाईअड्डा बनने के लिए।
  - **अफरोज शाह (2016):** विश्व के सबसे बड़े समुद्र तट सफाई अभियान का नेतृत्व करने के लिए।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- **अवलोकन**
  - **स्थापनाः** 1972, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात्।
  - **अधिदेशः** संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों में पर्यावरणीय मुद्दों की निगरानी करना।

- **मुख्य गतिविधियाँ:**
  - वातावरण, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरणीय शासन, और हरित अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के साथ मिलकर अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है:**
  - वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)
  - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष
- **प्रमुख उपलब्धियाँ:**
  - **1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:** ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौता।
  - **2012 मिनामाता कन्वेंशन:** जहरीले पारे के उपयोग को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **मुख्य रिपोर्ट्स:**
  - इमीशन गैप रिपोर्ट
  - ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक
  - फ्रंटियर्स रिपोर्ट
  - हेल्दी प्लैनेट में निवेश रिपोर्ट
  - मुख्यालय: नैरोबी, केन्या

तटीय सुदृढ़ीकरण

हाल ही में Nature में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि विश्व के लगभग 33% रेतीले समुद्र तट कठोर हो गए हैं।

परिचय

- तटीय सुदृढ़ीकरण (Coastal Hardening) का तात्पर्य है तटरेखाओं के साथ कठोर, अर्ध-अपारगम संरचनाओं का निर्माण, जो प्राकृतिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर देती हैं।
  - इन संरचनाओं का उद्देश्य समुद्र तटों के प्राकृतिक रूप से पीछे हटने और रेतीले समुद्र तटों के भूमि की ओर बढ़ने को रोकना है।
  - तटीय सुदृढ़ीकरण संरचनाओं के उदाहरण: समुद्री दीवारें, बंदरगाह, सड़कें, राजमार्ग आदि।
- **तटीय सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य:**
  - तटीय क्षेत्रों को अपरदन (Erosion) और बाढ़ (Flooding) से बचाना मुख्य उद्देश्य है।
  - 1950 के दशक से तटीय क्षेत्रों की ओर तेजी से जनसंख्या के पलायन के कारण ऐसे उपायों की आवश्यकता बढ़ गई है।
- **वैश्विक आँकड़े:**
  - विश्व के लगभग 33% रेतीले समुद्र तट कठोर हो गए हैं।
  - **क्षेत्रीय विवरण:**
    - बंगाल की खाड़ी: 84%
    - पश्चिमी और मध्य यूरोप: 68%
    - भूमध्यसागर: 65%
    - पश्चिमी उत्तरी अमेरिका: 61%
    - पूर्वी एशिया: 50%
- **तटीय सुदृढ़ीकरण का प्रभाव:**
  - **पर्यावरणीय निम्नीकरण:** तटीय सुदृढ़ीकरण प्राकृतिक आवासों और जैव विविधता को बाधित कर सकता है।
    - कठोर संरचनाएँ तटीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।
  - **समुद्र तट अपरदन:** तटीय सुदृढ़ीकरण कुछ क्षेत्रों की रक्षा करता है, लेकिन यह पास के असुरक्षित क्षेत्रों में अपरदन को बढ़ा सकता है।
    - तरंगों की ऊर्जा का विक्षेपण निकट के समुद्र तटों के और अधिक अपरदन का कारण बन सकता है।
  - **उच्च लागत:** तटीय सुदृढ़ीकरण संरचनाओं का निर्माण और रख-रखाव महँगा है। नियमित मरम्मत और उन्नयन की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों पर भारी वित्तीय भार डालता है।

बिजनेस 4 लैंड पहल

हाल ही में, COP16 सम्मेलन के दौरान आयोजित बिजनेस 4 लैंड फोरम में निजी क्षेत्र को अपनी कॉर्पोरेट और वित्तीय रणनीतियों में सतत् भूमि प्रबंधन को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

परिचय

- **अवलोकन**
  - बिजनेस फॉर लैंड (B4L) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (UNCCD) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।
  - यह सतत् भूमि और जल प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर केंद्रित है।
  - यह कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भूमि क्षरण और सूखे से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने और अवसरों की पहचान करने में सहायता करता है।
- **उद्देश्य**
  - इस पहल का लक्ष्य 2030 तक 1.5 अरब हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है।
  - यह भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करने में योगदान देती है, जो 2030 तक शून्य शुद्ध भूमि क्षरण का एक वैश्विक लक्ष्य है, साथ ही सूखे के प्रति सहनशीलता को भी बढ़ाती है।
- **B4L के मुख्य स्तंभ**
  - **व्यावसायिक संचालन और मूल्य शृंखला**
    - व्यवसायों को सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - संचालन और मूल्य शृंखलाओं में भूमि से संबंधित प्रभावों को न्यून करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
  - **वित्त:** भूमि पुनर्स्थापन और सूखे के प्रति सहनशीलता के लिए सतत् वित्तीय समाधान विकसित करने में सहायता करता है।
  - **समर्थन:** सतत् भूमि और जल प्रबंधन के लिए अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देता है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (UNCCD)

- **अवलोकन**
- **स्थापना:** 1994
  - **महत्त्व:** UNCCD पर्यावरण संरक्षण और सतत् भूमि प्रबंधन को विकास लक्ष्यों से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- **सदस्यता:** 196 देश और यूरोपीय संघ
- **उद्देश्य:**
  - एक सुरक्षित, समान और सतत् भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भूमि की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना।
  - मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करके नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना।
- **प्रमुख पहलें**
  - **भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम (2015):**
    - देशों को स्वैच्छिक स्वच्छ लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - **LDN:** सतत् भूमि प्रबंधन, जो पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
    - भारत की प्रतिबद्धता: 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन।
  - **रणनीतिक ढाँचा 2018-2030 (2017):** देशों को राष्ट्रीय नीतियों में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे की चिंताओं को शामिल करने का मार्गदर्शन करता है।
- **अन्य पहलें**
  - **ग्रेट ग्रीन वॉल (2007):** अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई।
  - **चांगवोन पहल (2011):** मरुस्थलीकरण को कम करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सूखा सहनशीलता गठबंधन (2022):** सूखे के प्रति सहनशीलता बनाने पर केंद्रित।
  - **G20 वैश्विक भूमि पहल (2020):** सतत् भूमि प्रबंधन में वैश्विक सहयोग का समर्थन करती है।

भारतीय स्टार कछुआ

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने भारतीय स्टार कछुआ प्रजाति के भीतर दो आनुवंशिक रूप से भिन्न समूहों की पहचान की है: उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी समूह।

भारतीय स्टार कछुआ (Geochelone Elegans) का परिचय

- **रूप-रंग**
  - अपने गुंबदाकार कवच पर सितारे जैसे पैटर्न के कारण इसे 'स्टार' कछुआ कहा जाता है।
  - अपने विशिष्ट पैटर्न और गोलाकार कवच के लिए जाना जाता है, जो इसे वैश्विक विदेशी घरेलू व्यापार में अत्यधिक माँग वाला बनाता है।

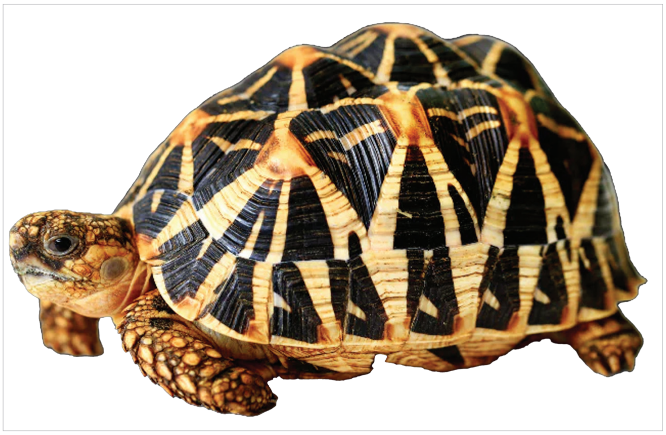

- **आवास**
  - यह विभिन्न पर्यावरणों में पाया जाता है, जैसे:
    - अर्ध-शुष्क निचले वन
    - काँटेदार झाड़ियों वाले वन
    - अर्ध-मरुस्थल और शुष्क घास के मैदान
  - मौसमी आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वृद्धि करता है, विशेष रूप से मानसून ऋतु के पश्चात् लंबे समय तक गर्म, शुष्क अवधि वाले क्षेत्रों में।
- **वितरण**
  - **स्वदेशी क्षेत्र:** उत्तर-पश्चिम भारत (पाकिस्तान की सीमा से सटे शुष्क क्षेत्र), दक्षिण भारत और श्रीलंका।
  - **गैर-स्वदेशी क्षेत्र:** अवैध व्यापार के कारण कनाडा और अमेरिका जैसे देशों के निजी घरों में पाया जाता है।
  - **व्यवहार:** क्रेपसकुलर (संध्याकालीन): यह प्रजाति सुबह जल्दी और दोपहर पश्चात्, विशेषतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में सक्रिय रहती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN:** संकटग्रस्त (Vulnerable)
  - **CITES:** परिशिष्ट-I (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाता है)।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I (भारत में उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान करता है)।
- **खतरे:**
  - **आवास विखंडन:** इसके कारण:
    - शहरीकरण
    - कृषि विस्तार
  - **अवैध व्यापार:** विदेशी घरेलू बाजार में लोकप्रियता इसके जनसंख्या संकट को और बढ़ाती है।

डुल्सिबेला कैमांचाका

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने अटाकामा ट्रेंच में एक नई शिकारी एम्फिपॉड प्रजाति, डुल्सिबेला कैमांचाका, की खोज की।

परिचय

- **वर्गीकरण:**
    - **स्थान:** नई प्रजाति को अटाकामा ट्रेंच, जो एक गहरा महासागरीय क्षेत्र है, में 7,902 मीटर की गहराई पर खोजा गया।
    - **परिवार:** इसे यूसिरिडे (Eusiridae) परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और यह एक नई पहचानी गई जीनस का प्रतिनिधित्व करती है।

- **प्रजाति की विशेषताएँ:**
    - **आकार:** यह प्रजाति लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी है, जो इसे गहरे समुद्र में इसके करीबी संबंधियों से बड़ा बनाती है।
    - **अद्वितीय विशेषताएँ:**
        - इसमें ग्नैथोपोड्स (शिकारी उपांग) होते हैं, जिनका उपयोग छोटे जीवों को पकड़ने और शिकार करने के लिए किया जाता है।
        - सामान्य रूप से स्कैवेंजर एम्फिपॉड्स के विपरीत, यह प्रजाति एक सक्रिय शिकारी है, और अन्य एम्फिपॉड्स पर शिकार करती है। यह गहरे समुद्र के खाद्य जाल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
    - **व्यवहार:** यह एक तेज तैरने वाली शिकारी प्रजाति है, जो गहरे समुद्र के वातावरण में शिकार करती है और खाई (ट्रेंच) के पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देती है।
- **जीवित रहने के लिए अनुकूलन:**
    - **रंग:** इसका हल्का रंग गहरे समुद्र की प्रजातियों की एक सामान्य विशेषता है, जो अत्यधिक गहराई पर घोर अंधेरे परिस्थितियों में अनुकूलन में मदद करता है।
    - **नामकरण:** इस प्रजाति का नाम एंडीज क्षेत्र की भाषाओं में 'अंधकार' के लिए प्रयुक्त शब्द के आधार पर रखा गया है, जो महासागर की गहराई में अंधेरे के प्रति इसके अनुकूलन का प्रतीक है।

मार्बल्ड बत्तख

हाल ही में, हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक मार्बल्ड बत्तख (Marbled Duck), जो एक दुर्लभ शीतकालीन प्रवासी पक्षी है, को देखा गया।

परिचय

- **स्वरूप:** यह एक छोटी बत्तख है, जिसकी काली चोंच, भूरे पंख हल्के धब्बों के साथ, गहरे रंग का आँखों के पास पैच और कोई स्पेकुलम नहीं होता।
- **वैज्ञानिक नाम:** मार्मारोनेट्टा एंगुस्टिरोस्ट्रिस (Marmaronetta Angustirostris)
- **वितरण:** यह मध्य और दक्षिण-पश्चिमी पेलिआर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, और इसके बिखरे हुए समूह मध्य एशिया से उत्तर-पश्चिम अफ्रीका और इबेरियन प्रायद्वीप तक फैले हैं।
- **प्रवासी पैटर्न:** ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली आबादी शीत ऋतु में दक्षिण की ओर पलायन करती है, जिसमें उत्तर अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल हैं।
- **आवास:** यह अस्थायी या अर्ध-स्थायी आर्द्रभूमियों को पसंद करती है, विशेषतौर पर खारे जल वाले क्षेत्र, जिनमें अच्छी संरचित वनस्पति हो।
    - यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की आर्द्रभूमियों को सहन कर सकती है।
- **व्यवहार:** यह गैर-क्षेत्रीय, गैर-आक्रामक और सामूहिक होती है। शरद ऋतु से प्रत्येक वर्ष एकनिष्ठ जोड़े बनाती है।
- **उड़ान:** यह कम ऊँचाई पर तथा मंद गति से उड़ती है, इसकी गर्दन और पंख लंबे होते हैं, जिससे इसे उड़ान में पहचानना आसान होता है।
- **IUCN स्थिति:** निकट संकटग्रस्त।

रॉटन के फ्री-टेल्ड चमगादड़

हाल ही में दिल्ली के यमुना जैव विविधता उद्यान में रॉटन के फ्री-टेल्ड चमगादड़ की दुर्लभ मौजूदगी दर्ज की गई है।

परिचय

- **वैज्ञानिक नाम:** ऑटोमोप्स व्रोगहटोनि
- **विशेषताएँ:** इसके कान बड़े और आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसका चेहरा बिना बालों वाला होता है और नथुने के पास उभरा हुआ पैड होता है।
  - इसकी पीठ पर गहरा भूरा फर होता है, जबकि किनारों और अग्रभुजाओं पर सफेद सीमा पाई जाती है।
- **आवास:** मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जहाँ इसकी एकमात्र ज्ञात प्रजनन कॉलोनी है। छोटी कॉलोनियाँ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में दर्ज की गई हैं, और एक अकेला जीव कंबोडिया में देखा गया है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** यह कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है और रात्रिचर पौधों की प्रजातियों के परागण में सहायक है।
- **संरक्षण स्थिति:** यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में 'डेटा डिफिशिएंट' (जानकारी की कमी) श्रेणी में सूचीबद्ध है।
  - भारत में, यह प्रजाति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।

बाल्ड ईगल (BALD EAGLE)

हाल ही में, बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई।

परिचय

- **वैज्ञानिक नाम:** हैलिएटस ल्यूकोसेफालस।
- **मूल क्षेत्र:** बाल्ड ईगल विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है।
- **राष्ट्रीय प्रतीक:** यह 1782 से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक रहा है, जो उससे बहुत पहले से मूल अमेरिकियों के लिए शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।
- **ग्रेट सील:** 1782 में, इसे पहली बार ताकत के प्रतीक के रूप में फैले हुए पंखों के साथ यू.एस. ग्रेट सील पर प्रदर्शित किया गया था।
- **भौतिक विशेषताएँ:**
  - **उपस्थिति:** भूरे रंग के शरीर और पंखों, सफेद सिर और पूँछ तथा हुकदार पीली चोंच वाले बड़े शिकारी पक्षी।
  - **पंजे:** पीले पैर और तीक्ष्ण काले पंजे।
  - **युवा रूप:** युवा बाल्ड ईगल अधिकतर भूरे रंग के होते हैं, उनके पंखों और हृदय पर कभी-कभी सफेद निशान होते हैं।
  - **आकार:** 2.5 से 3 फीट (0.7 से 0.9 मीटर) की ऊँचाई और 6.5 फीट (2 मीटर) का पंख फैलाव।
  - **लिंग:** मादाएँ नर से बड़ी होती हैं, लेकिन उनका रंग एक जैसा होता है।
- **प्राकृतिक वास:**
  - **विस्तार:** उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको सीमा से लेकर कनाडा तक पाया जाता है, तथा अलास्का में विशेष रूप से बड़ी संख्या में पाया जाता है।
  - **निवास स्थान:** अलास्का, पूर्वी और पश्चिमी तटों, रॉकी पर्वतमाला और मिसिसिपी नदी में वर्ष भर देखा जा सकता है। अमेरिका के अन्य भागों में इन्हें केवल प्रवास के दौरान ही देखा जा सकता है।
- **आहार:**
  - **मुख्य भोजन:** मछली, क्योंकि बाल्ड ईगल अवसरवादी शिकारी होते हैं।
  - **अन्य भोजन:** जब मछलियाँ कम होती हैं, तो वे छोटे पक्षियों, कृन्तकों का शिकार करते हैं, और सड़े हुए मांस को खाते हैं।
- **व्यवहार:**
  - **सामाजिक संरचना:** एकाकी लेकिन एकसंगमनी (Monogamous), बाल्ड ईगल प्रत्येक वर्ष एक ही प्रजनन जोड़ी बनाए रखते हैं।
  - **प्रवास:** वे सर्दियाँ और प्रवास अकेले बिताते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष एक ही साथी के पास लौटते हैं।
  - **IUCN स्थिति:** न्यूनतम चिंताजनक।

सिंह पुच्छ मकाक

एक हालिया अध्ययन में मानव-वन्यजीव संपर्क में वृद्धि के कारण गैर-मानव प्राइमेट्स, जैसे कि सिंह पुच्छ मकाक, के लिए बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया।

परिचय

- **सामान्य विशेषताएँ**
  - वृक्षवासी (पेड़ों पर रहने वाले) और दिनचर (दिन में सक्रिय), सामान्यतः रात में पेड़ों पर सोते हैं, प्रायः वर्षावन की छत्रछाया में ऊँचे स्थानों पर।
  - अत्यधिक प्रादेशिक और संचारी, नर अपनी घरेलू सीमा की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए मुखर कॉल का उपयोग करते हैं।
  - इस प्रजाति में एक जटिल संचार प्रणाली है, जिसमें 17 स्वर सम्मिलित हैं।
- **सर्वाहारी:** वे विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, लेकिन फल उनके आहार का अधिकांश भाग होते हैं।
- **उपस्थिति**
  - शेर जैसी दिखने वाली प्रजाति के कारण इसका नाम सिंह पुच्छ मकाक है, इसके पास एक लंबी, पतली, गुच्छेदार पूँछ होती है, जो शेर के अयाल (Lion's Mane) जैसी होती है।
  - यह सबसे छोटी मकाक प्रजातियों में से एक है, जिसके चेहरे के चारों ओर विशिष्ट ग्रे अयाल इसके राजसी रूप को और भी बढ़ा देता है।
- **वितरण:** यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के सदाबहार वर्षावनों में स्थानिक है, विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - **IUCN:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
- **अस्तित्व के लिए खतरा**
  - आवास की क्षति, विखंडन और मानवीय अतिक्रमण के कारण उनकी जनसंख्या को खतरा है, जिसके कारण उनकी संख्या में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है।

5 भूगोल

सांता आना पवनें

हाल ही में, विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि सांता आना पवनें, जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर, कैलिफोर्निया के मालीबू में वनाग्नि को और अधिक तीव्र बना रही हैं।

परिचय

- **उत्पत्ति:** इन पवनों का नाम दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना कैन्यन से लिया गया है, जहाँ इन्हें सामान्यतौर पर देखा जाता है।
- **विशेषताएँ:**
  - **प्रकार:** सांता आना पवनें शुष्क और गर्म होती हैं, और कभी-कभी अत्यधिक गर्म हो जाती हैं।
  - **अवस्थिति:** ये मुख्य रूप से दक्षिणी कैलिफोर्निया में होती हैं, लेकिन उनकी तीव्रता के आधार पर व्यापक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं।
  - **दिशा:** ये पवनें आंतरिक मरुस्थलीय क्षेत्रों, जैसे ग्रेट बेसिन, से उत्पन्न होती हैं और पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होती हैं।
- **गठन और व्यवहार:**
  - **दाब गतिशीलता:**
    - **उच्च दाब प्रणाली:** सांता आना पवनें तब उत्पन्न होती हैं, जब ग्रेट बेसिन पर एक उच्च दाब प्रणाली विकसित होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में रॉकी पर्वत और सिएरा नेवाडा पर्वतमाला के बीच का एक विशाल क्षेत्र है।
    - **निम्न दाब प्रणाली:** इसके साथ ही, कैलिफोर्निया के तट के साथ एक निम्न दाब प्रणाली उत्पन्न होती है। यह दाब अंतर एक मजबूत बल उत्पन्न करता है, जो पवन को मरुस्थलीय क्षेत्रों से महासागर की ओर प्रवाहित करता है।
  - **पवन का मार्ग और रूपांतरण:**
    - जब पवनें ग्रेट बेसिन से निकलती हैं, तो वे दक्षिणी कैलिफोर्निया के पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरती हैं।
    - इस दौरान, पवन के नीचे की ओर अवतलित होने के पश्चात् उसका दाब बढ़ जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। यह संपीड़न पवन की सापेक्ष आर्द्रता को भी कम कर देता है, जो प्राय: 20% से कम या कभी-कभी 10% से भी कम हो जाती है।
  - **मौसमी प्रभाव:**
    - शीत ऋतु के मौसम के पैटर्न सांता आना पवनों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
    - शीत ऋतु (प्राय: अक्टूबर से जनवरी तक) के दौरान, ग्रेट बेसिन की सतह के पास उच्च दाब बनने की संभावना अधिक होती है, जो इन पवनों के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।
- **वनस्पति और पर्यावरण पर प्रभाव:**
  - **कम आर्द्रता:** अत्यधिक शुष्क पवन वनस्पति को तेजी से शुष्क कर देती है, जिससे यह अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती है।
  - **वनाग्नि का खतरा:** सूखी वनस्पति और तेज पवनों का संयोजन वनाग्नि के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। इन परिस्थितियों में आग तेजी से फैलती है, क्योंकि पवनें अंगारों को लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं।
  - **गर्मी और शुष्कता:** पवनों की गर्म और शुष्क प्रकृति सूखे की स्थिति को और खराब कर सकती है एवं प्रभावित क्षेत्रों में निवासियों के लिए असुविधा उत्पन्न कर सकती है।

मौसमी प्रकृति

- **मुख्य समय:** सांता आना पवनें सबसे अधिक अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रवाहित होती हैं, हालाँकि सही परिस्थितियों में यह इस अवधि के बाहर भी प्रवाहित हो सकती हैं।
- **शीत ऋतु का प्रभाव:** शीत ऋतु के दौरान ग्रेट बेसिन के ऊपर उच्च दाब प्रणाली और प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब प्रणाली के बीच का अंतर विशेष रूप से स्पष्ट होता है, जिससे इन पवनों की संभावना बढ़ जाती है।

पेरू में नाजका जियोग्लिफ्स

AI और ड्रोन तकनीक में हालिया प्रगतियों ने नई नाजका जियोग्लिफ्स की खोज को अत्यधिक तीव्र कर दिया है।

परिचय

- **परिभाषा:**
  - नाजका लाइंस व्यापक स्तर पर जियोग्लिफ्स हैं, जो भूमि पर बनाए गए डिजाइन या रूपांकनों को दर्शाती हैं।
  - इन डिजाइनों को पत्थरों, कंकड़, मिट्टी या लकड़ी जैसे प्राकृतिक तत्त्वों को हटाकर या व्यवस्थित करके बनाया गया है, जिससे जटिल आकृतियाँ और पैटर्न बनते हैं, जो ऊँचाई से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
- **अवस्थिति:**
  - नाजका लाइंस पेरू के शुष्क तटीय मैदान में स्थित हैं, जो लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में, नाजका मरुस्थल में हैं।
  - इस क्षेत्र की शुष्क और बिना पवन वाली जलवायु ने इन जियोग्लिफ्स को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखने में योगदान दिया है, क्योंकि वर्षा की कमी ने डिजाइनों की संरचना को बनाए रखने में मदद की है।
- **खोज और अध्ययन:**
  - नाजका लाइंस पहली बार 1920 के दशक के मध्य में पर्वतारोहियों द्वारा खोजी गई थीं, लेकिन उनकी पूरी महत्त्वता बाद में समझी गई।

- 1926 में, पेरू के पुरातत्त्वविद टोरीबियो मेजिया जेस्पे ने इन लाइंस का अधिक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन प्रारंभ किया।

- **प्रदर्शित डिजाइन:** नाजका लाइंस विभिन्न प्रकार के रूपांकनों को दर्शाती हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:
  - **जीव-जंतु:** इन लाइंस में विभिन्न जीवों, वास्तविक और पौराणिक दोनों, को दर्शाया गया है, जैसे मकड़ी, हमिंगबर्ड, बंदर, छिपकली, पेलिकन और यहाँ तक कि किलर व्हेल।
  - **पौधे और वनस्पति:** लाइंस में पौधों, पेड़ों और फूलों का भी चित्रण किया गया है, जो नाजका संस्कृति की प्रकृति से गहरी जुड़ाव और स्थानीय वनस्पति के ज्ञान को दर्शाता है।
  - **ज्यामितीय रूपांकन:** जीवों के चित्रण के अलावा, इन जियोग्लिफ्स में सर्पिल, त्रिभुज, आयत और लहरदार रेखा जैसे ज्यामितीय आकार भी शामिल हैं, जो ज्यामिति और स्थानिक डिजाइन की उनकी जटिल समझ का संकेत देते हैं।
  - **पौराणिक आकृतियाँ:** कुछ डिजाइन पौराणिक प्राणियों की प्रतीत होती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि नाजका संस्कृति में एक समृद्ध विश्वास प्रणाली थी, जिसमें प्रतीकात्मक चित्र शामिल थे।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - नाजका लाइंस का अधिकांश भाग माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था, जब नाजका सभ्यता इस क्षेत्र में फली-फूली।
  - नाजका लोग प्रकृति के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रखते थे, और ये लाइंस संभवत: अनुष्ठानिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं।
  - इन लाइंस का उपयोग खगोलीय या कैलेंडर प्रणालियों का हिस्सा होने के लिए किया जा सकता है, जो खगोलीय पिंडों के अनुरूप हैं, या धार्मिक जुलूसों के लिए मार्ग के रूप में सेवा करती थीं।
- **यूनेस्को द्वारा मान्यता:** 1994 में, नाजका लाइंस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई।

जियोग्लिफ्स

- **परिभाषा:**
  - जियोग्लिफ्स व्यापक स्तर पर डिजाइन या रूपांकन हैं, जो पृथ्वी की सतह को परिवर्तित कर बनाए जाते हैं।
  - इन पैटर्न को सामान्यत: पत्थरों, मिट्टी या कंकड़ को व्यवस्थित या हटाकर बनाया जाता है, ताकि ऊपर से देखे जाने पर आकृतियाँ दिखाई दें।
  - जियोग्लिफ्स का आकार भिन्न हो सकता है, जो सरल रेखाओं और आकारों से लेकर अत्यंत जटिल और विस्तृत आकृतियों तक हो सकता है।
- **जियोग्लिफ्स के प्रकार:** जियोग्लिफ्स में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ शामिल हो सकती हैं, जैसे:
  - **पशुओं की आकृतियाँ:** जीव-जंतुओं, वास्तविक या पौराणिक, का चित्रण जो प्राय: प्रतीकात्मक या अनुष्ठानिक महत्त्व रखते हैं।
  - **ज्यामितीय डिजाइन:** सरल या जटिल ज्यामितीय पैटर्न, जैसे सर्पिल, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग, जो सांस्कृतिक, धार्मिक या खगोलीय अर्थ रख सकते हैं।
  - **मानव आकृतियाँ:** कुछ मामलों में जियोग्लिफ्स मानव आकृतियों को दर्शाती हैं, जो प्राय: प्राचीन संस्कृतियों की आध्यात्मिक या अनुष्ठानिक प्रथाओं से जुड़ी होती हैं।

कर्च जलडमरूमध्य

हाल ही में कर्च जलडमरूमध्य के निकट तूफान से क्षतिग्रस्त हुए एक तेल टैंकर के कारण तेल रिसाव हुआ, जिससे हजारों टन भारी ईंधन तेल, या माजुत, समुद्र में फैल गया।

परिचय

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **क्षेत्र:** कर्च जलडमरूमध्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग है।
  - **संपर्क:** यह काला सागर को अजोव सागर से जोड़ने वाला एकमात्र जलमार्ग है, जो समुद्री परिवहन के लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्ग बनाता है।
- **ऐतिहासिक नाम:**
  - **रोमन नाम:** रोमनों द्वारा इसे "सिमेरियन बॉस्फोरस जलडमरूमध्य" कहा जाता था।
  - **ग्रीक नाम:** प्राचीन ग्रीक ग्रंथों में इसे "सिमेरियन जलडमरूमध्य" के नाम से जाना जाता था।
- **कर्च जलडमरूमध्य विभाजित करता है:**
  - **कर्च प्रायद्वीप:** पश्चिम में स्थित, जो रूस द्वारा अधिकृत क्रीमिया प्रायद्वीप का हिस्सा है।
  - **तमन प्रायद्वीप:** रूस में स्थित, जो पूर्व में स्थित है।

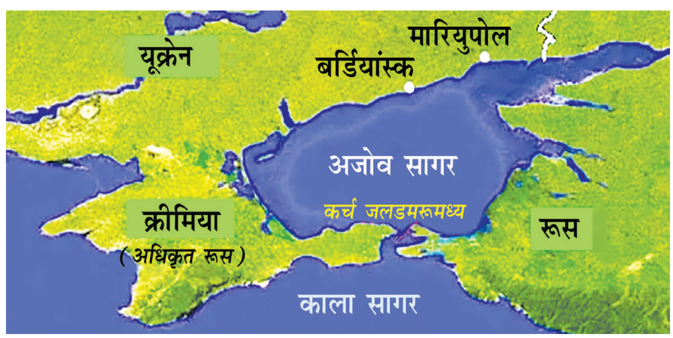

- **आयाम:**
  - **लंबाई:** लगभग 3 किलोमीटर ।
  - **चौड़ाई:** सबसे चौड़े भाग में 15 किलोमीटर और चुष्का लैंडस्पिट के पास सबसे संकरे भाग में 3-5 किलोमीटर ।
  - **गहराई:** लगभग 18 मीटर ।

- **कर्च शहर:** जलडमरूमध्य के मध्य के पास, क्रीमिया की ओर स्थित यह शहर ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - **नौवहन मार्ग:** यह जलडमरूमध्य अजोव सागर से काला सागर तक पहुँच प्रदान करने वाला एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक नौवहन गलियारा है।
  - **संघर्ष क्षेत्र:** यह जलडमरूमध्य रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का केंद्र रहा है, विशेष रूप से 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के आधिपत्य के पश्चात्। जलडमरूमध्य पर नियंत्रण क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मॉल्डोवा

हाल ही में, पूर्वी यूरोप के देश मॉल्डोवा गणराज्य ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का आधिकारिक उद्घाटन किया।

परिचय

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **क्षेत्र:** मॉल्डोवा, जिसे पहले बेस्साराबिया के नाम से जाना जाता था, पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आवेष्ठित देश है।
  - **सीमाएँ:** यह निम्नलिखित देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है:
    - उत्तर, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन
    - पश्चिम में रोमानिया
  - **बाल्कन प्रायद्वीप:** मॉल्डोवा दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित है, जिसका नाम बाल्कन पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है।
- **भौतिक विशेषताएँ:**
  - **नदियाँ:**
    - **प्रुत नदी:** यह एक घुमावदार नदी है, जो मॉल्डोवा की पश्चिमी सीमा का अधिकांश भाग रोमानिया के साथ बनाती है।
    - **निस्टर नदी:** यह देश के पूर्वी भाग से होकर बहती है, और एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता और सीमा के रूप में कार्य करती है।
  - **पर्वत:** मॉल्डोवा कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित है, जो इस क्षेत्र की जलवायु और भू-भाग को अत्यधिक सीमा तक प्रभावित करती है।

गोलन हाइट्स

हाल ही में, इजरायली सरकार ने सीरिया से लगातार खतरों का दृष्टान्त देते हुए, आधिपत्य वाले गोलन हाइट्स पर अपनी जनसंख्या को दोगुना करने का फैसला किया।

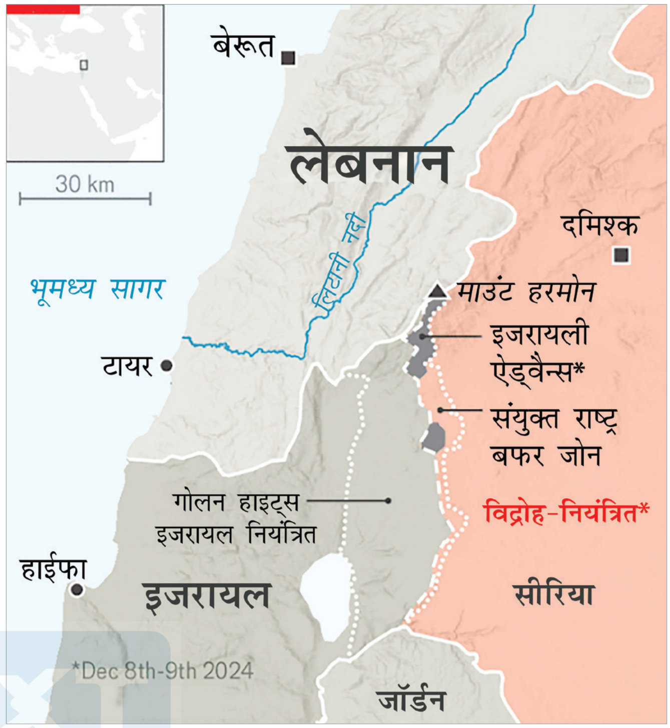

परिचय

- **भौगोलिक परिदृश्य:**
  - **स्थान:** गोलन हाइट्स एक 1,200 वर्ग किलोमीटर का पथरीला पठार है, जो दक्षिण-पश्चिम सीरिया में स्थित है और जॉर्डन नदी घाटी को दृष्टिगत करता है।
  - **नाम की उत्पत्ति:** "गोलन" नाम बाइबिल में वर्णित शरण के शहर गोलन इन बाशान से लिया गया है।
  - **सीमाएँ:**
    - **उत्तर:** माउंट हर्मन
    - **दक्षिण:** यरमूक नदी
    - **पश्चिम:** जॉर्डन नदी और गैलिली सागर
    - **पूर्व:** मौसमी वादी अल-रुकाद
  - **जल संसाधन:**
    - गोलन हाइट्स शुष्क क्षेत्र में जल का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
    - पठार के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा जॉर्डन नदी में प्रवाहित होती है, जो कृषि और क्षेत्रीय जल आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करती है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - **1967 का छह दिवसीय युद्ध:** इस संघर्ष के दौरान इजरायल ने गोलन हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर सीरिया से आधिपत्य कर लिया।
  - **1973 का योम किप्पुर युद्ध:** सीरिया ने इस क्षेत्र को वापस पाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा।
  - **1974 का अलगाव समझौता:**
    - यह युद्धविराम समझौता योम किप्पुर युद्ध के पश्चात् हुआ।
    - इसने इजरायली और सीरियाई सेनाओं को पृथक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जाने वाले एक बफर जोन की स्थापना की।

- युद्धविराम रेखा की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र अलगाव पर्यवेक्षक बल (UNDOF) का गठन किया गया।
- **1981 का अधिग्रहण:** इजरायल ने औपचारिक रूप से गोलन हाइट्स को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, हालाँकि यह पहल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
- **2019 में अमेरिकी मान्यता:** संयुक्त राज्य अमेरिका गोलन हाइट्स पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता देने वाला पहला प्रमुख देश बना। सीरिया अभी भी गोलन हाइट्स को अपना क्षेत्र मानता है।

- **सैन्य उपस्थिति और महत्त्व:**
  - **गैर-सैन्यीकृत क्षेत्र** (DMZ): यह क्षेत्र "एरिया ऑफ सेपरेशन" नामक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जाने वाले बफर जोन द्वारा विभाजित है।
    - यह जोन इजरायली और सीरियाई सेनाओं को पृथक करता है, और क्षेत्र में तुलनात्मक स्थिरता बनाए रखता है।
  - **रणनीतिक महत्त्व:** गोलन हाइट्स इजरायल के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा बफर के रूप में कार्य करता है।
    - इसकी ऊँचाई वाली स्थिति एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जिससे इजरायल सीरिया और लेबनान में सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर सकता है।
    - इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति सीरिया और अन्य क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करती है।

मसाली

हाल ही में, मसाली गाँव भारत का पहला सोलर-पावर्ड (सौर ऊर्जा से संचालित) सीमावर्ती गाँव बन गया है।

परिचय

- **भौगोलिक अवस्थिति:** मसाली गाँव भारत के गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित है।
- **सीमा के निकटता:** यह गाँव पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे यह एक रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सीमा क्षेत्र का हिस्सा बनता है।
- **जनसंख्या:** गाँव में लगभग 800 लोग रहते हैं, जो ग्रामीण आवासों में बसे हुए हैं।
- **सौर ऊर्जा से संचालित घर:** दूरस्थ क्षेत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने की व्यापक पहल के अंतर्गत, मसाली ने 119 घरों पर सोलर रूफटॉप सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं।
- **विद्युत उत्पादन:** सोलर पैनल 225 किलोवाट से अधिक विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिससे घरों की ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी होती हैं और उनसे भी अधिक उत्पादन होता है।
- **ऊर्जा स्रोत:** यह पहल प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत लागू की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है।
  - यह परियोजना सीमा विकास परियोजना का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों को सतत् बुनियादी ढाँचे के साथ आधुनिक बनाना है।
- **पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव:** सोलर रूफटॉप गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने, निवासियों के लिए विद्युत लागत घटाने और पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।

लेसोथो

हाल ही में, भारत ने खाद्य सुरक्षा और पोषण में सहायता के लिए लेसोथो को 1,000 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी।

परिचय

- **भूगोल**
  - **एन्क्लेव्ड नेशन:** लेसोथो एक एन्क्लेव्ड देश है, जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है।
  - **वैश्विक स्थिति:** यह विश्व का एकमात्र स्वतंत्र राज्य है, जो पूरी तरह से 1,400 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित है।

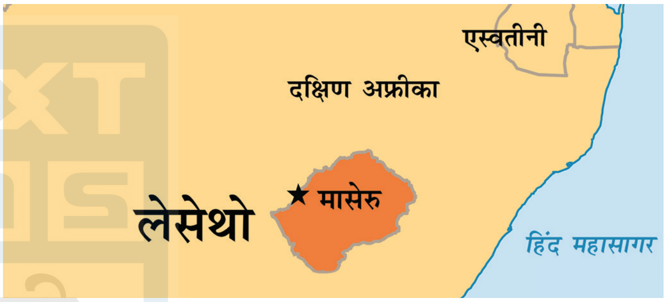

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
  - **प्रारंभिक निवासी:** प्रारंभ में, यह क्षेत्र खोइसन-भाषी शिकारी-संग्राहकों का आवास था।
  - **सोथो लोगों का उदय:** 19वीं शताब्दी में, सोथो लोगों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
  - **बसुतोलैंड की स्थापना:**
    - 1822 में, दूरदर्शी नेता मोशोशो प्रथम ने शाका जुलु के अधीन जुलु बलों के विरुद्ध बचाव के लिए विभिन्न समूहों को एकजुट करके बसुतोलैंड की स्थापना की।
    - उनके नेतृत्व ने इस क्षेत्र को माउंटेन किंगडम के रूप में मान्यता दिलाई।
  - **स्वतंत्रता:** लेसोथो ने 4 अक्टूबर, 1966 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। राजा मोशोशो द्वितीय देश के संप्रभु बने, जिन्होंने एकता और लोचशीलता की विरासत को जारी रखा।
- **प्राकृतिक विशेषताएँ**
  - **सबसे ऊँचा स्थान:** देश में थबाना एन्टलेन्याना की चोटी है, जो लेसोथो का सबसे ऊँचा स्थान है।
  - **प्रमुख नदी:** ऑरेंज नदी, जो लेसोथो हाइलैंड्स में सिंकू नदी के रूप में निकलती है, 2,100 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है।
- **राजधानी:** मासेरू।

पैंगोंग त्सो

हाल ही में, पैंगोंग त्सो झील के तट पर 14,270 फीट की ऊँचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

परिचय

- **स्थान और ऊँचाई:**
  - **ऊँचाई:** ये झील हिमालय में 4,350 मीटर (14,270 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है।
  - **स्थिति:** भारत के जम्मू और कश्मीर में लेह से लगभग 140 किमी. दूर अवस्थित है।
  - **भूगोल:** पैंगोंग झील एक अंतर्देशीय झील (जो समुद्र में नहीं बहती) है, जो एक भिन्न, भूमि-बंद नदी बेसिन में है, और सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है।
- **क्षेत्र:**
  - **लंबाई:** ये झील 134 किमी. (83 मील) लंबी है, जो भारत और चीन दोनों में फैली हुई है।
  - **चौड़ाई:** झील अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 5 किमी. (3.1 मील) चौड़ी है।
  - **क्षेत्र:** ये झील 604 वर्ग किमी. के क्षेत्र को आच्छादित करती है।
  - **वितरण:** झील का लगभग 60% हिस्सा चीन में अवस्थित है।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:**
  - **जल का रंग:** पैंगोंग झील अपने अनोखे रंग बदलने वाले जल के लिए प्रसिद्ध है, जो भिन्न-भिन्न प्रकाश स्थितियों में नीले से लाल और हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है।
  - **शीत ऋतु में जमना:** खारा होने के बावजूद, शीत ऋतु के महीनों में झील पूरी तरह से जम जाती है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक महत्त्व:** यह झील विवादित क्षेत्र में स्थित है, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) इसके बीच से गुजरती है, जिससे यह भारत-चीन सीमा विवाद में एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

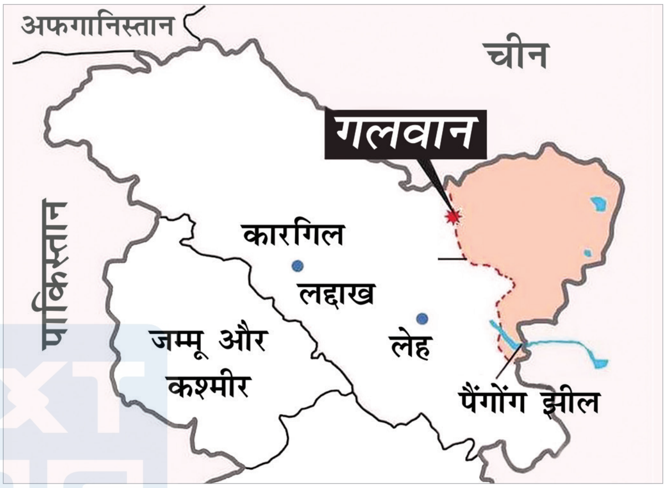

महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थल

- **जाग्रेब-क्रोएशिया:** 21 दिसंबर को क्रोएशिया गणराज्य ने जाग्रेब के "प्रीको" प्राथमिक विद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों पर हुए दुखद हमले के पीड़ितों के सम्मान में शोक दिवस मनाया।
- **लोबिटो कॉरिडोर:**
  - यह एक रेलमार्ग है, जो अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और जाम्बिया को जोड़ता है, और अटलांटिक महासागर तक मार्ग प्रदान करता है।
  - दिसंबर के प्रारंभ में, अंगोला की अपनी यात्रा के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोबिटो कॉरिडोर परियोजना के लिए 600 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की थी।
  - यह वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश साझेदारी (PGII) पहल का एक भाग है।
- **दीर अल-बलाह:** यह मध्य गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी शहर है। इजरायली सेना ने 240 से अधिक फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई चिकित्सा कर्मचारी और उत्तरी गाजा के एक अस्पताल के निदेशक भी शामिल हैं।
- **एन जामेना:** एन जामेना चाड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अप्रैल 2021 में लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे इदरीस डेबी इटनो की मृत्यु के पश्चात् चाड के तीन साल के संक्रमण काल को समाप्त करने के लिए चुनावों की योजना बनाई गई थी।
- **ल्हासा:** यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी है, जो हिमालय की घाटी में ल्हासा नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है।
  - तिब्बती महिलाएँ परी दिवस (Fairy's Day) मनाने के लिए ल्हासा के जोखांग मंदिर में एकत्रित हुई और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं उत्सवों का प्रदर्शन किया।
- **तम्मुन शहर:** तम्मुन फिलिस्तीन राज्य के तुबास प्रांत में एक फिलिस्तीनी शहर है। इजरायल ने तम्मुन शहर सहित आधिपत्य वाले पश्चिमी तट के कम से कम छह क्षेत्रों में रात भर छापे मारे।
- **सेटिनजे:**
  - यह मोंटेनेग्रो में एक शहर है। मोंटेनेग्रो के आंतरिक मामलों के मंत्री ने बताया कि सेटिनजे में हुई गोलीबारी में दो बच्चों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए।
- **त्बिलिसी:** यह जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया में हजारों लोगों ने यूरोपीय संघ की वार्ता रोकने के सरकार के फैसले के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हुई, तथा नए चुनावों की माँग की गई।
- **मापुटो:** यह मोजाम्बिक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी की चुनाव में जीत की पुष्टि किए जाने के पश्चात् देश में अशांति फैल गई, तथा चुनाव के पश्चात् हुई हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गयी।
- **गाटुन झील:** यह पनामा में एक स्वच्छ जल की कृत्रिम झील है। असाधारण जल विज्ञान सुधार में, पनामा नहर के लिए प्राथमिक जल स्रोत, गाटुन झील का जल स्तर दिसंबर में रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचने की अपेक्षा थी।
- **सना:** यह यमन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अपने आंतरिक राजनीतिक संकट के अलावा, सना सहित यमन के प्रमुख शहरों पर इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों द्वारा बमबारी की जा रही है।

6 आंतरिक सुरक्षा

निर्देशक का जलावतरण

भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक का जलावतरण करने के लिए तैयार है।

परिचय

- INS निर्देशक भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत (बड़े) प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूसरा जहाज है।
- **उद्देश्य:** हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, नेविगेशन सहायता और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया।
- **निर्माणकर्त्ता:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता।
- **स्वदेशी सामग्री:** 80% से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को दर्शाता है।
  - **'निर्देशक'** नाम, जिसका अर्थ है **'पथप्रदर्शक'**, समुद्री मार्गों का सटीक मानचित्रण करने में इसकी भूमिका को प्रकट करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने NIA की शक्तियों का विस्तार किया

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने NIA की जाँच शक्तियों का विस्तार किया।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय ने NIA अधिनियम, 2008 की धारा 8 की व्याख्या की है और माना है कि एजेंसी की शक्तियाँ केवल अनुसूचित अपराधों तक ही सीमित नहीं हैं।
- इसने NIA की शक्तियों का विस्तार करते हुए गैर-अनुसूचित अपराधों की जाँच को भी इसमें शामिल कर लिया है, यदि वे अनुसूचित अपराधों से जुड़े हैं, और NIA को अपनी प्राथमिक जाँच से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों की व्यापक श्रेणी की जाँच करने की अनुमति दी है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

- **सांविधिक निकाय:** यह भारत का प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कार्य बल है, जिसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधिनियमन के पश्चात् 2009 में स्थापित किया गया था।
- यह भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **मुख्य उद्देश्य:** इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों, जैसे आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

NIA अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- **अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ:** NIA को अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है, जिसमें आतंकवादी कृत्य, राज्य के विरुद्ध अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले अन्य अपराध शामिल हैं।
  - NIA के पास पूरे भारत में अपराधों की जाँच करने का भी अधिकार है।
  - NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने NIA को भारत के बाहर किए गए अपराधों की जाँच करने की अनुमति दी, अगर वे भारतीय नागरिकों से जुड़े हों या भारतीय हितों को प्रभावित करते हों। इसने एजेंसी को मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराधों की जाँच करने का भी अधिकार दिया।
- **विशेष न्यायालय:** अधिनियम अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। इन न्यायालयों को सुनवाई करने, निर्णय पारित करने और दंड लगाने का अधिकार है।

विस्तार के निहितार्थ:

- **बढ़ी हुई जाँच पहुँच:** NIA अब अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला की जाँच कर सकती है, जिससे जटिल आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना:** NIA को संबंधित गैर-अनुसूचित अपराधों की जाँच करने की अनुमति देकर, यह निर्णय एजेंसी की संगठित अपराध और आतंकवाद नेटवर्क को समाप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है।
- **कानूनी स्पष्टता:** यह निर्णय NIA की शक्तियों के दायरे पर स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो भविष्य की जाँच और अभियोजन को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर

केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्त्वपूर्ण संपर्क के रूप में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्त्व पर प्रकाश डाला, और कहा कि इस क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की उपस्थिति पूरे देश के लिए एक आश्वासन है।

परिचय:

- इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है।
- यह महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित पूर्वी भारत का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है।
- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण यह महत्त्वपूर्ण सैन्य महत्त्व रखता है।

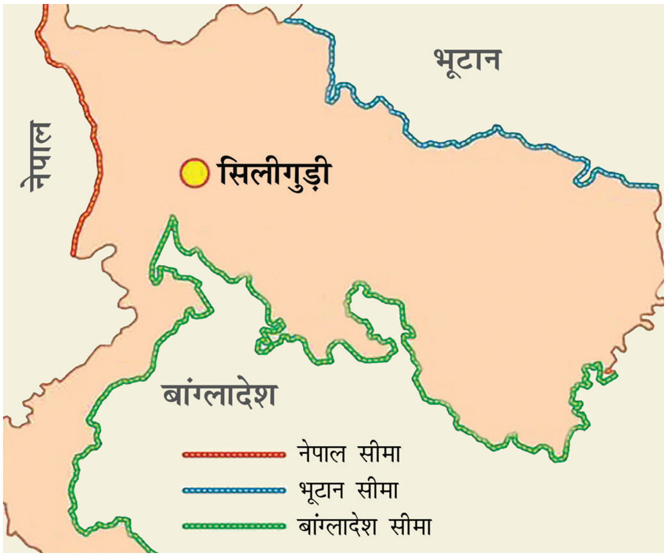

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- **मूल मंत्रालय:** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के हिस्से के रूप में गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **स्थापना:** 1962 के चीनी आक्रमण के जवाब में मई 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठित।
- **जिम्मेदारी:**
  - सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सीमा क्षेत्र के निवासियों में विश्वास उत्पन्न करना।
  - सीमा पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र से अनधिकृत प्रवेश या निकास को रोकना।
  - भारतीय सीमाओं पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला करना।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **तैनाती:** भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर कार्य करता है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने की आवश्यकता

- **सामरिक संपर्क:** सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यहाँ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्यवधान से आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और सैन्य सहायता की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **सैन्य और रक्षा महत्त्व:** यह गलियारा चीन (डोकलाम के करीब, जहाँ 2017 में गतिरोध हुआ था), नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित है। इस क्षेत्र की सुरक्षा से संघर्ष या संकट के दौरान सैनिकों और आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है।
- **भू-राजनीतिक भेद्यता:** गलियारे की संकीर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण इसे अवरोधों का आसान लक्ष्य बनाया जा सकता है। **उदाहरण** के लिए, डोकलाम गतिरोध के दौरान, चीनी आक्रामकता के प्रति गलियारे की कमजोरी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं। यहाँ कोई भी व्यवधान पूर्वोत्तर को पृथक् कर सकता है और विरोधियों को स्थिति का लाभ उठाने का मौका दे सकता है।
- **आर्थिक और व्यापारिक महत्त्व:** यह बेनापोल-पेट्रापोल सीमा क्रॉसिंग जैसे मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जो द्विपक्षीय व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा संभालता है। इस गलियारे को सुरक्षित करने से स्थिर आर्थिक गतिविधि और संसाधन प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** यह क्षेत्र उग्रवाद और बाहरी प्रभावों से ग्रस्त है।
  - उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों ने ऐतिहासिक रूप से कमजोर कनेक्टिविटी का लाभ उठाया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और शांति मजबूत होती है।

MH-60R हेलीकॉप्टर

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत उपकरणों की 1.17 बिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी प्रदान की।

परिचय

- MH-60R (**"रोमिया"**) एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है, जिसे पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह पनडुब्बियों और सतही जहाजों दोनों को निशाना बनाता है, और जहाजों और तट-आधारित सुविधाओं दोनों से संचालित हो सकता है।
  - MH-60R टॉरपीडो, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेटों, हेलफायर मिसाइलों और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो से लैस है।
- उन्नत सेंसर से लैस, MH-60R में मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इन्फ्रारेड कैमरे, डेटालिंक, डिपिंग सोनार और सोनोबॉय शामिल हैं।
- **भारत के लिए महत्त्व:** यह देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देगा। यह सौदा भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसके नौसैनिक संचालन को बढ़ाता है।

दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024

केंद्र सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 अधिसूचित किए।

परिचय

- ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A का स्थान लेंगे।
- **नियम 419A:**
  - यह सरकार या अधिकृत एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर संदेशों को रोकने और प्रकट करने का अधिकार देता है।
  - संदेशों को सार्वजनिक आपातकाल, रक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने जैसी स्थितियों में रोका जा सकता है।
  - नियम यह भी अनिवार्य करता है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अवरोधन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें।

नये नियमों के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **अवरोधन हेतु प्राधिकार:** यह विधेयक केंद्रीय गृह सचिव और गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव को किसी भी संदेश को अवरोधन करने का आदेश देने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता है।
  - संघ सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी भी **'अपरिहार्य परिस्थितियों'** में अवरोधन का ऐसा आदेश जारी कर सकता है।
  - केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी।
- **दूर-दराज के क्षेत्रों में या परिचालन कारणों से:** केंद्रीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी का प्रमुख या दूसरा सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी अवरोधन का आदेश जारी कर सकता है।
- **समय सीमा:** यदि किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा अवरोधन आदेश की पुष्टि सात दिनों के भीतर नहीं की जाती है, तो अवरोधित किए गए किसी भी संदेश का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- नियम 419A के अंतर्गत अवरोधन की सुरक्षा और प्रक्रिया को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप 2007 में अधिसूचित किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता के अधिकार को उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए बिना मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता।
- **रिकॉर्ड का विनाश:** नियम अधिकृत एजेंसी और समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक महीने में अवरोधन से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करने का भी आदेश देते हैं।
- **नियम का दायरा बढ़ाया गया:** केवल 'आपातकालीन मामलों' में ही अधिकृत एजेंसियों द्वारा अवरोधन की शर्त में ढील दी गई है।
  - अब अधिकृत एजेंसियों द्वारा अवरोधन संभव है, यदि सक्षम प्राधिकारी के लिए 'दूरस्थ क्षेत्रों या परिचालन कारणों' से आदेश जारी करना संभव न हो।
- **अतिरिक्त प्राधिकरण:** नियम 419A के अंतर्गत राज्य स्तर पर IGP रैंक के अधिकारियों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी, जिन्हें अवरोधन के लिए अधिकृत किया जा सकता था।
  - लेकिन अब अधिकृत एजेंसी के प्रमुख के अलावा केवल दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही इंटरसेप्शन के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र

रक्षा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न पहलों को क्रियान्वित किया है।

संबंधित प्रमुख कार्यक्रम

- **प्रौद्योगिकी विकास निधि** (TDF) **योजना:**
  - **उद्देश्य:** उद्योगों, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **क्षेत्र:** रक्षा मंत्रालय (MOD) द्वारा वित्त पोषित और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत DRDO द्वारा निष्पादित।
  - **विशेषताएँ:** अनुदान सहायता के रूप में प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण।
    - इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन में नए उद्योगों को एकीकृत करना है।
- **DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (DIA-CoE):**
  - **उद्देश्य:** अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए DRDO, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना।
  - **संरचना:** IISc बैंगलोर, IITs और केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में केंद्र स्थापित किए गए। अनुसंधान एवं नवाचार के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा।
- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX):**
  - **उद्देश्य:** MSMEs, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना।
- **डेयर टू ड्रीम इनोवेशन प्रतियोगिता:**
  - **लॉन्च:** 2019 से DRDO द्वारा प्रत्येक वर्ष। डेयर टू ड्रीम 5.0 को रक्षा मंत्री द्वारा अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया।
  - **उद्देश्य:** रक्षा और एयरोस्पेस उन्नति के लिए विचारों का प्रस्ताव करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को एक साथ लाना।

INS 'तुशील'

हाल ही में, स्टील्थ फ्रिगेट INS 'तुशील' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

परिचय

- जहाज 'तुशील' को रूस ने भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित किया था।
- संस्कृत में 'तुशील' से तात्पर्य है रक्षक कवच।
- यह प्रोजेक्ट 1135.6 का हिस्सा है, जिसे गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की तलवार श्रेणी भी कहा जाता है। ये रूस के क्रिवाक III श्रेणी के फ्रिगेट के उन्नत संस्करण हैं।
- INS तुशील उन्नत भारतीय और रूसी हथियारों एवं सेंसर से लैस है, जिसे तटीय और गहरे समुद्र में अकेले या समूह में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह रडार और सोनार द्वारा पता लगाने को कम करने के लिए स्टील्थ तकनीक का उपयोग करता है। स्टील्थ तकनीक के माध्यम से किसी वस्तु का प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, जो विमान, लड़ाकू जेट, जहाज, पनडुब्बी, उपग्रह, मिसाइल आदि को रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य पहचान तकनीकों के लिए प्रेक्षण करना कठिन कर देती है।

अभ्यास CINBAX

भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के मध्य संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास CINBAX का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे (भारत) में आरंभ हुआ।

परिचय

- **उद्देश्य:** यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद-रोधी (CT) अभियानों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया एक योजना से संबंधित अभ्यास है।
  - यह अभ्यास तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, और इसमें सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) संचालन आदि पर चर्चा शामिल होगी।

अभ्यास अग्नि वॉरियर (XAW-2024)

भारतीय सेना और सिंगापुर सेना ने महाराष्ट्र में अभ्यास अग्नि वॉरियर (XAW) के 13वें संस्करण का समापन किया।

परिचय

- वर्ष 2004 से भारत में आयोजित होने वाला एक्स.ए.डब्लू. सैन्य द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आयोजित किया जाता है।
- **एक्स.ए.डब्लू.-2024 का उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना है।

अभ्यास डेजर्ट नाइट

भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने हवाई युद्ध रक्षा अभ्यास "डेजर्ट नाइट" आरंभ किया।

परिचय

- **शामिल देश:** भारत, फ्रांस और यू.ए.ई.।
- **स्थान:** अरब सागर
- **उद्देश्य:**
  - त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - तीनों देशों की वायु सेनाओं के मध्य युद्ध कौशल और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना।

सूर्य किरण अभ्यास

अभ्यास सूर्य किरण का 18वाँ संस्करण 31 दिसंबर, 2024 से 13 जनवरी, 2025 तक नेपाल के सलझंडी में होगा।

परिचय

- यह भारत और नेपाल के बीच बारी-बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **महत्त्व:**
  - यह परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सैनिकों के युद्ध कौशल, समन्वय और परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है।
  - इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत वन क्षेत्र में युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में अंतर-संचालन को बढ़ाना है।

सैन्य कूटनीति

- इसमें विदेश नीति के लक्ष्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए रक्षा संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। उदाहरणों में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना योगदान, मानवीय सहायता और भारत द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- **महत्त्व:**
  - **विश्वास का निर्माण और संघर्षों को कम करना:** नियमित संवाद और आदान-प्रदान अविश्वास एवं संभावित संघर्षों को कम करते हैं।
  - **गठबंधनों को मजबूत करना:** रक्षा समझौते, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहन देते हैं।
- **आधुनिकीकरण और क्षमताएँ:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और संयुक्त परियोजनाओं (जैसे, भारत-रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल) को बढ़ावा देता है।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नैनो बबल प्रौद्योगिकी

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल प्रौद्योगिकी का अनावरण किया।

परिचय

- यह नैनोबबल्स नामक अत्यंत सूक्ष्म बुलबुलों का उपयोग करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाने की एक अत्याधुनिक विधि है।
  - ये बुलबुले इतने छोटे होते हैं (व्यास में 200 नैनोमीटर से भी कम) कि वे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते।
- **कार्यप्रणाली:** सतह पर आने वाले और फटने वाले सामान्य बुलबुलों के विपरीत, नैनोबबल्स लंबे समय तक जल में बने रहते हैं। इससे उन्हें प्रदूषकों के साथ संपर्क करने और उन्हें तोड़ने का अवसर मिलता है।
  - नैनोबबल्स में एक मजबूत नकारात्मक चार्ज होता है, जो उन्हें जल में अशुद्धियों को आकर्षित करने और तोड़ने में मदद करता है।
    - वे शैवाल, कार्बनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि तेल और ग्रीस को भी पृथक् कर सकते हैं।
  - नैनोबबल्स जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं।

पारंपरिक तरीकों की तुलना में लाभ

- **जल शोधन के लिए रसायन मुक्त दृष्टिकोण:** यह हानिकारक रसायनों के उपयोग को समाप्त करता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल एवं जलीय जीवन के लिए सुरक्षित हो जाता है।
- **अधिक ऊर्जा-कुशल:** प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए परिचालन लागत में कमी।
- **बहुमुखी अनुप्रयोग:** इसका उपयोग विभिन्न जल निकायों जैसे झीलों, तालाबों, जल-कुंड और यहाँ तक कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में भी किया जा सकता है।

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डी.एन.ए. (ECDNAS)

नेचर में प्रकाशित तीन शोधपत्रों में बताया गया कि कैसे एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA कैंसर और दवा प्रतिरोध की प्रगति में योगदान देता है।

परिचय

- एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA से तात्पर्य उस DNA से है, जो कोशिका में गुणसूत्रों के बाहर उपस्थित होता है।

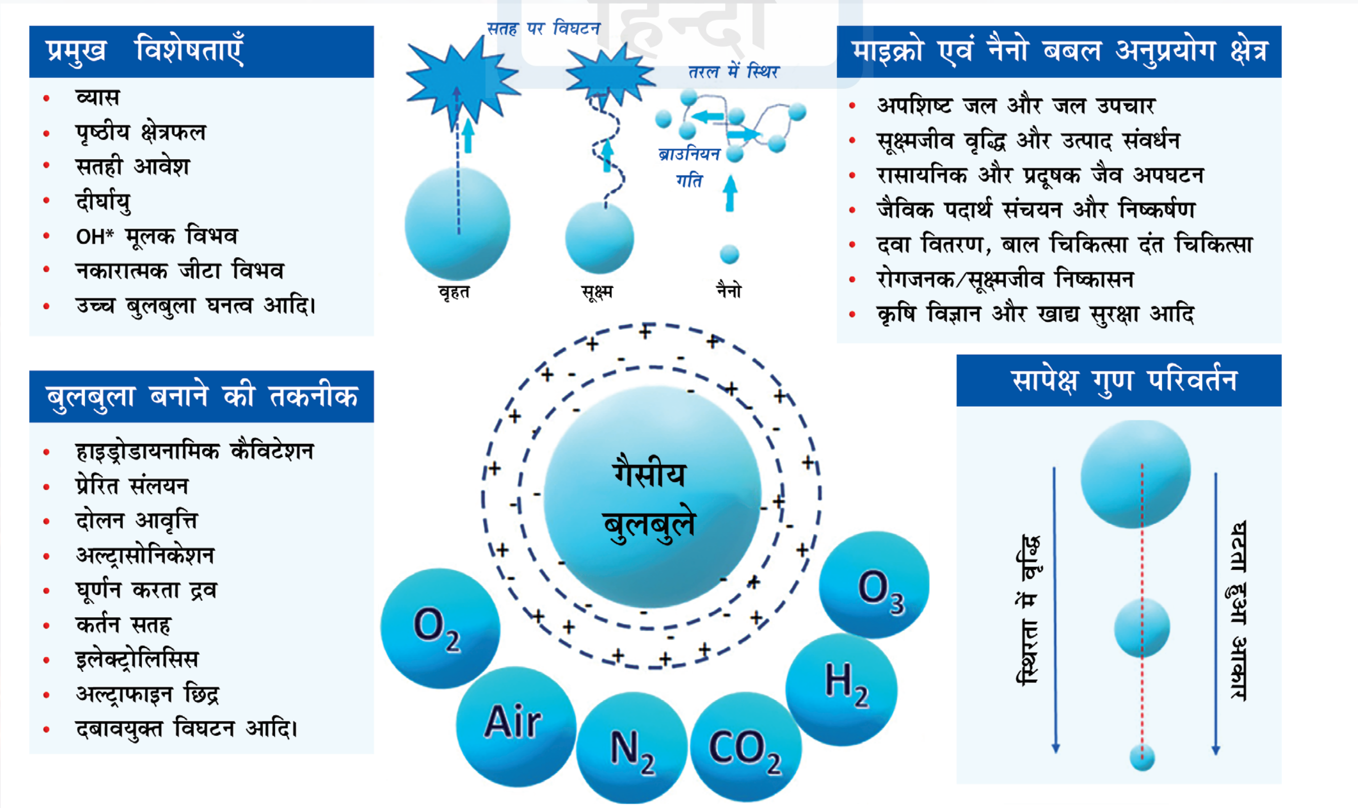

- गुणसूत्री DNA के विपरीत, जो नाभिक (यूकेरियोटिक कोशिकाओं में) या न्यूक्लियॉइड क्षेत्र (प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में) में स्थित होता है, गुणसूत्रेतर DNA कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से या एक पृथक् संरचना में मौजूद होता है।

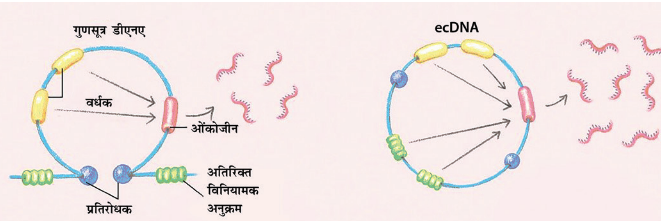

- कुछ कोशिकाओं, विशेषकर कैंसर कोशिकाओं में एक्स्ट्राक्रोमोसोमल सर्कुलर DNA होते हैं, जो गुणसूत्री DNA से अलग होते हैं।
  - ये अणु कुछ जीनों की अनेक प्रतियाँ ले जा सकते हैं तथा जीन के प्रवर्धन में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि दवा प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार जीन।
- गुणसूत्री DNA में जीव के विकास, कार्यप्रणाली और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देशों का पूरा समुच्चय (सेट) होता है।
  - यह जीव की अधिकांश आनुवंशिक जानकारी को जीनों में व्यवस्थित करता है, जो प्रोटीन और कोशिकीय संरचनाओं के निर्माण खंड हैं।
  - मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में DNA का एक लंबा अणु होता है।

मारबर्ग वायरस रोग (MVD)

अफ्रीका के रवांडा में मारबर्ग वायरस रोग का घातक प्रकोप सामने आया है, जिसे प्रायः 'आँखों से खून बहने वाला रोग' कहा जाता है।

परिचय

- **इबोला ट्विन:** यह इबोला की तरह फिलोवायरस कुल से संबंधित है।
  - दोनों ही दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकोप का कारण बनते हैं, जिनमें मृत्यु दर अधिक होती है।
- **उत्पत्तिः** पहला प्रकोप मार्बर्ग, जर्मनी (1967) में हुआ।
  - इसके पश्चात् पूरे अफ्रीका में इसके प्रकोप की खबरें आईं, जिनमें तंजानिया, घाना और अब रवांडा भी शामिल हैं।
- **संचरणः** रौसेटस एजिप्टियस (एक फल खाने वाली चमगादड़ की एक प्रजाति) प्राकृतिक स्रोत है।
  - वायरस संक्रमित फल खाने वाली चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है।
  - मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से होता है
- **लक्षणः** गंभीर सिरदर्द, दर्द, आँखों, मसूड़ों, नाक से खून आना।
- **निदान और उपचारः** एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख (एलिसा) और रियल-टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) परीक्षण का उपयोग करके निदान किया जाता है। कोई स्वीकृत टीके या विशिष्ट एंटीवायरल नहीं, केवल सहायक देखभाल।

गैट पैटर्न विश्लेषण

कोलकाता पुलिस ने हाल ही में एक जघन्य अपराध के संदिग्ध को पकड़ने के लिए गैट पैटर्न विश्लेषण का उपयोग किया, CCTV फुटेज के माध्यम से उसकी पहचान की, जिसमें स्पष्ट रूप से लंगड़ाते हुए चलने की बात सामने आई।

परिचय

- गैट विश्लेषण मानव गति पैटर्न, विशेष रूप से चलने या दौड़ने का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य शरीर की गति, यांत्रिकी और मांसपेशियों की गतिविधि का आकलन करना है।
- इसमें दृश्य अवलोकन, सेंसर, तथा गति संबंधी असामान्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए ऑप्टिकल मार्कर-आधारित ढाँचे जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।

गैट विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोग

- **नैदानिक सेटिंग्सः** पार्किंसंस रोग, सेरेब्रल पाल्सी या स्ट्रोक जैसी स्थितियों वाले लोगों में गतिविधि से संबंधित असामान्यताओं का निदान और उपचार करना।
- **खेल बायोमैकेनिक्सः** एथलीटों को अधिक कुशलता से दौड़ने में मदद करना और गति संबंधी समस्याओं की पहचान करना।
- **फोरेंसिक विज्ञानः** किसी संदिग्ध व्यक्ति के चलने की तुलना अपराध स्थल पर मौजूद साक्ष्यों, जैसे पैरों के निशान या CCTV फुटेज से करना।

सिलिकोसिस

कई वर्षों तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने वाले खदान श्रमिकों में सिलिकोसिस विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

परिचय

- सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जो सूक्ष्म सिलिका धूल के शरीर के अंदर जाने से होती है, जो प्रायः खनन, निर्माण और पत्थर काटने जैसे उद्योगों में पाई जाती है।
- इससे फेफड़ों में सूजन और घाव हो जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
- इसके लक्षणों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द शामिल हो सकते हैं, जो संक्रमण के अनेक वर्षों के पश्चात् विकसित हो सकते हैं।
  - **क्रोनिक सिलिकोसिसः** यह रोग लंबे समय तक सिलिका धूल के निम्न स्तर के संपर्क में रहने से विकसित होता है।
  - **त्वरित सिलिकोसिसः** यह कम अवधि में अधिक जोखिम के कारण होता है।
  - **तीव्र सिलिकोसिसः** यह रोग थोड़े समय के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम के कारण होता है, जिससे फेफड़ों को गंभीर क्षति होती है।
- **सिलिकोसिस** संक्रामक नहीं है, क्योंकि यह किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है।
- **सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं** है, क्योंकि फेफड़ों की क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता।

आनुवंशिक रूप से संशोधित मलेरिया परजीवी

हाल के समय में, वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छरों के आनुवंशिक संशोधन से हटाकर मलेरिया उत्पन्न करने वाले परजीवियों पर केंद्रित कर लिया।

परिचय

- परंपरागत रूप से, मलेरिया को नियंत्रित करने के प्रयास मच्छरों पर केंद्रित रहे हैं।
- **कुछ प्रमुख दृष्टिकोणों में शामिल हैं:**
    - **विकिरण-वंध्यीकृत मच्छर:** वंध्यीकृत नर मच्छरों को छोड़ने से निषेचन रुक जाता है, जिससे मच्छरों की आबादी कम हो जाती है।
    - **मच्छरों में परजीवी वृद्धि को मंद करना:** आनुवंशिक इंजीनियरिंग मच्छरों की आंत में प्लास्मोडियम परजीवी की वृद्धि को मंद कर देती है, जिससे मनुष्यों में इसका संक्रमण रुक जाता है।
    - **आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर:** मच्छरों की वृद्धि और मेटिंग के माध्यम से प्लास्मोडियम परजीवियों के प्रति आनुवंशिक प्रतिरोध फैलाने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे संचरण दर कम हो जाती है।

आनुवंशिक संशोधन की कार्यप्रणाली:

- **प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना:** आनुवंशिक रूप से संशोधित परजीवी वैक्सीन की तरह कार्य करते हैं, तथा यकृत चरण के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, ताकि व्यक्ति को भविष्य में होने वाले संक्रमणों से बचाया जा सके।
- **नियंत्रित वृद्धि निरोध:** परजीवी की वृद्धि को छठे दिन रोक दिया जाता है (परजीवी की वृद्धि को रोकने में विलंब करना), जिससे परजीवी के मारे जाने से पहले प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
- **त्वरित बनाम विलंबित वृद्धि निरोध:** त्वरित वृद्धि निरोध (पहले दिन) प्रतिरक्षा जोखिम को सीमित करती है, जिससे प्रभावशीलता कम हो जाती है, जबकि विलंबित वृद्धि निरोध बेहतर सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा प्राइमिंग को बढ़ाती है।

विकास का महत्त्व:

- **वैक्सीन जैसा प्रभाव:** आनुवंशिक रूप से संशोधित परजीवी प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं, तथा वैक्सीन के समान सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **लक्षित दृष्टिकोण:** केवल मच्छरों पर ध्यान केंद्रित करने वाले तरीकों के विपरीत, परजीवियों को संशोधित करने से प्लास्मोडियम जीवन चक्र प्रत्यक्ष रूप से बाधित होता है, जिससे रोग का खतरा घट जाता है।
- **प्रतिरोध पर काबू पाना:** मच्छरों में कीटनाशक प्रतिरोध और परजीवियों में दवा प्रतिरोध के बढ़ने के साथ, यह दृष्टिकोण एक आशाजनक वैकल्पिक रणनीति प्रस्तुत करता है।
- **बढ़ी हुई प्रभावकारिता:** परजीवियों को विलंबित वृद्धि निरोध से प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे मलेरिया की रोकथाम की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:

- **जैव सुरक्षा मुद्दे:** आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMO) के विमोचन और उपयोग में जैव सुरक्षा जोखिम शामिल हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए।
- **नैतिक विचार:** परजीवियों का आनुवंशिक संशोधन प्राकृतिक जैविक प्रणालियों में परिवर्तन के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है।

मलेरिया

- यह एक जानलेवा बीमारी है, जो कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है।
- **संचरण:** यह प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण संचरित होता है।
    - प्लास्मोडियम परजीवी संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं।
    - रक्त आधान और दूषित सुई भी मलेरिया फैला सकती है।
- **परजीवियों के प्रकार:** प्लास्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियाँ हैं, जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं।
    - इनमें से दो प्रजातियाँ – पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स – सबसे बड़ा खतरा हैं।
    - अन्य मलेरिया प्रजातियाँ जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं- वे हैं पी. मलेरिया, पी. ओवेल और पी. नोलेसी।
    - पी. फाल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है, और अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। पी. विवैक्स उप-सहारा अफ्रीका के बाहर ज्यादातर देशों में मलेरिया का प्रमुख परजीवी है।
- **लक्षण:** बुखार और फ्लू जैसी बीमारी, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है।

भारतजेन

भारतजेन एक बहुआयामी बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल है, जो भारत की भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता के अनुरूप उन्नत जनरेटिव AI मॉडल विकसित कर रही है।

परिचय

- यह सरकार द्वारा वित्तपोषित पहली मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि जनरेटिव AI मॉडल भारत के विविध भाषायी परिदृश्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करें।
    - यह विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करता है और स्टार्टअप्स, उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के लिए घरेलू AI पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करता है।
- **भारतजेन की चार प्रमुख विशिष्ट विशेषताएँ हैं:**
    - आधारभूत मॉडलों की बहुभाषीय एवं बहुविध प्रकृति;
    - भारतीय डाटा सेट आधारित निर्माण एवं प्रशिक्षण;
    - ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म और
    - देश में जनरेटिव AI अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- भारतजेन ने प्राथमिक डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करते हुए **"भारत डेटा सागर"** नामक एक पहल प्रारंभ की है।

- इस डेटा संग्रह का उद्देश्य इस आवश्यकता को पूरा करना है कि उन भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षण डेटा उपलब्ध हो जिनका प्रतिनिधित्व कम है।

LLM का अर्थ

- LLM का तात्पर्य है **लार्ज लैंग्वेज मॉडल**, जो मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को संदर्भित करता है।
- ये मॉडल, जैसे कि GPT (जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर), विविध डेटासेट पर अपने व्यापक प्रशिक्षण का लाभ उठाकर प्रश्नों का उत्तर देने, पाठ को सारांशित करने, रचनात्मक सामग्री बनाने और यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग सहित विभिन्न तरह के कार्य करने में सक्षम हैं।

भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक

IIT मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा कर लिया, जो उन्नत परिवहन हेतु महत्त्वपूर्ण पहल है।

परिचय

- **मुंबई-पुणे कॉरिडोर** भारत में पहली व्यापक स्तर की हाइपरलूप परियोजना होगी।
- **अर्थ:** हाइपरलूप एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है, जहाँ दाबयुक्त वाहनों के रूप में कार्य करने वाले पॉड्स, निम्न दाब वाली नलियों के माध्यम से असाधारण गति से चलते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **गति:** हाइपरलूप पॉड्स 360 किमी./घंटा की परिचालन गति के साथ 1200 किमी./घंटा तक की गति प्राप्त कर सकते हैं।
  - **घर्षण रहित प्रणाली:** वैक्यूम-सीलबंद वातावरण में संचालित होती है, जिससे प्रतिरोध एवं ऊर्जा खपत न्यूनतम होती है।
  - **दक्षता:** बिना किसी मध्यवर्ती पड़ाव के सीधे, पॉइंट टू पॉइंट यात्रा प्रदान करता है।

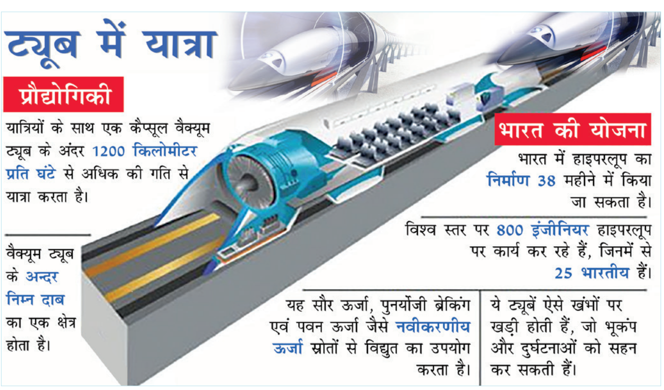

लाभ:

- **ऊर्जा दक्षता:** कम वायु प्रतिरोध और घर्षण के कारण, हाइपरलूप प्रणाली अत्यधिक ऊर्जा कुशल युक्त होने की अपेक्षा है।
- **स्थायित्व:** अनेक हाइपरलूप संकल्पनाओं को सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे पर्यावरण के अनुकूल बन जाते हैं।
- **यात्रा समय में कमी:** हाइपरलूप शहरों के बीच यात्रा समय में व्यापक कमी ला सकता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक व्यवहार्य हो जाएगी।

गूगल की क्वांटम चिप 'विलो'

गूगल ने विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की।

क्वांटम चिप

- क्वांटम चिप एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर चिप है, जिसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो परमाणु जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों का विज्ञान है।
- यद्यपि नियमित चिप्स सूचना को संसाधित करने के लिए 'बिट्स' (0 या 1) का उपयोग करते हैं, क्वांटम चिप्स 'क्यूबिट्स' का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 0 या 1 या दोनों हो सकते हैं।
  - यह अद्वितीय क्षमता क्वांटम चिप्स को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल गणनाओं को बहुत तीव्र गति से हल करने की अनुमति प्रदान करती है।

विलो का परिचय

- विलो सुपरकंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स का उपयोग करके कार्य करता है - जो अत्यंत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत सर्किट होते हैं।
  - इन सर्किटों को क्वांटम अवस्था में कृत्रिम परमाणुओं की तरह कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - इन संवेदनशील क्वांटम अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, क्यूबिट को परम शून्य से थोड़ा ऊपर के तापमान तक ठंडा किया जाता है।
  - इससे कंपन और अन्य गड़बड़ियाँ कम हो जाती हैं जो क्यूबिट को बाधित कर सकती हैं, और गणना में त्रुटियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **उपलब्धियाँ:**
  - इसने एक जटिल गणना को 5 मिनट से भी कम समय में हल कर दिया है, जिसे पूरा करने में एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 10 सेप्टिलियन (10^{25}) वर्ष लगते।
  - विलो त्रुटियों को तीव्र गति से कम कर सकता है, क्योंकि हम अधिक क्यूबिट का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। यह क्वांटम त्रुटि सुधार में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती को हल करता है, जिसे इस क्षेत्र ने लगभग 30 वर्षों तक आगे बढ़ाया है।
- **अनुप्रयोग**
  - **क्रिप्टोग्राफी:** क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन को भी सक्षम कर सकते हैं, जिससे क्वांटम कुंजी वितरण का उपयोग करके सुरक्षित संचार सुनिश्चित होता है।

- **औषधि खोज:** क्वांटम सिमुलेशन आणविक अंत:क्रियाओं को परमाणु स्तर पर मॉडल कर सकता है, जिससे नई औषधियों के विकास में तीव्रता आएगी एवं परीक्षण-और-त्रुटि विधियों पर निर्भरता कम होगी।
- **अनुकूलन:** क्वांटम एल्गोरिदम रसद, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में जटिल अनुकूलन समस्याओं को पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत तीव्र गति से हल करते हैं।
- **मशीन लर्निंग:** क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग को गति देकर और बड़े डेटासेट के लिए AI मॉडल के प्रशिक्षण में सुधार करके मशीन लर्निंग को बढ़ाती है।
- **पदार्थ विज्ञान:** क्वांटम पदार्थों का अनुकरण विशिष्ट गुणों के साथ उन्नत पदार्थों को डिजाइन करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा भंडारण और अर्धचालकों में नवाचारों में सहायता मिलती है।
- **जलवायु मॉडलिंग:** क्वांटम प्रणालियाँ विशाल डेटासेट को संसाधित करती हैं, जिससे जलवायु पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार होता है, और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिए, बेहतर जलवायु सिमुलेशन, ऊर्जा अनुकूलन, कार्बन कैप्चर के लिए सामग्री की खोज आदि।

क्वांटम कंप्यूटिंग में शामिल सिद्धांत

- **सुपरपोजिशन:** यह वह स्थिति है जिसमें एक क्वांटम कण या सिस्टम न केवल एक संभावना का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बल्कि कई संभावनाओं का संयोजन हो सकता है।
- **एंटैंगलमेंट:** यह वह प्रक्रिया है, जिसमें अनेकों क्वांटम कण नियमित संभावना की तुलना में अधिक मजबूती से सहसंबंधित हो जाते हैं।
- **डिकोहेरेंस:** यह वह प्रक्रिया है, जिसमें क्वांटम कण और प्रणालियाँ क्षय, पतन या परिवर्तन कर सकते हैं, पारंपरिक भौतिकी द्वारा मापने योग्य एकल अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकते हैं।
- **इंटरफेरेंस:** यह वह घटना है जिसमें एंटैंगल क्वांटम अवस्थाएँ परस्पर क्रिया कर सकती हैं, और अधिक या कम संभावित संभावनाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

हीमोफीलिया A के इलाज के लिए नवीन जीन थेरेपी

भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर हीमोफीलिया A के इलाज के लिए जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

परिचय

- हीमोफीलिया A एक आनुवंशिक विकार है जो फैक्टर VIII (रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रोटीन) की अनुपस्थिति या शिथिलता के कारण उत्पन्न होता है।
- गंभीर हीमोफीलिया A रोगियों में थक्का बनाने वाले कारक का स्तर 1% से भी कम होता है, जिसके कारण बार-बार, स्वत: स्फूर्त रक्तस्राव होता है।
- भारत में हीमोफीलिया रोगियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, अनुमानत: 40,000-100,000 व्यक्ति इससे प्रभावित हैं।

पारंपरिक उपचार

- इसमें फैक्टर VIII या अन्य विकल्पों के बार-बार इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, जिससे यह महँगा और बोझिल हो जाता है।
- **अनुमानित लागत:** भारत में 10 वर्षों में प्रति मरीज 2.54 करोड़ रुपये ($300,000)।

जीन थेरेपी एकल समाधान के रूप में

- शरीर में एक चिकित्सीय जीन प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे रक्तस्राव को रोकने के लिए फैक्टर VIII का पर्याप्त स्तर उत्पन्न हो जाता है।
- CMC वेल्लोर परीक्षण में रोगी की स्टेम कोशिकाओं में थक्का बनाने वाले कारक जीन को एकीकृत करने के लिए लेन्टिवायरस वेक्टर का उपयोग किया गया, जिससे एडेनोवायरस वेक्टर के उपयोग से बचा जा सका, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है।
- लेन्टिवायरस एक प्रकार का वायरल वेक्टर है जो मेजबान कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री स्थानांतरित करने में सक्षम है।

जीन थेरेपी

- **परिभाषा:** एक चिकित्सा तकनीक जो रोगों के उपचार, रोकथाम या इलाज के लिए जीन का उपयोग करती है:
  - दोषपूर्ण जीन को परिवर्तित करना।
  - हानिकारक जीन को निष्क्रिय करना।
  - स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नए जीन को उत्पन्न करना।
- **उपयोग की जाने वाली विधियाँ:**
  - **प्लाज्मिड डी.एन.ए.:** चिकित्सीय जीन को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए गोलाकार डी.एन.ए. अणु।
  - **मानव जीन संपादन:** सटीक जीन संशोधनों के लिए CRISPR जैसे उपकरण।
- **जीन थेरेपी के प्रकार:**
  - **जर्मलाइन जीन थेरेपी:** कार्यात्मक जीन को पेश करने के लिए जर्म कोशिकाओं (शुक्राणु या अंडा) को लक्षित करती है।
    - परिवर्तन वंशानुगत होते हैं।
  - **सोमैटिक सेल जीन थेरेपी:** चिकित्सीय जीन को सोमैटिक कोशिकाओं (गैर-जर्मलाइन कोशिकाओं) में स्थानांतरित करती है।
    - परिवर्तन का प्रभाव संतानों तक नहीं पहुँचता।
- **अनुप्रयोग:**
  - **वंशानुगत विकार:** सिकल सेल रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस।
  - **अधिग्रहित विकार:** कैंसर, ल्यूकेमिया।

EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के डॉ. प्रेम कौशल और डॉ. राजेंद्र मोतियानी को यूरोपीय आणविक जीवविज्ञान संगठन (EMBO) ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के लिए चुना गया।

परिचय

- EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क उन युवा समूह नेताओं को सहायता प्रदान करता है जो चिली, भारत, सिंगापुर और ताइवान में अपनी स्वतंत्र प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के प्रारंभिक चरण में हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- नए EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर्स को चार वर्षों तक वित्तीय सहायता मिलेगी।

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB)

- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी यूनेस्को के कार्यक्रमों के साथ श्रेणी II केंद्र के रूप में अंतर संबंध स्थापित करती है।
- इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना और विभिन्न विषयों के इंटरफेस पर अभिनव अनुसंधान करना है।
- 2016 में, RCB को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान गई थी।

जल में मैंगनीज की उपस्थिति कैंसर का कारण

एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि जल में मैंगनीज (Mn) प्रदूषण बिहार के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कैंसर का कारण बन रहा है।

परिचय

- **विषाक्तता संबंधी चिंताएँ:** अत्यधिक सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें तंत्रिका संबंधी विकार और कैंसर भी शामिल हैं।
  - भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार, पीने के पानी में मैंगनीज की स्वीकार्य सीमा 0.1 मिलीग्राम/लीटर है, और अनुमेय सीमा 0.3 मिलीग्राम/लीटर है।
- **मैंगनीज** पृथ्वी पर पाँचवीं सबसे प्रचुर धातु है, जो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट के रूप में पाई जाती है।
  - यह एक कठोर, भंगुर, चाँदी जैसी धातु है और भोजन, पानी, मिट्टी और चट्टान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटक के रूप में मौजूद है।
- **आवश्यक सूक्ष्म तत्त्व:** मैंगनीज चयापचय प्रक्रियाओं, एंजाइम कार्यों और हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करके शरीर के होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भूजल में अन्य तत्त्वों के अंश

आर्सेनिक, फ्लोराइड, लवणता, लोहा, मैंगनीज, यूरेनियम, रेडॉन, स्ट्रोंटियम, क्रोमियम, सेलेनियम और नाइट्रेट।

विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (SHRI)

हाल ही में, विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (SHRI) के पाँच वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया।

परिचय

- **शुभारंभ:** 2019
- सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान पर केंद्रित एक नया कार्यक्रम जिसका उद्देश्य विशेषज्ञ सहयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीन समाधानों के माध्यम से विरासत से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है।
- **उद्देश्य:**
  - **क्षमता निर्माण:** सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास करना, और नए शोधकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करना।
  - **संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास:** विरासत संरक्षण के लिए सामग्री क्षरण प्रक्रियाओं, संरक्षण तकनीकों, हस्तक्षेप प्रौद्योगिकियों और नैदानिक उपकरणों पर उन्नत अनुसंधान।
  - **सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा:** समुदायों, समूहों और व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग उपयोग, अभिव्यक्ति, ज्ञान और तकनीकों की सुरक्षा करना।
  - **जनजातीय कला उन्नयन:** जनजातीय कलाओं में मूल्य संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों को समर्थन प्रदान करना।
- **नोडल मंत्रालय:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

वर्मम थेरेपी

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

परिचय

- वर्मम चिकित्सा सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत एक अद्वितीय और पारंपरिक उपचार प्रक्रिया है, और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में इसकी प्रभावशीलता के लिए इसे लंबे समय से सम्मानित किया जाता रहा है।
- यह विशेष रूप से मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द, चोटों और तंत्रिका संबंधी विकारों में तीव्र गति से राहत प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है।
- सिद्ध चिकित्सा में वर्माकलाई (वर्मन से जुड़ा मार्शल आर्ट रूप) एक वैज्ञानिक आधारित चिकित्सीय पद्धति है, जिसका उपयोग स्ट्रोक, गठिया और आघात-संबंधी चोटों सहित तीव्र और दीर्घकालिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान

- राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सिद्ध चिकित्सा के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक संस्थान है।
- इसकी स्थापना 2005 में तांबरम, चेन्नई, भारत में की गई थी।

भारत द्वारा अपना पहला मधुमेह बायोबैंक स्थापित किया

भारत ने चेन्नई में मधुमेह के लिए अपना पहला बायोबैंक स्थापित किया।

परिचय

- बायोबैंक एक ऐसी सुविधा है, जो रक्त, ऊतक और डी.एन.ए. जैसे जैविक नमूनों को एकत्रित, संसाधित, संगृहित और वितरित करती है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इस डायबिटीज बायोबैंक की शुरुआत की है।

- इस पहल का उद्देश्य भारतीय आबादी में मधुमेह के कारणों, विविधताओं और जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मधुमेह पर वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाना है।

बायोबैंक का महत्त्व

- **वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्थन:** यह शोधकर्त्ताओं को टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि मधुमेह सहित विभिन्न प्रकार के मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के जैव नमूनों की विविध रेंज तक पहुँच प्रदान करेगा।
- **बायोमार्कर्स की पहचान:** बायोबैंक मधुमेह के शीघ्र निदान के लिए नवीन बायोमार्कर्स की खोज में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत उपचार और प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए बायोमार्कर्स महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत को विश्व में मधुमेह के केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ 10 करोड़ से अधिक मधुमेह के मामले और लगभग 13.6 करोड़ पूर्व-मधुमेह के मामले हैं।

मधुमेह के प्रकार

- **टाइप 1 मधुमेह:** शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली आपके अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है, और उन्हें नष्ट कर देती है।
  - टाइप 1 मधुमेह का सामान्यत: बच्चों और युवा वयस्कों में निदान किया जाता है, हालाँकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है।
  - टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को जीवित रहने के लिए प्रत्येक दिन इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है।
- **टाइप 2 मधुमेह:** शरीर इंसुलिन का निर्माण या उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है।
  - टाइप 2 मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। हालाँकि, इस प्रकार का मधुमेह प्राय: मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में होता है।
  - टाइप 2 मधुमेह का सबसे सामान्य प्रकार है।

अग्न्याशय की भूमिका

अग्न्याशय एक बहि:स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, पाचन के लिए छोटी आंत में नलिकाओं के माध्यम से पाचन एंजाइम (एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज) और बाइकार्बोनेट स्रावित करता है, और एक अंत:स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जो रक्त शर्करा को विनियमित करने तथा चयापचय संतुलन बनाए रखने के लिए सीधे रक्तप्रवाह में इंसुलिन एवं ग्लूकागन जैसे हार्मोन जारी करता है।

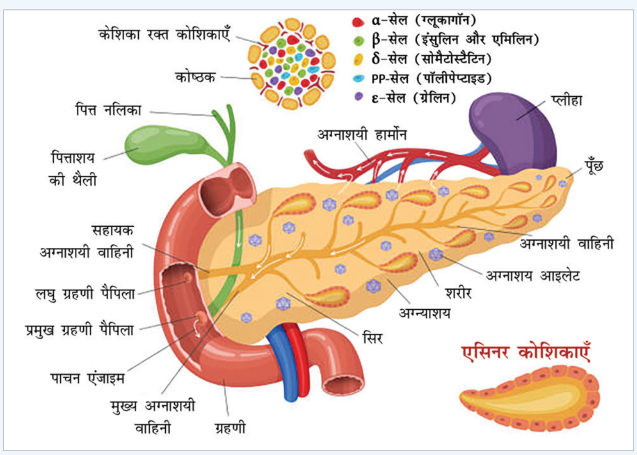

जनरेटिव AI सुपरकंप्यूटर 'जेटसन ओरिन नैनो सुपर'

अग्रणी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट निर्माता एनवीडिया ने जेटसन ओरिन नैनो सुपर प्रस्तुत किया।

परिचय

- यह बेहतर प्रदर्शन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाला एक कॉम्पैक्ट जनरेटिव AI सुपरकंप्यूटर है।
  - जनरेटिव AI सुपरकंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से जनरेटिव AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने, अनुकूलित करने और तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - यह विशाल कम्प्यूटेशनल संसाधनों, उन्नत हार्डवेयर (जैसे GPU और TPU) और कुशल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को संयोजित करता है, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे पाठ, चित्र और सिमुलेशन उत्पन्न करने की गहन माँगों को पूरा किया जा सके।
- यह हाथ की हथेली में फिट हो जाता है, तथा डेवलपर्स और छात्रों को AI उपकरण बनाने के लिए शक्तिशाली AI क्षमताएँ प्रदान करता है।
- इसे सभी आकार के व्यवसायों के लिए AI को अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे छोटे व्यवसाय भी कुशलतापूर्वक AI समाधान लागू कर सकें।
- यह स्मार्ट निगरानी, रोबोटिक्स, स्मार्ट रिटेल, स्वास्थ्य सेवा, AI-संचालित स्मार्ट घर, स्वायत्त वाहन, अनुसंधान, सामग्री निर्माण आदि सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

किसान कवच

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने "किसान कवच" का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडीसूट है, जिसे किसानों को हानिकारक कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया है।
- **विकासकर्त्ता:** ब्रिक-इनस्टेम, बैंगलोर, सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से।
- **प्रौद्योगिकी:** इसे "ऑक्सीम फैब्रिक" से बनाया गया है, जो सामान्य कीटनाशकों को रासायनिक रूप से विघटित कर सकता है, जो छिड़काव के दौरान कपड़ों या त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं।
  - कपड़े को न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उपचारित किया जाता है, जो कपास सामग्री पर कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देता है।
- **महत्त्व:** किसानों को कीटनाशकों से होने वाली विषाक्तता से बचाना, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे श्वास संबंधी विकार, दृष्टि हानि और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

स्पीड गन

तीव्र गति से वाहन चलाने की समस्या से निपटने के लिए, संपूर्ण भारत में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यातायात नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में स्पीड गन पर तेजी से विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है।

परिचय

- **परिभाषा:** बिना संपर्क के गतिशील वस्तुओं की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, जिसका उपयोग सामान्यत: यातायात पुलिस द्वारा गति सीमा लागू करने के लिए किया जाता है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - **डॉप्लर प्रभाव:** वे चलती गाड़ी से परावर्तित तरंगों (सामान्यत: रेडियो तरंगों) की आवृत्ति में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं।
  - **उच्च आवृत्ति (निकट आता वाहन):** यदि वाहन बंदूक की ओर बढ़ रहा है, तो परावर्तित तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है।
  - **निम्न आवृत्ति (दूर जाता वाहन):** यदि वाहन दूर जा रहा है, तो आवृत्ति कम हो जाती है।
  - **गति गणना:** बंदूक इस आवृत्ति अंतर के आधार पर गति की गणना करती है।

सीमाएँ:

- **बीम डायवर्जेंस:** रेडियो तरंगें फैल सकती हैं, जिससे एक साथ कई वाहनों की गति मापी जा सकती है, जिससे गलत रीडिंग प्राप्त हो सकती है।
- **हस्तक्षेप:** सतत्-तरंग रडार अनेक वाहनों या अन्य वस्तुओं से परावर्तन के कारण प्रभावित हो सकता है, जिससे त्रुटियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **लागत:** इन सीमाओं की भरपाई के लिए उन्नत प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिससे वे अधिक महँगी हो जाती हैं।

LIDAR स्पीड गन में परिवर्तन

- **LIDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग):** बेहतर लक्ष्य निर्धारण और सटीकता के लिए रेडियो तरंगों के स्थान पर लेजर प्रकाश का उपयोग करता है।
- LIDAR में न्यूनतम किरण विचलन सटीक माप सुनिश्चित करता है।

जैव-बिटुमेन

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में नागपुर-मानसर बाईपास (NH-44) पर भारत के पहले जैव-बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया।

परिचय

- **परिभाषा:** बायो-बिटुमेन पारंपरिक पेट्रोलियम-आधारित बिटुमेन का एक हरित विकल्प है, जो सड़क निर्माण में प्रयुक्त डामर का एक प्रमुख घटक है।
- **नवीकरणीय स्रोत:** यह फसल के अवशेष, वनस्पति तेल, शैवाल या लिग्निन (पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल बहुलक) जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। यह इसे अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है।

लाभ:

- **उत्सर्जन में कमी:** पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन की तुलना में बायो-बिटुमेन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी सीमा तक कम करता है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **बढ़ी हुई स्थायित्व:** यह बेहतर शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे सड़कें लंबे समय तक चलती हैं और रख-रखाव की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **अपशिष्ट में कमी:** फसल अवशेष जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग बायो-बिटुमेन के उत्पादन के लिए करने से अपशिष्ट में कमी आती है, तथा पराली जलाने जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकने में मदद मिलती है।

अनुप्रयोग

- **सड़क निर्माण:** बायो-बिटुमेन डामर मिश्रण में पेट्रोलियम बिटुमेन का प्रत्यक्ष स्थान ले सकता है, जिससे सड़कें अधिक टिकाऊ बन सकती हैं।
- **संशोधक और पुनर्जीवनकर्त्ता:** इसका उपयोग पारंपरिक बिटुमेन के गुणों को बढ़ाने या पुराने डामर फुटपाथों को पुनर्जीवन देने के लिए भी किया जा सकता है।
- **औद्योगिक उपयोग:** बायो-बिटुमेन का उपयोग जलरोधक, गोंद और अन्य औद्योगिक सामग्रियों में संभावित है।

क्वांटम सैटेलाइट

भारत 2-3 वर्ष के अंदर एक क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जिससे क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके सुरक्षित संचार को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे आगे रखती है।

परिचय:

- **क्वांटम उपग्रह:** यह संकेतों को सुरक्षित करने और अवरोधन को रोकने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है।
- **क्वांटम उपग्रह:** यह संकेतों को सुरक्षित करने और अवरोधन को रोकने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है।
- **क्वांटम कुंजी वितरण (QKD):**
  - इसकी उपयोगिता क्वांटम कणों (जैसे फोटॉन) की अवस्थाओं में परिवर्तन को मापने में निहित है।
- यह क्वांटम एंटैंगलमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है।
  - **क्वांटम एंटैंगलमेंट:** इसका अर्थ है कि कणों की अवस्थाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक कण में परिवर्तन से दूसरे पर तत्क्षण प्रभाव पड़ता है, भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर हों।
- यदि कोई गुप्तचर हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो यह फोटॉन को परिवर्तित कर देता है, और प्रेषक को सचेत कर देता है।
  - इस प्रकार यह किसी भी अवरोध का पता लगाकर अटूट सुरक्षा प्रदान करता है।

NEXT IAS हिन्दी

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

- इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद द्वारा 2023 से 2031 तक आठ वर्षों की अवधि के लिए 6003.65 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ की गई थी।
- मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना, उसका पोषण करना और उसे आगे बढ़ाना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित डोमेन में चार विषयगत हब (टी-हब) स्थापित करना है:
  - क्वांटम कंप्यूटिंग,
  - क्वांटम संचार,
  - क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, और
  - क्वांटम सामग्री और उपकरण।

डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत का पहला डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) उपग्रह संपर्क प्रारंभ किया, जो उपग्रह संचार को रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है।

परिचय:

- **परिभाषा:** D2D प्रौद्योगिकी उपग्रहों को अंतरिक्ष में सेल टावरों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे संचार के लिए स्थलीय बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **कार्य सिद्धांत:**
  - उपग्रहों और उपकरणों के बीच दो-तरफा संचार को सक्षम करने के लिए गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN) प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
  - NTN: जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा परिभाषित किया गया है, यह अंतरिक्ष या वायु-आधारित संचार नेटवर्क को संदर्भित करता है जो स्थलीय बुनियादी ढाँचे के बिना संचालित होते हैं।
  - BSNL प्रत्यक्ष संकेत संचरण के लिए पृथ्वी से 36,000 किमी. ऊपर स्थित वायसैट के भूस्थिर एल-बैंड उपग्रहों का लाभ उठाता है।
- **वैश्विक संदर्भ:** AST स्पेसमोबाइल, लिंक ग्लोबल, कांस्टेलेशन ग्लोबल और स्पेसएक्स स्टारलिंक जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियाँ निर्बाध वैश्विक उपग्रह कनेक्टिविटी के लिए D2D तकनीक का उपयोग कर रही हैं।

D2D कनेक्टिविटी की मुख्य विशेषताएँ

- **निर्बाध कवरेज:** जमीन आधारित सेल टावरों पर निर्भरता को समाप्त करता है, तथा दूरस्थ या कठिन क्षेत्रों में भी निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- **हाई-स्पीड इंटरनेट:** सीमित या बिना स्थलीय नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी लगातार इंटरनेट पहुँच प्रदान करता है।
- **आपातकालीन सहायता:** जहाँ सेलुलर या वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ SOS सेवाएँ और आपातकालीन संचार प्रदान करता है।
- **UPI समर्थन:** वंचित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

पार्कर सोलर प्रोब

नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के अब तक के सबसे निकटतम दूरी तक पहुँचने में सफल रहा।

परिचय

- **पार्कर सोलर प्रोब** को नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य सूर्य-पृथ्वी प्रणाली और जीवन एवं समाज पर इसके प्रभाव का पता लगाना है।
- इस कार्यक्रम का प्रबंधन मैरीलैंड स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा किया जाता है। इस मिशन का नाम डॉ. यूजीन एन. पार्कर के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1950 के दशक में पहली बार सौर वायु का सिद्धांत प्रस्तावित किया था और सौर विज्ञान में क्रांति ला दी थी।
- पार्कर के पास चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा, ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने और सौर वायु का चित्र लेने के लिए चार उपकरण हैं।
  - यह अंतरिक्ष यान किसी भी पिछले यान की तुलना में सूर्य के अधिक निकट जा रहा है, तथा बुध की कक्षा के अंदर, सूर्य की सतह से लगभग 4 मिलियन मील (6.5 मिलियन किलोमीटर) की दूरी पर पहुँच रहा है।
- **कोरोना अन्वेषण:** 14 दिसंबर, 2021 को पार्कर सूर्य के कोरोना के माध्यम से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जिसने कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया।
- **उद्देश्य:** पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल, सौर वायु और कोरोना के ताप का अध्ययन करके सूर्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

अन्य देशों के सौर अंतरिक्ष कार्यक्रम

कार्यक्रम	वर्ष	विवरण
हेलिओस 2 सोलर प्रोब	1976	नासा और पश्चिम जर्मनी की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत यह सूर्य की सतह से 43 मिलियन किमी. की दूरी पर पहुँचा।
एडवांस कम्पोजीशन एक्सप्लोरर (ACE)	1997	सूर्य के व्यवहार और अंतरिक्ष पर उसके प्रभाव को समझने के लिए सौर पवन और ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन किया जाता है।
सौर ऑर्बिटर	2020	ESA और नासा की एक संयुक्त परियोजना, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि सूर्य किस प्रकार अंतरिक्ष पर्यावरण का निर्माण और प्रबंधन करता है।
आदित्य-L1	2023	सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन, इसकी सबसे बाहरी परत, कोरोना और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेगा

8 समाज

शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal)

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

परिचय

- **उद्देश्य और कार्यक्षमता:** SHe-Box, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - यह सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्थापित आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) की जानकारी का एक व्यापक स्रोत है।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - **शिकायत पंजीकरण और निगरानी:**
    - SHe-Box महिलाओं को शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
    - यह मंच आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) द्वारा शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटान को सुनिश्चित करता है।
  - **गोपनीयता और समाधान:** यह पोर्टल सुरक्षित शिकायत पंजीकरण की गारंटी प्रदान करता है, जहाँ व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है।
  - **वास्तविक समय में निगरानी:** शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक नामित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होता है।
- **अपग्रेडेड संस्करण (2017):**
  - इस मंच को 2017 में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपग्रेड किया गया है।
  - इस अपग्रेडेड मंच के माध्यम से महिलाएँ सरकारी और निजी दोनों कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
- **शिकायत समाधान के लिए समितियाँ:**
  - **निजी क्षेत्र:** शिकायत के समाधान के लिए एक आंतरिक समिति (IC) का गठन किया जाता है।
  - **सरकारी क्षेत्र:** स्थानीय समिति (LC) का गठन जिला मजिस्ट्रेट (DM), जिला कलेक्टर (DC) या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।
- **निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई:** शिकायतों की निगरानी, समाधान, और लंबित मामलों को देखने के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर नोडल अधिकारियों के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार, जाँच प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का प्रभाव

- **व्यक्ति विशेष पर प्रभाव:**
  - **करियर में बाधा:** यौन उत्पीड़न एक असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण उत्पन्न करता है, जो महिलाओं की पेशेवर वृद्धि और कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। इससे प्रायः करियर ठहराव या करियर बाधित हो सकता है।
  - **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** पीड़ित प्रायः तनाव, चिंता और आत्मसम्मान में कमी का अनुभव करते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
  - **मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न लिंग भेदभाव का रूप है, तथा महिलाओं के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14 और 15) और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।
- **कार्यस्थल पर प्रभाव:**
  - **विषाक्त कार्य संस्कृति:** यह एक विषाक्त वातावरण को बढ़ावा देता है, जो भेदभाव, डराने-धमकाने और अनुचित व्यवहार को सामान्य बनाता है, जिससे कार्यस्थल असुरक्षित और विशेष रूप से महिलाओं के लिए गैर-समावेशी बन जाता है।
  - **उत्पादकता में गिरावट:** पीड़ितों का मनोबल कम हो सकता है, अनुपस्थिति बढ़ सकती है, या वे कार्य में रुचि खो सकते हैं।
- **समाज पर प्रभाव:**
  - **लैंगिक असमानता को बढ़ावा:** यौन उत्पीड़न महिलाओं की करियर वृद्धि और पेशेवर प्रगति को हतोत्साहित करता है, जिससे व्यापक सामाजिक असमानताओं में वृद्धि होती है।
  - **कार्यबल में कम भागीदारी:** उत्पीड़न के कारण महिलाएँ प्रायः अपनी नौकरी छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी न्यून हो जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्पीड़न से जुड़े करियर में व्यवधान लैंगिक वेतन अंतर को और बढ़ा सकते हैं।

भारत में यौन उत्पीड़न के मामलों का अवलोकन

- **विगत् वर्षों में दर्ज मामले:**
  - भारत में 2018 से प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें औसतन प्रत्येक वर्ष 445 मामले सामने आते हैं (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - NCRB के अनुसार)।
  - 2022 में कुल 419 मामले दर्ज किए गए, जो प्रत्येक महीने लगभग 35 मामलों का औसत है। यह वर्षों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं में एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।
- **2022 में राज्यवार वितरण:**
  - **हिमाचल प्रदेश:** 2022 में 97 मामलों के साथ सबसे अधिक कार्यस्थल यौन उत्पीड़न की घटनाएँ दर्ज की गईं।
  - **केरल:** 83 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर।
  - **महाराष्ट्र:** 46 मामले दर्ज किए गए।
  - **कर्नाटक:** 43 घटनाएँ दर्ज की गईं। ये आँकड़े कार्यस्थल पर उत्पीड़न की घटनाओं का संपूर्ण भारत में व्यापक भौगोलिक वितरण प्रदर्शित करते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

- **शुरुआत और फंडिंग:**
  - जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लिंग-आधारित गर्भपात को रोकना और भारत में घटते बाल लिंग अनुपात (CSR) को सुधारना है।
  - प्रारंभ में इसे ₹100 करोड़ के फंड से लागू किया गया था, और यह देश के 405 जिलों में लागू की जा रही है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुख्य उद्देश्य:**
  - **लिंग-आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग-आधारित गर्भपात जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकना और जन्म के समय लिंग अनुपात (SBR) में सुधार करना है।
  - **बालिकाओं की जीवन रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना:** बालिकाओं के जीवन और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, और लिंग-आधारित भेदभाव और हिंसा के कारणों को दूर करना।
  - **बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना:** लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और उन्हें समुदाय और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना।
  - **बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना:** बालिकाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।
- **योजना के घटक:**
  - **प्रचार अभियान:** घटते बाल लिंग अनुपात (CSR) और जन्म के समय लिंग अनुपात (SBR) को सुधारने के लिए पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जो लिंग-आधारित भेदभाव में योगदान देने वाली सामाजिक सोच और मानसिकता को बदलने पर केंद्रित हैं।
  - **बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप:** उन जिलों में विशेष हस्तक्षेप किया जा रहा है, जहाँ लिंग असमानता सबसे अधिक है, ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।
  - **वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाएँ:** सुकन्या समृद्धि योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जो बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को बढ़ावा देने हेतु माता-पिता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **मुख्य विकास और उपलब्धियाँ:**
  - **राष्ट्रीय जन्म के समय लिंग अनुपात** (SRB) **में सुधार:** राष्ट्रीय SRB सूचकांक 918 (2014-15) से बढ़कर 934 (2019-20) हो गया, जो पाँच वर्षों में 16 अंकों का सुधार प्रदर्शित करता है।
  - **जिलों में** SRB **में सुधार:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कवर किए गए 640 जिलों में से 422 जिलों में 2014-15 से 2018-19 के मध्य SRB में सुधार देखा गया।
  - **लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात** (GER) **में वृद्धि:** माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए GER 77.45 (2014-15) से बढ़कर 81.32 (2018-19) हो गया, जो चार वर्षों में 3.87 अंकों का सुधार प्रदर्शित करता है।
  - **विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता:** लड़कियों के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2014-15 में 92.1% से बढ़कर 2018-19 में 95.1% हो गया।
- **अपवाद:** गैर-आवासीय भारतीय (NRI) नागरिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

- **कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में वृद्धि:**
  - वित्तीय वर्ष 2023, इस अवधि में संगठनों के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें कंपनियों ने 1,160 शिकायतें दर्ज कीं-पिछले दशक में सबसे अधिक।
  - यह कार्यस्थल पर बढ़ती जागरूकता और घटनाओं की रिपोर्ट करने की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो संभवत: POSH अधिनियम और SHe-Box मंच जैसी नीतियों के कार्यान्वयन के कारण है।

उठाए गए कदम

- **विशाखा दिशा-निर्देश (1997):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले के प्रतिउत्तर में तैयार किए गए ये दिशा-निर्देश भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित करने का पहला महत्त्वपूर्ण प्रयास था। इसने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम):**
  - POSH अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना और इससे निपटना है।
  - यह शिकायतों के निपटारे के लिए संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और सरकारी निकायों के लिए स्थानीय शिकायत समिति (LCC) के गठन को अनिवार्य बनाता है।
- **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW):**
  - यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण और गरिमा के साथ कार्य करने के अधिकार को मौलिक मानव अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है।
  - भारत ने 1993 में इस सम्मेलन की पुष्टि की, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

मिशन शक्ति का संबल वर्टिकल

हाल ही में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल ने लिंगानुपात और लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में सुधार किया।

परिचय

- **प्रारंभ एवं विस्तार**
  - मिशन शक्ति की शुरुआत 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-2026) के दौरान हुई। यह एक समग्र महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
  - यह एक छत्र पहल के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भारत भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।
- **मिशन शक्ति के घटक**
  - संबल (महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा)
  - यह घटक संकट में पड़ी महिलाओं की तत्काल सुरक्षा पर केंद्रित है, और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
    - **वन स्टॉप सेंटर** (OSC): यह महिलाओं को हिंसा या संकट की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करता है, जिसमें आश्रय, कानूनी सहायता और परामर्श जैसी सेवाएँ शामिल होती हैं।
    - **महिला हेल्पलाइन** (WHL): 24/7 हेल्पलाइन जो संकट में महिलाओं का समर्थन करती है और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्रदान करती है।
    - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** यह अभियान बालिका के जीवन रक्षा, संरक्षण और शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जाता है।
    - **नारी अदालतें:** यह महिलाओं के समूह हैं, जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देते हैं और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
- **समर्थ्य (महिलाओं का सशक्तीकरण):** यह घटक महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, और इसमें विभिन्न मौजूदा योजनाएँ और नई पहल शामिल हैं:
  - **उज्ज्वला योजना:** यह तस्करी, शोषण और हिंसा की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।
  - **स्वाधार गृह:** संकट में पड़ी महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है।
  - **कार्यरत महिला हॉस्टल:** रोजगार के लिए महिलाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्यस्थलों के पास सुरक्षित आवास प्रदान करता है।
  - **राष्ट्रीय क्रेच योजना:** कामकाजी माताओं को किफायती बाल देखभाल सेवाएँ प्रदान कर उनका समर्थन करती है।
  - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** (PMMVY): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  - **आर्थिक सशक्तीकरण के लिए गैप फंडिंग:** महिलाओं को उद्यमिता और कौशल विकास में समर्थन देने के लिए एक नई वित्तीय सहायता प्रणाली।
- **मिशन शक्ति के उद्देश्य:**
  - **समग्र देखभाल और समर्थन:** हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं को तत्काल और दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना, जिसमें बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना शामिल है।
  - **जागरूकता और पहुँच:** सरकारी योजनाओं, कानूनी प्रावधानों और सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  - **सशक्तीकरण के लिए सहयोग:** साझेदार मंत्रालयों, राज्यों और विभागों के साथ मिलकर नीतियों का समन्वय करना और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
  - **बालिका का सशक्तीकरण:** लिंग-भेद आधारित भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका के जीवन की रक्षा, संरक्षण, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना।
  - **महिलाओं की देखभाल के बोझ को न्यून करना:** कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और माइक्रोक्रेडिट तक पहुँच प्रदान करना, ताकि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़े और उनकी देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को कम किया जा सके।

बिरहोर जनजाति

हाल ही में झारखंड की विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह (PVTG) बिरहोर जनजाति के सदस्यों ने पहली बार गिरिडीह में बाल विवाह के विरुद्ध एक आंदोलन में हिस्सा लिया।

परिचय

- **अवस्थिति:** बिरहोर जनजाति परंपरागत रूप से एक घुमंतू समुदाय है, जो मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में निवास करती है। यह जनजाति छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है।
- **नाम का अर्थ:** "बिरहोर" नाम का अर्थ है – "बिर" जिसका आशय वन होता है और "होर" जिसका आशय लोग होता है।
- **भाषा:** बिरहोर लोग बिरहोर भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार के मुंडा समूह की भाषा है।
- **नृविज्ञान:**
  - **शारीरिक विशेषताएँ:** बिरहोर लोग छोटे कद, लंबे सिर, लहराते बाल और चौड़ी नाक से पहचाने जाते हैं।
  - **सांस्कृतिक विश्वास:** वे अपने को सूर्य से उत्पन्न मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि खारवार, जो अपने वंश को सूर्य से जोड़ते हैं, उनके भाई हैं।
  - **नृवैज्ञानिक समानता:** वे नृवैज्ञानिक दृष्टि से संथाल, मुंडा और हो जनजातियों के समान हैं।
- **अर्थव्यवस्था:**
  - बिरहोर जनजाति परंपरागत रूप से एक आदिम जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का पालन करती है, जो मुख्य रूप से घुमंतू संग्रह और शिकार पर आधारित है, विशेषतौर पर बंदरों के शिकार पर।
  - वे एक विशेष लता के रेशों से रस्सी बनाने में कुशल होते हैं, जिसे वे आस-पास की कृषि समुदाय के लोगों को बेचते हैं।
  - समय के साथ, कुछ बिरहोर स्थायी कृषि की ओर भी बढ़े हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण:**
  - **उथलूस:** घुमंतू बिरहोर, जो अब भी अपने पारंपरिक घुमंतू जीवन शैली को बनाए हुए हैं।
  - **जंघीस:** स्थायी रूप से बसे हुए बिरहोर, जिन्होंने स्थिर कृषि को अपनाया है।

9 संस्कृति एवं इतिहास

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय

भारत और फ्रांस ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत नए राष्ट्रीय संग्रहालय "युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय" का विकास किया जाएगा।

परिचय

- यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे संसद के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स में विकसित किया जाएगा।
- **विशेषताएँ:**
  - इसे फ्रांस के सहयोग से "एडाप्टिव री-यूज" के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जो अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है।
  - इसका विकास नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स की ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करते हुए उनकी अद्वितीय वास्तुकला को बनाए रखेगा।
  - यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने की अपेक्षा है, जो पेरिस के लूवर संग्रहालय (जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा है) को भी पीछे छोड़ देगा।
- **यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी।**
  - पहले चरण में नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

- **घोषणा:** 2019 में।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** भारत के 'पावर कॉरिडोर' को नई पहचान देने के लिए पुनर्विकास परियोजना।
  - योजना में नए संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निवासों के साथ-साथ 10 भवन ब्लॉक्स का निर्माण शामिल है, जिनमें सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को स्थान दिया जाएगा।

साँची का महान स्तूप

हाल ही में, मध्य प्रदेश के साँची में महान स्तूप पर दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया।

परिचय

- **अशोक द्वारा नींव:**
  - 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित साँची स्तूप भारत की सबसे प्राचीन सजीव पाषाण की संरचनाओं में से एक है।
  - अशोक की पत्नी देवी, जो निकट के व्यापारिक नगर विदिशा की निवासी थीं, ने इसके निर्माण की निगरानी की।
  - **स्थानीय समुदाय का सहयोग:** विदिशा के व्यापारी समुदाय ने साँची परिसर के निर्माण और विकास में वित्तीय सहायता एवं समर्थन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **शुंग काल (2वीं शताब्दी ईसा पूर्व):**
  - शुंग वंश के दौरान स्तूप का विस्तार किया गया, जिसमें बलुआ पत्थर की पट्टिकाएँ, प्रदक्षिणा पथ और छत्र (छतरी) के साथ एक हरमिका संलग्न की गई।
  - **आगे के सुधार (प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व – द्वितीय शताब्दी ईस्वी):**
    - चार जटिल नक्काशीदार पत्थर के प्रवेशद्वार (तोरण) बनाए गए, जिन पर बौद्ध प्रतिमाओं और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाया गया है।
    - इन परिवर्धनों ने साँची को बौद्ध कला और संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बना दिया।
- **पुनः खोज (1818):**
  - ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर ने इस स्तूप को खंडहर अवस्था में खोजा था।
  - अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 में इस स्थल पर पहला औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन किया था।
- **संरक्षण प्रयास:**
  - 1853 में, भोपाल की सिकंदर बेगम ने महारानी विक्टोरिया को साँची के प्रवेशद्वार भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन 1857 के विद्रोह और सैन्य चुनौतियों के कारण योजना में देरी हुई।
  - 1868 में, प्रस्ताव को नवीनीकृत किया गया, लेकिन औपनिवेशिक अधिकारियों ने यथास्थान संरक्षण का विकल्प चुना, तथा इसके स्थान पर पूर्वी प्रवेशद्वार पर प्लास्टर कास्ट का निर्माण करवाया।
  - 1910 के दशक में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक जॉन मार्शल ने भोपाल की बेगमों के वित्त पोषण से इस स्थल का जीर्णोद्धार कराया।
  - 1919 में साँची में एक संग्रहालय की स्थापना की गई, ताकि कलाकृतियों को संरक्षित किया जा सके, और संरक्षण कार्यों का प्रबंधन किया जा सके।
- **वास्तुकला की विशेषताएँ**
  - **मुख्य घटक:**
    - **अर्धगोलाकार:** एक अर्धगोलाकार गुंबद, जो पृथ्वी के टीले का प्रतीक है।
    - **हरमिका:** गुंबद के ऊपर स्थित एक चौकोर घेरा, जिसे दिव्यता के निवास स्थान का प्रतीक माना जाता है।
    - **छत्र:** गुंबद के ऊपर स्थित छतरी के आकार की संरचना, जो केंद्रीय स्तंभ (यष्टि) द्वारा समर्थित होती है।

NEXT IAS हिन्दी

- **सहायक संरचना:**
  - **वेदिका:** स्तूप को चारों ओर से घेरती है, जो पवित्र क्षेत्र को बाह्य वातावरण से पृथक करती है।
  - **प्रदक्षिणा पथ:** भक्तों के लिए घड़ी की दिशा में प्रदक्षिणा करने का मार्ग, जो पूजा का एक रूप है।
  - **तोरण:** पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित भव्य द्वार, जिन पर विस्तृत नक्काशी की गई होती है।
  - **मेधि:** ऊँचा आधार, जो स्तूप की मुख्य संरचना को सहारा देता है।

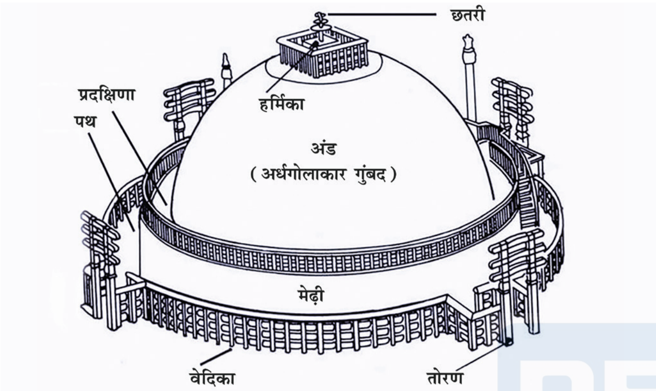

- **यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा:** साँची स्तूप को उसकी ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक महत्ता के सम्मान में 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद

हाल ही में एक जिला न्यायालय ने एक याचिका स्वीकार की है, जिसमें अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया है।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा**
  - **जन्म और वंश:**
    - मुईनुद्दीन का जन्म 1141 ईस्वी में सीस्तान में हुआ था, जो फारस (आज का ईरान) का एक प्रांत है, और वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है।
    - ऐसा माना जाता है कि वह पैगम्बर मुहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक महत्ता बढ़ गई।
  - **बचपन और आध्यात्मिक जागृति:**
    - 14 वर्ष की उम्र में अनाथ हो जाने के पश्चात्, मुईनुद्दीन का जीवन एक आध्यात्मिक मोड़ पर आ गया जब उनकी मुलाकात एक घूमंतू सूफी संत इब्राहिम कंदोजी से हुई। इस मुलाकात ने उन्हें जीवन और आध्यात्म को गहराई से समझने की प्रेरणा दी।
  - **शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियाँ:**
    - 20 वर्ष की आयु तक, उन्होंने इस्लामी विश्व का व्यापक भ्रमण किया, और बुखारा एवं समरकंद जैसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्रों में ज्ञान अर्जित किया।
    - उन्होंने धर्मशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, नैतिकता और धर्म जैसे विविध विषयों का अध्ययन किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक मिशन की नींव पड़ी।
  - **ख्वाजा उस्मान हारूनी के अधीन मार्गदर्शन:**
    - हरात (वर्तमान अफगानिस्तान) के पास उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई, जो चिश्ती सिलसिले के एक अत्यंत प्रतिष्ठित सूफी संत थे।
    - मुईनुद्दीन ने ख्वाजा उस्मान हारूनी के मार्गदर्शन में वर्षों तक गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया, जिससे उन्होंने अपनी आंतरिक अनुशासन और चिश्ती दर्शन की गहरी समझ विकसित की।
    - चिश्ती सिलसिले (आध्यात्मिक वंश परंपरा) में दीक्षित होने के पश्चात्, मुईनुद्दीन को उनके गुरु ने स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी।
- **आध्यात्मिक मिशन और यात्रा:**
  - **उनके प्रथम शिष्य की स्वीकृति:** अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान, मुईनुद्दीन ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने पहले शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका की शुरुआत हुई।
  - **विविध संस्कृतियों का अध्ययन और उनसे जुड़ाव:**
    - उन्होंने मुल्तान में पाँच वर्ष बिताए, जहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हिंदू विद्वानों के साथ विचार-विमर्श किया, जिससे विभिन्न परंपराओं से सीखने के प्रति उनका खुलापन प्रदर्शित हुआ।
    - बाद में, वे लाहौर गए, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और सूफी अली हुजवेरी की दरगाह पर ध्यान लगाया।
  - **अजमेर की यात्रा:**
    - लाहौर से, वे दिल्ली होते हुए यात्रा करते हुए लगभग 1191 ईस्वी में, 50 वर्ष की आयु में, अजमेर पहुँचे।
    - उस समय अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था। हालाँकि, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात् चौहान वंश मुहम्मद गौरी के अधीन हो गया।
  - **अजमेर में बसना:**
    - आक्रमण के कारण हुई तबाही और लोगों के बीच व्यापक पीड़ा को देखकर, मुईनुद्दीन ने अजमेर में बसने का निर्णय लिया।
    - शहर में उनकी उपस्थिति ने राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के उस दौर में अनेक लोगों को सांत्वना दी।
- **"गरीब नवाज" बनना**
  - **मानवता की सेवा:**
    - मुईनुद्दीन और उनकी पत्नी बीबी उम्मतुल्ला ने अजमेर में एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी बनाई, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक आश्रय स्थल का कार्य करती थी।
    - उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को भोजन, आश्रय और सांत्वना प्रदान की, जिससे उनका घर बेसहारों के लिए शरणस्थली बन गया।
    - उनके निस्वार्थता और करुणा के कार्यों ने उन्हें "गरीब नवाज" (गरीबों के मित्र) का खिताब दिलाया।

दर्शन और अंतरधार्मिक सद्भाव:

- मुईनुद्दीन ने हिंदू साधुओं और संतों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया और भक्ति व आध्यात्म के साझा मूल्यों को पहचाना।
- उन्होंने समानता, ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा पर बल दिया, और उन रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं को खारिज किया जो लोगों को विभाजित करती थीं।
- उनकी शिक्षाएँ संप्रदायों की सीमाओं से परे थीं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में बदलाव के दौर में आशा और एकता का संदेश देती थीं।
- **प्रमुख शिष्य:** उनके अनेक शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया और चिराग देहलवी जैसे प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, और उनकी व्यापक प्रभावशीलता सुनिश्चित की।
- **दरगाह:** पश्चात् में मुगल सम्राट हुमायूँ ने मुईनुद्दीन का सम्मान करते हुए अजमेर में एक दरगाह का निर्माण कराया, जो अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया।

सूफीवाद और चिश्ती संप्रदाय का प्रसार

- **सूफीवाद की उत्पत्ति**
  - **ऐतिहासिक संदर्भ:**
    - सूफीवाद 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उस समय उभरा जब बढ़ते मुस्लिम समाज में भौतिकवाद बढ़ रहा था।
    - सूफियों ने इस्लाम के एक अधिक तपस्वी एवं भक्ति-पूर्ण रूप को अपनाया और रहस्यमय प्रथाओं के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक संबंध की खोज की।
  - **संगठित आदेश:** समय के साथ, सूफी साधकों ने स्वयं को सिलसिलों या परंपराओं में संगठित किया, जो किसी आध्यात्मिक गुरु या वली की शिक्षाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित थीं।
- **चिश्ती संप्रदाय की स्थापना**
  - **स्थापना:** चिश्ती सिलसिले की स्थापना 10वीं शताब्दी में अबू इस्हाक शामी ने की थी, जो आधुनिक अफगानिस्तान के हरात के पास स्थित चिश्त नामक कस्बे में हुई थी।
  - **उपमहाद्वीप तक विस्तार:** इस सिलसिले ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पहचान मुईनुद्दीन चिश्ती और उनके शिष्यों के प्रयासों से बनाई, जिन्होंने आध्यात्मिक भक्ति और मानवता की सेवा पर बल दिया।
- **प्रमुख शिष्य और विस्तार**
  - **कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी (1173-1235):**
    - मुईनुद्दीन के शिष्य काकी ने दिल्ली में चिश्ती सिलसिले की नींव स्थापित की और क्षेत्र के आध्यात्मिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बने।
    - उन्होंने दिल्ली के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश के आध्यात्मिक गुरु के रूप में सेवा की।
    - माना जाता है कि कुतुब मीनार का नाम उनके नाम पर रखा गया है, और इस प्रतिष्ठित संरचना के समीप महरौली में उनकी दरगाह एक महत्त्वपूर्ण स्थल बनी हुई है।
  - **बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर (1173-1265):**
    - एक अन्य प्रसिद्ध शिष्य, बाबा फरीद ने पंजाब में चिश्ती शिक्षाओं का प्रसार किया।
    - मोइनुद्दीन ने स्वयं उनके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत गुणों को मान्यता देते हुए उन्हें गंज-ए-शकर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है "मिठास का खजाना"।
  - **हमीदुद्दीन नागौरी:** नागौर में चिश्ती सिलसिले के प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, और क्षेत्र में एक आध्यात्मिक नेता के रूप में सेवा की।
  - **निजामुद्दीन औलिया (1238-1325):**
    - चिश्ती सिलसिले की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक, निजामुद्दीन की शिक्षाएँ और दिल्ली में स्थित उनकी दरगाह आज भी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को आकर्षित करती हैं।
    - उनके उत्तराधिकारी, चिराग देहलवी (1274–1356), ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और सिलसिले के प्रभाव को और सुदृढ़ किया।

मुगल समर्थन

- चिश्ती सिलसिले को इतिहास में शासकों द्वारा, विशेष रूप से मुगल काल के दौरान, अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हुआ।
- सम्राट अकबर मुईनुद्दीन का बहुत सम्मान करते थे। वे प्रायः अजमेर दरगाह पर जाते थे, और मुईनुद्दीन की मजार की सुंदरता बढ़ाने में योगदान देते थे।
- अकबर की अजमेर यात्रा ने शहर को एक बार फिर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में मदद की।

69वाँ महापरिनिर्वाण दिवस

महापरिनिर्वाण दिवस प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिनका निधन 1956 में हुआ था।

महापरिनिर्वाण दिवस का महत्त्व

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि:**
  - महापरिनिर्वाण दिवस डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय इतिहास की एक महान विभूति थे।
  - महापरिनिर्वाण शब्द बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है, जिसका अर्थ है "मृत्यु के पश्चात् का निर्वाण" – यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार (जन्म और पुनर्जन्म), कर्म (कर्म और उसके परिणाम) और सांसारिक मोह-माया से मुक्त हो जाता है।
  - बौद्ध परंपरा में इसे सबसे पवित्र अवधारणाओं में से एक माना जाता है, और गहरी श्रद्धा के साथ पूजनीय है।
- **अंबेडकर का बौद्ध धर्म से संबंध:**
  - डॉ. अंबेडकर ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी विचारधारा और सामाजिक न्याय के प्रयासों का केंद्र माना।
  - उन्हें प्रायः बौद्ध गुरु के रूप में देखा जाता है, और उनके सामाजिक सुधारों के योगदान को बुद्ध के मुक्ति के आध्यात्मिक मिशन के समान माना जाता है।
  - इसलिए, उनकी पुण्यतिथि केवल शोक का क्षण नहीं है, बल्कि भारतीय समाज पर उनके स्थायी प्रभाव का उत्सव मनाने का समय भी है।

- **सामाजिक न्याय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान**
  - **प्रारंभिक जीवन और संघर्ष:**
    - डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (अब मध्य प्रदेश) में हुआ। उन्हें जाति के कारण प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, वह भारत में सामाजिक न्याय के अग्रदूत बने।
    - उन्होंने वंचित समुदायों को आवाज देने के लिए "मूकनायक" (मौन के नेता) जैसे मंच की स्थापना की।
    - 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और समानता को बढ़ावा देना था।
  - **ऐतिहासिक आंदोलन:**
    - **महाड़ सत्याग्रह (1927):** डॉ. अंबेडकर ने दलितों को सार्वजनिक जल संसाधनों तक पहुँच दिलाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो सदियों पुराने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देता था।
    - **मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930):** उन्होंने दलितों के लिए हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की वकालत की, जो जाति आधारित बहिष्कार और रूढ़िवादिता का सामना करता था।
  - **पूना समझौता (1932):** महात्मा गांधी के साथ हस्ताक्षरित पूना समझौते ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर आरक्षित विधान सभा सीटों की व्यवस्था की, जिससे उन्हें बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला।
  - **अग्रणी आरक्षण नीतियाँ:** शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की वकालत की, ताकि वंचित समुदायों को सशक्त बनाया जा सके, और प्रणालीगत उत्पीड़न को समाप्त किया जा सके।
  - **संस्थाओं पर प्रभाव:**
    - उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त आयोग की नींव रखी, जिससे उनकी आर्थिक दूरदर्शिता प्रदर्शित होती है।
    - उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बाँध और राष्ट्रीय पावर ग्रिड प्रणाली जैसी पहल के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **संविधान प्रारूपण में भूमिका**
  - **प्रारूप समिति के अध्यक्ष:**
    - प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने सभी नागरिकों को समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों की गारंटी दी।
    - उनके द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया संविधान का मसौदा 1949 में बहुत कम बदलावों के साथ अपनाया गया, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना।
  - **सामाजिक समानता के पक्षधर:** डॉ. अंबेडकर की दृष्टि ने अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए संरक्षण सुनिश्चित किया, और संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया।
  - **कानून मंत्री:** स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और हिंदू कोड बिल जैसी पहलों का नेतृत्व किया, जिसने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, और व्यक्तिगत कानूनों का आधुनिकीकरण किया।
- **अंबेडकर और बौद्ध धर्म**
  - **बौद्ध धर्म में रूपांतरण:**
    - 1956 में, डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसे आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग और जाति आधारित उत्पीड़न का समाधान माना।
    - उन्होंने "द बुद्धा एंड हिज धम्म" लिखी, जिसमें बौद्ध शिक्षाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए सरल और व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया।
  - **बौद्ध धर्म अपनाने का महत्त्व:** बौद्ध धर्म अपनाकर, डॉ. अंबेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से जाति व्यवस्था को खारिज किया और लाखों दलितों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई।
- **उल्लेखनीय कार्य और योगदान**
  - **साहित्यिक योगदान:**
    - **जाति का उन्मूलन:** जाति आधारित भेदभाव पर एक महत्त्वपूर्ण आलोचना।
    - **द अनटचेबल्स:** हू आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स: जाति की उत्पत्ति और उसके प्रभावों का विश्लेषण।
    - **बुद्धा एंड हिज धम्म:** बौद्ध धर्म को सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बताया।
  - **पत्रिकाएँ और संगठन:**
    - मूकनायक (1920) और बहिष्कृत भारत (1927) जैसी पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया, ताकि सुधारवादी विचारों का प्रचार किया जा सके।
    - स्वतंत्र मजदूर पार्टी (1936) और अनुसूचित जाति महासंघ (1942) जैसे संगठनों की स्थापना की, ताकि सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को आगे बढ़ाया जा सके।
- **मान्यता और स्मारक**
  - **भारत रत्न:** 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया।
  - **चैत्य भूमि:** मुंबई में स्थित एक स्मारक, जो डॉ. अंबेडकर के जीवन और विरासत को समर्पित है। यह महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रत्येक वर्ष लाखों अनुयायियों को आकर्षित करता है।

अंगामी नागा जनजाति

पत्थर खींचने की रस्म, अंगामी नागा जनजाति की एक पारंपरिक प्रथा है जो एकता और सहयोग का प्रतीक है। इसे हाल ही में मनाया गया।

परिचय

- **सांस्कृतिक पहचान और निवास स्थान**
  - **विशिष्ट पहचान:**
    - अंगामी-नागा जनजाति नागा जनजातियों में से एक है, जिसकी अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है।
    - इन्हें पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मणिपुर राज्यों में एक महत्त्वपूर्ण जातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है।

- ◆ **भौगोलिक वितरण:**
  - ■ मुख्य रूप से नागालैंड के कोहिमा जिले में निवास करते हैं।
  - ■ उनकी पैतृक आधार म्यांमार से वर्तमान नागा पहाड़ियों तक के प्रवास से जुड़ी हुई हैं।
- ◆ **जातीय वर्गीकरण:** ये मंगोलॉइड नस्लीय समूह से संबंधित हैं, जो पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातीय समुदायों में आम है।

- **भाषा और संचार**
  - ◆ **मूल भाषा:**
    - ■ "तेन्यिडिए" नागालैंड में अंगामी नागाओं द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा है।
    - ■ इस जनजाति की पारंपरिक भाषा के लिए कोई लिखित लिपि नहीं है।
  - ◆ **नागामी भाषा:**
    - ■ समय के साथ नागामी भाषा विकसित हुई, जो असमिया, बंगाली, हिन्दी और नेपाली से प्रभावित है।
    - ■ यह विभिन्न नागा जनजातियों और क्षेत्र के अन्य समुदायों के मध्य संपर्क भाषा (लिंगुआ फ्रेंका) के रूप में कार्य करती है।
- **आर्थिक प्रथाएँ**
  - ◆ **कृषि गतिविधियाँ:**
    - ■ अंगामी नागा मुख्य रूप से कृषक हैं और सीढ़ीदार गीली खेती (टेरस कल्टिवेशन) और झूम खेती में निपुण हैं।
    - ■ विशेष रूप से सीढ़ीदार खेती उनके पहाड़ी क्षेत्रों में टिकाऊ खेती के उन्नत ज्ञान को दर्शाती है।
  - ◆ **कला-कौशल:**
    - ■ बेंत और बाँस की टोकरी बनाने में प्रसिद्ध, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा और उपयोगिता की आवश्यकता को दर्शाता है।
    - ■ खोफी, पारंपरिक उपयोग की टोकरी, जो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होती है, उनके शिल्प कौशल का प्रतीक है।
- **सामाजिक संरचना और मान्यताएँ**
  - ◆ **पितृसत्तात्मक समाज:** यह जनजाति पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय प्रणाली का पालन करती है, जहाँ परिवार की वंशावली और संपत्ति का उत्तराधिकार पुरुषों के माध्यम से होता है।
  - ◆ **धार्मिक मान्यताएँ:** पारंपरिक रूप से प्रकृति पूजा (ऐनिमिज्म) में विश्वास करने वाले, अधिकांश अंगामी नागाओं ने ईसाई धर्म को अपना लिया है, जो आज उनके बीच प्रमुख धर्म बन गया है।
- **सेक्रेनी त्योहार:**
  - ◆ अंगामी नागाओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार।
  - ◆ सेक्रेनी, जिसे प्रायः "शुद्धिकरण का त्योहार" कहा जाता है, चंद्र वर्ष के आरंभ का प्रतीक है।
  - ◆ इसमें विभिन्न अनुष्ठान, भोज और पारंपरिक प्रथाएँ सम्मिलित होती हैं, जो सामुदायिक संबंधों और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं।

एकलिंगजी मंदिर

उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में हाल ही में नई नियमावली लागू की गई है, जिसमें मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध शामिल है।

परिचय

- **अवलोकन**
  - ◆ **समर्पित देवता:** भगवान शिव, जिन्हें एकलिंग नाथ के रूप में पूजा जाता है, मेवाड़ राज्य के आराध्य देवता माने जाते हैं।
  - ◆ **स्थान:** कैलाशपुरी, जो उदयपुर, राजस्थान से लगभग 22 किमी. दूर स्थित है।
  - ◆ **निर्माण काल:** 8वीं शताब्दी ईस्वी में मेवाड़ वंश के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा निर्मित।
  - ◆ **महत्त्व:** यह मेवाड़ के राजाओं की आध्यात्मिक और प्रशासनिक सत्ता का प्रतीक है, जो स्वयं को भगवान एकलिंग नाथ के पृथ्वी पर प्रतिनिधि मानते थे।
- **वास्तुकला की विशेषताएँ**
  - ◆ **मंदिर परिसर:**
    - ■ मंदिर में 108 छोटे-छोटे मंदिर शामिल हैं, जो इसकी जटिल पत्थर की वास्तुकला में निहित भव्यता और भक्ति को दर्शाते हैं।
    - ■ डिजाइन में विस्तृत नक्काशी है, जो मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को प्रतिबिंबित करती है।
  - ◆ **मुख्य मूर्ति:** काले संगमरमर से बनी चार मुखों वाली शिवलिंग, जो भगवान शिव के चार रूपों-सृष्टि, पालन, विनाश और मुक्ति-का प्रतीक है।
  - ◆ **संबद्ध संप्रदाय:**
    - ■ प्रारंभ में पशुपत संप्रदाय से जुड़ा, जो एक प्राचीन शैव परंपरा है।
    - ■ बाद में नाथ संप्रदाय से जुड़ा, जो रहस्यवाद और आध्यात्मिक साधना पर बल देता है।
    - ■ अंततः रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हो गया, जो मुख्य रूप से वैष्णव है, लेकिन शिव के प्रति भी श्रद्धा रखता है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व**
  - ◆ **राजसी संबंध:**
    - ■ मंदिर का प्रबंधन ऐतिहासिक रूप से मेवाड़ राजघराने द्वारा किया जाता रहा है, जो भगवान एकलिंग नाथ को राज्य का वास्तविक शासक मानते हैं।
    - ■ मेवाड़ का दीवान (प्रधानमंत्री) देवता का पृथ्वी पर प्रतिनिधि माना जाता है, जो मेवाड़ के राजाओं की पवित्र और राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करता है।
  - ◆ **सांस्कृतिक प्रभाव:**
    - ■ मंदिर मेवाड़ की आध्यात्मिक विरासत और इसके शासकों की भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति का प्रतीक बना हुआ है।
    - ■ राज्य के धार्मिक केंद्र के रूप में यह क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में आज भी एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

पोट्टी श्रीरामुलु

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोट्टी श्रीरामुलु के सम्मान में एक तेलुगु विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि:**
    - पोट्टी श्रीरामुलु का जन्म 16 मार्च, 1901 को सिद्धावतम गाँव में हुआ था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है।
    - वह एक साधारण परिवार से थे और महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सत्य, अहिंसा और न्याय के मूल्यों से गहराई से प्रभावित थे।
    - शुरुआत में उन्होंने गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की, जिसने पश्चात् में उनके आंदोलन को आकार दिया।
- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी:**
    - श्रीरामुलु भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कराने के संघर्ष में सक्रिय भागीदार थे।
    - उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया।
- **तेलुगु पहचान और भाषा के प्रति प्रतिबद्धता:**
    - 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के भाषायी और सांस्कृतिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया।
    - वह बड़े मद्रास राज्य, जिसमें तमिल भाषी क्षेत्र भी शामिल थे, में तेलुगु भाषी लोगों के प्रतिनिधित्व की कमी और प्रशासनिक दक्षता को लेकर गहराई से चिंतित थे।
    - श्रीरामुलु का दृढ़ विश्वास था कि तेलुगु भाषी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने के लिए अपना अलग राज्य चाहिए।
- **तेलुगु राज्य के लिए भूख हड़ताल:**
    - 1952 में, श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की माँग को लेकर भूख हड़ताल प्रारंभ किया, जो बाद में आंध्र प्रदेश राज्य बना।
    - उनकी हड़ताल मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी लोगों के प्रति प्रशासन और भाषा प्रतिनिधित्व में उपेक्षा और अन्याय के विरुद्ध थी।
    - श्रीरामुलु ने 58 दिनों तक भूख हड़ताल किए, जबकि उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई।
    - इस हड़ताल के दौरान उनकी अटूट दृढ़ता ने जनता का व्यापक ध्यान और समर्थन आकर्षित किया।
- **निधन और उसका प्रभाव:**
    - 15 दिसंबर, 1952 को, अपनी 58 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त होने से कुछ दिन पहले, पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया।
    - उनकी मृत्यु तेलुगु राज्य के लिए आंदोलन में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे क्षेत्रभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन और शोक की लहर फैल गई।
    - उनकी मृत्यु पर जनता की तीव्र प्रतिक्रिया ने भारत सरकार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य की माँग को लेकर कार्रवाई करने का भारी दबाव डाला।
- **आंध्र प्रदेश का गठन:**
    - पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान ने अंततः भारतीय सरकार को तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य के निर्माण पर सहमति देने के लिए विवश कर दिया।
    - 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भारत में भाषायी आधार पर गठित किए जाने वाला पहला राज्य बना।
    - उनका बलिदान आंध्र प्रदेश के गठन में प्रमुख उत्प्रेरकों में से एक माना जाता है।
- **विरासत और मान्यता:**
    - उनके बलिदान के सम्मान में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभिन्न स्मारक, संस्थान और सार्वजनिक स्थान उनके नाम पर रखे गए हैं।
    - आंध्र प्रदेश राज्य उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है, ताकि राज्य के गठन में उनके योगदान का सम्मान किया जा सके।
    - हैदराबाद में पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थापना तेलुगु भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई, जिससे उनकी विरासत और मजबूत हुई।
    - श्रीरामुलु को मरणोपरांत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए "अमरजीवी" की उपाधि से सम्मानित किया गया।
    - आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिले का नाम उनके सम्मान में रखा गया है।

वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार

हाल ही में, हिन्दी कवयित्री गगन गिल और अंग्रेजी लेखिका ईस्टरिन किरे उन 21 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें इस वर्ष के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- **अवलोकन:**
    - साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, जो विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट कृतियों को मान्यता प्रदान करता है।
    - यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सबसे उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है।
- **मुख्य विवरण:**
    - **मान्यता प्राप्त भाषाएँ:**
        - यह पुरस्कार भारत के संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में लिखी कृतियों के लिए दिया जाता है, जिससे यह विभिन्न भाषायी परंपराओं को समाहित करता है।
        - यह समावेशिता देशभर की विविध सांस्कृतिक और भाषायी पृष्ठभूमियों से साहित्य को मान्यता देने में सहायक है।
    - **पुरस्कार पैकेज:** साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को निम्नलिखित प्रदान किया जाता है:
        - सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पट्टिका।
        - पहचान के प्रतीक के रूप में एक शॉल।
        - **आर्थिक पुरस्कार:** ₹1 लाख (वर्तमान वर्ष के अनुसार)।
    - **पुरस्कार का फोकस:**
        - यह पुरस्कार साहित्यिक गुणों वाली पुस्तकों के लिए दिया जाता है,

जिसमें कथा साहित्य, कविता, नाटक और अन्य रचनात्मक लेखन शैलियों जैसी कई विधाएँ शामिल हैं।
- इसका मुख्य बल साहित्यिक जगत में गुणवत्ता और महत्त्व पर होता है।

- **साहित्य अकादमी – संस्थान का परिचय**
  - **औपचारिक उद्घाटन:**
    - साहित्य अकादमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च, 1954 को किया गया।
    - स्थापना के पश्चात् से यह भारतीय साहित्य के प्रचार-प्रसार और विकास में एक प्रमुख संस्था रही है।
  - **पंजीकरण:** साहित्य अकादमी को औपचारिक रूप से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया, जिससे यह साहित्यिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैधानिक संगठन बन गई।
  - **भूमिका और कार्य:**
    - साहित्य अकादमी भारत में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख संस्था है।
    - यह एकमात्र संस्था है, जो अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करती है।
    - यह साहित्यिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रकाशनों और स्थानीय भाषाओं के प्रचार जैसे उपायों के माध्यम से भारतीय साहित्य को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - **मंत्रालय और स्वायत्तता:** साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है, जो इसके संचालन और निर्णय लेने में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
  - **मुख्यालय:** साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए पात्रता के मानदंड

- **भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान:**
  - पुस्तक को उस भाषा और साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है।
  - यह कृति रचनात्मक (जैसे उपन्यास, कविता, नाटक) या आलोचनात्मक (जैसे साहित्यिक आलोचना) हो सकती है, लेकिन इसे अकादमी द्वारा अपेक्षित उत्कृष्टता के मानक को पूरा करना चाहिए।
- **पुनरीक्षित या पहले प्रकाशित कृतियाँ:** पहले प्रकाशित कृतियों का नया संस्करण या संग्रह तभी पात्र होगा जब:
  - संग्रह की कम से कम 75% सामग्री पहली बार पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई हो। पुनरीक्षित संस्करण या पहले प्रकाशित कृतियों के संग्रह विचार के लिए पात्र नहीं हैं।
  - **अपूर्ण कृतियाँ:** अपूर्ण कृति तभी पात्र हो सकती है यदि पुरस्कार के लिए प्रस्तुत भाग स्वयं में पूर्ण हो और एक स्वतंत्र साहित्यिक कृति के रूप में खड़ा हो सके।
- **मरणोपरांत कृतियाँ:** मरणोपरांत प्रकाशित कृति तभी पुरस्कार के लिए पात्र होगी यदि: लेखक का निधन साहित्य अकादमी द्वारा निर्धारित पाँच वर्षों की अवधि के भीतर हुआ हो।
  - कृति मरणोपरांत उसी अवधि के भीतर प्रकाशित हुई हो, ताकि उसे पुरस्कार के लिए विचार किया जा सके।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

हाल ही में सांसदों ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन**
  - **जन्म:** 10 दिसंबर, 1878, थोरापल्ली, तमिलनाडु।
  - **शिक्षा:** मद्रास (अब चेन्नई) के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कानून की पढ़ाई की, और 1900 में सलेम में वकालत प्रारंभ की।
  - **तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी:** 1916 में स्थापित, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शब्दों का सरल तमिल में अनुवाद करना था, ताकि विज्ञान को स्थानीय भाषा से जोड़ा जा सके।
  - **नगर पालिका में योगदान:** 1917 में सलेम नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में दो वर्षों तक सेवा दी, और स्थानीय प्रशासन में योगदान किया।
- **स्वतंत्रता पूर्व:**
  - राजगोपालाचारी का राजनीतिक सफर तब प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर विधिक मामलों में सलाहकार की भूमिका निभाई।
  - उनका पहला महत्त्वपूर्ण योगदान 1917 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पी. वरदराजुलु नायडू का बचाव करना था, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।
  - **मद्रास के प्रीमियर:**
    - 1937 में, राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले प्रीमियर बने, जो आज के मुख्यमंत्री के पद के समकक्ष है।
    - अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रगतिशील सुधारों पर कार्य किया, जैसे अस्पृश्यता और जातिगत पूर्वाग्रहों का उन्मूलन।
    - उनका एक प्रमुख सुधार 1939 का मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और प्रतिकर अधिनियम था, जिसने दलितों (ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों) को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल थी।
  - **पश्चिम बंगाल के राज्यपाल:** 1947 में भारत के विभाजन के समय, राजगोपालाचारी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहाँ उन्होंने विभाजन के पश्चात् के संकट को प्रबंधित करने और विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **कार्यवाहक गवर्नर-जनरल:**
    - 1947 में, जब भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अस्थायी रूप से अनुपस्थित थे, राजगोपालाचारी को भारत का कार्यवाहक गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।
    - इस भूमिका में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण क्षणों में किया, जैसे कि देश के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता में परिवर्तन के दौरान।
    - वह भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल के रूप में सेवा करते रहे, यह पद 1950 में समाप्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश प्रभाव के अंत का प्रतीक था।

- **स्वतंत्रता के पश्चात्:**
  - **मद्रास के मुख्यमंत्री:**
    - 1952 में, राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।
    - उन्होंने तमिल स्कूलों में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, इस निर्णय के कारण तमिल जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसे उनकी भाषायी पहचान पर आरोपित किए जाने के रूप में देखा गया।
  - इन विरोध प्रदर्शनों के चलते राजगोपालाचारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालाँकि, उनका कार्यकाल सामाजिक सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- **सामाजिक रूढ़िवाद और आर्थिक दृष्टिकोण:**
  - राजगोपालाचारी एक सामाजिक रूढ़िवादी थे, जो समाज में धर्म और पारंपरिक मूल्यों के महत्त्व में विश्वास रखते थे।
  - हालाँकि, वह एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक भी थे और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर थे।
  - वर्ण व्यवस्था (पारंपरिक जाति-आधारित सामाजिक संरचना) को फिर से लागू करने के उनके रुख ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया।
- **स्वतंत्रता पार्टी:**
  - 1959 में, राजगोपालाचारी ने आर्थिक नीतियों को लेकर वैचारिक मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक हो गए।
  - उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की, जो बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सरकारी नियंत्रण को कम करने की वकालत करती थी।
  - राजगोपालाचारी का मानना था कि भारत को पूँजीवाद और व्यक्तिगत उद्यम के प्रणाली को अपनाना चाहिए, जो कांग्रेस की समाजवादी नीतियों के विपरीत था।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- **असहयोग आंदोलन:** राजगोपालाचारी 1919 में महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े और पहली बार मद्रास में गांधी से मिले।
- **जेल यात्रा:** ये 1920 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वेल्लोर में गिरफ्तार होकर जेल गए।
- **आश्रम और सिद्धांत:** जेल से रिहा होने के पश्चात् राजगोपालाचारी ने एक आश्रम की स्थापना की, जो गांधीवादी सिद्धांतों जैसे हिंदू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता उन्मूलन को बढ़ावा देता था।
- **वैकोम सत्याग्रह:** राजगोपालाचारी ने केरल में अस्पृश्यता का विरोध करते हुए वैकोम सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
- **डांडी मार्च:** इन्होंने 1930 में गांधी के डांडी मार्च की तर्ज पर वेदारण्यम में एक मार्च का नेतृत्व किया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन:** 1942 में गांधी के तत्काल भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान से असहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि ब्रिटिश प्रस्थान निकट है।

- **साहित्यिक योगदान**
  - **रामायण का अनुवाद:** राजगोपालाचारी ने रामायण का तमिल अनुवाद "चक्रवर्ती तिरुमगन" शीर्षक से लिखा, जिसे 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
  - **अन्य रचनाएँ:** उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर विचार शामिल थे।
- **भारत रत्न:** राजगोपालाचारी को 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न, से सम्मानित किया गया।
- **निधन:** उनका निधन 25 दिसंबर, 1972 को हुआ।

बेलगाम अधिवेशन के 100 वर्ष

हाल ही में, गांधीजी की अध्यक्षता में और सामाजिक परिवर्तन पर बल देने के लिए प्रसिद्ध 1924 के बेलगाम कांग्रेस सत्र की शताब्दी मनाई जा रही है।

परिचय

- **ऐतिहासिक संदर्भ**
  - यह अधिवेशन उस समय हुआ, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने गति पकड़ ली थी, और राजनीतिक गतिविधियाँ तीव्र थीं।
  - गांधी जी प्रारंभ में इसमें भाग लेने के लिए अनिच्छुक थे, वे उत्तर भारत में सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करना पसंद करते थे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मना लिया।
  - यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का 39वाँ अधिवेशन था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1924 में आयोजित किया गया था।
  - महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की, जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका एकमात्र कार्यकाल था।
- **उल्लेखनीय उपस्थिति:** इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू और खिलाफत आंदोलन के नेता मुहम्मद अली जौहर और शौकत अली जैसे दिग्गजों ने भाग लिया था।
- **प्रमुख संकल्प**
  - **स्वराज और सर्वोदय:**
    - गांधीजी ने स्व-शासन (स्वराज) और सार्वभौमिक उत्थान (सर्वोदय) के अपने दृष्टिकोण को साझा किया।
    - इस सत्र में कांग्रेस के एक राजनीतिक मंच से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में विकास को रेखांकित किया गया।
  - **खादी एवं ग्रामोद्योग पर ध्यान केंद्रित करना:**
    - एक प्रस्ताव के अंतर्गत कांग्रेस सदस्यों के लिए प्रत्येक माह 2,000 गज हाथ से काते हुए खादी कपड़े का योगदान देना अनिवार्य कर दिया गया या फिर इसे बनाने के लिए किसी को भुगतान करना होगा।
    - इस पहल ने आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए गांधीजी की प्रतिबद्धता को प्रकट किया।
  - **समाज सुधार:**
    - अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू-मुस्लिम एकता और राज्यों के भाषायी पुनर्गठन पर भिन्न-भिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए।

- गांधीजी ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की: "अगर मेरा जन्म दोबारा हो, तो मैं भंगी के रूप में पैदा होऊँ।"
- **गौ-संरक्षण:** गांधीजी ने किसानों के लिए गायों के आर्थिक मूल्य की वकालत की, गौहत्या को लेकर मुसलमानों जैसे समुदायों के विरुद्ध हिंसा को हतोत्साहित किया, तथा अहिंसा पर बल दिया।
- **संगठनात्मक परिवर्तन:**
  - गांधीजी ने कांग्रेस की सदस्यता शुल्क में 90% की कटौती की, जिससे सदस्यों को संगठन को राजनीतिक और सामाजिक दोनों बुराइयों से लड़ने वाले एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  - उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों पर होने वाले फिजूलखर्ची की आलोचना की और सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करने का आग्रह किया।

- **सांस्कृतिक महत्त्व**
  - इस सत्र में विष्णु दिगंबर पलुस्कर और युवा गंगूबाई हंगल जैसे दिग्गजों ने प्रस्तुति दी।
  - पहले दिन हुइलगोल नारायण राव द्वारा कन्नड़ गीत "उदयवगली नम्मा चालुवा कन्नड़ नाडु" प्रस्तुत किया गया।
  - **बुनियादी ढाँचे की विरासत:** सत्र में उपस्थित लोगों की सेवा के लिए खोदा गया पंपा सरोवर नामक कुआँ, दक्षिण बेलगावी के कुछ हिस्सों को जल की आपूर्ति करना जारी रखा हुआ है।

सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती

हाल ही में, 26 दिसंबर को भारत ने साहस और न्याय के प्रतीक उधम सिंह की 125वीं जयंती मनाई।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन**
  - **जन्म:** उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर, 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ था।
  - **बचपन:** कम उम्र में अनाथ हो जाने के पश्चात्, वे अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में पले-बढ़े, जहाँ उनमें सहानुभूति और लोचशीलता की गहरी भावना विकसित हुई।
- **जलियाँवाला बाग नरसंहार:** एक निर्णायक मोड़
  - **ऐतिहासिक घटना:** 13 अप्रैल, 1919 को,उधम सिंह ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड देखा, जहाँ ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सैनिकों को एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियाँ चलाने का आदेश दिया, जिसमें 400 से अधिक निहत्थे नागरिक मारे गए।
  - **औपनिवेशिक शासन:** इस नरसंहार को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ' डायर ने मंजूरी दी थी, जिसने उधम सिंह पर गहरा प्रभाव डाला, और उनकी क्रांतिकारी भावना को प्रज्वलित किया।
- **क्रांतिकारी यात्रा**
  - **गदर पार्टी में शामिल होना:**
    - 1924 में, उधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने वाला एक क्रांतिकारी समूह था।
    - पार्टी का मिशन उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह को प्रेरित करना और भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था।
  - **कैद:** 1927 में, उधम सिंह को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और पाँच वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, जो ब्रिटिश दमन के विरुद्ध लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
- **माइकल ओ' डायर की हत्या**
  - **घटना:** 13 मार्च 1940 को, सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान माइकल ओ' डायर की हत्या करके जलियाँवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया।
  - **प्रेरणा:** यह कृत्य नरसंहार का प्रत्यक्ष प्रतिशोध था, जो पीड़ितों के लिए न्याय और औपनिवेशिक अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक था।
- **शहादत**
  - **निष्पादन:** हत्या के तुरंत पश्चात् उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
    - उन्हें 31 जुलाई, 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।
  - **अंतिम शब्द:** उधम सिंह ने अडिग साहस के साथ अपने भाग्य को स्वीकार किया, तथा कहा कि उनके कार्य देश के सम्मान की रक्षा के लिए थे।
- **विरासत**
  - **प्रत्यावर्तन:** 1974 में उधम सिंह के अवशेषों को भारत वापस लाया गया और उनका नायक जैसा स्वागत किया गया, जिससे राष्ट्र पर उनके अमिट प्रभाव को रेखांकित किया गया।
  - **स्मरणोत्सव:**
    - उधम सिंह को भारत में शहीद-ए-आजम (महान शहीद) के रूप में सम्मानित किया गया।
    - पंजाब और उसके बाहर विभिन्न स्मारक, संग्रहालय और शैक्षणिक संस्थान उनकी स्मृति और बलिदान को संरक्षित करते हैं।
  - **प्रतीकात्मकता:** उधम सिंह का जीवन और कार्य औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध अटूट प्रतिरोध और न्याय एवं स्वतंत्रता के लिए स्थायी लड़ाई की भावना का प्रतीक है।

10 विविध

मर्फी का नियम

हाल ही में, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में होने वाले व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे मर्फी के नियम से जोड़ा।

परिचय

- इस नियम का श्रेय कैप्टन एडवर्ड ए. मर्फी जूनियर को जाता है, जो यू.एस. एयर फोर्स के इंजीनियर थे, उन्होंने 1949 में रॉकेट स्लेड के लिए विलंब परीक्षण के दौरान यह नियम बनाया था।
- मर्फी के नियम के अनुसार, 'जो कुछ भी गलत हो सकता है, वह गलत ही होगा।' यह त्रुटियों की अनिवार्यता पर एक यथार्थवादी, यद्यपि निराशावादी, दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- दुर्घटनाओं की संभावना पर बल देकर, यह संभावित विफलताओं के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और तत्परता को प्रोत्साहित करता है।
- मर्फी का नियम दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। हम सभी ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है, जब ऐसा लगता है कि जो कुछ भी गलत हो सकता था, वह गलत हो जाता है। इस प्रवृत्ति को पहचानने से हमें अधिक तैयार रहने में मदद मिल सकती है।

दार्शनिक आधार

- मर्फी का नियम सिर्फ चेतावनी देने वाली किंवदंती से कहीं अधिक है। यह व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करता है:
- **आकस्मिकताओं के लिए योजना बनाना:** सबसे खराब परिस्थितियों के लिए तैयारी करके लोचशीलता बनाना।
- **अपरिहार्यता को स्वीकार करना:** स्वीकार करना कि गलतियाँ किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देती हैं।
- **विनम्रता:** यह एक विनम्र अनुस्मारक भी हो सकता है कि हम प्रत्येक चीज के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जेरिया को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास में सुधार के लिए उनके कार्य का सम्मान करता है।

परिचय

- 1986 में स्थापित यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल होता है।
- इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है।
- इसका उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों को सम्मानित करना है, जिन्होंने मानवता और पृथ्वी ग्रह की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है।
- प्राप्तकर्त्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों के समूह में से चुना जाता है।
- 2023 में इसे डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया।

वीर बाल दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लिया, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया।

परिचय

- वीर बाल दिवस का तात्पर्य है 'बहादुर बच्चों का दिन', यह प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है।
- पहली बार 2022 में मनाया जाने वाला यह दिन दसवें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों – साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है।
- सरहिंद के नवाब वजीर खान के आदेश पर 26 दिसंबर, 1705 को दो युवा लड़कों को जिंदा ईंटों में चिनवा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

- यह पुरस्कार 5-18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- **सात श्रेणियों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है:** शौर्य, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल।
- यह पुरस्कार भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।

राजकीय अंतिम संस्कार

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

परिचय:

- राजकीय अंतिम संस्कार महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक शोक शामिल होता है।

- यह सामान्यत: भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या राज्यपाल की मृत्यु के लिए आरक्षित होता है।
- हालाँकि, व्यक्तिगत मामलों में, सरकार अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार का आदेश दे सकती है।
- **राजकीय अंतिम संस्कार के नियम:** अंतिम संस्कार में राजपत्रित अधिकारी और सेवाकर्मी औपचारिक राजकीय पोशाक पहने हुए उपस्थित होते हैं।
- **आयोजक:** गृह मंत्रालय से अधिसूचना के पश्चात् रक्षा मंत्रालय व्यवस्था का आयोजन करता है।

अतिरिक्त जानकारी

- राष्ट्रीय शोक केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा देश के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं या व्यक्तियों के लिए घोषित किया जाता है।
- **शोक के दौरान आधिकारिक प्रोटोकॉल:** राष्ट्रीय शोक के दौरान, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है।
- राष्ट्रीय या राजकीय शोक के दौरान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या महात्मा गांधी की जयंती को छोड़कर, आधिकारिक मनोरंजन निलंबित रहता है। ऐसे व्यवधानों के पश्चात् शोक फिर से प्रारंभ हो जाता है।
- **राज्य अंतिम संस्कार के लिए ध्वज संहिता:** राजकीय अंतिम संस्कार में, राष्ट्रीय ध्वज को अर्थी या ताबूत पर लपेटा जाता है, जिसमें केसरिया पक्ष सिर की ओर होता है।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की धारा 3.58 के अनुसार, ध्वज को कब्र में नहीं उतारा जाता है, या शव के साथ नहीं जलाया जाता है।

स्पोर्ट्सवॉशिंग

एकमात्र बोलीदाता सऊदी अरब ने 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिया हैं, लेकिन इससे स्पोर्ट्सवॉशिंग को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न हो गई।

परिचय

- यह एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग राष्ट्रों, व्यक्तियों, समूहों या निगमों द्वारा खेलों का उपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए किया जाता है, जो कदाचार या विवाद से क्षतिग्रस्त हो गई है।
- इसे खेल आयोजनों की मेजबानी, खेल टीमों को खरीदने या प्रायोजित करने, या किसी खेल में भाग लेने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- **स्पोर्ट्सवॉशिंग के उदाहरणों में शामिल हैं:**
  - **1936 बर्लिन ओलंपिक:** हिटलर ने ओलंपिक का प्रयोग जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए किया।
  - **1978 फीफा विश्व कप:** अर्जेंटीना ने विश्व कप की मेजबानी की और विजयी हुआ, जबकि इसके सैन्य जुंटा ने असंतुष्ट लोगों को विमान से बाहर फेंक दिया।
  - 2022 शीतकालीन ओलंपिक चीन में और 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया गया।

अतिरिक्त जानकारी

- ग्रीनवाशिंग से तात्पर्य आम जनता को यह विश्वास दिलाकर गुमराह करना है कि कंपनियाँ, संप्रभुता या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए वास्तविकता से अधिक कार्य कर रहे हैं।
- इसमें किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बनाना शामिल हो सकता है।

ऑलिव रिडले कछुए

हाल ही में, विशाखापत्तनम के तटरेखा पर ऑलिव रिडले कछुओं के शव पाए गए हैं।

परिचय

- **प्रकृति:** यह विश्व की सबसे छोटी और सबसे अधिक पाई जाने वाली समुद्री कछुआ प्रजाति है।
- **वैज्ञानिक नाम:** लेपिडोक्लेस ऑलिवेशिया (Lepidochelys olivacea), जिसे प्रशांत रिडले समुद्री कछुआ भी कहा जाता है।
- **भारत में प्रमुख घोंसले बनाने के स्थान:** रुशिकुल्या रूकेरी तट (ओडिशा), गहीरमाथा समुद्र तट (भितरकनिका नेशनल पार्क), देबी नदी का मुहाना।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:** 'अरिबाडा' सामूहिक घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध, जहाँ हजारों मादा कछुए एक ही समुद्र तट पर अंडे देने के लिए एकत्रित होते हैं।
- **आहार:** मांसाहारी, मुख्य रूप से जेलिफिश, झींगा, और अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं।
- **प्रजनन:** अंडे 45-60 दिनों में फूटते हैं, जो इनक्यूबेशन के दौरान तापमान पर निर्भर करता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त।
  - **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
  - **CITES:** परिशिष्ट-I

अरिबाडा

- यह एक अद्वितीय सामूहिक घोंसला बनाने की घटना है, जिसमें हजारों मादा ऑलिव रिडले कछुए एक साथ विशिष्ट समुद्र तटों पर अपने अंडे देने के लिए किनारे पर आती हैं।
- यह घटना विश्व भर में कुछ चुनिंदा जगहों पर वार्षिक होती है, जैसे कि भारत में गहिरमाथा और रुशिकुल्या, और यह उनके प्रजनन चक्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक

ऑलिव रिडले कछुए

(लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया)

भौगोलिक सीमा
हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों का गर्म, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल

ओडिशा
- भारत में सामूहिक नीडन (Mass Nesting) का निर्माण केवल ओडिशा तट पर ही होता है।
- **गहिरमाथा**, देवी नदी का मुहाना और रुशिकुल्या तीन मुख्य नीडन स्थल हैं।
- प्रत्येक वर्ष रुशिकुल्या और गहिरमाथा समुद्र तटों पर कई सौ हजार ऑलिव रिडले सामूहिक नीडन का निर्माण करते हैं।

एरिबाडा
- ऑलिव रिडले कछुए अपने समकालिक सामूहिक नीडन या एरिबाडा के लिए जाने जाते हैं।
- सामूहिक नीडन निर्माण नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता बढ़ाने की रणनीति मानी जाती है।
- स्थल प्रगाढ़ता प्रदर्शित करना; मादाएँ उसी समुद्र तट पर नीडन निर्मित करने के लिए वापस आती हैं जहाँ वे पैदा हुई थीं, कभी-कभी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करती हैं।
- वे समुद्र तट तक पहुँचने में मदद के लिए वायु एवं ज्वार का उपयोग करते हैं।

नीडन
- मादा एक नीडन में तीन बार तक अंडे दे सकती है।
- एक क्लच में 50 से 200 अंडे होते हैं।
- इन्क्यूबेशन अवधि लगभग 2 महीने होती है।
- अंडे से निकले बच्चों का लिंग तापमान से निर्धारित होता है; गर्म तापमान में अधिक मादाएँ पैदा होती हैं।

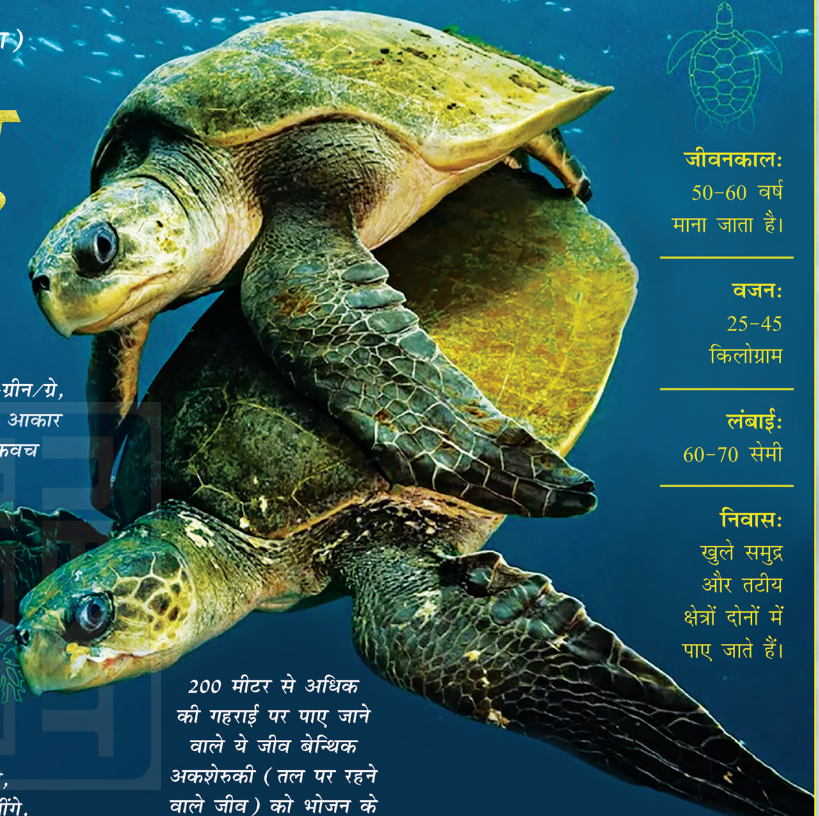

ऑलिव-ग्रीन/ग्रे, हृदय के आकार का कवच

भोजन -अकशेरुकी, जेलीफिश, केकड़े, झींगे, कर्कट, शैवाल, मछली

200 मीटर से अधिक की गहराई पर पाए जाने वाले ये जीव बेन्थिक अकशेरुकी (तल पर रहने वाले जीव) को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।

जीवनकाल: 50–60 वर्ष माना जाता है।

वजन: 25–45 किलोग्राम

लंबाई: 60–70 सेमी

निवास: खुले समुद्र और तटीय क्षेत्रों दोनों में पाए जाते हैं।

संरक्षण

विश्व के कुछ हिस्सों में, जैसे कि अमेरिका में, ऑलिव रिडले के पाए जाने वाले जल में मछली पकड़ने वाले सभी ट्रॉलरों को कानून द्वारा इन कछुओं के आकस्मिक डूबने और उलझने से बचाने के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDS) का उपयोग करना अनिवार्य है। ये नियम भारत के कुछ क्षेत्रों में भी लागू हैं, लेकिन इनका पालन शायद ही कभी किया जाता है।

खतरे
- अंडे और बच्चे प्रायः मनुष्यों द्वारा चुरा लिए जाते हैं या कुत्तों, सूअरों, पक्षियों और अन्य शिकारियों द्वारा खा लिए जाते हैं।
- मांस के लिए शिकार
- अति-मत्स्यन एवं मछली पकड़ने के जाल में फँसना
- महासागर में मैरिन मलबा/प्लास्टिक

संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची में सुभेद्य

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

वामपंथी उग्रवाद:

- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2018 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा 126 जिलों से घटकर 90 जिलों तक रह गई, जुलाई 2021 में 70 और फिर अप्रैल 2024 में 38 तक पहुँच गई।
- परिणामी मृत्यु (नागरिक + सुरक्षा बल) 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से 86% घटकर 2023 में 138 हो गई हैं।

ISFR रिपोर्ट:

- **राष्ट्रीय कवरेज:** वन और वृक्ष आवरण सामूहिक रूप से 8,27,357 वर्ग किमी. में विस्तृत है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
  - वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किमी. (21.76%) है, जबकि वृक्ष क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किमी. (3.41%) है।
- **सबसे बड़ा वन एवं वृक्षावरण (क्षेत्रफल के अनुसार):**
  - **मध्य प्रदेश:** 85,724 वर्ग किमी.
  - **अरुणाचल प्रदेश:** 67,083 वर्ग किमी.
  - **महाराष्ट्र:** 65,383 वर्ग किमी.
- **वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत:**
  - **लक्षद्वीप:** 91.33%
  - **मिजोरम:** 85.34%
  - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** 81.62%

मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024

- **समग्र वृद्धि:** 2019 की तुलना में पीड़ितों की वैश्विक पहचान में 25% की वृद्धि।
- **बाल पीड़ित:** 2019 की तुलना में बाल पीड़ितों की पहचान में 31% की वृद्धि।
- **बालिकाएँ:** 38% की तीव्र वृद्धि, विशेष रूप से बालिकाओं में।

पीड़ितों की जनसांख्यिकी:

- **महिलाएँ:** विश्व भर में पाई गई 61% पीड़ित महिलाएँ थीं।

संगठित अपराध समूह:

- **आपराधिक नेटवर्क:** 74% तस्कर शिथिल रूप से जुड़े समूहों या संरचित संगठनों में कार्य करते हैं।
- **गैर-संगठित तस्कर:** दोषी ठहराए गए तस्करों में से 26% गैर-संगठित तस्कर हैं।

भारत में तस्करी के आँकड़े (2018-2022):

- **दर्ज मामले:** भारत में 2018 से 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए।
- **तस्करी के मामलों में शीर्ष राज्य:** महाराष्ट्र में तस्करी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, उसके पश्चात् तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

भारत का फार्मास्युटिकल और बायोटेक उद्योग

- **वैश्विक नेता:** भारत वैश्विक जेनेरिक दवाओं का 20% आपूर्ति करता है और वैश्विक टीकों का 60% उत्पादन करता है, जिससे यह सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बन जाता है।
- **उद्योग रैंकिंग:** मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और वैश्विक स्तर पर मूल्य के हिसाब से 14वाँ सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.72% का योगदान देता है।
- **बाजार क्षमता:** शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक और एशिया-प्रशांत में तीसरा सबसे बड़ा स्थान।

FDI नीति:

- **ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ:** स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% एफ.डी.आई.।
- **ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ:** स्वचालित मार्गों के माध्यम से 74% एफ.डी.आई. की अनुमति है; इससे आगे, सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि

- **बढ़ते अपराध संख्या:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए, औसतन प्रति घंटे लगभग 51 एफआईआर।
- **अपराध दर और चार्जशीट:** 'भारत में अपराध 2022' रिपोर्ट के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 थी, जिसमें चार्जशीट दर 75.8 थी।

शीर्ष अपराध श्रेणियाँ:

- **पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता:** 31.4%
- **महिलाओं का अपहरण:** 19.2%
- **शीलभंग करने के इरादे से हमला:** 18.7%
- **बलात्कार:** 7.1%

जब्ती और तस्करी गतिविधि (2023-24)

- **विदेशी मुद्रा जब्ती:** 25 मामलों में 12.38 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
- **जब्त किए गए मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ:**
  - **कुल मामले:** 109
  - **कुल जब्त नशीले पदार्थ:** 8223.61 किलोग्राम
  - **कोकीन:** 107.31 किलोग्राम
  - **हेरोइन:** 48.74 किलोग्राम
  - **मेथाम्फेटामाइन:** 136 किलोग्राम
  - **मेफेड्रोन:** 236 किलोग्राम
  - **गाँजा:** 7348.68 किलोग्राम
- **हवाई मार्ग से कोकीन तस्करी:** मामले 21 (2022-23) से बढ़कर 47 (2023-24) हो गए।
  - **कुल जब्त सोना:** 1319 किलोग्राम
  - **वन्यजीव अपराध:** हाथी दाँत जब्त: 53.49 किलोग्राम (5 ऑपरेशन)

NEXT IAS हिन्दी

स्वयं परीक्षण (Test Yourself)

Objective Questions

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. प्राचीन भारत में स्तूपों के ऐतिहासिक महत्त्व और स्थापत्य विशेषताओं की जाँच कीजिए, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

2. भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज पर सूफीवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, आध्यात्मिक और सामाजिक सद्भाव में इसके योगदान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

3. स्वतंत्रता के पश्चात् के भारत में भारतीय राजनीति, शासन और सामाजिक सुधारों में सी. राजगोपालाचारी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

4. अरब सागर में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के लिए जिम्मेदार कारकों और भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

5. भारत में मानव तस्करी के कारणों और परिणामों की जाँच कीजिए, और रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन ढाँचे को मजबूत करने के उपाय सुझाइए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

6. आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग, इसके सामाजिक प्रभाव और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-II

7. भारत-श्रीलंका संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

8. सीरिया में संकट के कारणों और वैश्विक निहितार्थों की जाँच कीजिए, इसके मानवीय और भू-राजनीतिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

9. भारत-कुवैत संबंधों के भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

10. सार्वजनिक स्थानों और बुनियादी ढाँचे में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने में सुगम्य भारत अभियान की प्रगति और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

11. भारत और उसके पड़ोसियों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध के रणनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-III

12. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर बल देते हुए भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

13. सतत् शहरी विकास और बुनियादी ढाँचे के लिए भारत में शहरी क्षेत्र के निवेश में चुनौतियों और अवसरों की जाँच कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

14. भारत के आर्थिक विकास में इस्पात उद्योग की चुनौतियों, विकास संभावनाओं और भूमिका पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

15. भारत में तटीय कटाव के कारणों, प्रभावों और शमन रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

16. ई-कचरा क्या है, और भारत के पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए यह कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ पेश करता है? **(10 अंक, 150 शब्द)**

17. जल सुरक्षा और स्थिरता के संदर्भ में भारत की नदी जोड़ो परियोजनाओं के उद्देश्यों, चुनौतियों और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

18. भारत में वन क्षेत्र की प्रवृत्तियों, उनके पर्यावरणीय निहितार्थों और सतत् प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

19. भारत में नक्सलवाद के कारणों और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

20. 5G और 6G नेटवर्क की तकनीकी प्रगति, संभावित अनुप्रयोगों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

next IAS हिन्दी